मनुवादी
आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्टों से सावधान !

संपादक
डॉ. बी. के. वासनिक (Ph.D)
(यह किताब मान. शितल मरकाम व्दारा लिखित
त्रि-इब्लिसी शोषण-व्यूह विध्वंस किताबों से संश्लेशित की गई है।)

प्रकाशक
बहुजन मार्च
14, ठवरे कॉलनी (old), नागपुर - 440014
Website : https ://www. bahujanmarch.org

मुद्रक
रवि ऑफसेट वर्क्स, करबला के सामने. 39, ग्रेट नाग रोड,
नागपुर - 440 003 Mobile : 7507637311

पहली आवृति : दिसंबर 2018
मुद्रित प्रतियां : 1000 मात्र
सहयोग राशी Rs. 120/- मात्र

ANTI-COPYRIGHT
कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था शोषितों को शिक्षित करने हेतु
इस कॉपीराईट-मुक्त किताब को छापकर बेचने के लिये स्वतंत्र है।

प्रस्तुति **शोषित समाज जागरुकता मुहिम !**

मूलनिवासी महर्षि वाल्मिकी

अर्पण !

आर्य-ब्राह्मणवादी शोषण और हैवानियत का जिस भी जाति-समुदाय ने मूँह तोड जवाब दिया ब्राह्मणवादियों ने छल-कपट और षडयंत्रों से उस जाति-समूदाय कौ सबसे ज्यादा लाचार बनाया है। ब्राह्मणवादियों ने वाल्मिकी जातियों को मैला ढोने जैसे गंदे काम करने पर मजबूर किया है इससे स्पष्ट है कि मूलनिवासी वाल्मिकी जाति-समूदाय ने प्राचिन समय में ब्राह्मणवादी हैवानियत को कुचल कर रख दिया था।

महर्षि वाल्मिकी ऐसे जनवादी वीर थे जो आर्य-ब्राह्मणवादी शोषकों को लूट कर गरीब मूलनिवासी जनता की मदद करने से जनता के दिलों में बस चूके थे और धने जंगल में अपना अजेय वर्चस्व कायम कर चूके थे। सीता को उन्होने ही अपने यहाँ पनाह दी थी और सीता के बेटे लव-कुश को राम से भी बडा यौध्दा बना दिया। जहाँ राम ने ओबीसी के शंबूक की हत्या कर दी थी वहीं बहुजन महर्षि वाल्मिकी को छेडने की उनमें हिम्मत नही थी।

यह किताब हेला, रावत, बाल्मिकी, भंगी, सुदर्शन, धानुक, डोर, डूमार, लालबेगी, मछीयार, हलालखोर इ॰ सभी महान वाल्मिकी जाति-समूदायों के चरणों में अर्पण है जिसने प्राचीन समय में ब्राह्मणवाद को कूचलकर रख दिया था और वाल्मिकी जैसे महान विव्दान वीर योध्दा को जन्म दिया।

वाल्मिकी-रामायण में नाग-द्रविड जनता के प्रजापालक सम्राट रावण को सर्व गुण-संपन्न, विव्दान और जनवादी सम्राट तथा राम कई कमजोरियों से ग्रस्त एक मामूली इन्सान है उससे स्पष्ट है कि महर्षि वाल्मिकी ने यकिनन ही सम्राट रावण के सम्मान में ''रावणायण'' लिखी होगी। ब्राह्मणवादियों ने अपनी फितरत के मुताबिक तमाम तोड-मरोड के बावजूद वे हमारे नाग-द्रविड सम्राट रावण के जनवादी रुप को नही छूपा सके है क्योंकि ब्राह्मणवादियों व्दारा रामायण के रुप में प्रचारित महर्षि वाल्मिकी की ''रावणायण'' लोगों के दिलों दिमाग में बस चूकी थी। आज भी महाबली रावण का खौफ आर्य-ब्राह्मणवादियों पर इस कदर छाया हुआ है कि वे उस खौफ और नफरत की वजह से महाबली रावण का हर साल दहन करते है। मूलनिवासी जनता से अपील है कि वे रावण दहन में शामिल न हो।

डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा कि वाल्मिकी समाज अगर हडताल कर दे तो आर्य-ब्राह्मण्ावादी गंदगी में सडकर दम तोड देंगे। हमें उम्मीद है कि महान वाल्मिकी समाज की जातियाँ जागरुक होकर तथा अपनी ताकत को पहचान कर ब्राह्मणवदियों से अपने अपमान, शोषण और दमन का मूँह-तोड जवाब देगी !

-- शोषित समाज जागरुकता मुहिम !

अनुक्रमणिका

पेज क्र.

01 अर्पण 02

02 मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेता, विदेशी हुक्मरानों के तनख्वाहशुदा जासूस रहे है 07

03 दमन और शोषण-विरोधी संघर्ष ब्राह्मणवादियों ने नही सिर्फ बहुजनों ने किये है ! 09

दुनियाँ का पहला किसान संघर्ष दलित समाज के अय्यंकाली ने किया ! (10) भारत में कम्युनिस्टों ने नही बल्कि, शोषित बहूजनों ने रखी मजदूर आन्दोलन की नींव ! (13)

04 सभी मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेता डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिभा के आगे बौने थे!..... 13

आर्थिक मांगों की बजाय राजसत्ता काबिज करने, मजदूरों को जागरुक और प्रशिक्षित होना जरुरी है (15), डॉ अम्बेडकर का मजदूरों के लिये कीरदार (17), (21)डॉ. अम्बेडकर एक इन्केलाबी किसान नेता (18)

05 ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं का बहुजन मजदूरों के बुनियादी हकों से इन्कार..... 21

ब्राह्मणवादी नकली मजदूर नेताओं की, काँग्रेस के शोषक सरमायेदारों से गहरी दोस्ती (23), ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं की, मजदूर युनियनों का प्रतिक्रांतिकारी किरदार (27), ब्राह्मणवादी नेताओं का मजदूर आन्दोलन,शोषितों के खिलाफ ब्राह्मणवादी प्रतिशोध का साधन है (28)

06 तेलंगाना संघर्ष से मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं की गद्दारियाँ 31

बाबासाहब डॉ॰ अम्बेडकर की चेतावनी, मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं से सावधान (35), ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं को समझाने की मूलनिवासी कार्यकर्ताओं की अंधी कोशिशें (36)

07 ब्राह्मण-धर्म मजबूत कर रहे है, सभी ब्राह्मणवादी नेता ! 38

ब्राह्मणवाद से ग्रस्त है, ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेता (38)

08 ब्राह्मणवादी काँग्रेस-बिजेपी-कम्युनिस्ट नेता, फासिस्ट संघ-परिवार का अभिन्न अंग है ! 40

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व, संघपरिवार से ज्यादा जातीयवादी और सांप्रदायिक है (42), ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेता, बिजेपी-आरएसएस से भी ज्यादा बहुजन-विरोधी है (44), मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट के नेतृत्व ने, हम

दलितों की हालत नर्क से बदतर बनाई है (46), सभी ब्राह्मणवादी नेता बहुजनों के खिलाफ एक है (48)

09 ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं व्दारा मूलनिवासी शोषित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और दमन ! 49

ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं का मकसद, मूलनिवासी कार्यकर्ताओं को जागरुक होने से रोकना है (50), मातंग समाज के अन्नाभाउ साठे से मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं का विश्वासघात (50), ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेताओं का, दलित कम्युनिस्ट नेता के.आर. गौरीअम्मा से विश्वासघात (56), माओवादी संगठनों में उपेक्षित मूलनिवासी (58), आदीवासी सी.के जानु ने त्याग दिया मनुवादी-ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट पार्टी को (60)

10 ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेताओं व्दारा, डॉ॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर का विकृतिकरण ! 61

मार्क्सवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं का अधकचरा ज्ञान और मूलनिवासियों से बेपनाह नफरत (62)

11 साम्यवादी विचारों की समीक्षा से ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्टों को परहेज क्यों ? 67

भीमयान बौध्द धर्म अपने विचारधारा की, तर्कपूर्ण जांच-पडताल के लिये अवाम को प्रेरित करता है (67), ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं को, मार्क्स की विचारध ारा की समीक्षा से ऐतराज की वजुहात ! (67) आलस और लालसा शोषण की बुनियाद है (69), समाज-व्यवस्था में धर्म-संस्कृति की अहमियत (70), नैतिकता पर आधारित धर्म समतामूलक समाज व्यवस्था के लिये जरुरी है (71), समतामूलक समाज में तानाशाही के लिये कोई जबह नही है (73), मार्क्स ने पाटी नेताशाही को जबकि बहुजनवाद ने अवाम को नेतृत्वकारी करार दिया (73), मार्क्स ने पार्टी के बहुमत पर जबकि बहुजनवाद ने निर्णय की नैतिकता पर जोर दिया (74), मार्क्स ने पार्टी को जबकी बहुजनवाद ने संपूर्ण प्रक्रिया को महत्व दिया (74)

12 ब्राह्मणवाद की रक्षा के लिये जाति विरुध्द वर्ग का प्रतिक्रांतिकारी विवाद 76

13 सभी कम्युनिस्ट नेता मूलनिवासी बहुजनों के हकों को नकारते है 79

14 ब्राह्मणवादी नकली माओवादी नेताओं की,दलितों के प्रति ढोंगी हमदर्दी की वजह ! 87

ब्राह्मणवादी नकली माओवादी नेताओं का सिरदर्द, दलित चेतना से लैस माओवादी कार्यकर्ता तथा उनके संगठन (89), ब्राह्मणवादी माओवादी नेताओं का दलित प्रेम, धोखे, मक्कारी और दिखावे के सिवा कुछ नही है (93)

15 भ्रष्ट लोगों की जमात है, मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेतृत्व..... 95

16 मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेता शोषण-व्यवस्था के रक्षक और साम्राज्यवाद के दलाल है 99

देश में विदेशी शोषण-क्षेत्र यानि विशेष-आर्थिक क्षेत्र (सेझ) कानून ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं ने मिलजूलकर पारित किया (**100**), विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ), भू-माफीयाओं का लूट-खसोट क्षेत्र है (**102**), सेझ बर्बर गुलामी और शोषण के विदेशी क्षेत्र है (**102**), सिंगूर-नंदीग्राम इ॰ सेझ प्रकल्पों का मकसद (**103**)

17 मनुवादी कम्युनिस्ट पार्टियों का जनविरोधी प्रतिक्रांतिकारी फासिस्ट चरित्र ! 104

संघपरिवार ने फासिज्म के सबक,ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं से सीखे है (**104**)

18 मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेता मूलनिवासियों को भूखे मारने में लगे है 109

19 कम्युनिस्ट-कॉंग्रेस के नेताओं का, केरल के आदिवासियों से घिनौना प्रतिशोध 111

ब्राह्मणवादी कॉंग्रेस-कम्युनिस्टों का, आदिवासी-दलितों से लगातार विश्वासघात (**111**), मुथांगा में आदिवासी जनसंहार (**114**), ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं का जबरन दलित-आदिवासी विस्थापन अभियान ! (**115**), केरल के चेंगरा में दलित आदिवासियों का जमीन के लिये संघर्ष ! (**116**), मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट सरकार से, केरल के मूलनिवासी बहुजन किसानों का संघर्ष (**118**)

20 मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्टों का नंदिग्राम, सिंगूर के बहुजनों से प्रतिशोध ! 120

नंदीग्राम के दलित-मुस्लिमों को सबक सिखाने मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं की हैवानियत (**120**), सीपीएम के गुंडों व्दारा दलित-मुस्लिम औरतों पर सामुहिक बलात्कार तथा उनके शरीर को टूकडे टूकडे करने का सिलसिला (**124**), मनुवादी आर्य-ब्राह्मण ब्राह्मण नेताओं ने हम दलित-मुस्लिमों के गांवों को तबाह-बर्बाद कर दिया (**126**), नंदीग्राम के हम दलित-मुस्लिमों को सबक सिखाने की मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं की दोबारा तैयारियाँ (**127**), नंदीग्राम के दलित-मुस्लिमों के खिलाफ ब्राह्मणवादी पुलिस तथा न्याय-व्यवस्था की भूमिका (**131**), सिंगूर में मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट सरकार की हैवानियत (**131**)

21 मूलनिवासी बंगाली दलित-मुस्लिमों से, मनुवादी आर्य-ब्राह्मणों का बर्बर प्रतिशोध । 132

जातीय प्रतिशोध लेने, मनुवादी आर्य-ब्राह्मण नेताओं ने संरुक्त बंगाल के दलित बहुल क्षेत्र पाकिस्तान के हवाले किये (**132**), पाकिस्तान के धर्मांतरित ब्राह्मण ावादियों व्दारा, मूलनिवासी दलितों का जबर्दस्त उत्पीडन व दमन (**133**), भारत

में भारत में मनुवादी आर्य-ब्राह्मण हुक्मरानों का मूलनिवासी बंगाली दलितों से शैतानी प्रतिशोध (**135**), मनुवादी आर्य-ब्राह्मण नेताओं ने बनाया, बंगाली दलितों को अपना राजनीतिक मोहरा। (**137**), भारत आये बंगाली दलितों ने, मरीचझापी को अपने स्वर्ग में तब्दिल किया (**138**), मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट सरकार व्दारा, मरीचझापी के बंगाली दलित शरणार्थियों का नरसंहार (**139**), प॰ बंगाल के मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट मोर्चे ने, बंगाली दलितों को सुंदरबन के बाघों का भोजन बनाया (**140**), मनुवादी आर्य-ब्राह्मण हुक्मरानों ने इन्तेकाम के लिये बंगाली दलितों को आतंकवादी और घूसपैठिये करार दिया (**141**), हम बंगाली दलित-मुस्लिमों के खिलाफ आर्य -ब्राह्मणवादी शोषकों का झूठा कुटील प्रचार (**144**)

22 सीमापार नो मेन्स लॅन्ड में जारी है, बंगाली दलित-मुस्लिमों का ब्राह्मणवादी कत्लेआम ! .....-..... 147

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण हुक्मरानों व्दारा भारत के मूलनिवासी बंगाली दलित-मुस्लिमों का जबरन देश-निकाला (**147**), आपरेशन पुश-बॅक के लिये मूलनिवासी बंगाली दलित-मुस्लिम ढूंढना जारी है (**150**), भारतीय दलित-मुस्लिम मूलनिवासी नागरिकों को, ब्राह्मणवादी इन्तेकाम के लिये जबरन सीमापार किया जा रहा है (**152**)

23 मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिसटों का दलित प्रेम धोखे, मक्कारी और दिखावे के सिवा कुछ भी नही है 154

Consolidated Bibliography 156-160

किताब पढते वक्त कृपया ध्यान रखें कि :–

1) संदर्भ साहित्य से ली हुई जानकारी के अर्थ को बहुजनवादी परिपेक्ष में और ज्यादा साफ तौर से उजागर करने के लिये हमने अपनी ओर से ''सरकार'' शब्द की जगह ''सरकार पर काबिज ब्राह्मणवादी'', मनुवादी, ब्राह्मणवादी, ब्राह्मण ावादी नकली कम्युनिस्ट, इ॰ लफ्जों का इस्तेमाल किया है। कंस में हमने अपना खुलासा दिया है। इस मकसद से हमने { } इसतरह के कंसों (**Brackets**) का इस्तेमाल किया है।

2) ऐसा कोई भी इन्सान चाहे उसकी जाति, धर्म या वंश कोई भी हो जो ब्राह्मणों को श्रेष्ठ मानकर उसके निर्विवाद वर्चस्व को कायम करने के लिये दिल से कोशिश करता है, वह मनुवादी ब्राह्मणवादी है। जो ऐसा किसी लालच में करता है वह ब्राह्मणवाद का दलाल और जो मजबूरी में करता है वह ब्राह्मणवाद का गुलाम है। मनु ने लिखा हुवा ब्राह्मणवाद ही मनुवाद है। इसलिये मनुवाद का केन्द्रक (**Nucleus**) ब्राह्मणवाद ही है। - शोषित समाज जागरुकता मुहिम !

7

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेता, विदेशी हुक्मरानों के तनख्वाहशुदा जासूस रहे है !

आर्य-ब्राह्मणवादी न कभी इन्केलाबी रहे है न कभी इन्केलाबी हो सकते है क्योंकि आर्य-ब्राह्मणों का इतिहास यही है कि उन्होने हर तरह के शोषकों के दलाल बनकर उनकी ''हर तरह'' से सेवा की है। साम, दाम, दंड, भेद की नीति और अपनी औरतों का इस्तेमाल कर अपनी जाति को संपन्न और मजबूत बनाया है।

कँवल भारती के मुताबिक ब्राह्मणवादी शोषक यह सोचकर परेशान हुए कि रुस जैसा इन्केलाब अगर भारत में भी हो जाये तो उसमें हुक्मरान तबके की सारी तानाशाही और सारा वैभव जलकर खत्म हो जाएगा। इसलिये इन्होने खुद ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाकर इसकी नुमाईन्दगी अपने हाथों में ले ली। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी उन लोगों ने बनाई जो जमींदार और हुक्मरान तबके से आते थे। इनमें कोई भी सर्वहारा और दलित नही था। वे विदेशों से पढ़कर आये थे और सारी सुविधाओं के साथ रहते थे। उनका शुमार पश्चिमी सभ्यता में रंग चुके परिवारों में होता था। वे अपने घर में फर्राटे से अंग्रेजी में बातें करते थे। इनका मकसद अंग्रेजों के बाद सत्तासुख भोगना और इन्केलाब को रोकने के हालात बनाये रखना था। इसलिये कम्युनिस्ट पार्टी और काँग्रेस की नुमाईन्दगी भी ब्राह्मणों के हाथों में रही। (लोकमत समाचार 29 फरवरी 2004)

एम.एन. रॉय ने सन 1920 में ताश्कंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कायम की। उसकी केन्द्रिय कमिटी में सात में से पांच ब्राह्मण और दो मुस्लिम थे। दस्तावेजों से यह पता चलता है कि सभी पांच ब्राह्मण सदस्य अंग्रेजों के जासूस थे। (Swapan Biswas, Gods, False-Gods & the Untouchables, p. 270-271) नई दिल्ली के national Archives के एक शोधकर्ता ने पुराने कागजातों के आधार पर यह साबित किया कि सन् 1920 के दशक में एस. ए. डांगे ने अपनी रिहाई के बदले अंग्रेजों के लिए एजन्ट के रुप में काम करते रहने की दरख्वास्त की थी।(Dasgupta Biplab, p. 179) रेकार्ड से पता चलता है कि एम. एन. राय को लगभग **70,000** रुपये हर माह अंग्रेजों के सिक्रेट फंड से अदा होते रहे। कम्युनिस्ट नेता मुजफ्फर अहमद के मुताबिक उस वक्त लगभग सभी ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेता देशद्रोही थे। वे शोषित अवाम के लिए नही बल्कि ब्रिटीश हुकुमत के लिए काम करते थे। एस. ए. डांगे के खुद के पत्र (**28 जुलाई 1924**) के मुताबिक उसने अपनी सेवाएं अंग्रेजी पुलिस विभाग को दी हुई थी।(Swapan Biswas, Gods, False-Gods & the Untouchables, p. 270-271)

सन् 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन करने के बाद ऑल इंडिया सेन्ट्रल रिव्होल्युशनरी कमिटी का मास्को में गठन किया गया जिसमें इंडियन रिव्होलुशनरी असोशिएशन और सीपीआई के सदस्य शामिल किए गए। अब्दूल रब बर्क और आचार्य दोनों को ही अंग्रेजी जासूस होने के शक में कमिटी से बाहर

किया गया। अबनी मुखर्जी जो एम.एन. रॉय का सबसे करीबी साथी था, पर अंग्रेजी जासूस होने का इल्जाम खुद रॉय ने लगाया। सरोजिनी नायडू का भाई बिरेन्द्रनाथ चटर्जी (चाटो) युरोप के सफर के बाद 1918 में सोवियत संघ गया और कोमिंटर्न में शामिल हो गया। उसपर भी जासूस होने का इल्जाम लगा और कोमिंटर्न कंट्रोल कमिशन से जांच की गई। सोवियत गुप्तचर संस्था के.जी.बी. के दस्तावेजों के मुताबिक अबनी मुखर्जी और चाटो का 1937 में खुफीया तौर से कत्ल किया गया। अबनी मुखर्जी को भी उसी साल गिरफ्तार कर गोलियों से उडा दिया गया। के.जी.बी के दस्तावेजों से यह पता चलता है कि लगभग 45 भारतीयों को साजीश करने और ब्रिटिश जासूस होने के आरोपों में गोलियों से उडा दिया गया। (The Comintern and the Indian Revolutionaries in Russia in the 1920s. http://les1.man.ac.uk/chnn/ICHNN, No 13, Autumn 2002 Features.htm तथा Author: Santanu Banerjee Publication: The Indian Express Date: September 28, 2003 URL: http://www.indianexpress.com archive_full_story.php?content_id=32362) एम. एन. राय का मूल नाम नरेन्द्रनाथ भट्टाचार्य है।

मिखाईल पावलोविच के मुताबिक भारत से आये अधिकतर क्रांतिकारी अपनी उच्च जाति की सोच के शिकार थे। वे सिर्फ इसी माईने में क्रांतिकारी थे कि वे भारत से अंग्रेजी राज को उखाड फेंकना चाहते थे। उनकी यह सोच थी कि भारत का अमिर तबका ही सच्चा क्रांतिकारी तबका है, गरीबों को तो कोई भी खरीद सकता है। एक भारतीय क्रांतिकारी बरकतुल्लाह के मुताबिक पूंजीवादी का मतलब हमारे लिये विदेशी और खास तौर से अंग्रेज है। (M.A. Persits, p.21,29,95)

तीसरे कम्युनिस्ट इंटरनॅशल की छटवी कॉंग्रेस में एम. एन. रॉय पर कुसिनिन इ॰ ने साम्राज्यवादियों का एजेन्ट होने और भारत के शोषकों का साथी होने का इल्जाम लगाया। (M.N. Roy (1938) : Man who looked ahead,p.124 163-165, 176) रॉय को सितंबर 1929 में कम्युनिस्ट इंटरनॅशनल से बर्खास्त कर दिया गया। अया तेंदूलकर ने यह इल्जाम लगाया है कि रॉय को कम्युनिस्ट इंटरनॅशल से बर्खास्त करने की एक वजह यह भी है कि उसने मास्को से भारतीय इन्केलाब को अंजाम देने के लिए दी गई मदद में भारी घपला किया और रकम को स्वीस बँकों में जमा कर दिया था। (M.N. Roy (1938) : Man who looked ahead,p.192-93)

रॉय के मुताबिक गांधी, नेहरु की भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस ही भारत के अवाम का सच्चा क्रांतिकारी संगठन है। रॉय ने कॉंग्रेस से अलग किसान सभाएं बनाने का जबर्दस्त विरोध किया। (बा.रं. सुंठनकर, p.258,264) जेल से छुटने के बाद रॉय कॉंग्रेस में शामिल होकर ब्रिटीश सरकार से सहयोग करने लगा।

9

दमन-शोषण विरोधी संघर्ष

ब्राह्मणवादियों ने नही सिर्फ बहुजनों ने किये है !

आदिवासियों के जंगल के हक को अंग्रेजी हुकूमत ने छीनने के खिलाफ सन् 1847 से लेकर 1947 तक 99 आदिवासी किसानों के विद्रोह हुए। (भाष्कर, 14 नवंबर 2005) सच्चाई यह है कि भारत में आज तक जितने भी जनवादी संघर्ष हुए है वह संघर्ष दलित-आदिवासी मूलनिवासी बहुजनों ने किये है। भील, संथाल, कोली, खोंड, मीर, होस, आदिवासियों से लेकर मुस्लिम खेतमजदूर-किसानों के मोपलाह विद्रोह, तीलका मांझी, बिरसा मुंडा, कुमरा भीमु से लेकर हजारों आदिवासी मुक्तियोध दाओं के संघर्षो के इतिहास को ब्राह्मणवादी शोषकों ने गुमनामी के गर्त में डुबाने की पूरी कोशिशें की। किसी भी ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट संगठन ने उन्हे इतिहास में जगह नही दी। लेकिन मूलनिवासी अवाम में उनकी यादें बनी रही इसलिये आज हमें इनके जितने भी संघर्ष याद है उनकी तादाद भी हजारों में है। जो गुमनाम बने रहे वे संघर्ष लाखों की तादाद में है। हम बहुजनों के मुक्तियोध्दा अनपढ लेकिन संघर्ष के प्रति ईमानदार तथा अपने मकसद के पक्के थे। आत्मरक्षा में ब्राह्मणवादी शोषकों का खून बहाकर उन्होने कामयाबियाँ हासिल की।

शोषक वर्ग के दिल कांप उठे थे कि ये संगठन शोषक ब्राह्मणवादियों के खून के प्यासे न हो जाये। अगर इन संघर्षो का नेतृत्व संघर्ष के प्रति समर्पित मूलनिवासियों के हाथों में ही रहा तो ब्राह्मणवादी शोषण-व्यवस्था कुछ ही समय में दम तोड देगी। इसलिये ब्राह्मणवादियों ने मक्कारी से अपनी नकली काबिलियत का हौवा खडा करके हर तरह के संगठनों तथा संघर्षो का नेतृत्व अपने हाथों में लेकर ब्राह्मणवादी जहर से उन सभी संगठनों को अपाहीज बनाने का काम किया है। नक्सली दलों समेत तमाम कम्युनिस्ट संगठनों को जो भी कामयाबी मिली है वह सिर्फ मूलनिवासी बहुजनों की मेहनत का नतिजा है इसमें ब्राह्मणवादी नेतृत्व का कोई योगदान नही है। ये संघर्ष सिर्फ इसलिये कामयाब हो सके है क्योंकि ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेता भीतराघात करने की अपनी तमाम चाहत के बावजूद बेनकाब होकर नेतृत्व से बाहर हो जाने के डर से संघर्षरत मूलनिवासियों का विरोध करने की हालत में नही थे इसलिये उन्होने बढचढकर इन्केलाबी लफ्फाजियाँ करते हुए मूलनिवासी संघर्ष की लहर पर सवार होकर अपने नेतृत्व को पुख्ता किया। साथ ही वे भीतराघात को बढावा देते रहे और जब भी संघर्ष ब्राह्मणवादी शोषण-व्यवस्था के लिये खतरा बना उन्होने खुलेआम गद्दारियाँ की। अपनी शैतानी उपासना में हम मूलनिवासी बहुजनों के खून की बली चढाकर अपने ब्राह्मणवादी इन्तेकाम को पूरा करते रहे है। बहुजनों के इन्केलाबी संघर्ष पर ब्राह्मणवादी नेतृत्व एक दीमक की तरह है। जबतक इसे साफ नही किया जाता इन्केलाबी संघर्ष कामयाब नही हो सकते। हमारे संघर्ष भीतराघात के शिकार बनते रहेंगे और सिर्फ इसी सीमा तक बढेंगे जिससे ब्राह्मणवादी नेतृत्व के लिये ऐय्याशी और शोहरत का इन्तेजाम होता रहे। सीपीआय, सीपीएम के ब्राह्मण ावादी नकली कम्युनिस्ट नेता मूलनिवासी कार्यकर्ताओं के खून-पसीने पर ही ऐयाशी

करते रहे है। नक्सली संगठनों का ब्राह्मणवादी नेतृत्व मूलनिवासियों ने अपना खून बहाकर हासिल की हुई करोडों की लेवी पर ऐश कर रहा है और अपनी गद्दारियों को बौध्दिक तर्कवाद में छुपा रहा है। तमाम ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेता अपने ज्ञान और जानकारी के लिहाज से घुटने से भी कम पानी में तैर रहे है जबकि वे दिखावा गहरे समुद्र में तैरने का कर रहे है ताकि आम कार्यकर्ता उनके नकली ज्ञान की चकाचौंध को अपने दिमाग पर हावी कर उनकी गद्दारियों को देख ही न सके। यही वजह है कि ब्राह्मणवादी नेतृत्व ने मूलनिवासी कार्यकर्ताओं को जागरुक करने की हर कोशिश को नाकाम किया ताकि ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं के अध ाकचरे और पाखंडी ज्ञान का भंडाफोड न हो सके।

मान॰ कोवेना के मुताबिक भारत में सिर्फ बहुजनों का संघर्ष ही इन्केलाबी संघर्ष है। कम्युनिस्ट आन्दोलन सहित आर्य-ब्राह्मण नेतृत्व के सभी आन्दोलन एक धोखेबाजी, मूल मकसद से दूर ले जाने वाले, तथा भ्रमित करने वाले है। उन्होने बहुजनों को 70 गुटों में तथा मजदूरों को 36000 युनियनों में बाँट दिया है लेकिन वे पूरे पाखंड से मजदूर एकता का नारा भी लगाते है। किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को प्रगतिशील, इन्केलाबी या समझदार तब तक नही कहा जा सकता जबतक वह शासन-व्यवस्था पर बहुजनों के कब्जा करने का बिना शर्त समर्थन नही करता। (Kovena,The Bahujan Guide, p.8)

दुनियां का पहला खेतमजदूरों का संघर्ष दलित समाज के महानायक अय्यंकाली ने किया !

अय्यंकाली ने दुनिया की पहली खेत-मजदूरों की हडताल की। अय्यंकाली ने मांग की कि 1) दलितों को स्कूलों में दाखिला दिया जाये। 2) दलितों पर जब चाहे तब होने वाले अत्याचारों को फौरन बंद किया जाये। 3) दलितों को झूठे मामलों में फँसाना फौरन बंद किया जाये। 4) मजदूरों को कोडे मारना बंद किया जाये। 5) दलितों को सवर्णो की तरह शहर में कहीं भी आने-जाने की आजादी दी जाये। 6) दलितों को चाय की दूकानों में नारियल के खोल में चाय देने की प्रथा को बंद किया जाये। 7) खेत-मजदूरों के लिये काम के दौरान आराम की अवधी मिलनी चाहिये। 8) सामानों की बजाय नगदी में मजदूरी दी जाये। 9) खेत मजदूरों को स्थायी किया जाय और फसल न होने के मौसम में भी उन्हे तनख्वाह दी जाये।

जमींदारों ने अय्यंकाली की मांगों को गंभीरता से नही लिया। हडताल की वजह से कंडाला, कानियापुरम, पल्लीचल, तथा मुड्डाउपारा से लेकर वाझीन्जोम तक खेतों में पूरी तरह से विराना छा गया। सवर्ण जमींदारों ने दलितों की हडताल तोडने के लिये हर तिकडम का इस्तेमाल किया लेकिन वे हडताल नही तोड सके। मजदूरों को जहां मिले वहां पीटना तक शुरु किया। कुछ मजदूरों को लालच देकर काम पर लाने की कोशिशें भी हुई। अय्यंकाली की सशस्त्र सेना ने जमींदारों के गुंडादलों का मुकाबला कर उन्हे परास्त किया और उनकी सारी चालें नाकाम कर दी। तब

जमींदारों ने खुद ही खेती करने की कोशिश की जो नाकाम हुई। तपते सुरज की गर्मी ने उन्हे बीमार बना दिया।

न ही कोई मोर्चा निकाला गया था, न ही पोस्टरबाजी की गई, न ही कोई लाउडस्पीकर लगाये गये, न ही कोई पर्चे बांटे गए और न ही कोई बॅनर लगाये गए। इसके बावजूद यह हडताल एक साल से भी ज्यादा अर्से तक चली। इस दौरान दलित खेत-मजदूरों को भूखे मरने की नौबत आई। अय्यंकाली इसके लिये पहले से ही तैयार थे। अय्यंकाली ने विजिंजोम के मछुआरों से समझौता किया था कि जबतक हडताल चलती है दलित खेत मजदूरों के हर परिवार के एक मजदूर को उनकी मछली मारने की नाव पर काम दिया जाये और पकडी गई मछली में उनका हिस्सा दिया जाये। दलित जातियों के इस आपसी सहयोग से जमींदारों को अपनी हार साफ नजर आने लगी। उन्होने तिलमिला कर हम पुलाया दलित मजदूरों पर हमले करने और हमारी झोपडियाँ जलानी शुरु की। जवाब में अय्यंकाली की कमांडो सेना ने दूर दराज के जमींदारों के कई घरों में आग लगा दी। उन्हे डर से कांपने पर मजबूर किया क्योंकि जमींदारों को किसी भी वक्त अय्यंकाली के कमांडो दस्तों के हमले का खौफ था। उन्हे अहसास हो गया कि दलितों की मांगे नही मानी गई तो उन्हे भूखा मरना पडेगा। इसलिये जमींदारों ने अंततः अय्यंकाली की मांगे मान ली। अय्यंकाली ने जमीनदारों को उनके पास शान्ति प्रस्ताव के साथ आकर बात करने की शर्त रखी। राज्य के दीवान ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करने अपना न्यायाधीश भेजा। दलित खेत मजदूरों की मजदूरी बढाना मंजूर किया गया। खेत-मजदूरों के लिये 6 दिन का हप्ता मंजूर किया गया। दलित बच्चों के स्कूल में दाखिले तथा दलितों के शहर में आने जाने की बात को तत्वतः माना गया लेकिन उसे कब अमल में लाया जाएगा इसका फैसला नही हुआ।

अय्यंकाली ने जिन प्रतिकुल हालातों में अशिक्षित, गरीब होने के बावजूद संघर्ष को कामयाब बनाया, उससे यह स्पष्ट है कि ईमानदार, निष्ठावान तथा दूरदृष्टी वाले मरने-मारने पर उतारु बहुजन ही अपने संघर्ष को कामयाब बना सकते है। दलितों की जीत से तिलमिलाये जमींदारों ने अय्यंकाली को मारने के लिये 1000 तथा जिन्दा पकडकर लाने के लिये 2000 रुपयों की सुपारी दी। इसमें दोनों पक्षों का काफी खून बहा लेकिन वे अय्यंकाली का बाल भी बाका न कर सके। अय्यंकाली अपने बहादूरों के दल के बीच में रहते थे। उनके मुख्य अंगरक्षक धाउवाचापुरम के मशहूर गुंडे याकूब थे।

अय्यंकाली ने मजदूरी बढाने और काम के घंटे कम करने की मांगों के लिये संघर्ष किया। जमींदारों के क्रूर बर्ताव के खिलाफ पीडित युवक मजदूरों ने अपने समूह कायम किये। जमीदारों के खिलाफ संघर्ष हुए। कुछ जमींदारों ने अपनी जमीन को बिना बोये पडे रहने दिया। कोल्लम जिले में यह संघर्ष सबसे ज्यादा तीव्र था (तिरुविला और चेंगानूर उस वक्त कोल्लम जिला था।)। व्यापक अभियान की वजह से कोल्लाम के सारे क्षेत्रों से हजारों लोग सशस्त्र होकर पेरिनाडु के लिये रवाना हुए। कोच्ची में राजा का आदेश था कि दलित ''उनकी जमीन'' पर

कोई सभा नही कर सकते। लेकिन मुलावुक्कुडू (बोलघाट्टी) व्दीप के कल्लाचामुरी क्रिशनाडी असन ने पानी में विशाल प्लॅटफार्म बनाकर उसपर दलितों की सभा ली। यह विशाल प्लॅटफार्म बडी तादाद में नावों को आपस में जोडकर बनाया गया था। इसमें मुछूआरों ने दलितों की पूरी मदद की थी। असन ने महाराजा को बताया कि उन्होने राजा के आदेश का उल्लंघन नही किया क्योंकि सभा जमीन पर नही बल्कि पानी में हुई थी। अय्यंकाली ने दलितों के लिये खेती करने और रहने के लिये जमीन हासिल करने की पुरजोर कोशिशें की। सन् 1921 में उच्चवर्णीय सीरीयन इसाईयों {धर्मांतरित ब्राह्मणों} ने पैसे के बल पर प्रशासन की मदद से दलितों के लिये मंजूर हुई वन विभाग की जमीन पर जबरन कब्जा किया। जिससे उच्चवर्णीय सीरीयन क्रिश्चन और उत्तरी इरुमली के दलितों के बीच दंगा भडका। अय्यंकाली ने हुक्म दिया कि पूरी ताकत से मुकाबला करें। इस संघर्ष का नेतृत्व वेल्लिक्का चोडी और पी. योहान्नन ने किया। सीरीयन इसाई पुलिस इन्सपेक्टर गोपालस्वामी पिल्लई को नही खरीद सके इसलिये दंगे पर जल्द ही काबू पाया गया।

दलितों के दुश्मन मोहनदास करमचंद गांधी ने **1937** में वेंगानूर आकर अय्यंकाली से मुलाकात की। अय्यंकाली का जवाब था क्या वो उन सवर्णो के साथ जुड जाये जो उनकी जाती के दमनकर्ता है ? क्या वे ऐसे लोगों के साथ मिले जो उनकी जाति के लोगों पर निगाह पडना भी प्रदुर्षण मानते है ? वे अपनी जाति को सवर्णो के शोषण, दमन और जुल्मों से निजात दिलाने का संघर्ष जारी रखे हुए है। जहांतक दलितों का सवाल है सवर्ण जातियों के अलावा दूसरे किसी दुश्मन का उनके लिये कोई अस्तित्व नही है। इन दुश्मनों से निपटने के बाद ही राष्ट्रीय आजादी के आन्दोलन के बारे में सोचा जा सकता है।

डॉ॰ अम्बेडकर ने अय्यंकाली के संघर्ष से जान लिया था कि दलितों को खून बहाकर ही उनके मानवीय हक हासिल नही होंगे। इसलिये उन्होने कहा :- आप इस बात को भली भाँति जानते है कि हमारे खिलाफ सारी दुनियाँ है। सबसे पहली बात हमने अपने मन का डर खत्म कर देना चाहिये। जब जब भी हमपर जूल्म होगा हमने जूल्म करने वालों से दो दो हाथ करने चाहिये। जो होना होगा उससे क्यों डरना ? आपके पास ऐसा क्या है जिसे खोने का आपको डर है ? आपने मौत से बिल्कूल नही डरना चाहिये। इतना निडर बनकर ही आपको जूल्म का प्रतिकार करना संभव होगा। हमने जूल्म से प्रतिकार करने के लिये एक फंड बनाना चाहिये। दि॰ 14 मई 1938 को कनकवली, मुंबई की विशाल सभा में डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि महारों की 20 लाख की बस्ती है। अपने मानवीय हकों को कायम करने में इनमें से एक लाख लोग अगर हलाक भी हो जाते है तो क्या फर्क पडने वाला है ? मुझे युवकों से कहना है कि न्याय अधिकारों को हासिल करने के लिये आपने मरने के लिये तैयार रहना चाहिये। उन्होने इसके लिये सबसे पहले ''प्राणयज्ञदल संस्था'' {Life sacrifising groups} जगह जगह कायम करनी चाहिये। सरकार अगर आपके न्याय अधिकारों के रास्ते की रुकावट बनती है तो बगावत कर दे लेकिन अन्याय कतई न सहन करे। (Dr. Ambedkar : Writing and Speeches Vol.

18-II p. 68-9, 118, 150, 280)

भारत में कम्युनिस्टों ने नही बल्कि शोषित बहुजनों ने रखी मजदूर आन्दोलन की नींव !

पितामह फुले के सहकारी नारायण मेघाजी लोखंडे ने सन् 1874 में भारत में सबसे पहली मजदूर युनियन ''बाम्बे मिल हॅन्डस असोसिएशन'' कायम की। 23 सितंबर 1884 के दिन उन्होने मुंबई सुपारीबाग परळ में पांच हजार मजदूरों की पहली ऐतिहासिक आम सभा ली। इसके तीन दिन बाद ही भायखला में बडी आमसभा ली गई तथा 5500 मजदूरों की दस्तखत से एक निवेदन अंग्रेज सरकार को भेजा गया। इस आन्दोलन से भारतीय मजदूरों को 10 जून 1890 में रविवार की साप्ताहिक छुट्टी मंजूर की गई। इस आन्दोलन की वजह से ही दि. 25 सितंबर 1890 में ''फॅक्टरी लेबर कमिशन'' नामक कमीशन मेजर ए.एम. लेथब्रिज की अध्यक्षता में कायम किया गया। मजदूरों के प्रतिनिधी के तौर पर लोखंडे जी की नियुक्ति की गई। दि. 1 जनवरी 1892 से फॅक्टरी एक्ट अमल में लाया गया जिसके तहत काम के घंटे कम किये गए, स्त्री कामगारों को रात्री की पाली में काम करने पर पाबंदी आयद की गई। दोपहर खाने की छूट्टी मंजूर की गई। बाल मजदूरों को स्कूल जाना संभव हो सके इसलिये उनके काम के घंटे साढे छह घंटे किये गए। इन सारी बातों का श्रेय पितामह ज्योतिराव फुले के सत्यशोधक आन्दोलन तथा नारायण मेधाजी लोखंडे इनके मजदूर आन्दोलन को जाता है। मान॰ दिनेश बोरकर के मुताबिक भारत के मजदूर आन्दोलन के परिपेक्ष में सही मजदूर दिन 23 सितंबर का दिन ही हो सकता है। इसलिये 23 सितंबर को ''भारतीय मजदूर दिन'' के रुप में मनाया जाना चाहिये। (सम्राट, 23 सितंबर 2005)

सभी मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेता डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिभा के आगे बौने थे !

डॉ. अम्बेडकर एक माने हुए अर्थशात्रज्ञ थे। उन्होने लन्दन स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स में राजनीतिशाश्त्र के अलावा अर्थशास्त्र में एमएससी और डीएससी जैसी उंची डिग्रियाँ हासिल की थी। उनके पास 20,000 से ज्यादा किताबें थी। डॉ॰ अम्बेडकर के मुताबिक {उस वक्त} विदेश से अर्थशास्त्र की उच्च पदवी हासिल करनेवाला मै अछूतों में ही नही तो सारे भारत में पहला इन्सान था। (Dr. Ambedkar, Vol. 18-III, p.247) डॉ॰ अम्बेडकर मुंबई में पॉलिटिकल इकॉनॉमी के प्रोफेसर थे। उन्होने अर्थशास्त्र में ''प्राब्लेम ऑफ रुपी'' तथा कई आर्थिक मसलों पर मसौदे तैयार

किये। कई विधेयक तैयार किये और पेश किये।

डॉ. अम्बेडकर ने 10 जनवरी 1938 को इस्प्लनाडे मैदान की सभा में कहा कि उन्होने कम्युनिज्म पर जितनी किताबों का अध्ययन किया है, उनकी तादाद भारत के सारे कम्युनिस्ट नेताओं ने मिलकर कम्युनिज्म पर पढी हुई कुल किताबों की तादाद से ज्यादा निकलेगी। (Dr. Ambedkar : Vol. 17 Part III, P. 171)

मान॰ डॉ. रामनाथ के मुताबिक गांधी, नेहरु, पटेल, राजगोपालाचारी इ॰ में से किसी को भी भारतीय रुपये के लंदन की ओर बहते रहने की गोपनीयता और तकनीकों के बारे में पता नही था। डॉ. अम्बेडकर ने पहली बार अपनी कोलंबिया विश्वविद्यालय की थीसिस ''दि इवोल्युशन ऑफ प्रोविंन्शियल फायनान्सेस इन इंडिया'' में बेखौफ होकर वैज्ञानिक सबूत और आंकडें देकर साबित किया कि अंग्रेजों की नीति ब्रिटिश उद्योगों और उत्पादकों का हित पूरा करती है। उन्होने उजागर किया कि पूरा पैसा शिक्षा और उद्योग की बजाय नौकरशाही पर खर्च किया गया। इस थीसिस ने शोषण के खिलाफ ऐसा हथियार थमा दिया जिसका उत्तर अंग्रेजों के पास नही था। बाद में यह थिसिस ''इवोल्युशन ऑफ प्रोविन्शियल फायनान्सेस इन ब्रिटिश इंडिया'' नाम से छपी। इसी थीसिस से घबडाकर अंग्रेजों ने ''रॉयल कमिशन ऑन इण्डियन करेंन्सी'' भारत भेजी जिसके हर सदस्य के हाथों में डॉ. अम्बेडकर की थीसिस थी। इस कमिशन के सामने आने का किसी खद्दरधारी नेता को हौसला नही हुआ। डॉ. अम्बेडकर ही थे जिन्होने गवाह के तौर पर कमिशन को ललकारा, लताडा और उसे 31 पेज का ज्ञापन दिया। लंदन युनिवर्सिटी की डॉ. अम्बेडकर की डीएससी की थीसिस 'द प्राब्लेम ऑफ रुपी' को अंग्रेज परिक्षकों ने साम्राज्यवाद विरोधी और बगावती ऐलान करके उसमें अडंगे लगवाए। प्रोफेसर केनन के सामने अंग्रेज परिक्षकों को डॉ. अम्बेडकर ने मेज ठोक कर बहस का चेलैंन्ज कर दिया। काफी संघर्ष के बाद यह थीसिस मंजूर हुई। ऐसा ही हंगामा ''रिस्पांसिबिलिटिज ऑफ ए रिस्पांसिबल गवर्नमेंन्ट'' नामक शोध-पत्र पढते वक्त हुआ। लंदन स्कूल ऑफ सायन्स के प्रोफेसर जे. लास्की ने तो साफ कहा कि डॉ. अम्बेडकर की पूरी रिसर्च में एक भारतीय क्रांतिकारी की बू आ रही है। इसी विवाद की वजह से डॉ. अम्बेडकर की डीएससी की डिग्री में एक साल की देरी हुई। डॉ. अम्बेडकर की थीसिस का काम इतना अच्छा था कि उसे सन् 1932 में छापना पडा। इस थीसिस में साबित किया गया है कि किस तरह भारतीय रुपये की किमत को पौंड से जोडकर भारतीय पैसे का निरंतर बहाव ब्रिटिश खजाने की ओर हो गया और इस हेराफेरी ने भारत को गंभीर आर्थिक आफत में धकेल दिया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उपनिवेशिक मुल्कों के संघर्षरत अवाम ने अम्बेडकर ने किये इस पर्दाफाश का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। बाद में इस ग्रंथ का शीर्षक बदलकर ''हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंन्सी एन्ड बँकिंग'' करवा के इसपर अघोषित रोक लगाई गई। गांधी, नेहरु, पटेल इ॰ ब्राह्मणवादियों ने अंग्रेजों से मिलकर भारत के राजा-महाराजाओं के हाथों में हुकुमत सौंपने की एक फेडरल योजना बनाई थी। डॉ. अम्बेडकर ने ''फेडरेशन वर्सेस फ्रिडम'' नामक किताब लिखकर ब्राह्मणवादियों और अंग्रेजों की

इस साजीश को बेनकाब करते हुए कहा कि यदि हुकुमत राजा-महाराजाओं को दे दी गई तो अंग्रेजों और राजा महाराजाओं की फौजें मिलकर मुल्क को कभी आजाद नही होने देगी और अवाम पर दोबारा से पेशवाई की मनुव्यवस्था लाद दी जाएगी। इन किताब ने इन दोनों की योजनाओं पर पानी फेर दिया। (डॉ. रामनाथ, राष्ट्रपिता गांधी या अम्बेडकर, p.29-30)

आर्थिक मांगों की बजाय राजसत्ता काबिज करने, मजदूरों को जागरुक और प्रशिक्षित होना जरुरी है !

डॉ. अम्बेडकर के मुताबिक मजदूरों की शासन पध्दती का स्वरुप औरों से जटील ही होगा। इसलिये उन्हे {अर्थतंत्र तथा प्रशासनीक} ज्ञान की ज्यादा जरुरत होगी। अफसोस जनक बात यह है कि भारत के मजदूरों ने {शासनतंत्र संभालने के लिये जरुरी} अध्ययन करने की जरुरत ही महसूस नही की है। रुसो का 'सामाजिक करार' मार्क्स का 'कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र', पोप 13 वालियो का मजदूरों की स्थिति तथा जॉन स्टुअर्ट मिल की 'स्वतंत्रता' इन समाज व्यवस्था पर आधारित चार मूलभूत किताबों का अध्ययन हर मजदूर ने करना चाहिये। लेकिन मुझे भली भाँति पता है कि मजदूर मेरी इस बात को नजरंदाज कर देंगे। अवाम का इससे भी बडा अपराध यह है कि हुकुमत पर कब्जा करने का खयाल तक उनके दिमाग में नही घुस पाया है। मालिकों को गालियाँ देने के अलावा मजदूर कार्यकर्ता कुछ भी नही सिख सके है। सारी मजदूर संगठनाएं अपनी आर्थिक मांगों तक सीमित हो गई है। इसका मतलब यह मान लेना है कि मालिकों की गुलामी करना उनके नसीब का खेल है जिससे मजदूर कभी आजाद नही हो सकते। ट्रेड युनियन्स मजदूरों के सारे मसले हल नही कर सकती इसलिये सत्ता पर कब्जा करना यही मजदूरों का मूल ध्येय होना चाहिये। मजदूरों के हितों के लिये मजदूर संगठन बनाना लाजमी है लेकिन उससे ज्यादा जरुरी मजदूरों को राजनीतिक मकसद के लिये संगठित करना है। सिर्फ मजदूर संगठनों के बलबूते पर मजदूर मालिकों के खिलाफ कामयाब नही हो सकते। इस बात का बार बार अनुभव आते रहा है। मजदूर संगठनों ने राजनीति में उतरना ही चाहिये क्योंकि शासन सत्ता बिना मजदूरों के राजनीतिक हकों की हिफाजत करना असंभव है। इतना ही नही तो न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे, तथा दिगर मजदूर कानून इ॰ सामान्य सुधार सिर्फ मजदूर आन्दोलन के बल पर हासिल करना संभव नही। उसे राजनीतिक आन्दोलन के ताकत की जरुरत है। उन्होने अपना खुद का सियासी संगठन बनाना चाहिये। उसी तरह उन्होने हिन्दू महासभा तथा कॉंग्रेस जैसे जातीय और पूंजीवादी पार्टियों से दूर रहना चाहिये। इन पार्टियों के चंगुल से निकलने के बाद वे स्वतंत्रता की लडाई और बेहतर ढंग से लड सकेंगे। ट्रेड युनियन कॉंग्रेस ने ट्रेड युनियन फेडरेशन का संविधान मंजूर कर लिया है और ट्रेड युनियन फेडरेशन ने अपने नाम का त्याग करने का फैसला किया है। इस एकता की शर्त थी कि उसे

राजनीति से कोई सरोकार नही होगा। अन्याय का मुकाबला करने का राजनीतिक हथियार त्यागने जैसे बंधन खुद पर लागू करने जैसा यह अफसोसनाक कदम है। इन एक हुई मजदूर संगठनों को अगर अपनी एकत्रित ताकत का राजनीतिक तौर से इस्तेमाल ही नही करना है तो फिर वे एक किसलिये हुई ? मजदूरों ने अगर राजनीति से अलग रहने की शपथ ली तो वह उनके लिये एक अभिशाप बन जाएगा। बुनियादी तौर पर भारत का मजदूर आन्दोलन खोखला है। किये जाने वाले आन्दोलन मात्र उपरी है। (Dr. Ambedkar : Vol. 18-II p.437-41, 103-08; 437-41; 103-08) सिर्फ स्वराज्य मिलने से कोई फायदा नही होने वाला, मिलने वाला स्वराज किन लोगों के हाथों में होगा यह बात सबसे ज्यादा अहम है। इसलिये मजदूरों ने अपना स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कायम कर कम से कम मजदूरों के हितों के लिये ही सही उन्होने इस देश की शासन व्यवस्था पर कब्जा करने का इरादा पूरा करने में पूरजोर तरीकों से जूट जाना चाहिये। (Dr. Ambedkar : Vol. 18-II p.433; Vol. 17 Part III, P. 304)

डॉ. अम्बेदकर मशहूर ट्रेड युनियन नेता थे। सन् 1938 में उन्होने बम्बई और दूसरे महानगरों की मिलों में हडताल की अगुवाई कर जीत हासिल की। (दलित वॉयस हिन्दूस्तानी, 2 नवंबर 2003) दि. 17 जून 1938 को धुळे में डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि स्वतंत्र मजदूर पार्टी का अंतिम ध्येय मजदूरों किसानों की राजसत्ता कायम करना है। भारत के मजदूरों को ब्राह्मणशाही और पूंजीवाद इन दो दुश्मनों से मुकाबला करना होगा। (Dr. Ambedkar :Vol. 18-II p.325, 490, 167, 97) डॉ. अम्बेडकर पूंजीपति की तूलना कातिल से करते है। ''अगर एक कातिल को मारा जा सकता है, क्योंकि उसने कत्ल किया है, तो पूंजीपति जिसकी पूंजी शेष इन्सानियत को बदहाल बनाती है उसको क्यों नही मारा जा सकता ?'' ''ब्राह्मण ावाद और पूंजीवाद दोनों ही अछूतों के सबसे बडे और पहले दूश्मन है।'' (दलित वॉयस हिन्दूस्तानी, 2 नवंबर 2003, p.5-8)

द इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर संस्था की ओर से दि. 8 से 17 सितंबर 1943 तक आयोजित द ऑल इंडिया ट्रेड युनियन वर्कस् स्टडी कॅम्प के समारोप सत्र पर दि॰ 17 सितंबर को डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक सत्ता न हो तो सिर्फ राजनीतिक सत्ता का कोई उपयोग नही है। मुझे मुट्ठिभर सेठो और भटों का नही बल्कि **80%** जनसंख्या वाले शोषित बहुजनों का राज चाहिये। स्वतंत्र मजदूर पार्टी का अंतिम ध्येय मजदूरों किसानों की राजसत्ता कायम करना है। (Dr. Ambedkar :Vol. 18-II p.158, 160)

मजदूरों की सभी समस्याएं ब्राह्मणवादी, शोषण-व्यवस्था की वजह से है जिसे दूर करना 2% तादाद वाले संगठीत मजदूरों के बस के बाहर है। इसलिये शोषितों के मजदूर संगठनों का मूल मकसद बहुजनों के राजसत्ता के संघर्ष को फैलाना और योध्दा बने मजदूर कर्मचारियों की हर तरह से हिफाजत करना होना चाहिये। ब्राह्मण ावाद की जडें काटने में जुट जाना हर शोषित बहुजन मजदूर का न सिर्फ फर्ज है बल्की उस पर यह समाज का कर्ज भी है क्योंकि कर्मचारियों को मिलने वाली

तनख्वाह शोषित अवाम के ही जेब से अदा हो रही है। गरीब अवाम को और गरीब बनाकर ही कर्मचारियों की तनख्वाह में इजाफा किया जाता है। असंगठीत मजदूरों की तादाद 98% है। अवाम की तरह उनके भी बुरे हाल है। मजदूरों ने जनवादी होना चाहिये न कि परजीवी।

डॉ. अम्बेडकर का मजदूरों के लिये किरदार !

1) हडताल के हक की हिमायत :– बंबई प्रांत सत्तारुढ कांग्रेस ने मजदूरों के हितों का ढोंग करते हुए हडताल के हक को खत्म करने औद्योगिक विवाद विधेयक लाया। गांधी और उसके साथियों ने हडताल को गैरकानूनी और पूंजीपतियों के खिलाफ साजीश कहकर मजदूरों के हडताल के हक का विरोध किया। डॉ. अम्बेडकर ने गांधी के इस विधेयक और गांधी की शान्ति की चीखपूकार पर कहा कि समझौते की बातचित हडताल रोकने का हथकंडा नही होनी चाहिये। मजदूरों के हकों की बलि देकर हमें भरी तोंद वालों के लिये शान्ति नही चाहिये। (डॉ. रामनाथ, राष्ट्रपिता गांधी या अम्बेडकर, p.62) ट्रेड युनियन्स ने मालिकों की मर्जी पर निर्भर करना चाहिये ऐसा अगर काँग्रेस के मंत्रियों का मत है तो उनसे बहस करने में मेरी कोई रुची नही है। ''गुलाम इन्सान यानि आजाद इन्सान'' ऐसा अगर काँग्रेस का मानना है तो वे ऐसा मानते रहे। मुझे उनकी यह सोच मंजूर नही है। जिस शांति के लिये हडताल पर पाबंदी का बिल लाया गया है वैसी शांति मुझे नही चाहिये। जो शांति मजदूर वर्ग का नुकसान करती है ऐसी शांति का मै निषेध करता हूं। जिनका पेट भरा है उनके लिये यह शांति ठिक है लेकिन यह शांति भूखे कंगाल मजदूरों के हित में नही है।(Dr. Ambedkar : Vol. 18-II p.212, 209)

अमेरिका के संविधान में गुलामी का मतलब जबरन कराई जाने वाली नौकरी यही दिया गया है। इसलिये हडताल करने के लिये मजदूरों को दंडित करने का मतलब एकतरह से उन्हे गुलाम घोषित करना है। अपनी न्याय मांगे मनवाने के मकसद से ही हडताल की जाती है। हडताल यह व्यक्ति स्वतंत्रता के हक को दिया गया दूसरा नाम है। स्वतंत्रता का अधिकार दैविक (जन्मतः) अधिकार है अगर आप ऐसा मंजूर करते है तो हडताल करने के मजदूरों के अधिकार को भी दैविक अधिकार करार देना पडेगा। मेरा दृढ़ मत है कि मजदूरों को बातचीत के दौरान हडताल करने पर पाबंदी नही होगी तभी बातचित (negotiations) कामयाब होगी और मजदूरों और मालिकों के बीच समझौता होगा क्योंकि हडताल का डर न हो तो मालिक समझौता कतई नही कर सकते। जिन युनियनों का कानूनी वजूद (अस्तित्व), प्रतिनिधित्व, अधिकार इ॰ सबकुछ मालिक की मर्जी पर निर्भर है उन युनियनों को सिर्फ गुलाम मजदूर युनियन कहा जा सकता है।(Dr. Ambedkar : Vol. 18-II p.201-03, 208, 210) डॉ. अम्बेडकर ने इस बिल के विरोध में दि॰ 15 सितंबर 1938 को एक दिन की हडताल का ऐलान किया। 7 दिसंबर को कम्युनिस्टों के साथ मिलकर उन्होने हडताल कामयाब की। पुलिस गोलिबारी में दो मजदूरों की मौत हुई। (सत्येंद्र मोरे, p.149-150-154, 173,192-93,196-220)

श्रममंत्री के रुप में मजदूरों के हितों की हिफाजत :– ब्रिटिश सरकार ने डॉ. अम्बेडकर को वाईसराय कौन्सिल का सदस्य बनाकर उन्हे श्रम मंत्रालय सौंपा तब डॉ. अम्बेडकर ने मिल मजदूरों के काम के आठ घंटे तय किये। महिला मजदूरों को प्रसव की छुट्टियों का हक दिलाया। (डॉ. रामनाथ, राष्ट्रपिता गांधी या अम्बेडकर, p.62) डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि चाहे जो हो जाए लेकिन मै तीन बातें नही होने दूंगा **1**) मै मजदूरों का मौजूदा जिवनमान किसी भी सूरत में कम नही होने दूंगा, उसे जितना सुसंस्कृत करना संभव है करुंगा। **2**) राष्ट्रीय युध्द कोशिशों में उन पर औरों की तुलना में अधिक बोझ नही पडने दुंगा। **3**) आपात काल के नामपर कुछ तात्कालीन बंधन उन्हे भले ही सहन करने पडे लेकिन मजदूरों की स्वतंत्रता को बाधित करने वाले नियंत्रणों को मै कानून में शामिल नही होने दूंगा। मजदूरों का जीवन स्तर उंचा करने फंड खडा करने में धनवानों ने रुकावटें पैदा नही करनी चाहिये। युध्द खर्च के लिये टॅक्स देना धनवानों के लिये कठिन नही है तब मजदूरों के लाभ के फंड का उन्होने विरोध नही करना चाहिये। मिल मालिकों के मुनाफे की कितनी सीमा होनी चाहिये यह तय करने की केन्द्रिय सरकार की नीति होनी चाहिये। (Dr. Ambedkar : Vol. 18-II p.431, 556, 454)

डॉ. अम्बेडकर एक इन्केलाबी किसान नेता !

खोत एक तरह से कोंकण का पाटिल है। किसानों से टॅक्स वसूलकर उन्हे उसकी निश्चित रकम सरकारी खजाने में जमा करनी होती है। बाकि की रकम मेहनताने के रुप में खुद के पास रखनी होती है। खोत इन जमीनों के मालिक नही है। यही वजह थी कि उन्हे सरकार के टॅक्स किसानों से वसूलने के लिये पाटिल की तरह ही 'मुशाहीरा'' मिलता था। शिक्षित ब्राह्मण भारी तादाद में खोत बनने से {तथा शासन प्रशासन में उनकी हर किस्म की दखलंदाजी होने से} उन्होने किसानों के हकों पर अतिक्रमण किया तथा जो हक कानूनन नही थे उन्हे परंपरा के रुप में कायम किया। किसानों को सरकार का टॅक्स के देने के अलावा खोती भी देनी पडती है। खोत पैसे की रसीद नही देते इस वजह से वे मनमर्जी से बकाया रकम निकालकर किसानों को तबाह और बर्बाद करते है। जो कुछ भी किसान के पास है उसपर खोत अपना अधिकार जताता है। खोत अक्सर ही गांव का पुलिस पाटिल भी होता है। इसलिये झूठे इल्जाम में किसानों पर जूल्म ढाने का मौका उसे हमेशा उपलब्ध रहता है। गांव की चराई की जमीन पर सारे गांव का अधिकार होने के बावजूद वह उस पर खुद का हक जताता है। किसानों के जानवर बाहर चरने गये तो वह उन्हे कोंडवाडे में बंद कर देता है। बिना जानवरों के किसान खेती नही कर सकते इसलिये वे खोतों का शिकार हुए बिना नही रह सकते। बंधूआ मजदूरी की कानूनन मनाई होने के बावजूद खोत लोगों से अपने खेतों में जबरन काम कराता है और ऐवज में उन्हे न के बराबर पैसे देता है। खोत गांव का साहूकार भी होता है और किसानों को चाहे जैसा लूटता है। किसानों के बच्चे पढ-लिख नही पाये इसकी खोत पूरी सावधानी बरतते है। अगर कोई कुणबी शहर में जाकर अच्छी नौकरी कर

कोट, पॅन्ट, टाई लगाने के काबिल बन गया तब भी गांव पहूंचने पर उसे हीनता दर्शाने वाले कपडे पहनने पडते है वर्ना उसने अपनी मर्यादा छोडी है ऐसा समझकर खोत उस पर जूल्म ढाते है। कुणबी की बिवी ने निश्चित तरिके से ही ''लुगडा'' पहनने की सख्ती होती है। गुजरात के ''काळीपरज'' और ''राणीपरज'' अछूतों पर जैसा सामाजिक जूल्म किया जाता है वैसा जूल्म कुणबियों पर खोत–पध्दती में किया जाता है। खोती प्रथा के खिलाफ कोई {ब्राह्मणवादी} किसान नेता ध्यान नही देता। खोतों के जातभाईयों का तालुका तथा जिले के अधिकारियों में शुमार होने से खोतों के खिलाफ कोई वकील तक तैयार नही होता। इस तरह किसान खोतों के चंगुल में बूरी तरह से फँसा हुआ है। डॉ. अम्बेडकर ने खोती-व्यवस्था के खिलाफ बिल पेश करने की घोषणा चिपळूण में आयोजित किसान परिषद में की। (Dr. Ambedkar : Vol. 20 (1929-56), p.87-91) डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा कि आप खोतों के जूल्म से डरपोक और कायर बन चूके है। खोत अगर सिर्फ आपकी ओर देख भी लेता है तो आप कांपने लगते है। लेकिन अब यह डर छोडकर अगर वह ''अरे'' कहता है तो आपने ''क्या रे'' कहने की तैयारी रखनी चाहिये। हर इन्सान को अपनी आत्मरक्षा का हक है यह बात मै आपको बॅरिस्टर होने के नाते बता रहा हूं। इन सारी बातों को आपने सीखना ही चाहिये। अगर हम कोंकण की हालातों का जायजा ले तो खोत इ॰ साहूकार लोग सिर्फ हजार या दो हजार की तादाद में है। और आप मेहनत मशक्कत करने वाले लोग **13** लाख से ज्यादा है। इसके बावजूद आपकी हालत इतनी लाचार क्यों इसका मुझे आश्चर्य होता है। इसकी वजह आपकी बदतर गरीबी है जिससे आप इन मुट्ठिभर रईसों के हाथों शोषित है। इन हालातों में आपकी प्रतिकार शक्ति ही खत्म हो गई है। कॉंग्रेस आपका कभी साथ नही दे सकती। जिन्होने आपकी यह हालत बनाई है आप उन सभी को मदद करना बंद करें।(Dr. Ambedkar : Vol. 18-II p. 159, 76) डॉ॰ अम्बेडकर ने मुंबई सरकार के समक्ष नीचे दी हुई मांगे पेश की : – 1) जमीन पर प्रत्यक्ष रुप से मेहनत करने वालों को ही उसका फल मिलना चाहिये। 2) खोत–इनामदारों जैसे मध्यस्थ खत्म किये जाये। 3) किसानों पर टॅक्स या पट्टी बिठाने से पहले उनके समुचित गुजारे का इन्तेजाम करना सरकार ने अपना फर्ज मानना चाहिये। 4) इसी तरह किसानों को कम से कम मजदूरी देने की कानून व्यवस्था कर उनके हितों की हिफाजत करना यह भी सरकार का फर्ज है।

फौरन पूरी की जाये ऐसी मांगे : –1) जिस तरह बकाया खेती का टॅक्स माफ किया गया उसी तरह अब तक के खंड (जमीन की फसल का हिस्से) के बकाये को भी माफ किया जाये। 2) जमीन की न्यूनतम पैदावार तय कर उससे कम फसल होने पर फसल टॅक्स माफ किया जाना चाहिये। न्यूनतम से ज्यादा पैदावार होने वाली जमीनों पर बढते अनुपात में टॅक्स लगाया जाने का संशोधन कानून में किया जाये। बाजारभाव नीचे आने से उपरोक्त संशोधन होने तक की अवधी में जिन को सालाना 75 रुपये या इससे कम टॅक्स देना पडता है उनका टॅक्स 50 फीसदी कम किया जाना चाहिये। 3) खोती व इनामदार पध्दतियों को फौरन बंद किया जाये। कुलों से खंड वसूली करने तथा जमींदारों के अन्यायपूर्ण मियादी दावों को बंद

करने की उचित व्यवस्था करें। 4) अ) लगातार तीन साल तक जमीन में अपना पसीना बहाने वाले कुलों को स्थायी कुल माना जाये। इस नियम से बचने जमींदार कोई चालबाजी न करे इसलिये लँन्ड कमीशन नियुक्त कर बिना उसकी इजाजत के कुलों से जमीन वापस लेने की जमींदार को इजाजत नही होनी चाहिये। जबतक कोई कुलपरिवार खंड (फसल का हिस्सा) दे रहा है तबतक तीन साल के बाद से उसे किसी भी बहाने जमीन वापस लेने का जमींदार को अधिकार नही होगा। ब) खेतसारे की तुलना में तीसरे हिस्से से ज्यादा खंड कूलों से न लिया जाय। 5) छोटे किसानों की पानीपट्टी 50% से कम कर दी जानी चाहिये। बहुसंख्यंक छोटे किसान तथा कुल इन्हे लाभदायक हो ऐसी नीति इरिगेशन विभाग व्दारा लागू किये जाने के लिये कानून में संशोधन किया जाये। 6) किसानों के जानवरों की मुफ्त चराई के लिये जंगल उपलब्ध होना चाहिये। 7) कर्जमुक्ति का जायज कानून जबतक अस्तित्व में नही लाया जाता तब तक कर्ज वसूली स्थगित घोषित की जाये। 8) किसानों की जमीन साहूकारों के हाथों में न जाये इसलिये साहूकारी पर उचित नियम लागू किये जाये। 9) किसानों के परिवार के गुजारे के लिये आवश्यक जमीन तथा आवश्यक वस्तूओं पर जब्ती लाने की साहूकारों पर पाबंदी लागू की जाये। 10) मतदान की उम्र वाले हर वयस्क को मतदान का अधिकार दिया जाये। 11) बंध ुआ मजदूरी कराना तथा नाजायज तरीकों से पैसे वसूलना फौजदारी अपराध माने जाये। 12) जमीन महसूल विभाग के सारे न्यायालयीन अधिकार बर्खास्त किये जाये। 13) सभी पडीत जमीन उपरी खेतमजदूरों में मुफ्त बाँटी जाये।(Dr. Ambedkar : Vol. 18-II p. 77-78)

डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा कि करों का दर बढता हुआ करने से धनवान किसानों को मौजूदा टॅक्स से ज्यादा टॅक्स देना पडेगा जिससे गरीब किसानों को दी जाने वाली टॅक्स माफी से होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार को हो जाएगी। (Dr. Ambedkar : Vol. 19 (1920-28), p.59-60) डॉ. अम्बेडकर ने किसानों, खेत मजदूरों को साहुकारी नियंत्रण बिल 1938 पेश किया। यह बिल इतना बेहतर है कि उसके अमल से गरीबों का शोषण होने की संभावना खत्म हो जा जाती है। इसे स्वतंत्र लेबर पार्टी ने एक पुस्तिका के रुप में छापकर उसका प्रचार किया। डॉ. अम्बेडकर ने 21 मई 1938 को बंबई में इंटरव्यू में कहा कि समाजवादी जो जमींदारी प्रथा और पूंजीवाद के खात्में के लिये बेहद शोर मचाते है आज पूरी तरह से खामोश क्यों है जब खोती प्रथा के खिलाफ एक ठोस बिल पेश किया गया है।(Dr. Ambedkar : Vol. 17 (Part I), p. 261-283, 258)

कुलों के रुप में खेतों में पसीना बहाने वाले किसानों के लिये विधेयक पेश करने वाले डॉ. अम्बेडकर भारत के पहले नुमाइन्दे है। संविधान सभा में शामिल होने के बाद उन्होने State & Minorities के नाम से मशहुर किसानों -खेतमजदूरों की आजादी के घोषणापत्र को संविधान में शामिल करने की पूरजोर कोशिश की लेकिन ब्राह्मणवादियों ने ऐसा होने नही दिया। (साप्ताहिक बहुजन मानस, विशेषांक, 2003) इस घोषणापत्र के मुताबिक कृषि उद्योग का संगठन निम्न तरह से किया

जाएगा :- 1) हासिल की हुई जमीन को राज्य एक निश्चित आकारों में विभाजित कर गांव के परिवार समूहों (कुलों) को खेती करने के लिये आगे दी हुई शर्तो पर किराए पर देगी : अ) यह खेती सामूहिक तौर पर की जाएगी। ब) सरकार ने जारी किए गए निर्देशों और नियमों के मुताबिक खेती की पैदावार की जाएगी। क) सरकार को उसकी लेवी अदा करने के बाद किसान बची हुई फसल का बँटवारा आपस में करेंगे। ड) परिवारों को जमीन का बँटवारा बिना किसी जाति या संप्रदाय के भेदभाव के इसतरह से किया जायेगा कि कोई भी जमींदार नही रहेगा, कोई टेनंट और कोई खेतिहर मजदूर नही रहेगा। इ) यह राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह खेती करने के लिये लोगों को आर्थिक मदद दें और पानी, जानवर, औजार, बीज, खाद इ॰ मुहैया कराए, फ) राज्य को यह हक होगा कि वह जमीन पर टॅक्स, दिए गए कर्ज या मदद की किश्त, जिन लोगों ने शर्त तोडी है उनसे दंड की वसूली करें।

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं का बहुजन मजदूरों के बुनियादी हकों से इनकार !

डॉ. अम्बेडकर के मुताबिक इस देश में हर तरफ ब्राह्मणशाही फैली है तथा उसने सभी वर्गो के विचार तथा बर्ताव पर नियंत्रण कायम किया हुआ है। ब्राह्मणशाही ने खास वर्ग को विशेष अधिकार प्रदान कर औरों को ये अधिकार नकार दिये है। नागरी अधिकारों तक में ब्राह्मणशाही की दखलंदाजी है। कपडा मील में अछूतों को सिर्फ सुत कताई विभाग में ही काम दिया जाता है जहां सबसे कम तनख्वाह दी जाती है। अन्य विभागों में अछूतों के काम करने पर पाबंदी है। रेल्वे में दलितों को सिर्फ गँगमॅन का काम दिया जाता है। उनके लिये इससे उंची कोई जगह नही है। रेल्वे में दलित सारी उम्र कुली ही रहते है। जाति और धर्म की वजह से एक मजदूर दूसरे मजदूर का दुश्मन बन रहा है इसलिये मजदूरों की एकता में आने वाली इन रुकावटों को दूर करना सही रास्ता है। अगर एक मजदूर दूसरे मजदूर के मानवीय अधिकार देने को तैयार नही है तो उसे अपने लिये अधिकार मांगने का हक नही है, अस्पृस्यता और जातीय व्देष का पालन करना पूरी तरह से गलत और मजदूर एकता के लिये घातक है यह यह बात {सवर्ण} मजदूरों को साफ तौर से समझाना मजदूर एकता कायम करने का सच्चा रास्ता है। इसके बावजूद कोई भी {ब्राह्मणवादी} मजदूर नेता ब्राह्मणशाही के खिलाफ एक शब्द भी नही कहता जबकि यही नेता पूंजीवाद के खिलाफ एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाकर भाषण देते है। ब्राह्मणशाही अगर मजदूरों के बीच भेद पैदा करती है तो ब्राह्मणशाही का पूरजोर विरोध होना चाहिये। इस संसर्गजन्य रोग को नजरंदाज करने से या उसके बारे में मौन रखने से यह रोग खत्म होने वाला नही है। उसका पीछा कर उसकी

सारी जडें खोद निकालनी जरुरी है। तभी मजदूरों के बीच एकता कायम करने का रास्ता खुलेगा। (Dr. Ambedkar : Vol. 18-II p. 99-101)

अबतक जितनी भी हडतालें की गई उनसे अछूतों को कोई न्याय नही मिला है। उनपर कपडा विभाग में बंदी कायम है। स्पृष्य लोग अस्पृस्यों को काम सिखाने के लिये भी तैयार नही है। मजदूरों को सिखाने वऱ्हाड से हमने लाये हुए 130 प्रशिक्षित मजदूरों के साथ काम करने से स्पृस्यों ने इन्कार कर दिया और इनके खिलाफ हडतालें की इसलिये उन्हे वापस भेजना पडा। अस्पृस्यों पर अन्याय करना यही अगर मजदूर आन्दोलन का मकसद है तो मजदूरों की कोई जाति नही होती की चीखपूकार मचाने वाले सवर्ण नेताओं ने इसका जवाब देना चाहिये। मिल में कोई भी बडा पद किसी भी अस्पृस्य को नही दिया गया क्योंकि कोई स्पृश्य मजदूर अछूतों के अधिन काम नही करना चाहता। कारखाने के नल पर अस्पृस्यों से किये जाने वाले झगडे और अछूत स्त्रियों का अपमान आम बात है। जिस आन्दोलन में अछूतों के साथ ऐसा बर्ताव होता हो और जिसे दूर करने की कोई कोशिश नही की जाती उसका विरोध करना हमारा फर्ज है। जिन्हे भी बहिष्कृत वर्ग से मदद की उम्मीद है, उन्होने अस्पृस्यों के साथ न्याय करना चाहिये। ऐसे लोगों की पूरे मन से मदद करने में मै कभी पीछे नही रहूंगा। (Dr. Ambedkar : Writing and Speeches Vol. 18-I p.179-80) जातिभेद तथा अस्पृस्यता समानता के उसूलों के खिलाफ है। हम मान भी ले कि भारत में इन्केलाब लाने में कम्युनिस्टों को कामयाबी मिली तो क्या साम्यवादी समाज व्यवस्था कायम करना मुमकिन होगा ? उल्टे अराजकता का दौर शुरु होगा और धर्माध और जातियता से ग्रस्त लोग {कथित तानाशाही में} शोषितों पर और ज्यादा जूल्म ढाएंगे। इसलिये इस देश में कम्युनिस्टों का आन्दोलन पहले कलस {शिखर} बाद में बुनियाद की हास्यास्पद हालत में पहूंच चुका है। (Dr. Ambedkar : Vol. 20 (1929-56), p.160-61)

म्युनिसिपल मजदूर संघ जैसे संघ मुंबई में कई है। उन संघो और हमारे संघ से तुलना की जाये तो ये संघ हमारे मुनिसिपल संघ के सामने कही भी नही टिक सकते। उन मजदूर संगठनो के {ब्राह्मणवादी} नेताओं का काम मै **1919** से **1941** तक देख रहा हूं। उन्होने मजदूरों का नाश ही किया है। इन्होने **30-40** हडतालें की है लेकिन एक भी हडताल को कामयाब नही बनाया है। पिछले साल उन्होने कपडा मिल में हडताल की वह किसी तरह 3-4 हप्ते तक चली। मजदूरों को एक पैसा भी नही मिला और हडताल के तीन तेरह हो गये। इसके विपरित हमने दो साल पहले सिर्फ एक ही हडताल की। सारी मुनिसिपालिटी ने आत्मसमर्पण कर दिया, मजदूरों की सारी मांगे मान ली गई और उनके पगार में भी बढौतरी हुई। (Dr. Ambedkar : Vol. 18-II p.376, 112)

अस्पृस्य जनता {ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्ट नेता डांगे, इ॰ के झंडे के नीचे क्यों इकट्ठी नही होती ? वे अपनी अलग युनियन क्यों बनाते है ? इसकी एक ही वजह है कि मजदूर और किसान जातियता के जहर से बाधित है और अछूत मजदूर किसानों को अपमानित करने में उन्हे कोई परेशानी नही होती। स्पृस्य मजदूर किसानों को

पत्थर, पेड–पौधों, साप–बिच्छूओं को ईश्वर मानने में ऐतराज नही है। लेकिन वे मूझे अपना नेता नही मान सकते क्योंकि मै अस्पृस्य हूं, महार हूं। (Dr. Ambedkar : Vol. 18-II p.321-22)

सभी कपडा कारखानों के कपडा विभाग आपके (दलितों) लिये खुले होने के लिये आपने जबर्दस्त आन्दोलन करना चाहिये और स्पृस्य कमर्चारी इसमें रुकावट पैदा करते है तो उनका प्रतिकार करने और ताकत से उन्हे सीधे रास्ते पर लाने के लिये तैयार होना चाहिये। मतलब परस्त स्पृश्यों के आन्दोलनों जिसमें अछूतों का कोई फायदा नही है ऐसे किसी भी आन्दोलन से मेरा कोई सरोकार नही है। गरीब किसान और उन्हे लूटने वाले साहुकार के बीच शांति कैसे हो सकती है ? वैसी ही हालत ब्राह्मण और अछूतों की है। इसलिये सभी पीडितों का एक संगठन होना चाहिये। हकीकत में हम मेहनतकश देश के लिये जी तोड पसीना बहाते है सवर्ण नही। वे देश तथा जनता के नाम पर मलाई खाने का काम करते है। जब सेना में भर्ति की जरुरत होती है तो गरीब मेहनतकश मरने आगे आता है। सवर्ण कँप के आसपास अपनी दुकाने लगाते है और कॉन्ट्रक्ट हासिल कर देश तथा जनता को लूटते है। (Dr. Ambedkar : Vol. 20 , p.74, Vol. 18-I p.179-80; Vol. 18-III, p.268-69) कॉ. शरद पाटील के मुताबिक कोल्हटकर जैसे {ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्ट नेता अपने पार्टी के ब्राह्मणवादी नुमाईन्दों के बचाव में कहते है कि 23 अप्रैल 1928 को मुंबई कपडा मिल मजदूरों की हडताल में ''अछूत मजदूरों को भी कपडा विभाग में काम मिलना चाहिये ऐसी मांग की गई थी। लेकिन सच तो यह है कि इन {ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्ट नेताओं ने इस मांग को बेहद मजबूरी में माना था। यह बात डॉ. अम्बेडकर ने सायमन कमिशन के सामने 23 अक्तूबर 1928 को दिये बयान से साफ होती है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि मैने युनियन के सदस्यों को कहा कि अगर वे सभी विभागों में काम करने के दलितों के हक को मंजूर नही करते है तो मै {डॉ. अम्बेडकर} डिप्रेस्ड शोषित जातियों को इस हडताल में शामिल होने से मना कर दुंगा। इसके बाद उन्होने मजबूरी में इस मांग को उनके मांगपत्र में शामिल किया। (कॉ. शरद पाटील, p.129-30))

ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं की कॉंग्रेस के शोषक सरमायेदारों से गहरी दोस्ती !

कॉंग्रेस संवैधानिक यंत्रणा को पूंजीवादी तथा अन्य शोषकों के हितों में इस्तेमाल कर रही है और शोषितों, किसान मजदूर मेहनतकशों के हितों को कुर्बान कर रही है। साम्राज्यवादी उसके प्रशासनीक कामों की भूरी भूरी प्रसंशा कर रहे है। {ब्राह्मण ावादी} कम्युनिस्ट नेता पूंजीवादी संगठनों का आश्रय लेने में लगे हुए है। जब कॉंग्रेस उसे हासिल हुए मामूली अधिकारों का भी इस्तेमाल अपने शोषक वर्ग के हितों में कर रही है तब हमारा फर्ज बन जाता है कि हम अपने वर्गीय हित सुनिश्चित करने के लिये अपने वर्गीय संगठन बनाऐं ताकि हमारे हकों पर होने वाले अतिक्रमण को रोक सके। (Dr. Ambedkar : Vol. 17 Part III, P. 198-99; Vol. 18-II p.103-08)

काँग्रेस में काँग्रेस सोसॅलिस्टों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक गुट है। मजदूर संगठन काँग्रेस के अंतर्गत ही रहना चाहिये ऐसा उनका आग्रह है। रॉय के नेतृत्व में खुद को कम्युनिस्ट कहलाने वाला एक गुट है। उसे मजदूरों के किसी भी संगठन को जबर्दस्त विरोध है चाहे फिर वह संगठन काँग्रेस के अंतर्गत हो या बाहर। काँग्रेस सोसॅलिस्टों को अगर इस देश में समाजवाद लाना है तो क्या वे {पूंजीवादी} काँग्रेस के दायें हाथ बनकर समाजवाद लाने वाले है ? उच्चवर्णीयों की मिन्नतें करके समाजवाद कैसे लाया जा सकता है ?(Dr. Ambedkar : Vol. 18-II p.109) {काँग्रेस के} गुमराह करने वाले राष्ट्रवाद के झूठे आश्वासनों और लफ्फाजियों से तथा उनके खोखले नारों से मजदूर वर्ग ने फँसना नही चाहिये क्योंकि मजदूर वर्ग का शोषण करना यही ऐसे राष्ट्रवाद का काम होता है। (Dr. Ambedkar : Vol. 20 (1929-56), p.365) शोषितों ओर शोषकों को एक साथ लेकर राजनीतिक आजादी भले ही हासिल करना मुमकिन हो लेकिन सामाजिक पूर्ननिर्माण के लिये शोषित और शोषकों को मिलाकर पार्टी बनाने का मतलब लोगों को धोखा देना है। इंडिपेंडेन्ट लेबर पार्टी अपनी ताकत बढाने के नाम पर परस्पर विरोधी लोगों को पार्टी में कतई शामिल नही करेगी। (Dr. Ambedkar : Vol. 17 (Part II), p. 421) अगर हमने प्राणियों पर गौर किया तो सांप और नेवला क्या कभी एक होते हुए नजर आते है ? चूहे और बिल्ली की दोस्ती होगी क्या ? जो लोग इसतरह निसर्ग के खिलाफ फितरत रखने वालों के बीच दोस्ती की बातें करते है उनपर हमने क्यों भरोसा रखना चाहिये ? जहां काँग्रेस सरकारें धनवान लोगों के हितों के लिये पूरी तरह तत्पर है ऐसे काँग्रेस सरकारों से मजदूर किसानों की भलाई की इन वर्गो ने उम्मीद रखने का मतलब उनकी अधोगति है। भारत की राजनीतिक हकुमत सेठों, भटों, साहूकारों, जमींदारों और पूंजीपतियों की प्रतिनिधि काँग्रेस पार्टी के हाथों में केन्द्रित हुई है। देश की हुकूमत सच्चे मेहनतकश अवाम के हाथों में जानी चाहिये। बहुसंख्यंक मजदूर और किसान वर्ग इस देश का सत्ताधारी वर्ग बनना चाहिये। सन् **1920** से हमारा काँग्रेस से कठोर संघर्ष जारी है। इस दौरान ये {ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्ट तथा रॉयवादी चूपचाप देखते रहे और हमारा मखौल उडाते रहे। इन्होने हमारे लिये कभी कुछ नही किया है। {ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्ट पार्टियों से सावधाान रहे क्योंकि उनके कामों से यह साबित हो गया है कि वे मजदूरों का अहित कर रहे है। असल में वे मजदूरों के दूश्मन है इस निष्कर्ष पर मै पहूंचा हूं। एक ओर वे काँग्रेस को पूंजीपतियों का संगठन कहते है और उसी में मजदूरों ने शामिल होना चाहिये ऐसा मजदूरों को उपदेश भी करते है। {ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्ट नेताओं को क्या सचमूच मजदूरों के लिये हमदर्दी है ? ऐसा होता तो उन्होने मजदूरों की स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी बनाई होती। मजदूरों को काँग्रेस में शामिल होने की सलाह न दी होती। जातियता खत्म करने की जिनमें लगन ही नही है ऐसी राजनीतिक पार्टियों से दूर रहे। दिगर पार्टियों की तरह कम्युनिस्ट भी {अपने बीच} जातियता और अस्पृस्यता खत्म नही कर सके है। (Dr. Ambedkar : Vol. 18-II p.585-86; 74, 26, 74, 152, 96-97; Vol. 18-III, p.367)

कुछ लोग इस बात की शिकायत करते है कि अछूतों की अलग पार्टी होने

से मेहनतकशों के हितों को नुकसान पहुंचता है। जबकि अछूतों के संघर्ष से सारे मजदूरों के संघर्ष की हालात बेहतर होती है। इसके विपरित सवर्ण हिन्दूओं के मजदूर संगठन दलितों के हकों के साथ खिलवाड ही करेंगे। इसकी सिर्फ एक मिसाल देना काफी होगा :– सन् 1929 में बंबई की टेक्सटाईल मिलों में {ब्राह्मण वादी नकली मजदूर नेताओं ने} एक लंबी हडताल चलाई। मैने हडताली मजदूर नेताओं से संपर्क किया और कहा कि आप अछूतों पर मिल के कई विभागों में काम करने पर लगाई गई पाबंदियों को दूर करने के लिये कोई कदम उठाए। लेकिन इन {ब्राह्मणवादी नकली} मजदूर नेताओं ने मात्र ऐसा प्रस्ताव पास कर उसे फावसेट कमिटी को भेजने के सिवा कुछ नही किया। इसके विपरित जब हमने खोती प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया तो उस आन्दोलन से स्पृस्य पीछडी जातियों को भी फायदा पहूंचा। इस तरह के अनगीनत वाकये है। मुझे सिर्फ यह स्पष्ट करना है कि अछूतों का स्वतंत्र आन्दोलन स्पृस्यों के दिगर आन्दोलनों के लिये नुकसानदेह नही है। दिगर स्पृस्य मजदूरों के साथ मिलकर संघर्ष करने में हमने हमेशा ही तत्परता दिखाई है।(Dr. Ambedkar : Vol. 17 Part III, P. 240-41)

ग्रेट इंडियन पेन्सिूला रेलवे के अछूत कर्मचारियों की कॉन्फ्रेन्स 12 तथा 13 फरवरी 1938 को मनमाड में हुई। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि {ब्राह्मणवादी) कम्युनिस्ट नेताओं का उनके खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि इस कॉन्फ्रेन्स को आयोजित कर हम मजदूरों को बाँट रहे है। मेरी नजर में भारत के मजदूरों के दो दूश्मन है। पहला ब्राह्मणवाद और दूसरा पूंजीवाद है। हमारे खिलाफ किया गया आरोप सिर्फ इस वजह से है कि {ब्राह्मणवादी) कम्युनिस्ट नेताओं ने मजदूरों के सबसे बडे दूश्मन ब्राह्मणवाद को मजदूरों का दूश्मन करार नही दिया है जिससे मजदूरों को {सबसे पहले} निपटना चाहिये। इन आलोचकों से मुझे पूछना है कि क्या अछूत मजदूरों के साथ होने वाला अन्याय सच्चा है या नही ? और अगर उनके मसले सच्चे है तो जो अन्याय से ग्रस्त है उन्होने अपना अन्याय दूर करने के लिये संगठित होना चाहिये या नही ? अगर इन सवालों के जवाब हां में है तो फिर उनके आरोपों की कोई अहमियत नही रहती। मै उनके आरोपों को तभी कुछ महत्व देता अगर वे यह साबित करते कि हमारा मजदूर संगठन मालिकों व्दारा बनाया गया है और मालिकों के हितों में काम करता है। लेकिन क्या कोई हम पर यह आरोप कर सकता है ? मै चुनौति देता हूं कि कोई ऐसा कह कर बताये। जब मजदूरों में सचमूच में भेद होंगे तो उनके बीच विभाजन होना लाजमी है। हम एक मजदूरों के हिस्से को मजदूरों के दूसरे हिस्से का दमन कर सारे मजदूरों को कैसे एक करेंगे ? हम अछूत मजदूरों को अन्याय के खिलाफ संगठित होकर संघर्ष करने से रोककर सारे मजदूरों के बीच एकता कैसे कायम कर सकते है ? मजदूरों के बीच सच्ची एकता कायम करने का यही रास्ता है कि मजदूरों से यह साफ साफ कहा जाये कि जो मानवता के अधिकार आप अपने दूसरे मजदूर भाईयों को देने के लिये तैयार नही है तो आपको भी अपने लिये किसी अधिकार को मांगने का हक नही है। ऐसे मजदूरों को यह बताने की जरुरत है कि अपने ऐसे बर्ताव से वे मजदूरों के बीच की एकता को तोड रहे है और मजदूर संघर्ष

को कमजोर कर रहे है। दूसरे शब्दों में हमने जडमूल से ब्राह्मणवाद को मजदूरों के दिलों से उखाड फेंकना चाहिये जिसकी वजह से मजदूर एक नही हो सकते। अगर ब्राह्मणवाद को मजदूरों के बीच के विघटन का मूल कारण माना जाय तो उसे खत्म करने के लिये पूरी संजिदगी से कोशिशें होनी चाहिये। ब्राह्मणवाद को सिर्फ नजरंदाज कर देने और चूप रहने भर से ब्राह्मणवाद की बीमारी दूर होने वाली नही है। उसका पीछा कर उसके जडमूल उखाडकर उन्हे नष्ट कर देना चाहिये तभी मजदूरों के बीच की एकता सलामत रह सकेगी। लेकिन क्या कोई ऐसा मजदूर नेता हे जिसने कभी ब्राह्मणवाद के खिलाफ कभी कुछ कहा है ? मैने उन्हे पूंजीवाद के खिलाफ जोशिले भाषण करते हुए देखा है लेकिन वे ब्राह्मणवाद के खिलाफ कुछ नही कहते। उनकी यह चुप्पी षडयंत्रकारी है। (Dr. Ambedkar : Vol. 17 Part III, P. 176-181)

अपने भले के लिये मजदूरों को चाहिये कि वे पूरी राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने के लिये निर्धारपूर्ण तरीकों से लडने के लिये स्वतंत्र मजदूर पार्टी के झंडे के नीचे संगठित हो जाये। स्वतंत्र मजदूर पार्टी ही इस कसौटी पर खरी उतरती है और जिसका एक स्पष्ट कार्यक्रम है, जो मजदूर वर्ग के हितों को सबसे ज्यादा अहमियत देती है, जो सामान्य स्थितियों में कभी गैरकानूनी उपायों पर अमल नही करती लेकिन वक्त आने पर गैरकानूनी तरीके अपनाने में भी कभी पीछे नही हटेगी। वर्गयुध्द टालने की उसकी इच्छा होने के बावजूद वर्ग संगठन के उसूल को छोडने के लिये स्वतंत्र मजदूर पार्टी तैयार नही है। इस पार्टी की जबर्दस्त सुप्त शक्ति {देश की दलित शोषित जनता} है। उसमें सभी जाति, धर्म और पंथ के लिये खुली है। उसका कार्यक्रम दलित वर्ग की जरुरतों, उनके इन्सानी हकों पर जोर देता है फिर भी वह सारे मजदूरों की जरुरतों को शामिल करने इतनी व्यापक है। स्वतंत्र मजदूर पार्टी के रास्तें में आने वाली सबसे बडी दिक्कत राजनीतिक नही बल्कि सामाजिक है। इस पार्टी के केन्द्रस्थल में फिलहाल दलित वर्ग के लोग है और दलितों जैसी नीची जाति के साथ सहयोग नही करना यह अन्यों की मानसिकता है। इंडिपेन्डेन्ट लेबर पार्टी जो बाद में शेडयुल्ड कास्ट फेडरेशन बनी {क्योंकि अंग्रेजों ने दलितों के मसलों पर डॉ॰ अम्बेडकर से बात करने के लिये यह दलिल देकर इन्कार कर दिया था कि डॉ॰ अम्बेडकर दलितों के नही बल्कि मजदूरों के नुमाईन्दे है।} के उद्देश्यों में यह कहा गया है कि पार्टी स्वातंत्र्य, समता, तथा बंधुत्व का आग्रह करेगी तथा एक इन्सान से दूसरे इन्सान पर, एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर, तथा एक राष्ट्र व्दारा दूसरे राष्ट्र का शोषण तथा दमन करने से रोकने की दीशा में कोशिश करेगी। (Dr. Ambedkar : Vol. 18-II p.110-11, 217; Vol. 20 p. 459)

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं तथा मजदूर युनियनों का प्रतिक्रांतिकारी किरदार !

भारत का मजदूर संगठन बदबूदार पानी का जमाव बन गया है। इसकी वजह

{ब्राह्मणवादी} मजदूर नेताओं का डरपोक, स्वार्थी तथा पथभ्रष्ट्र होना है। उनके कई नेता कुर्सी पर बैठकर चिंतन करने वाले या अखबार में अपना कथन प्रसिध्द कर ध न्यता मानने वाले राजनीतिज्ञ है। मजदूरों को संगठित करने, उन्हे शिक्षित करने, और उनके संघर्ष में उन्हे मदद करना उनके फर्ज का हिस्सा ही नही है। वे सिर्फ मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने के लिये लालायित रहते है। लेकिन मजदूरों से प्रत्यक्ष संपर्क करने से कतराते है। {ब्राह्मणवादी} मजदूर नेताओं की दूसरी किस्म ऐसी है कि जो मजदूरों का कोई न कोई संगठन बनाकर खुद को सेक्रेटरी, अध्यक्ष इ॰ पद पर बने रहते है। इसलिये संगठन अलग रखने की कोशिश करते है। कभी तो इतनी लज्जास्पद घटनाएं देखने को मिलती है कि मजदूर मालिक के बीच की लडाई से ज्यादा दुर्धर इन {ब्राह्मणवादी} मजदूर नेताओं के बीच की लडाई दिखाई देती है और यह सब इसलिये कि उन्हे मजदूरों का नेता कहलाये जाने का शौक पूरा करना है। (Dr. Ambedkar : Vol. 18-II p.103-08)

ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं ने मजदूर आन्दोलन को फायदे के ध ंदे में बदल कर उसे शोषण-व्यवस्था की हिफाजती यंत्रणा में बदल दिया है। जहॉ मजदूरों को उनका पूरा हक मिलना चाहिए ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेता मजदूरों को मील मालिकों से सांठगांठ से उनके हक का छोटा सा हिस्सा दिलाकर उन्हे यकिन दिलाते है कि तुम्हे जो कुछ भी मिलने जा रहा है इससे ज्यादा मिलना कतई मुमकिन नही था। बदले में पूंजीपति उन्हे 'खुश' कर देता है। पूंजीपतियों, अफसरों ने किए भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन छेडने की धमकी देकर या आन्दोलन छेडकर और आखिर उन्ही से सौदेबाजी कर अपना उल्लू सीधा करते रहे है। मजदूर आन्दोलन जैसा फायदेमंद धन्दा दूसरा नही है। पूंजीपति, अफसरों से मिलने वाले फायदे के अलावा मजदूरों को दिलाए गए फायदे (?) का अच्छा सा कमीशन, युनियन और पार्टी के लिए चन्दा, मजदूरों की ताकत पर अपनी नेतागीरी चलाने, उनके वोटों से चुनकर आने, बहाने बनाकर मनुवादी पार्टी को सरकार बनाने में दी जाने वाली खुली या छूपी मदद, सत्ताधारी पार्टियों को वोट दिलाने या वोट काटने इ॰ कामों से मिलने वाला बेशुमार फायदा भला किस धन्दे में मिल सकता है ?

ब्राह्मणवादी नकली मजदूर नेता अपने संगठनों के लिये बडी चालाकी से सदस्य जुटाते है। उनके ही इशारे पर ब्राह्मणवादी अफसर मजदूरों के लिये कोई मसला खडा कर देते है और ब्राह्मणवादी नेता ने ''संघर्ष की नाटकबाजी'' करने के बाद मजदूरों के मसले को 'अधूरा' सुलझाया जाता है। मजदूर उपकार के बोझ से दबकर युनियन के कार्यकर्ता बन जाते है और नेताओं ने ही पैदा किये मसले के अधूरे सुलझने पर नेता को बार बार चंदा देते है और एक तरह से संगठन के बंधुआ मजदूर बन जाते है। ब्राह्मणवादी युनियनों ने मजदूरों के दिमाग में यह बात डाली है कि 'हमारी युनियन के सदस्य बनोगे तो कोई तुम पर जूल्म ही नही करेगा'। कई कर्मचारी ब्राह्मणवादी अफसरों की नाराजी से बचने के लिए इनके संगठन के सदस्य बनते है। नियुक्ति के वक्त ही हर कर्मचारी को नियमों की किताबों का सेट नियोक्ता की ओर से लाजमी तौर से हासिल कराया जाना

चाहिए। लेकिन ब्राह्मणवादी सरकारें मजदूरों कर्मचारियों को उनके अधिकारों की जानकारी नही देती ताकि वे बेवजह ही अपने आला अफसर से खौफ खाते रहे और ब्राह्मणवादियों की नकली युनियनों के हाथों कर्मचारियों का जमकर शोषण होता रहे। इसलिये जबर्दस्त मांग के बावजूद ये किताबे सरकारी बुक स्टालों में कभी नही मिलती। सरकार और वामपंथियों के बीच यह सांठगांठ रही है कि वे अपने कार्यकर्ताओं की आंखों में धूल झोंकने के लिये सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का सार्वजनिक रुप से नकली विरोध तो करती रहेगी लेकिन सरकार मनमानी करने के लिये आजाद होंगी।

ब्राह्मणवादी नेताओं का मजदूर आन्दोलन, शोषितों के खिलाफ ब्राह्मणवादी प्रतिशोध का साधन है !

डॉ. अम्बेडकर परेशान थे कि ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेता मजदूरों को हडताल से होने वाली तकलीफों, मालिकों तथा सरकारी दमन से बचाने की सभी तैयारियाँ किये बिना बार बार हडताल कर मजदूरों को लाचार बना रहे है।

डॉ. अम्बेडकर के मुताबिक युनियन की वजह से मजदूरों को दो पैसे ज्यादा मिलने चाहिये, उनकी हालत में सुधार होना चाहिये, लेकिन {ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्ट नेताओं ने हडताल को हमेशा का प्रचलन ही बना डाला है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बदतर हो रही है।{ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्ट मजदूर नेताओं ने जितना मजदूरों का नुकसान किया है शायद ही किसी ने किया होगा ऐसा कहने में मुझे जरा भी झिझक नही है। मजदूर संगठन की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, मालिक ज्यादा ताकतवर हो गए है, मजदूर संगठन एक शापित चिज हो चुकी है। इसकी वजह मजदूरों के संगठनों पर काबिज {ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्टों व्दारा मजदूर संगठनों का किया जाने वाला गलत इस्तेमाल है। (Dr. Ambedkar : Vol. 20 (1929-56), p.87-94; Vol. 18-II p.103-08)

हडताल के एक दिन पहले गिरणी कामगार युनियन के अध्यक्ष, सेक्रेटरी और अन्य दो लोग मुझसे मिलने आये। श्री देवराव नाईक और प्रधान भी मौजूद थे। अगर हडताल की जरुरी वजह है और हडताल से अछूतों को फायदा होने वाला है तो हम हडताल की खुशी खुशी हिमायत करेंगे। लेकिन पता लगा कि हडताल के लिये उचित कारण नही है और हडताल कुछ लोगों की मग्रुरी कायम रखने की जा रही है। मुंबई सरकार ने हडताल की जांच के लिये बनाई कमिटी को इन्ही युनियन के पदाधिकारियों ने अपने बयान में कहा था कि हमारी युनियन अस्तव्यस्त होने की वजह से हमने यह हडताल की है। हडताल की जायज वहुहात नही, हडताल को जारी रखने के लिये आवश्यक पैसा तथा अन्य साधन नही जुटाये गए है तो हडताल करने की क्या तुक है ? युनियन के {ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट} नेता डांगे, आळवे तथा कासले ने मोरबाग कपडा कारखाने के मालिक से चंद रोज पहले ही लिखित समझौता किया था कि मजदूरों की शिकायतों को मालिक के साथ चर्चा से पहले सुलझाने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद ही हडताल की जाएगी।

लेकिन मोरबाग की हडताल मालिक के सामने अपनी शिकायतें पेश किये बिना ही शुरु की गई। इस तरह {ब्राह्मणवादी नकली} मजदूर नेता लगातार गलतियाँ करते रहे है जिससे देढ़ लाख मजदूरों तथा उनके परिवारों पर भूखे मरने की नौबत आई है। वे अपनी गलतियों पर पर्दा डालने तथा मजदूरों को टालने में लगे है। (Dr. Ambedkar : Vol. 18-I p.179-80; Vol. 20 (1929-56), p.93)

इवलीन रॉय के मुताबिक बंबई कपडा मील के मजदूरों को कम तनख्वाह देकर उनसे ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाता है। इसलिये मजदूर हमेशा साहुकारों के कर्जे में डूबे होते है। युनियन बनाने के उनके हक को तस्लीम नही किया गया है तथा उनके पास कोई युनियन फंड नही है। बंबई कपडा मील के मजदूरों के नेता {ब्राह्मणवादी} बूर्जुआ तबके के वकील, राजनेता, समाजसेवी, तथा पेशेवर मजदूर नेता है जिनकी हमदर्दी मजदूरों की बजाय मील-मालिकों के साथ है। इन्होने हमेशा मील-मालिकों की ही मदद की है और मजदूरों को पूरानी शर्तो पर ही काम करने पर मजबूर किया है। सरकार ने भी मजदूरों का दमन करने सशस्त्र बल और सेना भेजने में कोताही नही की है। मजदूरों ने बडी दिक्कत से अपनी हडताल को तीन महिनों तक जारी रखा है। कपडा मील के मजदूर भूख से सडक पर दम तोड रहे है। हडताल का ऐलान होने के पहले जनवरी महिने की उनकी बकाया तनख्वाह को मील-मालिकों ने रोक रखा है। दूकानदारों ने मजदूरों को उधार देने से इन्कार कर दिया है। बंबई की जिस चाल के कमरे में वे दर्जनों की तादाद में ठूंसे रहते है उसका किराया भी दे पाने की काबिलियत उनमें नही बची है। मजदूरों के पास अगले दिन का खाना खाने के लिये भी पैसे नही है और न ही हडताल को जारी रखने का कोई फंड है। ऑल इंडिया ट्रेड युनियन कॉंग्रेस जो हडताल की नुमाइंदगी करती है उनके पदाधिकारियों ने हडताल की जगह पर आकर उनका मार्गदर्शन करने की कतई कोशिश नही की, न ही इस हडताल को प्रचारित किया और न ही भूखे हडताली मजदूरों के लिये कोई अपील जारी की। दि॰ 7 मार्च को हडताली मजदूरों पर पुलिस और सेना ने गोलीबारी की और 7 मार्च को मुकर्रर ऑल इंडिया ट्रेड युनियन कॉंग्रेस का चौथा सालाना अधिवेशन पदाधिकारियों के आपसी झगडों के चलते अनिश्चित काल के लिये मुल्तवी कर दिया गया। जब उसे 14 मार्च को आयोजित किया गया तो आपस में गालिगलौच, घूंसेबाजी में बिना 150,000 भूखे हडताली मजदूरों के बारे में गौर किये और भारत के मजदूरों की इस सबसे बडी हडताल से खुद को संबंधित किये ही खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश लेबर सरकार तथा ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने मील मालिकों को मील की तालाबंदी करने और मजदूरों को भूखे मारने तथा

उनपर सेना तथा पुलिस को गोलियाँ बरसाने की इजाजत दे दी।(Evelyn Roy Some Facts About the Bombay Strike Source: Labour Monthly Vol. VI, May 1924, No. 5. Transcription/HTML: Brian Reid Public Domain: Marxists Internet Archive (2007))

डॉ॰ अम्बेडकर के मुताबिक मुंबई के कपडा मील की मौजूदा हडताल के बारे में कई गैरब्राह्मण पत्रों ने भी गलत फहमी पैदा करने की कोशिशें चलाई। जो मजदूर काम पर जा रहे है उनका विरोध करना तथा जातिगत स्वार्थ पूरे करने का आरोप लगाने तक उन्होने अपनी सीमा पार की है। अछूत और मुसलमान शुरु से ही इस हडताल के हामी नही थे। काम पर जाने वालों में सभी दलित और मुसलमान नही है। मराठा इ॰ जातियों के कई कर्मचारी भी काम पर वापस जा रहे है। मजदूर नेताओं ने गलतियों पर गलतियाँ करना और इस बात की उम्मीद करना कि सभी मजदूरों ने उनके पीछे भेडों की तरह आँखे मूंद कर आना चाहिये यह कौनसा इन्साफ है ? पिछले देढ सालों से कम्युनिस्टों की हडतालों से बंबई के कपडा मिल मजदूरों का कितना नुकसान हुआ है इसकी गैरब्राह्मण पत्रकारों को कल्पना तक है क्या ? भूखमरी, दंगे, मारपीट, फौजदारी मामले इ॰ अनेक परेशानियों से मजदूर त्रस्त हो गए है। उन्हे इनसे उबरने का मौका दिये बिना दूसरी हडताल शुरु की गई। किसानों को मुंबई कपडा मिलों में होने वाली आमदानी बंद हो जाये, मजदूर और किसानों को कर्जे में डूबोया जाये, साहुकार तथा खोतों के शिकंजे में गैरब्राह्मण और ज्यादा गहरे फँस जाये, मराठा इ॰ जातियों पर अपनी बची खूची खेती भी गीरवी रखने या बेचने की नौबत आये ऐसी इनकी इच्छा है क्या ? बेळगांव या पूना में बैठकर मुंबई के कपडा मिल मजदूरों के हडताल के समर्थन में लिखने की बजाय अगर वे खुद आये तो उन्हे हालात का पता चलेगा। जिन्हे ब्राह्मणों की बू तक नही सहन होती वे {गैरब्राह्मण पार्टी के नेता} कम्युनिस्ट नेताओं व्दारा अपने गैरब्राह्मण समाज का मनमर्जी से इस्तेमाल किये जाने से बेखबर है। खेती में कोई फायदा नही, मेहनत कर भूखे रहकर साहुकारों की तिजोरियाँ भरने से तंग आकर कई परिवार मुंबई आकर मजदूरी से अपना पेट पालते है जिससे जमींदारों की जमीनें बिना पैदावार के बेकार पडी रहती है। लेकिन जब हडताल की जाती है तो मुंबई को गए हुए लोग अपने गांवों में आकर मजदूरी या कर्जे के लिये जमींदार और साहूकारों के पास आने के लिये मजबूर होते है। उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर, हेराफेरी कर उनकी जमीनों को हडपा जाता है। (Dr. Ambedkar : Vol. 20 (1929-56), p.167' p.98-99)

तेलंगाना संघर्ष से
मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं की गद्दारियाँ !

तेलंगाना के किसानों का संघर्ष सन् 1946 से 1952 तक जारी था।

हिन्दूस्तान संघराज्य के स्टेट डिपार्टमेंट के सचिव व्ही.पी. मेनन ने कहा कि ब्रिटिश भारत के नक्शे को देखते ही पता चलता है कि निजाम का राज्य भारत के दक्षिण ी हिस्से को उत्तरी हिस्से से विभाजित करता है। अगर निजाम अपने मकसद में कामयाब हो गया या कम्युनिस्टों के हाथों में निजाम राज्य की हुकुमत आ गयी तो इससे पूरे भारत भर में इन्केलाब फैल जाएगा। हथियारबंद आन्दोलन मद्रास, मलबार इ॰ प्रांतों में भी फैल चुका था। (द.ग. देशपांडे : संस्थान हैद्राबादचे स्वातंत्र आणि लोकस्थिती, p.208-209) उस समय सारे भारत में किसान आन्दोलन चल रहा था।

तेलंगाना के {मूलनिवासी} कम्युनिस्टों ने आंध्रमहासभा पर अपना पूरा कब्जा कायम किया और जमींदारों के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष छेड दिया था। उन्होने सन् 1947 तक 3000 गांवों को आजाद कर वहां प्रशासन कायम किया। संघम ने 1946 में वेठबेगार विरोधी आन्दोलन शुरु किया। बघेला रिवाज बंद करने की मांग की। 100 एकड से ज्यादा की जमीन पर भूमिहिनों का कब्जा हुआ। इस आन्दोलन में भूमिहीन, खेतमजदूर, अल्पभूधारक, और छोटे किसान भी शामिल हुए।(डॉ. औचरमल, p.109) कम्युनिस्टों के असर में हैद्राबाद राज्य के 16 जिलों में से मराठवाडा के 5 जिले, 8 तेलंगाना के और 3 कर्नाटक के थे। अप्रैल से सितंबर 1948 तक {मूलनिवासी} कम्युनिस्ट जनसेना नलगुंडा, वारंगल, करीमनगर, मेदक जिलों में ही नही बल्कि हैद्राबाद के इर्दगिर्द 5000 से ज्यादा गांवों में फैल चुकी थी और 20,000 गांवों में उनके स्वँयसेवक दल कायम हो चुके थे। चंद जिला और तालूका केन्द्र छोड दिये जाए तो बाकी के हजारों गांवों में निजाम की हुकुमत का कहीं भी पता नही था। हथियारबंद दलों की तादाद हर दिन तेजी से बढ रही थी। गांवों के पाटील, पटवारी, बडे जमींदार और उनके लोग भाग चुके थे। उनके बंगलों और गढों पर हथियारबंद दलों ने कब्जा कर लिया था और वहीं से गांवों की पंचायतों का काम किया जाता था। (कॉ. गोपाल कुर्तडिकर, p.48) तराळा जनराज्य के सेनापति के मुताबिक वे अपने कम्युनिस्ट सैनिकों को संगठन ने दिए नामों से ही पुकारते थे जिससे सैनिकों की जाति पता न चले। किसी की जाति का पता चलते ही सैनिकों में भेदभाव पैदा हो जाता था। अछूत कम्युनिस्ट सैनिकों को टालने सवर्ण सैनिक कोई भी बहाने ढूंढ सकते थे। एक आजाद गांव में कमलाकांत सोनुले नामक कम्युनिस्ट सैनिक अन्यों को खाना परोसने लगा तब नांदेड की होळी के सारे ब्राह्मण सैनिक पंक्ति से उठ गए। (डॉ. नरेन्द्र गायकवाड, p.100) डॉ. अम्बेडकर के मुताबिक दलित, आदिवासियों ने तेलंगाना में संघर्ष किया। लेकिन जमीन बाँटते वक्त {ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्ट नेताओं ने अछूतों से कहा कि तुम तो खेत मजदूर हो, तुम जमीन लेकर क्या करोगे ? जमीन तो जमींदारी का काम करनेवाली कम्मे, रेड्डी इ॰ जातियों को ही मिलेगी। तुम्हे दुगुनी मजदूरी दी जायेगी लेकिन जमीन नही मीलेगी। (p.163, सोहनलाल शास्त्री)

तेलंगाना की कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐलान किया कि भारत सरकार हमारे संघर्ष को कुचलना चाहती है इसलिये जबतक हैदराबाद में अवाम की सरकार नही बनती तब तक तेलंगाना का संघर्ष जारी रहेगा। (द.ग. देशपांडे : संस्थान हेद्राबादचे स्वातैंत्र

आणि लोकस्थिती, p.199) कम्युनिस्ट पार्टी के आंध्र सेक्रेटरिएट के अलावा सभी {ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्ट नेता किसान संघर्ष को फौरन खत्म करना चाहते थे। तेलंगाना सेक्रेटरिएट ने इल्जाम लगाया कि {ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्ट नुमाईन्दों ने तेलंगाना संघर्ष पर पार्टी में बहस नही होने दी। अगर हम सही तरह से मुकाबले की योजनाएं नही बनाते है और उसे स्वाभाविक ढंग से बढने नही देते है तो भविष्य के इतिहास में हमें धोखेबाजों के रुप में जाना जाएगा।(http://www.maoism.org/index.htmlXVI. TELANGANA: GLIMMERINGS OF A NEW DEMOCRACY) {ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्ट नुमाईन्दगी ने तेलंगाना के किसानों के संघर्ष की कटू आलोचना जारी रखी और इस जेहाद में अपनी जिम्मेदारी नकार दी। इससे काँग्रेस सरकार बेहद खुश हुई। किसानों का क्रूर दमन करने का उसे आधार मिल गया। सन् 1951 के मध्य तक भी भारत की सेना तेलंगाना संघर्ष को कूचलने में नाकाम रही थी। इस दौरान {ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्ट नुमाईन्दगी ने कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रिय कमिटी पर पूरी तरह से कब्जा किया और सन् 1951 मई में तेलंगाना मसले का बातचीत से हल करके शांति बहाल करने का प्रस्ताव पास किया और इससे इन्कार किया कि तेलंगाना संघर्ष मुक्तियुध्द है। (http://www.maoism.org/index.htmlXVI. TELANGANA: GLIMMERINGS OF A NEW DEMOCRACY) पोलित ब्यूरो ने न ही तेलंगाना संघर्ष पर संजिदगी से गौर किया न ही तेलंगाना के संघर्षरत {मूलनिवासी} कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं की मदद की। वी बालाबुशेविच की रिपोर्ट में तेलंगाना संघर्ष को भारत में अवाम की लोकतंत्र की दिशा में पहली कोशिश बताकर उसका गौरव किया गया। इसके बावजूद अक्तूबर **1951** को {ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेता} गोपालन ने केन्द्रिय कमिटी और आंध्रा कमेटी की ओर से तेलंगाना संघर्ष वापस लिये जाने का ऐलान किया। किसानों ने हासिल किये किसी भी हक को सुरक्षित रखने का पार्टी ने वचन तक नही दिया। यह बिना शर्त आत्मसमर्पण था। (Mohan Ram : Indian Communism Split Within a Split, p.24,32-34, 57-58) पाकिस्तान के खिलाफ लडने के लिए जितनी सेना कश्मीर में नही भेजी गई उससे ज्यादा बडी सेना तेलंगाना के किसानों को कुचलने के लिए भेजी गई। (Dasgupta Biplab, p. 17-18) दि॰ 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना निजाम के हैद्राबाद में दाखिल हुई थी और भारतीय सेना ने तेलंगाना को चारों ओर से घेर लिया। पी. सुंदरैया ने बिना शर्त हथियार डालने का प्रस्ताव किया। (Sinha V.B. :The Red Rebel In India ,p.66,71)

रवी नारायण रेड्डी, अजय घोष, एस.ए. डांगे, एस.वी. घाटे, बी.टी. रणदिवे और दिगर {ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेताओं} ने किसानों के हथियारबंद संघर्ष की आलोचना की। कम्युनिस्ट पार्टी के (ब्राह्मणवादी} समूह ने यह मांग कि किसानों ने अपना संघर्ष फौरन बंद कर देना चाहिये क्योंकि भारत की सेना निजाम की सेना से हमें आजादी दिलाने आई है। सिन्हा के मुताबिक कम्युनिस्ट नेताओं ने खुद ही भारत की सरकार को सैनिक दखलंदाजी की गुजारीशें की थी। (Sinha V.B.

:The Red Rebel In India ,p.66,71) निजाम ने आत्मसमर्पण करने के बाद भी 4 सालों तक जनप्रतिनिधियों के हाथों में हुकुमत नही सौंपी गई बल्कि निजाम को ही हुक्मरान बनाकर फौजी हुकुमत कायम कर तेलंगाना के {मूलनिवासी} कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का बर्बरता से दमन किया गया। (कॉ. गोपाल कुर्तडिकर) गोवर्धन, सराळा, महांकाळवाडगांव, भामाठान, भालगांव, चांदेगांव डाकपिंपळगांव, नागमठान इ॰ गांवों में समाजवादी जनराज्य ब्राह्मण नेताओं की नुमाईन्दगी में बनाये गए थे। इन्होने भारतीय अफसरों के सामने अपने हथियार डाल दिये। (अनंत भालेराव, हैदराबाद स्वातंत्र संग्राम आणि मराठवाडा p. 401-403)

काँग्रेस के ब्राह्मणवादी नेता स्वामी रामानंद तिर्थ ने लिखा कि उसने अपने सहायकों के साथ गांव गांव का दौरा किया। खुद को लोगों का हमदर्द जताकर बडी खुबी से उनके दिल की थाह ली। रामानंद ने लोगों से कहा कि अगर आप कम्युनिस्टों को आसरा नही देंगे तो भारतीय सेना का कहर आपको नही सहना पडेगा। उन्होने कम्युनिस्टों से खुल कर कहना चाहिये कि उन्हे हथियारबंद संघर्ष पर भरोसा नही है। वह भारत के प्रधानमंत्री को अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट भेजता था। भारतीय सेना के निशाने पर खास रुप से लमानी तांडा (विमुक्त जातियों के समूह) थे। ये तांडा तेलंगाना इलाके के जंगलों में बिखरे थे और शक था कि ये समूह कम्युनिस्टों को पनाह देते थे। सभी तांडाओं के मुखिया को इकट्ठा कर उन्हे समझाया कि वे ऐलान कर दे कि वे कम्युनिस्टों को पनाह नही देंगे। इससे उनके इलाके से भारतीय सेना को वापस भेज दिया जाएगा। उसने सेना के कमांडरों से यह कहकर कि वह खुद रात तांडा के साथ बिता रहे है, तांडा में होनेवाले नाचगानों की पाबंदी खत्म करवायी और वह उनके उत्सवों में शामिल हुआ। (Swami Ramanand Tirtha : Memoirs of Hyderabad Freedom Struggle, p. 210-15) विनोबा भावे {ब्राह्मण} ने हैदराबाद जेल में गिरफ्तार कम्युनिस्टों से बहस की। रामानंद तीर्थ को महसूस हुआ कि इन {सवर्ण कम्युनिस्टों को अपनी गलती का अहसास हो रहा है।(Swami Ramanand Tirtha : Memoirs of Hyderabad Freedom Struggle, p. 219) यानि ब्राह्मणवादी कम्युनिस्टों को गद्दारी करने राजी किया गया। गांव-गांव में संघर्षरत क्रांतिकारियों की जानकारी लेकर, कमजोर और मतलब परस्तों को साम-दाम दंड भेद से अपने साथ लाकर मूलनिवासी कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों से इन्तेकाम लेने की मुहिम छेडी गयी। ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं की नीति थी कि {मूलनिवासी} कम्युनिस्ट छापामारों की जानकारी आसानी से सेना और पुलिस को मालूम होती रहे और उन्हे शोषित मूलनिवासी जनता का दमन करना मुमकिन हो सके।

सरदार पटेल ने हैद्राबाद पहुँचकर धमकाया कि किसी भी कम्युनिस्ट की जान न बक्शी जाये। सारे {मूलनिवासी} कम्युनिस्ट तेलंगाना में ही छिपे है क्योंकि उनको राज्य के दिगर भागों में ढूंढा नही जा सका है। {मूलनिवासी} कम्युनिस्टों को पनाह देने वालों और कम्युनिस्टों के खिलाफ कडी कार्रवाई न करने वाले अफसरों के खिलाफ कडी कार्रवाई की चेतावनी दी। पटेल के भाषण के बाद पुलिस {मूलनिवासी} कम्युनिस्टों पर तरह तरह के जुल्म करने में जुट

गई। बायोनटों से {मूलनिवासी} कम्युनिस्टों की खाल छीलकर उनके जिस्म पर हँसियाँ हथौडा तक बनाया गया। (Ravinarayan Reddi, p.69,60) सन् **1950** में नेहरु सरकार ने तेलंगाना के हजारों आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया। {मूलनिवासी} कम्युनिस्टों को मार कर रास्तों के पेडों पर टांग दिया। (http://www.peoplesmarch.com/publications/30%20years/thesetback.htm) {मूलनिवासी} कम्युनिस्टों के जिस आन्दोलन को निजाम सरकार नही कुचल सकी थी उसे मिलिटरी गवर्नर जे.एन. चौधरी ने नंजप्पा की नुमाईन्दगी में सेना भेजकर बेरहमी से कुचल दिया। लेकिन इसमें उसे दो साल लगे। (द.ग. देशपांडे : संस्थान हेद्राबादचे स्वातंत्र आणि लोकस्थिती, p.125) चेस्टर बॉवर्ल्स (Chester Bowles) ने जिक्र किया है कि काँग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने सितंबर 1948 की सैनिक कार्रवाई के पहले खुद ही {मूलनिवासी} कम्युनिस्टों और उनके हिमायतियों पर घातक हमले किये। उन्होने मद्रास प्राव्हिंस में भी कार्रवाईयाँ की। क्रिष्णा जिले के काँग्रेस नेता जिसने खुद दो कम्युनिस्टों का कत्ल किया था, ने 21 अप्रैल 1949 को प्रेस में बयान जारी किया कि सेवा दल के कार्यकर्ता गांवों पर हमला करके लूट में हासिल हुई दौलत से पल रहे है। शराबी, अपराधी काँग्रेस के नेता बन कर घरों को आग लगाने, लूटमार करने, हत्याएं करने में मशगुल है। भारतीय सेना ने यातना कॅम्पों (concentration camps) को {मूलनिवासी} कम्युनिस्टों से भर दिया। इतने कठोर दमन के बावजूद, किसानों की गुरिल्ला जंग जारी थी। (http://www.maoism.org/index.htmlXVI. TELANGANA: GLIMMERINGS OF A NEW DEMOCRACY) सैनिक कार्रवाई में जितने लोग नही मारे गये उससे कई ज्यादा लोग भारत सरकार-निजाम के इस संयुक्त फौजी शासन में मारे गए। (कॉ. गोपाल कुर्तडिकर) तेलंगाना के संघर्ष में 4000 से ज्यादा किसान मारे गये, 10,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया और 50.000 से ज्यादा लोग पुलिस कॅम्पो में डाल दिए गए। (V.T. Rajshekhar, p.16,34. How Marx Failed in India)

सोविएत संघ और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत के {ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्ट नेताओं की आलोचना की कि इन्होने हैद्राबाद पर भारत सरकार के हमले की अहमियत को नजरंदाज कर दिया। (Dasgupta Biplab, p. 17-18) चीनी नेताओं ने भारत के {ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्ट नुमाईन्दों पर तेलंगाना संघर्ष के साथ धोखेबाजी करने का और उसे खत्म करने का इल्जाम लगाया। (Mohan Ram, p.62) सन् **1967 की 5** अगस्त को चीनी प्रेस ने उजागर किया कि शुरु से ही कम्युनिस्ट पार्टी के {ब्राह्मणवादी} संशोधनवादी नुमाईन्दों ने तेलंगाना के किसानों के संघर्ष का न सिर्फ विरोध किया बल्कि उसके साथ गद्दारी कर उसे खत्म करने की कोशिशें की। (Dasgupta Biplab, p. 19)

बाबासाहब डॉ. अम्बेडकर की चेतावनी,
मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं से सावधान !

कम्युनिस्टों में फैले ब्राह्मणवाद के मद्देनजर सन् 1951 में डॉ. अम्बेडकर ने कम्युनिस्टों की बजाय समाजवादी पार्टी से समझौता किया। सामान्य सिट से अशोक मेहता और आरक्षित सिट से डॉ. अम्बेडकर उम्मीदवार हुए। कम्युनिस्ट नुमाइन्दगी ने सामान्य सिट से {ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेता} डांगे को उम्मीदवार बनाया और आरक्षित सिट के लिये वोट नही देने का फैसला लिया। कॉ. मोरे और दिगर दलित कार्यकर्ताओं ने डॉ. अम्बेडकर की हिमायत करने या फिर मतदान न करने के फैसले को वापस लेने की गुजारीश की। लेकिन ब्राह्मणवादी नुमाइन्दगी ने अपना फैसला नही बदला। उल्टे {ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेता} डांगे ने ''अम्बेडकर-अशोक मेहता करार का मतलब क्या ?'' नामक पूस्तिका में डॉ. अम्बेडकर के बारे में लिखा कि ''कोरेगांव की लडाई में महारों ने ब्रिटिशों के हक में लडकर उन्हे जीत दिलायी इसका डॉ. अम्बेडकर को फक्र है लेकिन राष्ट्रीय आन्दोलन में डॉ. अम्बेडकर ने अंग्रेजों का सपने में भी विरोध नही किया।'' कॉ. मोरे के मुताबिक जिस पेशवाई ने दलितों को गले में मिट्टी के बर्तन और कमर में ऐसे झाडू बांध ाने पर मजबूर किया ऐसी पेशवाई को स्वराज्य कहने की डांगे की कोशिश थी। चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी डॉ. अम्बेडकर को मतदान नही किया जिससे डॉ. अम्बेडकर 14,561 वोटों से हार गए और कांग्रेस का काजरोलकर चुना गया। (सत्येंद्र मोरे, p.194-96) इससे साबित हो गया कि सभी दलों के ब्राह्मणवादी आपस में मिले हुए थे और अम्बेडकर को अपना दुश्मन समझते थे। काँग्रेस ने अम्बेडकर को हर कीमत पर कायदेमंडल में न आने देने की कसम खाई हुई थी और ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं ने काँग्रेस की इस सौगंध को हकीकत में उतारने में आपने जातभाईयों की मदद की थी। इसके विपरित इसके पहले :— बंबई कायदेमंडल (विधानसभा) के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ने डांगे को अपना उम्मीदवार बनाया था लेकिन कॉग्रेसी उम्मीदवार के मुकाबले डांगे का चुना जाना मुश्किल था। डॉ. अम्बेडकर ने डांगे के खिलाफ अपनी पार्टी का कोई उम्मीदवार खडा न करना और कॉ. मोरे के बारे में आम दलितों की उनके डॉ. अम्बेडकर के साथी के रुप में शोहरत होने से डांगे जीत गया था। (कॉ. सत्येंद्र मोरे, p.149-150-154, 173,192-93,196-220)

इसलिये ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेताओं के प्रति दलितों में तीव्र गुस्सा पैदा होना लाजमी था। तमाम गद्दारियाँ करने के बाद अपने मतलब के लिये दलितों से झूठी हमदर्दी जताना ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं की फितरत में शामिल था। इसलिये डॉ॰ अम्बेडकर ने दलितों को आगाह किया कि :— जिन्होने कभी दलितों की सुध नही ली आज ही इन्हे हमारे बारे में हमदर्दी कैसे पैदा हो रही है ? गुड को चिंटियां उसकी जतन करने नही बल्कि उसे खाने के लिये चिपटती है। {ब्राह्मणवादी नकली} कम्युनिस्ट सिर्फ हमसे फायदा उठाने तथा हमें नुकसान पहूंचाने के इरादे से झुठी हमदर्दी दिखा रहे है। इस बात को हमने कभी नही भूलना चाहिये। (Dr. Ambedkar : Vol. 18-II p.496-97) ब्रिटिश सरकार बेहद सावधान थी कि डॉ. अम्बेडकर का संघर्ष इन्केलाबी संघर्ष में न बदल जाए। ब्राह्मण ावादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं ने अम्बेडकर के संघर्ष से पूरी दूरी बनाकर और

मनुवादी कॉंग्रेस की सेज सजाकर अंग्रेजों को फिक्र से निजात दिलायी।

ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं को समझाने की मूलनिवासी पार्टी कार्यकर्ताओं की अंधी कोशिशें !

दलित समाज के कॉ. आर. बी. मोरे के सन् 23 दिसंबर 1953 में कम्युनिस्ट पार्टी के ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं को लिखे नोट में उन्होने आगाह किया कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी को भारत में इन्केलाब को कामयाब बनाना है तो उसे दलितों के सामाजिक हकों के लिये संघर्ष करना होगा। कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी भी दलितों के मसले का अध्ययन नही किया। इससे भारत में इन्केलाब लाने की कोशिशों को बहुत नुकसान पहुंचा है। हमने दलितों की समस्याओं को अर्थवाद (economism) के नजरिये से देखा है। हमने बेहद आसान उसूल पेश किया है कि आर्थिक हालत में बदलाव (औद्योगिकरण) आते ही लोगों की चेतना में अपने आप बदलाव आ जायेगा। हम यह समझने में नाकाम रहे है कि इन्सान की चेतना में बदलाव अपने आप नही बल्कि पूरजोर संघर्ष करने से आता है। इस मसले को समझने की हमारी कोशिश यांत्रिक, संकिर्ण और अर्थवाद के गलत नजरिये पर थी। छुआंछूत और जाति-व्यवस्था हमेशा से ही अवाम की एकता को खत्म करने वाले अहम घटक रहे है। भारत पर काबिज हर विदेशी आक्रमणकारी, साम्राज्यवादी ताकतों ने छूआंछूत और जातीयता को भारत में अपनी निरंकुश हुकुमत को और शोषित अवाम की गुलामी को मजबूत करने के लिये इस्तेमाल किया है। अछूत दरअसल गुलामों का भी अधिकारहीन गुलाम है। इस सच्चाई को मानने से हमें इन्कार क्यों है ? मजदूरों की चेतना वर्ग-चेतना की बजाय पुरजोर जाति-चेतना है। हमारा सर्वहारा तबका भारतीय सर्वहारा है। उसके रग रग में ब्राह्मणों ने प्रचारित संस्कृति शामिल है। सछूत मजदूर यह मानता है कि वह ब्राह्मण या मराठा पहले है बाद में मजदूर है। हमने इस बात की भी जरुरत नही समझी कि हम सछूत मजदूरों में जातीयता की भावना के खिलाफ संघर्ष करें। हमने हर प्रतिक्रियावादी विचारों के खिलाफ कठोर संघर्ष करना चाहिये। यह संघर्ष न करने से ही तमाम अंर्तराष्ट्रीय हालात हमारे हक में होने के बावजूद कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर बनी रही। जहां तक छुआंछूत के खिलाफ संघर्ष करने का सवाल है, डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर का किरदार बेहद मिलिटंट और बेहद गैरसमझौतावादी रहा है। वही अकेले ऐसे शख्स है जिन्होने बेहिचक यह ऐलान किया है कि छुआंछूत वर्णव्यवस्था है जिसे जड समेत उखाड फेंका जाना चाहिये। उन्होने ब्राह्मण-धर्म के सभी घर्मग्रंथों पर हमला बोला है। इसलिये आश्चर्य नही कि वे दलित अवाम की निगाहों में वे मुक्तिदाता के रुप में कायम हो चुके है। उन्होने छुआछूत को मिटाने के संघर्ष को भीख मांगने या याचना करने के स्तर से उपर उठाकर हक मांगने **(assertion)** के स्तर पर पहुंचा दिया है। डॉ. अम्बेडकर ने छूआछूत और जातीयता को मिटाने के लिये संघर्षरत है इसलिये वे उनके लिये ईश्वर की हैसियत रखते है। सिर्फ नागरी ही नही बल्कि सेना के दलितों के बीच भी डॉ. बाबासाहब

अम्बेडकर की हैसियत सबसे बडी है। इस ताल्लूक से कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ भी नही किया है। फुले, अम्बेडकर की बात तो बडी दूर की है, हमने गांधी, आगरकर के स्तर {ढोंग के स्तर पर} पर भी कोशिश नही की है। हमारा संगठन कम्युनिस्ट पार्टी है इसलिये हमने सही माईने में सारे मेहनतकशों का अगुआ होना चाहिये। हमने आत्मआलोचना करनी चाहिये कि हमने दलितों के मन में आत्मसम्मान की भावना को उंचा उठाने के लिये क्या किया है ? इस बात को समझना जरुरी है कि गुलामों के गुलाम जैसी हालत में जीने पर मजबूर दलितों को सामाजिक बंदिशों से आजाद करके ही हम वर्गीय एकता कायम कर सकते है। दलितों के बिना हम राजसत्ता हासिल करने की बात सपने में भी नही सोच सकते। बहुसंख्य दलित अवाम शेडुल्ड कास्ट फेडरेशन के असर में है। शेडयुल्ड कास्ट फेडरेशन के दलित आर्थिक लडाई में भले ही हमारी हिमायत करते है लेकिन सियासी तौर पर वे हमेशा से शेडुल्ड कास्ट फेडरेशन के साथ है क्योंकि उन्हे भरोसा है कि कम्युनिस्ट पार्टी दलितों की छुआछूत और जातियता से आजादी के लिये कुछ नही करना चाहती। हमें डॉ. अम्बेडकर का सही मुल्यांकन करते हुए उनकी शेडयुल्ड कास्ट फेडरेशन के साथ संयुक्त मोर्चा कायम करना चाहिये। इस बात के विरोध ी हर विचारों को हमने खत्म करना चाहिये। कुछ कॉमरेड यह गलत सोच रखते है कि समाजवाद आने पर जातीयता का मसला अपने आप हल हो जाएगा। हमने छूआछूत और जातियता के खिलाफ औरों के संघर्षो की हिमायत करना चाहिये लेकिन हमने इन संघर्षो में हिस्सा नही लेना चाहिये। ऐसे विचार बेहद गंभीर गलतियाँ है जिससे संगठन और क्रांतिकारी संघर्ष को जबर्दस्त नुकसान पहुंच रहा है। {कॉ. मोरे ने इस नोट को कम्युनिस्ट पार्टी की काँग्रेस में रखने और ऐसा न कर पाने की सुरत में इस नोट पर पार्टी की हर कमेटी में बहस करके फैसला लेने की गुजारीश की। कई सालों बाद भी जब पार्टी ने इसपर कुछ नही किया तो उन्होने 7 दिसंबर 1964 को पत्र लिखकर पहले दिये गए नोट में आगे दी हुई बाते जोडी :-} भारत का दलित अवाम सर्वहारा तबके का वह हिस्सा है जिसे स्तालिन ने सर्वहारा तबके का सबसे भरोसेमंद हिस्सा कहा है। कुछ कामरेड कहते है कि अभी जातिभेद कम हुआ है और जाति-व्यवस्था इतिहास बन चुकी है। लेकिन उनका अपने घर की रोजमर्रा की जींदगी में प्रतिक्रियावादी जाति-नियमों, प्रथा परंपराओं का पालन करना मजम्मत के काबिल है। अगर वे ख्वाहिश होने के बावजूद इन रुढी परंपराओं के खिलाफ जाने का हौसला नही रखते तो वे खुद को प्रगतिशील कैसे कह सकते है ? ऐसे इन्सान इन्केलाब में भी कैसे मदद कर सकते है ? सिर्फ ख्वाहिश करने से जाति-व्यवस्था खत्म नही होगी क्योंकि वह इन्सान के मन में गहराई तक घुसी हुई है। जाति व्यवस्था चर्चा (debate) का मसला नही है बल्कि वह अफ्रीका के वर्णवाद से भी भयानक है। यह करोडों दलितों के जीने मरने का सवाल है। इसलिये कम्युनिस्ट पार्टी जैसी क्रांतिकारी पार्टी ने बिना किसी झिझक के जाति-व्यवस्था का पर्दाफाश करना चाहिये। शुरुआत में पार्टी के हर कामरेड ने अपनी जाति-धर्म छोडने का ऐलान करके मुल्क के अवाम के सामने मिसाल पेश करनी चाहिये। (सत्येंद्र मोरे, किताब के परिशिष्ठों में से) ब्राह्मणवादी

नकली कम्युनिस्ट नेताओं ने डॉ. अम्बेडकर के संघर्ष की हिमायत करना तो दूर इससे बचने के लिये उल्टे डॉ. अम्बेडकर को जातीयवादी और अंग्रेजों का एजन्ट कह कर बदनाम किया।

ब्राह्मण-धर्म को मजबूत करते रहे है, तमाम मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेता !

ब्राह्मणवाद से ग्रस्त है, मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेता !

{ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्ट नेता नंबुद्रीपाद ने केरल को ''वेदों की धरती'' और ''परशुराम श्रृष्टी'' प्रचारित किया। नंबुद्रीपाद ने क्षत्रियों का संहार करने वाले ब्राह्मण देवता परशुराम की मूर्ति चीन के अध्यक्ष माओ को भेंट में दी। (V.T. Rajshekhar, p. 18, Dialogue of the Bhoodevtas; p.8, 9, How Marx Failed in India,1988) नेपाल की माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया प्रचंड तथा उसके साथी बाबुराम भट्टराई ने नेपाल मारवाड ब्राह्मण सेवा संघ व्दारा आयोजित ''परशुराम'' के जन्मदिन समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज की। ये दोनों माओवादी पार्टी के अन्य उच्च पदस्त नेताओं की तरह ही ब्राह्मण है। प्रचंड के साथ मंच पर सदानंद महाराज था जिसने परशुराम व्दारा क्षत्रियों के कत्लेआमों {और क्षत्रिय औरतों पर किये बलात्कारों} के अभीयानों को माओवादी पार्टी के जनयुध्द के समकक्ष रखा। (http://www.boloji.com/index.htm May 8, 2008 Nepal Maoist Chief Attends Meet Honouring Hindu Icon By Sudeshna Sarkar)

भाकपा अध्यक्ष डांगे ने 'हनुमान' को कम्युनिस्ट कहकर साम्यवाद का आधार मनुवाद में दिखाने की कोशिश की। डांगे ने दावा किया कि मार्क्स के सारे सिध्ाान्त वेदान्तों से लिये गए है। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री सुभाष चक्रवर्ति ने तारिपीठ में काली मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना की और कहां कि सबसे पहले वह हिन्दू और ब्राह्मण है। यही उसकी बुनियादी पहचान है। चक्रवर्ती ने ज्योति बसू को आधुनिक श्रीकृष्ण करार देकर दावा किया कि पार्टी के उच्च पदस्त नेता भी ब्राह्मण-ध्ार्म का पालन करते है। उसने माकपा के तमाम नेताओं के नाम उजागर करने की धमकी दी जो छुपकर धर्म का पालन करते है। माकपा नेता धार्मिक जूलूस की नुमाइंदगी करते है। माकपा के श्रमिक संघों का संघ सीटू (CITU) विश्वकर्मा पूजा का आयोजन करता है। माकपा से संलग्न शिक्षक संघ सरस्वती पूजा का आयोजन करते है जबकि राज्यभर में पार्टी की स्थानीय शाखाएं दूर्गापूजाओं के आयोजनों में मदत करती है। चक्रवर्ती 120 दूर्गापूजा उत्सवों की नुमाइंदगी करता है। चक्रवर्ती ने परिवहन कर्मचारियों को विश्वकर्मा की धूमधाम से पूजा अर्चना करने की गुजारीश की।(http://maoistresistance.blogspot.com/ Sunday, October 21, 2007 Dange's

children throw tanturms - God Save the CPI(Marxist) सुभाष चक्रवर्ति ने ऐलान किया है कि वह कम्युनिस्ट नही है और ज्योति बसू भगवान है। (टाईम्स ऑफ इंडिया, 23 सितंबर 2006) केरल विधानसभा में माकपा के दो विधायकों ब्राह्मण ऐशा पोट्टी और ईसाई एम. एम. मोनायी ने बडे फक्र से ईश्वर के नाम से शपथ ग्रहण की। ऐशा पोट्टी ने ऐलान किया कि वह ब्राह्मण-धर्म में पूरी आस्था रखती है। (http://parisar.wordpress.com/ The CPM attempts to "defend the indefensible" smack of hypocrisy ' Debashis Bhattacharyya) माकपा के मदुरै राष्ट्रीय अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों ने मिनाक्षी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद ही अधिवेशन की राह पकडी। सी.पी.आई. के एक नेता ने मंदिर के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया। एक मजदूर नेता ने अपना विवाह तिरुपती के मंदिर में लगाया। इन्कलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जब रास्ते में कोई मंदिर नजर आता है तो कम्युनिस्ट नेता रुक कर नमस्कार करता है और उसके बाद ही जुलुस आगे बढता है। (V.T. Rajshekhar, p.47, How Marx Failed in India)

भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी सरकार के किसी संस्थान के पाठयक्रम में धार्मिक ग्रंथों को शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल माकपा सरकार ने अब तनाव नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रशासनीक प्रशिक्षण इंस्टिटयूट (एटीआई) में भगवद गीता का पाठ पढाना शुरु किया है। गीता पाठ के अलावा उपनिषद और प्राणायाम भी शुरु कराये जाएंगे। मार्क्सवादियों के मुताबिक गीता के उपदेश और मार्क्स की शिक्षा में काफी कुछ समानता है। (भाष्कर, 17 सितंबर 2005) इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर क्रिष्णा कांशसनेस (इस्कान) पश्चिमी बंगाल की जेलों में धार्मिक प्रवचनों इ॰ के दौरान कैदियों में भगवद गीता और भोजन का वितरण कर चुकी है। पश्चिम बंगाल सरकार इस्कान के हरे रामा हरे क्रिष्णा समूदाय के प्रचारकों को सभी जेलों में कैदियों को ध्यान, योग और धर्म प्रचार की इजाजत देने पर विचार कर रही है। (लोकमत समाचार, 24 फरवरी 2004)

क्या मुख्यमंत्री बुध्ददेव भट्टाचार्य अपना जनेउ छुपाकर रखता है ? वर्ना भूमिपूजा कराने का क्या मतलब है ? (http://www.thestatesman.net/afternoon/index.php Friday, 26 January 2007) {ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्ट नेता नंबुद्रिपाद मरते दिन तक अपनी ब्राह्मण जाति असोशिएशन का प्रधान था। (दलित वॉयस हिन्दूस्तानी, 2 नवंबर 2003) माकपा नेता नंबुद्रिपाद ने अपने बेटों की शादी ब्राह्मण परिवारों में ही की। यही बात माकपा के दिगर सवर्ण नेताओं पर लागू होती है। दरअसल माकपा का हर नेता अपनी जाति के नाम से जाना जाता है। (http://jokesfromindianleft.blogspot.com/ Friday, July 21, 2006 The Ultimate LIP Service for Dalits) डॉ. एम.एस. जयप्रकाश के मुताबिक नंबुद्रिपाद ने अपनी किताब ''Keralam Malayalikalude Mathrubhumi'' में लिखा है कि जाति-व्यवस्था आर्य ब्राह्मणों की सबसे बडी देन है। केरल की संस्कृति जाति व्यवस्था की देन है। हमें अपनी इस संस्कृति पर फक्र होना चाहिये ... हालांकी इस व्यवस्था में दलित वंचितों की हालत में आ गये लेकिन जाति व्यवस्था ने जो उंचे दर्जे की

सांस्कृतिक इमारत खडी की, भले ही यह दमनात्मक है लेकिन इससे बेहद कारगर प्रशासकीय व्यवस्था कायम हुई। नंबुद्रिपाद ने सोशल सायंटिस्ट के नवंबर 1977 के और सन् 1982 के अंक में लिखा है कि भारत की सच्ची संस्कृति उच्चवर्गियों ने ही बनाई है क्योंकि सिर्फ उन्ही के पास भरपूर फालतू समय था। यानि सर्वहारा मजदूर संस्कृतिहारा भी है। (कॉ. शरद पाटील : अब्राह्मणी साहित्या चे सौंदर्यशास्त्र, p.134) इसतरह नंबुद्रिपाद ने हम मूलनिवासियों की नाग-द्रविड संस्कृति की समृध्दता को मक्कारी से नकारने की कोशिश की है।

ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं ने भारत में मार्क्सवाद का ब्राह्मणीकरण कर डाला। तिलक को भारत में मनुराज लाना था इसके बावजूद भाकपा के {ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट} नेता प्रभाकर वैद्य की नजर में तिलक का काम ज्योतिराव फुले की चाहत को आगे ले जाने वाला है। {ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्ट नेता डांगे के दामाद बानी देशपांडे के मुताबिक डांगे की किताब ''इंडिया : फ्राम प्रिमिटिव्ह कम्युनिजम् टू स्लेवरी'' तिलक की किताब ''गीतारहस्य'' की तरह क्रांतिकारी किताब है। पुरातन ब्राह्मण यह तर्क देते थे कि मिट्टी की चिजें मिट्टी के कई रुप और नाम है, सच सिर्फ मिट्टी है। ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेता अपने कार्यकर्ताओं को उपदेश करते है कि वर्ण, जाति इ॰ सिर्फ वर्ग के रुप और सिर्फ नाम है सच सिर्फ वर्ग है। इन रुपों को भौतिक नही माना जाए। नंबुद्रिपाद ब्राह्मण पूरजोर ढंग से कहता है कि वर्ण, जाति सिर्फ इन्सान के अहसास भर है। (कॉ. शरद पाटील, p.82, 102) तथाकथित माओवादी नेता अपने धार्मिक अंधविश्वास से मुक्त नही है यह बात उनके खुद के विधानों से स्पष्ट है। माओवादी हर्ष ठाकूर लिखता है कि 18 जुलाई 1982 को 25 साल पहले कामरेड कन्हाई चटर्जी स्वर्ग के लिये प्रस्थान कर गया। (http://maoistresistance.blogspot.com/ Legacy of the Maoist Communist Centre-Commemorating 25th death Anniversary of Comrade Kanhai Chaterjee 18 July, 2007 By Harsh Thakor) चीन के भूतपूर्व पंतप्रधान चाउ इन लाई ने विदेशी नौजवानों से कहा था कि ''भारत ब्राह्मण-साम्राज्यवाद की एडी में कुचला जा रहा है।''''India is under the heel of Brahmin imperialism' (नागेश चौधरी : हिन्दूत्व देश तोडणारे सुत्र, p.18-20)

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेता, फासिस्ट संघ-परिवार का अभिन्न अंग है।

बिजेपी, कम्युनिस्ट, आर.एस.एस नेता शुरु में काँग्रेस में थे। काँग्रेस के भीतर ही उनके अलग अलग धडे थे। काँग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट इ॰ सभी मनुवादी संगठन संघपरिवार का ही अभिन्न हिस्सा है और उनका आपस में विरोध उनके निजी मतलब तक ही सीमित है। ब्राह्मणवादी हितों के लिये सभी एकजुट है। अगर

ये ब्राह्मणवादी संगठन अपना एक ही संगठन बना ले तो ऐसे मनुवादी संगठन का 1-2 चुनावों में ही पूरी तरह से सुपडा साफ हो जाता क्योंकि तब जनआक्रोष का फायदा मूलनिवासियों के जनसंगठनों को मिलकर वे इतने मजबूत हो जाते की दोबारा वहां बिहार, उत्तर प्रदेश इ॰ की तरह काँग्रेस, बीजेपी, इ॰ मनुवादी संगठन कभी हुकुमत में नही आते। मजदूरों, किसानों और दिगर समूहों को धोखा देने के लिये ही मनुवादियों ने अलग अलग परस्पर-विरोधी संगठन बनाये है। विदेशी पूंजीपतियों के दलाल होने के बावजूद संघ परिवार ने ''स्वदेशी जागरण मंच'' भी बनाया है, पूंजीपतियों के दलाल होने के बावजूद काँग्रेस-बीजेपी ने इंटक' ''भारतीय मजदूर संघ'' ' जैसे मजदूर संगठन भी बनाये है। निजीकरण, आर्थिक उदारीकरण और वैश्विकरण को बढाया जा रहा है वहीं साम्राज्यवाद विरोध का नाटक भी किया जा रहा है। एक ही पार्टी में फासिस्ट और नरमपंथी मुखौटेबाज है ताकि फासिस्ट कामों के खिलाफ अवाम का गुस्सा उभरे तो नरमपंथी मुखौटेबाज को उभारकर अवाम को बहलाया जा सके।

काँग्रेसी प्रधानमंत्री राजीव गांधी (ब्राह्मण) ने सन् 1989 में बाबरी मस्जिद परिसर में शिलान्यास कर रामराज्य की घोषणा की। पूर्व सांसद तथा बिजेपी नेता बनवारीलाल पुरोहित ने एक गवाह के तौर पर यह रहस्योदघाटन किया कि सन् 1989 में आर.एस.एस. तथा काँग्रेस के बीच यह गुप्त समझौता हुआ कि राजीव गांधी काँग्रेस को राममंदिर के शिलान्यास की इजाजत देगा और इसके बदले आरएसएस काँग्रेस को लोकसभा चुनाओ में अपना समर्थन देगी। (सम्राट, 27 अप्रैल 2007) इस समझौते के वजह से ही बिजेपी का लोकसभा चुनावों में सुपडा साफ हो गया था और उसे मात्र दो सीटें मिली थी।

काँग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिंह राव (ब्राह्मण) तथा संघपरिवार की मिलिभगत से बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। (लोकमत समाचार, 28 अप्रैल 2002; 14 अगस्त 2003, हितवाद, 28 अप्रैल 2004) आरएसएस की प्रतिनिधि सभा ने 1986 में पास प्रस्ताव में कहा है कि -'' अकाली सरकार उग्रवादियों के खिलाफ सख्त कदम नही उठाती .... इसलिये स्वर्ण मंदिर और दिगर गुरुव्दाराओं में दोबारा आतंकवादियो के अड्डे बन रहे है।'' माकपा ने आरएसएस के सूर में सूर मिलते हुए कहा कि - ''अकाली सरकार खालिस्तानी विभाजनवादियों की खूनी चुनौति से निपटने में बेहद लाचारी दिखा रही है।'' इसलिये इंदिरा गांधी की ब्राह्मणवादी सरकार ने बेखौफ होकर सिखों के खिलाफ कहर ढा दिया। भाजपा, कम्युनिस्ट इ॰ सभी ब्राह्मणवादी संगठनों ने स्वर्ण मंदिर में हुए कत्लेआम पर इंदिरा गांधी को शाबाशी दी। (नागेश चौधरी : हिन्दूत्व देश तोडणारे सुत्र, p.1, 18-20)

संत जरनैल सिंह भिंडरावाला ने सिख धर्म के उसुलों का पालन करने, सिखों की मूल पहचान कायम करने और सिख धर्म को ब्राह्मणवाद की गिरफ्त से छुडाने के लिए संघर्ष किया इसलिये ब्राह्मणवादियों ने उन्ह कत्ल करा दिया।(p. 10, दलित व्हाईस, 16-30 नवंबर 2000) सिख जनता जागरुक होने के कारण ही ब्राह्मण

ावादियों व्दारा आतंकवादी प्रचारित किये गये संत जनरैलसिंह भिंडरावाला को सिख धर्म ने अधिकारिक रुप से शहीद का दर्जा दिया है। इसलिये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अनुसार सिख अपनी संस्कृति और परंपरा को सही मायने में स्थापित करने के लिए संघर्षरत है। आयोग ने स्वर्णमंदिर में सेना की कार्रवाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दोषपूर्ण नीति का परिणाम बताया।(दैनिक भाष्कर, 6 जुलाई 2003) सिख धर्म का ब्राह्मणधर्म में रुपांतरण करने के खिलाफ संत जनरलसिंह भींडरावाले के खालीस्तानी जनआन्दोलन को निर्ममता से कुचलने में ब्राह्मणवादी नेतृत्व के नक्सली समेत सभी कम्युनिस्ट गुटों ने सरकारी आतंकवाद के साथ मिलकर काम किया :—खालिस्तानी आन्दोलन के दौरान U.C.C.R.I.(M.L) नागी रेड्डी ग्रुप (जो टाक्रा के नेतृत्ववाली रिव्हूलुशनरी कम्युनिस्ट पार्टी से विलिन होने बाद में C.C.R.I. के रुप में जाना गया) ने पंजाब में खालिस्तानी फासिस्टों से अपनी जान और माल की रक्षा के लिये सरकारी सुरक्षा बलों की बजाय अपनी हथियारबंद ताकत से मुकाबला करने की रणनीति बनाई जिससे व्यापारी समूदाय जिसका भरोसा जीतना आमतौर से मुश्किल है का भरोसा जीतने में संगठन कामयाब रहा।(http://maoistresistance.blogspot.com/ Thursday, November 8, 2007 Relevance of the Tarimala Nagi Reddy line culminating form the Unity Centre of Communist Revolutionaries of India-Marxist Leninist (U.C.C R I(M.L)) हमने सुर्ख रेखा नामक क्रांतिकारी जर्रनल प्रकाशित किया। यही ऐसा माओवादी जर्रनल था जो खूलेआम बुकस्टालों पर बेचा जाता था। जिसने खालिस्तानी आन्दोलन के भेद उजागर किये। संगठन ने खालिस्तानी धडों को अलग थलग करने उनके खिलाफ अहम कार्रवाईयाँ की। (http://maoistresistance.blogspot.com/ CPIML - Central Team 30th Anniversary of the formation of the Central Team of the C.P.I.(M.L.) By Harsh Thakor) ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेताओं ने ब्राह्मण-बनिया हितों के लिये खालिस्तान आन्दोलन का सशस्त्र मुकाबला किया। सीखों के आन्दोलन को खत्म करने के लिये भारत की सरकार पर काबिज ब्राह्मणवादियों ने जो कॅट 'cat' के नाम से कुख्यात आतंकवादी प्रणाली अपनाई उसमें ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं ने पूरा साथ दिया।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेतृत्व,
संघपरिवार से भी ज्यादा जातीयवादी और सांप्रदायिक है !

अप्रैल 1986 में दिल्ली में राष्ट्रीय एकात्मता समिति की बैठक में मुस्लिमों को उनकी तादाद के मुताबिक पुलिस में भर्ति करने की सूचना पेश हुई तो उसका बीजेपी के लालकृष्ण अडवाणी और माकपा के {कम्युनिस्ट} नेता ज्योति बसु ने पूरजोर विरोध किया। (नागेश चौधरी : हिन्दूत्व देश तोडणारे सुत्र, p.34) कश्मीर के हुर्रीयत कॉफ्रेंस के नेता त्रिवेन्द्रम आकर अपनी बात अवाम के सामने रखना चाहते थे कि गुनहगार कश्मीरी अवाम है या भारत की सरकार पर काबिज ब्राह्मणवादी।

लेकिन उनकी त्रिवेन्द्रम भेंट का ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्टों ने कडा विरोध किया।

आर.एस.एस. के अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने 16 मार्च 1986 को पास किए प्रस्ताव में कहा है कि ''शहाबानों के मामले में सुप्रिम कोर्ट ने दिए हुए ऐतिहासिक फैसले को बेअसर करने के लिये केन्द्र सरकार ने तलाकिता विधेयक लाकर मुस्लिम धर्माधों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और समान नागरिकता की ओर कूच करने का सुनहरा मौका गँवा दिया। ..... पीडित मुस्लिम औरत और बुध्दिवादियों को प्रोत्साहन देने के बजाय सरकार के कदम से सांप्रदायिक मुस्लिम नेताओं का हौसला बढा।'' आर.एस.एस. के विचारों को दोहराते हुए माकपा के ''पिपल्स डेमोक्रेसी'' साप्ताहिक ने **16** मार्च **1986** के अंक में लिखा कि - ''भारत की केन्द्र सरकार ने तय किया कि वह बदलाव विरोधी मुस्लिम संप्रदायवाद के आगे नतमस्तक होकर मुस्लिम औरतों के हकों को कुचलने के लिये सुप्रिम कोर्ट के इस फैसले को कि तलाकशुदा मुस्लिम औरत को अपने पति से गुजारा-भत्ता लेने का हक है, को निरस्त करने जा रही है।'' लेकिन इन ब्राह्मणवादी कम्युनिस्टों ने लडकियों को देवदासी बनाकर मंदिरों में वेश्यावृत्ती कराने, तीर्थस्थलों में विधवाओं से वेश्यावृत्ती कराने, बालविवाह कराने, सति-प्रथा, इ॰ के खिलाफ कभी कोई आन्दोलन नही चलाया। (नागेश चौधरी : हिन्दूत्व देश तोडणारे सुत्र, p.1, 18-20)

मान॰ योगेन्द्र यादव के मुताबिक अगर आप प॰ बंगाल सरकार ने सच्चर कमिटी को दिया हुआ ब्यौरा पढें तो आपको पता चलेगा कि राज्य में **25.2** प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या होने के बावजूद प॰ बंगाल की माकपा की {सांप्रदायिक} सरकार ने सिर्फ **2.1** फीसदी सरकारी नौकरियाँ मूस्लिमों {पढीये सवर्ण मुस्लिमों} को दी है। इसतरह प॰ बंगाल मोदी के गुजरात से भी बडा मुस्लिम विरोधी राज्य है क्योंकि गुजरात में मुस्लिमों की तादाद **9.1** फीसदी है जबकि सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों का प्रतिशत **5.4** फीसदी है। पाखंड की हद तो यह है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सबसे पहली पार्टी है जिसने सच्चर कमिटी की सीफारीशों को फौरन अमल में लाने की मांग की। (http://sanhati.com/articles/124/ Party Games - Yogendra Yadav on CPIM) मान॰ विद्या भूषण रावत के मुताबिक प॰ बंगाल ही एक देश का इकलौता राज्य है जहां मिदनापुर और जहांगीर जिलें में मुस्लिमों की भूख से मौतें हुई है। बुध्द देव भट्टाचार्य जब बंगाल का गृहमंत्री था तब वह दलित-मुस्लिमों के खिलाफ मदरसों के तथा बंगाली दलित शरणार्थियों के सिलसिले में लालकृष्ण अडवाणी वाली सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करता था। बंगाली सवर्ण मध्यमवर्ग का काफी पहले से ही सांप्रदायिकरण किया जा चुका है जिसकी झलक हमें दुर्गा-पूजा के वक्त अक्सर दिखाई देती है। (http://sanhati.com/ Lessons From Nandigram's Heroic Land Struggle - 14 Nov, 2007 By Vidya Bhushan Rawat, Countercurrents)

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेता,
बिजेपी-आरएसएस से भी ज्यादा बहुजन विरोधी है !

क्योंकि ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेताओं ने खुद को वामपंथी और जनवादी मुखौटे में छुपाया है इसलिये इनके ओबीसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी विरोधी बर्बर अत्याचार लोगों की नजरों से ओझल रहते है। ब्राह्मणवादी मनुमीडिया भी इनकी वामपंथी छबी को बरकरार रखने की भरकस कोशिश करता है।

गुप्ता नामक सवर्ण, अछूतों की भारत शु कंपनी के जुते, चप्पले इ॰ रुस को भेजकर अनाप शनाप मुनाफा कमा रहा था जबकि अछूतों की कंपनी को नाम-मात्र के पैसे मिलते थे। डॉ. अम्बेडकर कंपनी के अछूत मालिक को कम्युनिस्ट नेता पी. सी. जोशी से मिलाने ले गये ताकि उसकी सिफारीश से रुस भारत शु कंपनी से सीधे जूते खरीदें और इसका फायदा अछूत कारागीरों तक पहुँच सके। जोशी ने साफ कह दिया कि चमार को लखपती बनाने के लिए वह रुस से सिफारीश नही कर सकता। (p.166,167, सोहनलाल शास्त्री) केरल के कामरान असान जैसे कवि और नारायणा गुरु के साहित्य ने ब्राह्मणवादी शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और सामाजिक एकता की वकालत की। लेकिन नंबुद्रिपाद ब्राह्मण ने कामरान असान को जातिवादी कवि करार दिया। ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ उभरने वाले दलित साहित्य की लहर को वर्गवाद के ढोंग से दबाने में कोई कसर नही छोडी। (दलित वॉयस, 16-30 जून 2004, p.10)

पिछले सौ सालों में माकपा के पालित ब्यूरों में एक भी दलित को नियुक्त नही किया गया है। (http://jokesfromindianleft.blogspot.com/ Friday, July 21, 2006 The Ultimate LIP Service for Dalits) मान॰ योगेन्द्र यादव के मुताबिक जब वे क्रिस्टोफ जाफ्रेलोट (Christophe Jaffrelot) के भारत के विधानसभा सदस्यों के सामाजिक पृष्ठभूमि (profile) संबंधी शोध को पढ रहे थे जिसके मुताबिक सन् 1977 के बाद माकपा की सरकार आने के बाद से प॰ बंगाल में सवर्ण विधायकों की तादाद में इजाफा हुआ है। वाम मोर्चा सरकार में ब्राह्मण, बोड्डी तथा कायस्थ (Brahman, Boddis, Kayasthas) इन तीन सवर्ण जातियों से दो तिहाई मंत्री है। {संविधान में अगर अगर अनुसुचित जाति जनजातियों के लिये विधानसभा में सिटें आरक्षित नही होती तो शायद सवर्ण जाति का यह अनुपात 100% हो जाता।} मंडल आयोग के लिये ओ.बी.सी. सूचि पेश करने में प॰ बंगाल आखरी राज्य था।(http://sanhati.com/articles/124/ Party Games - Yogendra Yadav on CPIM) ज्योति बसु ने मंडल आयोग को बंगाल आने से मना किया था कि बंगाल में कोई जाति समस्या नही है। बी.पी. मंडल ने जब ज्योति बसु को सैकडों दरख्वास्तें दिखायी जो उन्हे पश्चिमी बंगाल से हासिल हुयी थी तो उसे जवाब देते न बना। (V.T. Rajshekhar, p.8, 9, How Marx Failed in India,1988 ed. DSA Bangalore) शिक्षित होकर बेहतर रोजगार हासिल करने से दलितों को रोकने के लिये माकपा की जातीयवादी सरकार ने नीचे दी हुई रुकावटें बनाई हुई है :– प॰ बंगाल माकपा की जातीयवादी सरकार सफाई कर्मचारियों की विभिन्न उपजातियों को अनुसूचित जाति का नही मानती क्योंकि उनकी ढोंगी वर्गीय सोच के मुताबिक यह जाति नही व्यवसाय है। इसलिये वह हेला, रावत, बाल्मिकी, भंगी, सुदर्शन, ६

ानुक इ॰ सबको मेहतर करार देती है। इसलिये उन्हे अनुसुचित जाति का प्रमाण ापत्र नही मिलता। हमारे मां-बाप यहां 50 साल से पहले आये है इसके बावजूद वे हमसे हमारे उत्तर भारत के पूरखों के जाति-प्रमाणपत्र लाने को कहते है। विरेन्द्र कुमार जिसके इंटरमिडिएट की परीक्षा में 64% और बी.ए. की परीक्षा में 56% अंक है कहते है कि उनके पिताजी और माताजी यहां पचास सालों से है, और उनका खुद का भी जन्म बंगाल में ही हुआ है वह अपने दादा का प्रमाणपत्र कहां से लाएं ? विरेन्द्र मोबाईल कंपनी में सेल्स एजन्ट का काम करता है और आरक्षीत पदों के लिये आवेदन नही कर सकता क्योंकि उसके पास अनुसूचित जाति का प्रमाण ापत्र नही है। विकास हेला को सरकारी नौकरी नही मिली क्योंकि वह खुद को प॰ बंगाल का रहिवासी होने का प्रमाणपत्र नही प्रस्तूत कर सका। इसलिये उसे मजदूरी का काम करना पडता है। (http://www.countercurrents.org/index.htm India's Shame: Some Unanswered Questions From The Frontline Reports By Vidya Bhushan Rawat 28 September, 2006; Dalit ask for justice in West Bengal By V.B.Rawat) माकपा की जातीयवादी सरकार की शिक्षा नीति ने बंगाली माध्यम की प्राथमिक शालाओं में जहां अधिकतर दलित बच्चे पढते है अंग्रेजी विषय पढ़ाना बंद करवा दिया है। इससे वे अगले स्तरों की शिक्षा में सवर्ण जातियों से बुरी तरह से पिछड गए है। अधिकांश शिक्षक सवर्ण होने और उनमें जातीयता कूटकूटकर भरी होने से प॰ बंगाल में मेघावी बहुजन बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जाता है। प॰ बंगाल की विद्यासागर युनिवर्सिटी में M. SC की चुन्नी कोटाल नामक लोध आदिवासी जाति की छात्रा को सवर्ण शिक्षकों व्दारा मानसिक रुप से इतना प्रताडित किया गया कि आखिर उसे खुदकशी करने पर मजबूर होना पडा। यह मिसाल प॰ बंगाल के जातीयवादी शिक्षाक्षेत्र को बेनकाब करने के लिये काफी है। खुद को मार्क्सवादी कहलाने वाले सभी आर्य-ब्राह्मणों का देशभर में यही रवैया है :– दिल्ली के जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय को वामपंथी शिक्षकों का अड्डा प्रचारित किया जाता है लेकिन वे जातीयता से ग्रस्त है इसलिये दलित छात्रों से सवर्ण छात्रों को मौखिक परिक्षा में ज्यादा नंबर दिये जाते है। सवर्ण छात्र अनीश सक्सेना को लिखीत परिक्षा में कुल 70 में से 45 और मौखिक परिक्षा में 30 मे से 30, रीशिका मेहरिशी को 44 तथा 26, जीत भट्टाचार्य को 44 और 24 जबकि अनुसुचित जाति के छात्रों को लिखित और मौखिक परीक्षा में क्रमशः 44 तथा मात्र 2, लक्षमण सिंह को 30 और मात्र 2 अनुसुचित जनजाति के सिख्खा गारबीयल को 44 और 12 नंबर दिये गए है। (Dalit Voice, 16-31 October, 2006 p.7) मेघावी ओबीसी, दलित, आदिवासी बच्चों को उनकी क्षमता से बेहद नीचे अंक दिये जाते रहे है ताकि सवर्ण बच्चे हमेशा उच्च-शिक्षा पर काबिज रहे।

संविधान के प्रावधानों के मुताबिक जो भी विकास कार्यक्रम गरीबों के लिये लागू किये जाते है आरक्षण की नीति का खुलेआम उल्लंघन कर माकपा सरकार वर्ग ढोंग से उन्हे सिर्फ उच्च जातियों के गरीबों में लागू कर ओबीसी, दलित, मुस्लिम आदिवासी जातियों को वंचित रखती है। केरल में दलितों को उच्च पद नही जाते। केरल में **1982** तक कोई आरक्षण नही दिया गया है क्योंकि केरल

की ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट सरकार आरक्षण को नही मानती। उसने पिछडी जाति के **Nettur** कमिशन की रिपोर्ट पर भी अमल नही किया। (वि.टी. राजशेखर, 9-12, Who is Ruling India, 1982) कम्युनिस्ट आन्दोलनों में सक्रिय रहे दलित ईसाई बाळासाहेब गायकवाड के मुताबिक देवताळी ता. राहुरी में चोरी हुई और एक समय के चोर बेकसूर वयोवृध्द देवऱ्या मांग को पुलिस थाने ले गई। बाळासाहेब गायकवाड की मध्यस्थता का भी असर नही हुआ क्योंकि मांग जाति को अपराध ी जाति करार दिया गया है। जब बाळासाहेब गायकवाड ने कम्युनिस्ट नेताओं से कुछ करने का अनुरोध किया तब उन्हे जवाब मिला कि ''लोगों को आर्थिक प्रश्नों पर संगठित करो। जहां नही चाहिये ऐसी जगहों में अपनी ताकत खर्चा मत करो।'' कम्युनिस्ट नेता अपने निजी जीन्दगी में ब्राह्मण-धर्म का पालन करते है। (बाळासाहेब गायकवाड : खिस्ती महार)

ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेता मूलनिवासियों से बेहद नफरत करते है। युडिएफ सरकार ने डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा कायम करने का फैसला लिया तो मार्क्सवादियों ने डॉ. अम्बेडकर की जगह ब्राम्हण ई.एम.एस. नंबुदरीपाद का पुतला खडा किया। (दलित व्हाईस, 1-15 मई, 2001, p.13)

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेतृत्व ने, हम दलितों की हालत नर्क से भी बदतर बनाई है !

हावडा के प्रख्यात वकील मान॰ अभिजीत दत्ता के मुताबिक जहां अन्य राज्यों में हाथ से मैला ढोने की पाबंदी है, जिनके यहां सुखे संडास है उन्हे फ्लश वाली संडास बनाने के नोटीस जारी किये जाते है लेकिन प॰ बंगाल में हाथों से मैला ढोने का रिवाज बदस्तूर जारी है जिसे उत्तरी भारत से संबंधित वाल्मिकी समाज के लोगों के हाथों से कराया जाता है। किसन बाल्मिकी बताते है कि जब उसने सुपरवायजर के पद पर पदोन्नति मांगी तो वह मॅट्रीक नही है कहकर उसे पदोन्नति नकारी गई। उसने मॅट्रिक पास कर सुपरवायजर के पद पर पदोन्नति हासिल की और सुपरवायजर पद की तनख्वाह लेनी शुरु की तब भी कार्पोरेशन ने उसे सफाई कर्मचारी का ही काम करने को कहा और एक पांचवी कक्षा से कम ब्राह्मण को सुपरवायजर बना दिया। भद्रलोग समूदाय का कोई व्यक्ति सफाई कर्मचारी के तौर पर सिर्फ कागज पर ही भर्ति होता है और जल्द ही बाबु के पद पर पहूंच जाता है। इस तरीके के दो फायदे है :- **1**) कथित कम्युनिस्ट सरकार खुद को इन्केलाबी जताती है कि कैसे वह उच्च जाति के भद्र लोगों को भी सफाई कर्मचारी के तौर पर नियुक्त करती है और **2**) उन्हे जल्द ही बाबू के पद की पदोन्नति देकर खुश करती है। जबकि कई सालों से सफाई कर्मचारी का काम करने वाले वाल्मिकी समाज के लोगों को पदोन्नति नही मिलती।

इन सब रुकावटों के बावजूद बेलिलियस पार्क के सफाई मजदूरों को यह पसंद नही था कि उनके बच्चे अपने सिर पर मैला ढोये। बेलिलिअस पार्क हावडा रेल्वे स्टेशन से दो की.मी. की दूरी पर है। यहाँ वाल्मिकी समाज के कई सौ परिवार

चालिस साल से 120 बिघा जमीन में रह रहे थे। बेलिलियस पार्क के वाल्मिकी, हेला, मेहतर, सुदर्शन, रावत इ॰ दलित बडी मेहनत से अपनी हालत को सुधारने में और अपने बच्चों को पढाने और दिगर कामकाज और नौकरियाँ हासिल करने में लगे थे जो प॰ बंगाल की जातीयवादी माकपा को पसंद नही था। इसलिये उनके एक ढोंगी पर्यावरणवादी गैर सरकारी संगठन (NGO) ने पर्यावरण के नाम पर कोर्ट में याचिका दायर कर हम दलितों को वहां से हटाने का आदेश हासिल किया। हावडा महानगर पालिका ने बिना कोई पर्यायी जमीन दिये बडी बेरहमी से हमारी बस्ती पर बुलडोजर चला दिया। वाल्मिकी समाज के घरों और दूकानों के साथ साथ समाज के मंदिर और स्कूलों को भी ध्वस्त किया गया। उन्होने सुभाषचंद्र बोस के पुतले और सवर्णो की 65 दुकानों को बक्श दिया। किशनी बाल्मिकी मूलतः हरियाणा का है और 40 साल से ज्यादा समय से यहां रह रहा है का कहना है कि बुलडोजरों और कमांडो से लैस पुलिस तथा अधिकारियों ने बेलिलियस पार्क में हमारी बस्ती को तहस नहस करते वक्त हमें हमारी चिजें तक हमें नही लेने दी। हमारे गहने और टी.वी. सेट तथा अन्य चीजें असामाजिक तत्व उठाकर ले गए। मानसिक आघात से मेरा पति गंगाप्रसाद दो बार बेहोश हो गया। कोई भी राजनीतिक दल बेलिलियस पार्क के दलितों की सुध लेने नही आया।

अब मजबूरन हम 1500 बाल्मिकी समाज के परिवारों को बागार (Balgachhia) में रहना पड रहा है। बागार वह जगह है जहां सारे हावडा की गंदगी को फेंका जाता है। इस जगह रहना कितना दुश्वार है इसे सोचते हुए भी घीन आती है। बदबू से सराबोर इस सारे इलाके में जगह जगह कीचड है। तरह तरह के कीडे, सूअरों, आवारा कुत्तों और मच्छर मक्खियों के भिनभिनाहट के बीच लोग अंधेरे में रहते है। यहां कोई एक घंटा भी रह ले तो वह बीमार हो जाएगा। रोने से बेहाल हुई एक बुढी औरत ने कहा कि कोई एक दिन उनके साथ रहकर उनकी तकलीफों को महसूस करें। कई बच्चे जो स्कूल जाते थे अब उन्होने पढना छोड दिया है क्योंकि उनकी स्कूल उनसे बहूत दूर हो गई है जहांतक पहूंचने हमारे पास साधन नही है। जो लोग हावडा कार्पोरेशन में सफाई का काम करते है उन्हे भी अपने काम पर पहूंचने में ज्यादा वक्त लगता है और ज्यादा पैसा खर्च होता है। जो लोग निजी घरों में सफाई करते थे उन्हे अब उस काम को छोडना पडा है क्योंकि वहांतक आना जाना कमाई से ज्यादा खर्चिला हो गया है। हम रात को ज्यादा से ज्यादा देरी से अपने गंद भरे झुग्गियों में लौटते है जहां हमें नींद भी मुश्किल से ही नसीब होती है।

पिछले देढ साल में जबरन विस्थापित किये गए हम वाल्मिकियों में से 18 लोगों ने भूख से दम तोड दिया है। मान॰ विद्या भूषण रावत इस बात को शपथपूर्वक रुप से कहते है कि जीते जागते नर्क में रह रहे वाल्मिकी समाज के कई और लोग भी मरने की कगार पर है लेकिन उनके पास अपनी दवादारु और इलाज के लिये पैसे नही है। हम यहां से कहां जाये बाबूजी ? यह जगह रेलवे की है। हम दूसरों की गंदगी साफ कर उन्हे साफ-सूथरा बनाते है लेकिन हमें खुद को ऐसे नर्क में रहना पड रहा है। ऐसी जगह रहना मूश्किल है लेकिन हम कहां जाये, हम किसी

तरह मरने का इन्तेजार कर रहे है। बारीश में तो यह जगह और ज्यादा बदबूदार और असहनीय हो जाती है। उन लोगों ने हमारी जिन्दगी तबाह कर दी है। हमारे पास राशनकार्ड भी नही है। मान॰ रावत एक जर्जर किस्म की जगह गये। उसे घर नही कहा जा सकता था क्योंकि ऐसा लगता था कि उसकी छत गीर पडने को है। वहा चन्नो देवी ने बताया कि उसकी बेटी को खाना बनाना पडता है क्योंकि चन्नो देवी के हाथों तथा पैरों पर गंदगी की वजह से कई तरह की बीमारी हुई है। उनके हाथ-पैरों की और देखना भी एक भयानक अनुभव है। बेलिलियस पार्क की बाल्मिकी बस्ती तहस नहस कर दी गई ताकि वहां धोबीघाट बनाया जा सके। धोबिघाट कहीं और जगह भी बनाया जा सकता था। वहां धोबियों की तादाद काफी कम है। यह दो पिछडी जातियों को लडाने का ब्राह्मणवादी तंत्र है। हम नही जानते कि अब हमारे बच्चे क्या करेंगे ? हम नही जानते कि हावडा महानगर पालिका कब हमें यहां से भी भगा देगी ? ऑल इंडिया अनुसूचित जाति युवजन सभा के राज्य अध्यक्ष श्री मेवालाल परम दास के मुताबिक बेलिलियस पार्क के लोगों के पूर्नवास के लिये केन्द्र ने जो पैसा भेजा उसका माकपा सरकार ने इस्तेमाल ही नही किया और यह पैसा वापस केन्द्र सरकार के पास चला गया।

कलकत्ता से जूडे हावडा में हाथ से मैला साफ करने की प्रथा है। इस का चित्रिकरण करना मुश्किल काम है क्योंकि माकपा के गुंडे ऐसी कोशिश करने पर आपका कॅमेरा तोड देंगे। पिछले साल जब मान॰ विद्या भूषण रावत कोलकाता गए बाल्मिकी, हैला, मेहतर इ॰ प्रभावित लोग इस बात से आतंकित थे कि अगर माकपा के गुंडों को इस बात का पता चल गया कि उन्होने इस मामले को लीक किया है तो वे उनके खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करेंगे। मान॰ रावत के पास प॰ बंगाल में सफाई कर्मचारी जातियों के वीडियो है। वे सिर्फ रात में मैला साफ करने के कामों का चित्रिकरण नही कर सके क्योंकि ये क्षेत्र माकपा के गढ़ माने जाते है।

मान॰ मोईनुद्दीन चिश्ती के मुताबिक अगर कोई भी ब्राह्मणवादी माकपा के खिलाफ विरोध करना चाहता है तो उसे झुठे मामलों में फँसाया जाता है। उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाये जाते है। प॰ बंगाल देश में सबसे ज्यादा जातियवादी राज्य है। (Dalit Voice, 26-20 Feb. 2008)

सभी ब्राह्मणवादी बहुजनों के खिलाफ एक है !

भारतीय जनशक्ति पार्टी की अध्यक्ष उमा भारती ने बताया कि कॉंग्रेस और बिजेपी कई मुद्दों पर अप्रत्यक्ष तौर से आपस में पूरे तालमेल के साथ काम करते है। यही वजह है कि तत्कालीन बाजपेयी सरकार ने कॉंग्रेस के सवोच्च नेता का एकमात्र पुत्र जो अपनी विदेशी गर्लफ्रेंड के साथ विदेशी मुद्रा और मादक पदार्थो के साथ पकडा गया था तब प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसे बचाया था। यही वजह है कि नशेडियों {राहुल महाजन इ॰) के बारे में दोनों दल चुप है। (भाष्कर, 20 जून 2006) लालकृष्ण अडवाणी की बहू ने जब लालकृष्ण अडवाणी पर यौन-शोषण और मानसिक प्रताडना का आरोप लगाया तब भी कॉंग्रेस तथा कम्युनिस्टों ने इसे बडा

मुद्दा बनाने की कोशिश नही की। मीडिया ने इन खबरों को ब्लॅक आउट किया कि बिजेपी नेता प्रमोद महाजन की हत्या के पीछे उसके अपने छोटे भाई की बिवी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। काँग्रेसी नेतृत्व का यही रवैया बिजेपी नेताओं की सेक्स सीडी के मामलों में दिखाई दिया। शायद ये ब्राह्मणवादी इस बात से डर गए थे कि बिजेपी और आर.एस.एस. नेताओं के अनैतिक कामों को मुद्दा बनाने से शायद यह बात मुद्दा बना सकती थी कि काँग्रेस का आदर्श पुरुष मोहनदास करमचंद गांधी ब्रह्मचर्यो के प्रयोग की आड में अपने भाई की बेटी समेत दिगर औरतों-लडकियों को नंगा कर उनके साथ खुद नंगा सोता था। अगर गांधी के साथ नंगा सोने वाली औरतों के नामों का खुलासा होना शुरु हुआ तो न जाने काँग्रेस तथा ब्राह्मणवादी संगठनों की किन किन ''पतिव्रता'' महिलाओं के चरित्र का भंडाफोड हो जाता।

काँग्रेस-बीजेपी, कम्युनिस्ट इ॰ सभी मनुवादी दलों ने मिल कर ओबीसी के मंडल आयोग के खिलाफ हिंसक आन्दोलन चलाया। महिला आरक्षण में ओबीसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी औरतों की हिस्सेदारी नकारकर आर्य-ब्राह्मण औरतों के शतप्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिये ये सभी पार्टियाँ खासकर कम्युनिस्ट पार्टियाँ एडी-चोटी का जोर लगाते रही है। काँग्रेस की उडीसा सरकार मूलनिवासी औरतों का हक नकारकर नौकरियों में महिला आरक्षण लागू कर ब्राह्मणवादी औरतों का एकाधिकार कायम कर चूकी है। आरक्षित नौकरियाँ खत्म करने के लिये बिजेपी-कम्युनिस्टों की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हिमायत से काँग्रेस के नरसिंहराव ने सबसे पहले निजीकरण, वैश्विकरण और आर्थिक उदारीकरण को लागू किया। सेझ सहित इन नीतियों को सभी ब्राह्मणवादी पार्टियाँ पूरे जोरशोर से लागू करते रही है।

बहुजन समाज को जोडने के हर आन्दोलन का विरोध करके और उस आन्दोलन से पार्टी कार्यकर्ताओं को दूर रखकर ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेता ब्राह्मणवाद की अनमोल खिदमत करते रहे है। बहुजन समाज ने अपने हक लेने की जब भी कोशिश की तब तब आर्थिक कसौटी और वर्गवाद का झूठा ढोंग रचाकर ये नकली कम्युनिस्ट नेता ब्राह्मणवाद की खिदमत करते रहे है। जातीय जूल्म और अत्याचारों के खिलाफ लडने वाले बहुजनों को इन्होने जातियवादी, करार देकर उनका मजाक बनाया है।

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं व्दारा, मूलनिवासी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और दमन !

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं का मकसद
मूलनिवासी कार्यकर्ताओं को जागरुक होने से रोकना है !

कम्युनिस्ट पार्टियों का ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेतृत्व कतई नही चाहता कि मूलनिवासी बहुजन कार्यकर्ता वैचारिक रुप से प्रशिक्षित होकर ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेताओं को कचरे की टोकरी के हवाले करे। इसलिये उन्होने बहुजन कार्यकर्ताओं के बीच साम्यवादी साहित्य पहूंचाने, उन्हे इसे पढने, समझने और चर्चा करने की कभी सार्थक कोशिशें नही की बल्कि उन्होने कार्यकर्ताओं को उतना ही बताया जिससे वे उनके आज्ञाकारी सेवक बनकर कार्यक्रमों में दरियाँ बिछाने-लपेटने के काम करते रहे। कार्यकर्ताओं को भारी भरकम शब्दावलियों (**terminology**) में इस कदर उलझा दिया कि वे हालात का कभी सही आकलन न कर सके। किसी भी किताब की दूकान में और राष्ट्रीय स्तर के पूस्तक मेलों में साम्यवाद पर इक्का-दुक्का किताब काफी ढूंढने पर ही शायद मिल जाये। जबकि जागरुक शोषितों की सक्रियता की बदौलत फुले, शाहु, अम्बेडकर, पेरियार इ॰ मुक्तियोध दाओं के बहुजनवादी साहित्यों का अम्बार दिखाई देता है।

ब्राह्मणवादी नेता इन्केलाब के नाम पर बहुजनों की मेहनत से हमेशा अपना उल्लू सिधा करते है और कार्यकर्ताओं को लाठी-गोली खाने, जेल में सडने और भूखों मरने छोड देते है। नक्सली कार्यकर्ताओं ने कोळवणकर को बताया कि जंगल सांथाल के नाम से पुलिस कमिश्नर तक थर्राता था। लेकिन उसकी मौत के बाद उसके बिबी बच्चों की दुर्दशा हुई। संगठन ने उनकी कोई मदद नही की। तब छोटे कार्यकर्ताओं को कौन पूछेगा ? (प्रकाश कोळवणकर, p.45)

मातंग समाज के अन्नाभाउ साठे से
मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं का विश्वासघात !

ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेतृत्व ने अन्नाभाउ साठे जैसी बेमिसाल दलित प्रतिभाओं को पूरा निचोडकर मिटा देने में कोई कसर नही रखी। अंग्रेजों ने मांगो को अपराधी जाति करार देकर उनका जीना हराम किया था। इसलिये अंग्रेजों के खिलाफ उमाजी नाईक, लहुजी सालवे, फकीरा इ॰ ने बगावत की।

अन्ना को स्कूल में दाखिल किया गया। झगडे में अन्ना ने एक सवर्ण लडके की पीटाई कर दी। सवर्ण शिक्षक ने अन्नाभाउ और उसके मित्रों की हथेलियाँ निली पडते तक छडी से पीटाई की। बेकसूर अन्नाभाउ ने स्कूल बंद कर लौटते सवर्ण शिक्षक की पीठ पर बडा पत्थर दे मारा और सीधे अपने घर पहुंचा। शिक्षक ने अन्ना की शिकायत की। इसके बाद अण्णाभाउ ने कभी स्कूल में कदम नही रखा। (नानासाहेब कठाळे, p.31)

अन्नाभाउ का आदर्श फकीरा था। भारत में भी अंग्रेजों के खिलाफ जबर्दस्त आन्दोलन हो रहे थे। अन्नाभाउ ने क्रांतिसिंह नाना पाटील की बगावत में भाग लिया था। नाना पाटील ज्योतिराव फुले से प्रभावित थे। अन्नाभाउ साठे ने 16 अगस्त 1947 को मोर्चा निकालकर ''यह आजादी झूठी है, मुल्क की जनता भूखी है'' का नारा लगाते हुए ब्राह्मण-बनियों को मिली हुकुमत का विरोध किया। अन्नाभाउ ने

कहा कि ''जातीयता की बेडियाँ और गुलामी की जंजीरे तोडकर फेंकनी चाहिये और उसके बाद ही आजादी देनी चाहिये। लेकिन ऐसा नही हुआ है इसलिये यह आजादी हमारे लिये नही बल्कि ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों के लिये मांगी हुई आजादी है। ब्राह्मणों को जुल्म करने का हक देने वाली आजादी हमें नही चाहिये। ब्राह्मण-बनियों की आजादी से मूलनिवासियों की गरीबी, अन्याय और जाति व्यवस्था खत्म होने वाली नही है। अंग्रेज चले जाने से अब ब्राह्मणवादी शोषकों को किसी का भी डर नही बचा है।'' (बहुजन संगठक, 2-8 अगस्त 2004) अन्ना भाउ ने कम्युनिस्ट पार्टी में अपना ''लालबावटा'' कलापथक कायम किया था। तंग करने वाले मच्छरों पर उन्होने अपला पहला पोवाडा लिखा। स्पेन का पोवाडा लिखकर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार की जिम्मेदारी उठाई। अन्नाभाउ साठे ने गोवा मुक्ति-संग्राम में भी भाग लिया। जनजागृति के लिये सारे महाराष्ट्र का दौरा किया। पुना में जयवंतीबाई से उनका रजिस्टर्ड विवाह हुआ और वे बंबई घाटकोपर के चिराग नगर में पत्राचाल में रहने लगे। उन्होने ''लोकयुध्द'' साप्ताहिक के रिपोर्टर के तौर पर भी काम किया। (बाबुराव गुरव, p.24) कम्युनिस्ट पार्टी ने पार्टी फंड के लिये दो लाख रुपए इकट्ठा करने का मकसद रखा। अन्नाभाउ ने ''स्तालिनग्राद पोवाडा'' लिखा और उसे पार्टी फंड के लिये अर्पण किया। अन्नाभाउ ने गाए इस पोवाडे का मेहनतकश शोषितों पर जबर्दस्त असर होता था। खुश होकर वे पैसे लूटाते थे। चंद दिनों में ही अन्नाभाउ ने पार्टी को दो लाख रुपयों का फंड इकट्ठा कर दिया। अन्नाभाउ के इस पोवाडे की शोहरत बर्लिन तक पहुंच गई। अन्नाभाउ की किताबों के रशियन, झेक, पोलंड, जर्मन इ॰ भाषाओं में अनुवाद हुए। वे इन मुल्कों में शोषितों के साहित्यकार के रुप जाने जाने लगे। उन्हे विदेशों से लगातार निमंत्रण आते रहे लेकिन {ब्राह्मणवादी} सरकार उन्हे पासपोर्ट नकारती रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम जेल में नही हो यही खुशकिस्मती समझो। सन् 1948 में उन्हे विश्व साहित्य परिषद का निमंत्रण मिला। पासपोर्ट के पैसे सिने कलाकार बलराज सहानी ने भर दिये, लेकिन कॉंग्रेस सरकार ने उन्हे इजाजत नही दी। (नानासाहेब कठाळे, p.43-54) डॉ. अम्बेडकर ने शाहीर जमात में जागरुकता लाने का काम किया था। सन् 1927 में जब डॉ. अम्बेडकर ने दलितों के धर्मांतरण के इरादे का ऐलान किया तो शाहीरों ने ही उनके पैगाम को दलितों की झोपडियों तक पहुंचाया था। मांगरुलकर, तातुबा, गणू नेर्लेकर, पेठकर, बाबाजी मलवणकर, नाना गिरजकर, अप्पा, यलप्पा, कराडकर, गुंडया इ॰ शाहीरों के नामों को अबतक दलित अवाम नही भूला है। लेकिन ब्राह्मणवादियों ने सबको नजरंदाज कर दिया। शाहीरों ने डॉ. अम्बेडकर के इन्केलाब की धार को और भी तेज कर दिया। (नानासाहेब कठाळे, p.43-63) सन् 1956 में सरकार ने अन्नाभाउ के लालबावटा कलापथक पर पाबंदी आयद की। उनके पोवाडे और क्रांतिगीतों के असर से घबराकर मुंबई सरकार ने उनपर पाबंदी लगा दी। सरकार ने तमाशाओं पर भी पाबंदी लगा दी। तमाशा कर अपना पेट पालने वालों के सामने भूखमरी की हालत पैदा हुई। सरकार से सारी बातचीत बेकार गई तब अन्ना भाउ साठे ने तमाशाओं का लोकनाटयों में रुपांतर किया। ''लोकनाटय'' शब्द की वजह से सरकार को उस पर पाबन्दी

लगाना मुमकिन नही रहा। (बाबुराव गुरव, p.24) क्योंकि तब उन्हें ब्राह्मणों के नाटयमंडलों पर भी पाबंदी लगानी पडती।

डॉ. अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ तो अन्नाभाउ ने शोषितों से कहा - ''जग बदल घालूनी घाव, सांगुनी गेले मला भीमराव। गुलामगिरिच्या या चिखलात, रुतूनी बसला का ऐरावत ? अंग झाडूनी नीघ बाहेरी, घे बिनीवरती धाव।। (अपने प्रहार से दुनियाँ को बदल डालो ऐसा भीमराव मुझसे कह गए है। हाथी जैसी ताकत होकर भी गुलामी के कीचड में क्यों फंसे हुए हो ? जिस्म को झटककर बाहर निकलो और आगे तूट पडो।) (बहुजन संगठक, 2-8 अगस्त 2004) अनाभाउ साठे ने 1 मार्च 1958 के प्रबुध्द भारत के अंक में ''दलितों की शाहीरी'' इस लेख में अन्नाभाउ ने कहा कि नए शाहीर और उनकी शाहीरी का भविष्य उज्वल है क्योंकि जिस दलित समाज से डॉ. अम्बेडकर आए उसी दलित समाज से शाहीर आए है इसलिये उनकी शाहीरी अमर है। ये दलित शाहीर अपने अवाम के लिये पूरी तरह से इमानदार है। अन्नाभाउ ने ऐलान किया कि ''यह दूनियाँ शेष नाग के माथे पर नही बल्कि दलितों की हथेली पर खडी है।'' (नानासाहेब कठाळे, p.43-63) दि॰ 8 जून 1958 में सिधार्थ कॉमर्स कॉलेज फोर्ट मुंबई में महाराष्ट्र दलित साहित्य संघ की नाटयशाखा की ओर से अन्नाभाउ के ''इनामदार'' नाटक का उदघाटन समारोह था। अन्नाभाउ ने इस नाटक को अम्बेडकरवादी कलावंतों को सुपुर्द किया। सारे महाराष्ट्र के शोषितों ने अन्नाभाउ को अपने गले लगाया। उनके कार्यक्रमों को बेशुमार शोषित अवाम इकट्ठा होता था। उनके विनोद पर हँसी के फौवारे छूटते थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग उन्हे घेर लेते थे। अन्नाभाउ ने 1 मार्च 1959 को अपनी मशहूर किताब फकीरा डॉ. अम्बेडकर को समर्पित की। सन् 1961 में महाराष्ट्र सरकार को मजबूर होकर अन्नाभाउ की ''फकीरा'' को पुरस्कार जाहिर करना पडा। इंडो-सोवियत कल्चरल सोसायटी की ओर से उन्हे सोवियत संघ बुलाया गया लेकिन महाराष्ट्र की ब्राह्मणवादी सरकार ने फिर से अडंगे डाले। लेकिन दलित अवाम के जबर्दस्त दबाव के चलते आखिर महाराष्ट्र सरकार ने उन्हे पासपोर्ट जारी किया। (नानासाहेब कठाळे, p.43-54)

अन्नाभाउ ने विशाल जन-साहित्य का निर्माण किया। वारणेच्या खोऱ्यात, चित्रा, फकीरा, मास्तर, वारणेचा वाघ, अग्निदिव्य, चंदन, चिखलातिल कमळ, फुलपाखरू, टिळा लावते मी रक्ताचा, (आवडी) वैयजंता, रत्ना, अलगुज, रानगंगा, संघर्ष, अहंकार, रूपा, आघात, गुलाम, मयूरा, मूर्ति, माकडीचा माळ, वैर, डोळे मोडित राधा चाले, रानबोळा, कुरूप, पाझर, केवडयाच कणीस, तारा, आग, ६ जुंद, मंगला, मास्तर, मथुरा, मूर्ति, सरनौबत इ॰ उनके उपन्यास है। अन्ना भाउ ने लगभग 300 कथाएं लिखी। आबी, कृष्णा काठच्या कथा, खुलंवाडी, गजाआड, नवती, निखारा, पिसाळलेला माणूस, फरारी, बरबाद्या कंजारी, भानामती, लाडी चिरागनगरची भूत, गुऱ्हाळ, जिवंत काडतूस, ठासलेल्या बंदूका, नवती, निखारा, भूताचा मळा, रानवेली, राम-रावण युध्द, दवण्याची काडी, सातारी काडतूस, भोमक्या और दिगर कथासंग्रह मशहूर हुए। उन्होने कई पोवाडे लिखे। नानकीन

नगरापुढे, स्तालिनग्रादचा पोवाडा, बर्लिनचा पोवाडा, बंगाल ची हांक, पंजाब दिल्ली का दंगा, तेलंगाणा चा रणसंग्राम, महाराष्ट्राची परंपरा, अमळनेरचे अमर हुतात्मे, मुंबईचा कामगार, काळया बाजाराचा पोवाडा इ॰ कई पोवाडे बेहद मशहूर हुए। अन्ना भाउ ने कई लोकप्रिय लोकनाटय लिखे। पेंग्याच लगीन, बिलंदर बुडवे, निवडनुकित घोटाळे, दुष्काळात तेरावा, अकलेची गोष्ट, खापुऱ्या चोर, देशभक्त घोटाळे, शेठजीच इलेक्शन, बेकायदेशीर, माझी मुंबई, मूक मिरवणूक, लोकमंत्र्यांचा दौरा, पुढारी मिळाला, लोक मंत्री, इ॰ लोकनाटय बेहद मशहूर हुए। इनामदार, पेंग्याच लगीन उनके नाटक और 'माझा रशियाचा प्रवास' यह उनका सफरनामा है। 'शाहीर' उनका शाहीरी साहित्य है। अन्ना भाउ ने ढाई सौ गीत लिखे। खेती गीत, छक्कड, गौहणी, गण व्दंद गीत, झगडा, लावणी, इ॰ गीतप्रकार उनके गीतों में शामिल है। मुंबईची लावणी, माझी मैना, लवादाची लावणी, सांगून गेले मला भीमराव, आधी मी कर पूजीला इ॰ उनके गीत मेहनतकश दलित-शोषित अवाम में बेहद लोकप्रीय हुए। अशी ही साताऱ्याची तऱ्हा (अलगुज), टिळा लावते मी रक्ताचा (आवडी), डोंगरची मैना (माकडिचा माळ), फकीरा, मुरली मल्हारी रायाची (चिखलातिल कमळ), वारणेचा वाघ, बारा गांवचे पाणी (वैयजंता) उनकी चित्रपट कथाएं है। अन्नाभाउ ने लिखे साहित्य का अनुवाद रशियन, झेक, पोलिश, अंग्रेजी, फेंच, इ॰ दुनियाँ की 27 भाषाओं में हुआ। इसके अलावा हिंदी, गुजराती, बंगाली, तमिल, मलियाली, उडीया इन में भी अनुवाद हुआ है। (बाबुराव गुरव, p.24,25, नानासाहेब कठाळे, p.124)

अन्ना भाउ की कहानी 'कोंबडी चोर' (मुर्गी चोर) का नायक रामू कहता है मुझे रहने के लिये घर नही है, खाने के लिये रोटी नही है तो मै चोरी नही करु तो क्या भीख मांगु ? साहब मै भीख तो कतई नही मांगुगा। इस रामू को एक सवर्ण शिक्षक भारत को मिली आजादी की अहमियत बताता है और उसे चाय पिलाने एक होटल ले जाता है। उसे अछूतों के लिये रखी गई मैली कुचैली टूटी कप-प्लेट में चाय दी जाती है। जबकि सवर्ण शिक्षक को अच्छे साफ सुथरे कप-प्लेट में चाय दी जाती है। रामू शिक्षक से कहता है कि इन दो कपप्लेटों में से किसे आजादी मिली है जरा बताईये तो ? सवर्ण शिक्षक कुछ न कहते हुए चुपचाप चला जाता है। अन्नाभाउ साठे ने ऐसी ही कहानियों से दलितों शोषितों के जजबातों को जबान दी है। (नानासाहेब कठाळे, p.43-63) अन्ना भाउ जैसे जैसे मशहूर होते गए उन्हे नए नए दोस्त मिले। शंकर, शैलेंन्द्र, कैफी आजमी, नर्गिस दत्त, बलराज सहानी, डेविड, नाना पलशिकर, गुरुदत्त, राज कपूर, ए.के. हंगल, के.ए. अब्बास, उत्पल दत्त इ॰ फिल्मी फनकार उनके दोस्त थे। मराठी सिने जगत में तो वे सबसे मशहूर थे। अन्ना भाउ की कुल 12 कथाओं पर फिल्में बनी और बेहद लोकप्रिय हुई। दिगर लोगों को तो भारी कमाई हुई लेकिन अन्ना भाउ कफल्लक के कफल्लक रहे। (बाबुराव गुरव, p.26-28)

फिल्म कार्पोरेशन से ढाई लाख रुपयों का कर्ज लेकर 'फकीरा' फिल्म बनाई गई। सन् 1910 में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले फकिरा के मांग समाज

के अहसासाँ को न समझने से हैरान दिग्दर्शक को अन्नाभाउ ने फिल्म के हर पहलू में मदद की। अन्नाभाउ ने फिल्म की पटकथा लिखी, दिग्दर्शन भी किया, साथ ही सावळया का किरदार भी खुद ही निभाया। फिल्म निर्माता के सामने सवाल पैदा हुआ कि हर जगह अन्नाभाउ का नाम देना पडेगा। (नानासाहेब कठाळे, p.43-63) उनसे कहा गया कि यह सब आपने किया यह सच है लेकिन इश्तेहार के लिये सिनेजगत के जानेमाने नाम डालना बेहतर होगा। अन्नाभाउ ने मंजूरी दी और पटकथा के. अब्बास ने लिखी और दिग्दर्शन कुमार चंद्रशेखर ने किया ऐसे इश्तेहार देना तय हुआ। (वि. व. विटेकर, p. 85) क्या इससे दलितों की कुव्वत पर प्रश्नचिन्ह लगाने की ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति नंगी नही होती ?

सावळया के किरदार में अन्नाभाउ का नाम दिया गया। यह फिल्म भारी भीड में चलने लगी लेकिन उन्होने अन्नाभाउ से बेईमानी की। फायनांस कार्पोरेशन से लिये ढाई लाख रुपयों के अलावा सारा फायदा भी आपस में बांट लिया लेकिन अन्नाभाउ को इसकी खबर तक नही होने दी। उन्होने अन्नाभाउ से कहा कि फिल्म जैसी चलनी चाहिये थी वैसी नही चल रही है, इसलिये यह फिल्म, फिल्म कार्पोरेशन को ही सौंप देनी चाहिये इससे हम लिए गए कर्जे से आजाद हो जाएंगे। अन्नाभाउ ने उन्हे चाहे जो करने की इजाजत दी। जब इस फिल्म को भारी मुनाफा होने की बात उन्हे पता चली तो उनके दिल को गहरी चोट पहुंची। (नानासाहेब कठाळे, p.43-63)

अन्नाभाउ के ब्राह्मणवाद विरोधी रुख से नाराज ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेताओं ने अपनी निंदा-आलोचनाओं से अन्नाभाउ को इतनी बुरी तरह से जकड दिया कि आखिर अन्नाभाउ का पारिवारिक जीवन भी खत्म होने लगा। अन्नाभाउ की शोहरत इनके दिलों में काँटा बनकर चुभने से उनके कलापथक में विवाद भडक उठे। इन्होने अपने अलग कलापथक बनाए। (नानासाहेब कठाळे, p.43-63) शाहीर अमरशेख {ब्राह्मण} ने भी अपना अलग कलापथक शुरु किया।

अपने साथ की गई गद्दारी से दुखी होकर अन्नाभाउ ने कलापथक से हमेशा के लिये संबेध तोड दिया। अन्नाभाउ ने अपनी बेटी को गव्हानकर के कलापथक में भेजने से इन्कार कर दिया। उनकी यह बेटी जयवंताबाई के पहले पति से थी जिसे उन्होने छोटे से बडा किया था। कलापथक के लोगों ने जयवंताबाई को तैयार कर लिया कि वह अपनी बेटी को कलापथक में भेजे। अन्नाभाउ को चूप करने के लिये उन्होने {ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्ट नेता एस.ए.डांगे की चिट्ठी पेश कर दी। इसमें लिखा था कि आपकी बेटी की कलापथक में जरुरत है उसे भेज दिया जाये बाद में आपका क्या कहना है उसपर गौर किया जाएगा। अन्ना ने चिट्ठी पढी। दोनों में विवाद पैदा हुआ और उस दिन जयवंताबाई अन्नाभाउ को हमेशा के लिये छोड कर चली गई। अन्नाभाउ ने उसे समझाने की हरतरह से कोशिश की लेकिन वह वापस नही आई। बीस सालों का रिश्ता इतनी आसानी से तोड दिया गया। अन्नाभाउ जो शराब के जबर्दस्त विरोधी थे, जिनके घर के आगे से शराबी जाते हुए डरते थे वही अन्नाभाउ शराब के शिकार होकर मौत की ओर

बढने लगे। (विटेकर : असे होते अन्नाभाउ, p.150-151) अन्नाभाउ ने अपने भाई शंकर के पूछने पर उन्होने बताया था कि मै शराब नही पिता था, लोगों ने ही मुझे शराब पिलाई और मेरी जेबे काटी। मै शिकायत नही कर सकता था। दूर किसलिये खुद मेरे घर के लोगों ने मुझसे कहा कि महान लेखक शराब पिते है इसलिये आपने दारु पीनी शुरु की तो क्या बिगडा ? (शंकर भाउ साठे : माझा भाउ अन्नाभाउ, p.115) इसे भी सिर्फ संयोग नही कहा जाएगा कि अन्नाभाउ जैसी महान प्रतिभा का पारिवारिक जीवन तबाह करने में डांगे जैसे ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेता की चिट्ठी जिम्मेदार रही है। डांगे ने जयवंताबाई को अन्नाभाउ के पास भेजने के लिये अपने असर का इस्तेमाल नही किया इससे डांगे की दलितों के प्रति नफरत उजागर होती है।

अपने बचपन से पत्थर तोडने, हमाली से लेकर मेहनत के हर काम करने वाले ऐसे अशिक्षित इन्सान ने दलित शोषितों के जीवन की इतनी बडी साहित्यिक दुनियाँ पैदा की, सरकार {पर काबिज ब्राह्मणवादियों} को उनकी किताबों को पुरस्कार देकर गौरव करने के लिये मजबूर होना, विदेशों में उनकी शोहरत होना, उनकी किताबों का दुनियाँ की 27 भाषाओं में अनुवाद होकर छपना, उनकी कथाओं पर एक नही सात-सात फिल्में बनना, कथाकार, कादंबरीकार अभिनेता ही नही बल्कि लोकशाहीर और गीतकार भी होना यह सब उनकी ब्राह्मणवादी मानसिकता को कैसे सहन हो सकता था ? इसलिये अन्नाभाउ की अतिविशाल प्रतिमा की उंचाई और तेज सहन न होकर क्या उन्होने अन्नाभाउ को जीवन से उठा देने की साजीश न रची होगी ?

डॉ. प्रकाश खरात के मुताबिक अन्नाभाउ साठे इतने महान साहित्यिक होने के बावजूद ''मराठी कादंबरी चे पहिले शतक'' नामक मराठी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में उनके नाम या किसी भी कादंबरी का जिक्र तक नही है। अन्नाभाउ साठे के साहित्य पर कई छात्रों ने पीएचडी की है इसके बावजूद शालेय या महाविद्यालयीन अभ्यासक्रम में उनके साहित्य का समावेश नही किया गया है। महाराष्ट्र की सरकार ने खुद ही कायम की ''अन्नाभाउ साठे सरकारी स्मारक समिति'' को खुद ही बरखास्त कर दिया था। मध्ययुग में बहुजन-संत तुकाराम के अभंगों (गीतों) की किताबों को ब्राह्मणों ने इंद्रायणी नदी में डुबो दिया था। उसी तरह आधुनिक तुकाराम अन्नाभाउ को भी ब्राह्मणवादी साहित्यिकों ने उपेक्षित रखा है। लेकिन जागरुक शोषित अवाम की चेतना ने तुकाराम और अन्नाभाउ दोनों को विस्मृत नही होने दिया। (नानासाहेब कठाळे, p.4)

आप सारी दुनियाँ में ब्राह्मणवादी शोषक समाज के ऐसे कितने साहित्यिक बता सकते है जिन्हे स्कूल में दाखिला लेने के बाद बेकसूर होने पर भी ब्राह्मण ावादी शिक्षक ने हथेलियाँ नीली पडते तक मारने से वे कभी स्कूल का मुँह तक नही देखते। कच्ची उम्र से ही पत्थर तोडने से लेकर सारे मेहनत के काम करके अपना पेट पालते है। जो शोषण विरोधी संगठन के जाने माने कार्यकर्ता, मजदूर नेता और शोषण विरोधी विचारों के प्रचारक भी रहे है। जिनकी खुद की प्रचारक

मंडली थी। जिनने गाये हुए ''स्तालिनग्राद के पोवाडे'' की पुकार इतनी जोशीली थी की वह मेहनतकशों से कम्युनिस्ट पार्टी को दो लाख रुपयों का फंड जुटा देती है। जो खुद एक बेहद असरदार इन्केलाबी वक्ता, रिपोर्टर (साप्ताहिक लोकयुध द), गोवा स्वतंत्रा सेनानी, शाहीर, लोकगीतकार (दो-ढाई सौ के बीच हर किस्म के गीत), लोक कलाकार, नाटककार, नाटय अभिनेता, कथाकार (लगभग 300 कथाएं), और उपन्यासकार भी है। जिनके लिखे जनसाहित्य का दुनियाँ की 27 भाषाओं के अलावा मुल्क की कई भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। जिनकी लिखी कथाओं पर एक नही सात फिल्में बनती है। जो सिनेकथा लेखक के अलावा सिने कलाकार और दिग्दर्शक भी रहा है ! क्या आपको सारी दुनियाँ में ये सभी खुबियों वाली कोई अजीम शख्सियत ब्राह्मणवादियों में नजर आती है ? ऐसी अजीम शख्सियत मातंग समाज में पैदा हुए अन्नाभाउ साठे है ! ब्राह्मणवादियों ने उन्हे उपेक्षित रखने और मिटा देने में कोई कसर नही छोडी। लेकिन क्योंकि हमारी रग-रग में ब्राह्मण गुलामी की मानसिकता भरी है इसलिये हम मूलनिवासी दलित-शोषितों ने भी अपने ही इस भाई को उपेक्षित रखा। एकलव्य का तो ब्राह्मण ावादियों ने धोखे से अंगुठा काट लिया लेकिन अन्नाभाउ का विनाश ब्राह्मणवादियों के साथ साथ उनके अपने आस्तीन के सांपों ने किया ! अन्नाभाउ से सबक लेकर हमें अपने आस्तीन के सांपों और बिभीषणों से बचना चाहिये।

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं का, दलित कम्युनिस्ट नेता गौरीअम्मा से विश्वासघात !

के.आर. गौरीअम्मा का जन्म 14 जुलाई 1919 को केरल के अलाप्पुझहा जिले के पट्टनकड गांव में हुआ। उन्होने अपनी स्कूल की पढाई थीरूर तथा चेरथाला से की तथा इर्नाकुलम के महाराजा कॉलेज से अपनी स्नातक की पढाई पूरी की। उन्होने इर्नाकुलम लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। कानून की डिग्री हासिल करने वाली वह दलित इजावा जाति की इकलौती छात्रा थी। अपने बडे भाई सुकुमारन जो एक ट्रेड युनियन नेता थे, से प्रभावित होकर उन्होने 1946 में छात्र आन्दोलन, बाद में ट्रेड युनियन तथा किसान आन्दोलन के जरिये राजनीति में उस वक्त कदम रखा जब राजनीति में महिलाओं का कहीं भी पता नही था। गौरीअम्मा केरल कर्षका संघम की 1960 से 1984 तक तथा केरल महिला संघम की 1967 से 1976 तक अध्यक्ष रही। अपने राजनीतिक संघर्ष और आन्दोलनों में उन्हे कई बार जेल जाना पडा और पुलिस के हाथों अकल्पनीय यातनाएं सहनी पडी। गौरीअम्मा अपने प्रतिस्पर्धियों को भारी मतों से पछाडकर सतत चुनाव जीतती रही है। वही एक ऐसी विधायक (MLA) रही है जो अपने क्षेत्र से सन् 1957 में केरल राज्य के गठन के वक्त से ही लगातार चुनी जाती रही है। जब कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हुआ, गौरीअम्मा के पति टी. वी. थॉमस भाकपा जबकि गौरीअम्मा माकपा में शामिल हुई। इससे उनके संबंधों में दरार पैदा हुई। अपने राजनीतिक मतभेदों के चलते अंततः वे एक-दूसरे से अलग हुए।

गौरीअम्मा की वरीयता, काबिलियत और लोकप्रियता से पार्टी का ब्राह्मणवादी नेतृत्व सन् 1957 तथा 1967 में बनी नंबुद्रिपाद सरकार में उन्हे मंत्री बनाने पर मजबूर हुआ। लेकिन जब माकपा को सन् 1980 में दोबारा सरकार बनाने का मौका मिला तो मुख्यमंत्री के पद के लिये गौरीअम्मा ही एकलौती सबसे वरीष्ठ, लोकप्रिय और कॅबिनेट मंत्रिपद का सबसे ज्यादा अनुभव रखने वाली पार्टी की महिला विधायक थी। माकपा अगर उन्हे मुख्यमंत्री बनाती तो वह दक्षिणी राज्यों में पहली महिला मुख्यमंत्री तथा देश में पहली दलित मुख्यमंत्री कहलाती। लेकिन माकपा के {ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट} नेतृत्व ने अपने उच्च जाति के ई. के. नायनार को मुख्यमंत्री बनाया जिसे कॅबिनेट के कामकाज का उस वक्त कोई अनुभव नही था। सन् 1987 में जब दोबारा सरकार बनाने का मौका हासिल हुआ, उस वक्त भी माकपा के {ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट} नेतृत्व ने गौरीअम्मा को फिर से नजरंदाज कर दिया और उच्च जाति के नायनार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। जब भी केरल के मुख्यमंत्री को चूनने का वक्त आता है केरल की कम्युनिस्ट पार्टियों के {ब्राह्मण ावादी कम्युनिस्ट} नेताओं ने हमेशा ही ब्राह्मणों और नायर जाति के सवर्णो को मुख्यमंत्री पद के लिये चुना है जबकि कम्युनिस्ट पार्टी के लिये अपना जीवन कुर्बान करने वालों में दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक जातियाँ रही है और इन्ही की पार्टी में बहुसंख्या है। केरल में दो बार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नंबुद्रिपाद को तथा दो बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अच्यूत मेनन को, तथा एक बार पी.के. वासुदेवन नायर को तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नायनार को मुख्यमंत्री बनाया गया। गौरीअम्मा न सिर्फ सबसे ज्यादा समय तक केरल विधानसभा में सतत चुनी जाती रही है बल्कि मंत्री के तौर पर उनका प्रशासनीक कार्यकाल सबसे ज्यादा बेहतर माना गया है। गौरीअम्मा 1957, 1967, 1980 तथा 1987 में मंत्री बनी। दलित-आदिवासी संघर्ष को समर्थन करने से परेशान माकपा के ब्राह्मण ावादी नेतृत्व ने सन् 1996 में मुख्यमंत्री की दावेदारी से ही महरुम करने के लिये गौरीअम्मा को जनवरी 1995 में पार्टी से बर्खास्त कर दिया जिससे गौरीअम्मा को जनाथिपथ्या संमरक्षणा समिती (JSS) कायम करने और कॉंग्रेस नेतृत्व के गठबंधन सरकार से नाता जोडने पर मजबूर होना पडा। वह गठबंधन सरकार में मंत्री बनाई जाती रही है। (http://www.milligazette.com/ First Muslim woman in CPI-M State Committee By Mukundan C Menon)

दि॰ 23 सितंबर 1996 को केरल विधान सभा में दलितों-आदिवासियों की दुश्मन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कॉंग्रेस दोनों ने मिलकर नया संशोधन विध ोयक Kerala Scheduled Tribes (Restriction on Transfer of Land and Restoration of Alienated Lands) Amendment Bill, 1996] पारित किया इस विधेयक ने सन् 1960 से 24 जनवरी 1986 तक आदिवासी जमीन हथियाने को जायज करार दिया। इस विधेयक का विरोध एकमात्र दलित विधायक गौरिअम्मा ने किया था। गौरीअम्मा ने इस विधेयक को केरल के इतिहास का सबसे प्रतिक्रांतिकारी विधेयक करार देकर इसकी भर्सना की। सन् 2001 के चुनावों में उनकी पार्टी ने

4 विधानसभा सिटें जीती जबकि सिर्फ पांच पर चुनाव लडा गया था। गौरीअम्मा पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है। उन्होने इंग्लंड, अमेरिका तथा चीन को भेंट दी है। वे समाचार पत्रों में लेख लिखती रही है। अंततः ब्राह्मणवादी कम्युनिस्टों से निराश होकर ही गौरी अम्मा को अपनी अलग पार्टी बनानी पडी थी।

माओवादी संगठनों के मनुवादी आर्य-ब्राह्मण नेतृत्व में उपेक्षित मूलनिवासी !

मान॰ सुधीर ढवळे के लेख के मुताबिक :—इन्केलाबी शायर तथा जननेता गदर का जन्म आंध्र प्रदेश के मेडक जिले के तुपरान गांव में 30 जनवरी 1948 को दलित मजदूर परिवार में हुआ। गदर नाम उन्हे लोगों ने दिया है। उनका नाम गुम्माडी विट्ठल राव है। कुशाग्र बुध्दी के गदर ने 77 फीसदी अंक हासिल कर उस्मानिया युनिवर्सिटी इंजिनियरिंग में दाखिला लिया। वहां उन्हे सवर्णो के सतत अपमान को झेलना पडा। उनके पिता अम्बेडकरवादी थे। बी. नरसिंगराव ने तेलंगाना संघर्ष पर बनाई फिल्म 'मांभूमि' में उन्होने भूमिका की। उनके गायन तथा कविताओं के लोग दिवाने हुए। गदर को उनके इन्केलाबी गीतों की वजह से कई बार जेल जाना पडा और यातनाएं झेलनी पडी। काफी अर्सा भूमिगत रहना पडा।

गदर की अदाकारी बुध्द को सलाम करने के बाद शुरु होती है। वे नाचते-गाते हुए अपने आप में खो जाते है और सारा समुदाय उन्ही की रौ में भावनाओं के जोश में थरथराने लगता है। गदर की उम्र आज साठ साल से ज्यादा है लेकिन उनका जोश नौजवानों से भी ज्यादा है। गदर के कार्यक्रमों में लाखों लोग इकट्ठा होते है और उनके सामने बॉलिवूड के अदाकारों का आकर्षण फिका पड जाता है। गदर के गीत लोगों के दिमाग को शोषण-व्यवस्था के खिलाफ बगावत के लिये झंझोडते रहते है। गदर ने बिना खौफ के शासन की दमन यंत्रणा का विरोध किया।''दुनिया का दुश्मन है अमेरिका-जापान, उनके दलाल है टाटा-बिर्ला, उनके गुलाम है देश के नेता, उनके चमचे है गांव के जालिम, इनसे बचना है जागों रे जागो रे जागो रे '' का पैगाम देने वाले इन्केलाबी शायर गदर को हलाक करने आंध्र प्रदेश के नक्सल विरोधी ग्रेहाउंड पुलिस बल ने 6 अप्रैल 1997 को उनके घर में घूसकर उनपर गोलियाँ चलाई। उनके शरीर में पांच गोलियाँ घूसी। गदर पर हुए हमले से सारा आंध्र गुस्से से जल उठा। लेकिन आज तक हमलावरों को सजा नही दी गई। गदर की आवाज किताबों, कॅसेटों तथा नुक्कड नाटकों, कव्वालियों, कथाओं के जरिये देश के कोने कोने में पहूंच रही है। पिछले 35 सालों में उनके साहित्य की दस लाख से ज्यादा की बिक्री हुई है। हिंदी में जंग की पूकार किताब तथा कई कॅसेटस् तथा सीडियाँ जारी हुई है। आंध्र सरकार ने गदर को 'नंदी पुरस्कार' का ऐलान किया था जिसे उन्होने नकार दिया था।

सरकारों के मन में गदर का इस कदर खौफ है कि गदर जहां भी जाते है उन्हे वहां गाने की पाबंदी आयद की जाती है। महाराष्ट्र में भी मुंबई, भिवंडी, इ॰ जगहों में पुलिस हस्तक्षेप के दौरान कार्यक्रम लिये गए। नागपुर में उच्च न्यायालय

की पर्वा न करते हुए पुलिस ने गदर के कलासंच तथा लोगों पर लाठियाँ बरसाई। गदर तथा उनकी मंडली को गिरफ्तार कर आंध्र भेज दिया। ऐसा ही अनुभव कर्नाटक, मध्यप्रदेश इ॰ में भी आया। म.प्र. के एस.पी. ने उन्हे कहा कि अगर आप एक साल म.प्र. में इसी तरह गाते रहे तो यह राज्य हमारे हाथों से निकल जायेगा। सन् 2005 में धुळे में हुए साहित्य संस्कृति संम्मेलन में उन्हे उदघाटक के रुप में बुलाने से पुलिस ने उनपर प्रतिबंध लगाने की कोशिशें की।

गदर की लोकप्रियता ब्राह्मणवादी माओवादी नेताओं की आँखों में काँटों की तरह खटकते रही है क्योंकि नक्सलियों का नेतृत्व आर्य-ब्राह्मणवादी है। (Dalit Voice, 16-31 March 2008) माओवादी संगठन पिपल्स वार ग्रुप को बढाने का काम गद्दर जैसे मशहूर गायक, लेखक, डान्सर और जननेता और के.जी. सत्यमूर्ति जैसे दलितों ने किया। लेकिन गद्दर को अपमानित कर पीडब्लूजी से निकाला गया। गद्दर का कत्ल करने की कोशिश की गई। दलित माओवादी संगठन में खुद को प्रताडित महसूस कर रहे है। (Dalit voice, 16-31 August 2004 p.3-4) मान॰ कांचा इलैय्या के मुताबिक ब्राह्मण नक्सली नेता वरवर राव से गदर की इज्जत कहीं ज्यादा उंची है। गदर ने अपने सीने पर गोलियाँ खायी है जबकि वरवर राव शहरों में छुपा होता है ने उनपर डरपोक होने का घिनौना इल्जाम लगाकर उन्हे तरह तरह से बदनाम किया। दलित कल्याण राव जिसने ''अंतरानी वसंथम'' (अछूतों का वसंत) किताब लिखी उन्हे भ्रष्ट और अनैतिक ठहराया जा रहा है। इन ब्राह्मणवादी माओवादी नेताओं ने संगठन में गैरब्राह्मण मूलनिवासियों को हमेशा शक की निगाहों से देखा, उनपर जासूसी की और उनका कद एक सीमा से ज्यादा नही बढने दिया गया। (Dalit voice, 16-30 June 2005 p.6-7) ताकि नक्सली संघर्ष सच्चे बहुजनवादी जेहाद में न तब्दिल हो जाये।

माओवादियों ने एक खत के जरिये विद्रोही शायर गदर को जान से मारने की धमकी दी है। गदर ने स्वतंत्र तेलंगाना राज्य को अपना समर्थन देने से यह ध मकी दी जा रही है ऐसा पूर्व केन्द्रिय मंत्री नरसिंहा रेड्डी ने कहा है। (सम्राट, 18 जुलै 2008) आंध्र प्रदेश माओवादी पार्टी में राज्य सचिव {मूलनिवासी} माधव को पुलिस ने इनकाउंटर में हलाक कर दिया क्योंकि माओवादी पार्टी के ब्राह्मण नेतृत्व ने उन्हे पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नही कराई जो माधव के पहले के सवर्ण रामाक्रिष्ण इ॰ माओवादी नेताओं को मुहैय्या कराई जाती रही है। सवर्ण-ब्राह्मणवादी नेताओं को श्री माधव का पार्टी सचिव बनना काँटों की तरह खटकता था जिसकी वजह से उन्होने उन्हे {साजीश के तहत} हलाक हो जाने दिया। (Dalit Voice 16-31 August 2006) ब्राह्मणवादी अपने ब्राह्मणवादियों को महिमामंडन करते है। कर्नाटक का ब्रह्मण नक्सली नेता साकेत राजन जब पुलिस की गोलियों से मारा गया तो उसका महिमामंडन कर उसे नायक और शहीद की तौर पर पेश किया गया। (Dalit Voice, 16-31 December 2006) गौरी अम्मा की तरह ही गदर को भी ब्राह्मणवादी कम्युनिस्टों से निराश होकर अंततः अपनी खुद की पार्टी बनानी पडी।

60

आदिवासी सी.के. जानू ने त्याग दिया, मनुवादी-ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट पार्टी को !

सी. के. जानू का पूरा नाम चेक्कोट्टू करियन जानू है। जानू का जन्म 1964 में वायनाड जिले के वेल्लामुंडा गांव में आदिया (गुलाम) आदिवासी समूह में हुआ। केरल में 48 आदिवासी जमातें है। संपूर्ण केरल में सभी आदिवासियों की तादाद मात्र 3.5 लाख यानि राज्य की जनसंख्या का मात्र 1 फीसदी है। बचपन से ही जानू को पेट के लिये लोगों के घरों में कडी मेहनत मशक्कत करनी पडी। उसने जिल्लत और बर्बर शोषण के दर्द को जाना समझा। उसने अपने आदिवासियों के साथ मिलकर अपनी समस्याओं पर बातचित करनी शुरु की। आदिवासियों के बीच वह अपने अनुभव उजागर करती और इस जिल्लत की हालत से लडने की बातें करती। आदिवासी जनता के दिलों में जानू की बातें गहराईयों तक उतरने लगी। जानू की आवाज उनकी अपनी आवाज बनने लगी। आदिवासी जानू के साथ संगठित होने लगे। उन्हे एकता की ताकत का अहसास होने लगा।

बहुत जल्द ही राजनीतिक नेता जानू को ढूंढते हुए उससे मिलने लगे। जानू माकपा के संपर्क में आई। जानू ने माकपा की बैठकों, सभाओं तथा मोर्चो में हिस्सा लेना शुरु किया। जानु माकपा की कई साल तक अत्यंत सक्रिय कार्यकर्ता थी। माकपा की ब्राह्मणवादी नंबुद्रिपाद सरकार ने चिनगेरी प्रकल्प के तहत आदिवासियों के लिये 526 एकड जमीन मंजूर की जिसपर नंबुद्रिपाद सरकार सहीत केरल की किसी भी कम्युनिस्ट सरकार ने कभी अमल नही किया। जानू ने इन मुद्दों को पार्टी में उठाया जिसका कोई नतीजा नही निकला। उसने महसूस किया कि जहां कहीं भी हडताल होती थी उसके आदिवासी बढचढ कर हिस्सा लेते थे। लेकिन पार्टी ने उठाये मुद्दे और दिये गए नारों का हमारी समस्याओं से कोई ताल्लूक नही होता था। पार्टी हमेशा ही उन ताकतवर तबकों {संगठित सफेदपोश कर्मचारी इ॰} के हितों में काम करती थी। हम आदिवासियों का इस्तेमाल साधन {हमालों} की तौर पर किया जाता था। पार्टी कमिटी अपने फैसले थोंप देती थी। जानू ने महसूस किया कि माकपा का स्वार्थ इसी में है कि आदिवासी शोषित ही बने रहे वर्ना कम्युनिस्ट पार्टी के लिये मुफ्त के बंधूआ मजदूर कहां से मिलेंगे ? जानू के मुताबिक माकपा गरीबों, शोषितों और आदिवासी हक में संघर्ष करने का सिर्फ ढोंग करती है। हमने उनकी रैलियों में हिस्सा लिया, हमने उन्हे वोट दिया लेकिन केरल में माकपा के हाथों में सत्ता आने के बावजूद पार्टी ने आदिवासियों के लिये धोखे के सिवा कुछ नही किया है। जब जानू को पूरा यकीन हो गया की माकपा में रहकर आदिवासियों का संघर्ष अपने मुकाम तक नही पहूंच सकता तो उसने सन् 1987 में पार्टी छोड दी।

इस दौरान आदिवासियों को जंगल से भगा दिया गया और उन्हे मजबूरन उन कॉलनियों में जाना पडा जो उनके लिये बनाई गई। इन छोटी छोटी जगहों में उनका दम घुटने लगा। उन्हे पीने के लिये पानी तक मुश्किल से ही नसीब होता था। प्रकृति के साथ उनका संबंध टूटने लगा। गैरआदिवासी उन्हे बदतर मानते थे। वह गांव

गांव जाकर आदिवासियों को अपने खुद के बल पर संघर्ष करने के संगठित करने लगी। जानू का नारा था ''मेरा कोई नेता नही है, मेरी कोई विचारधारा नही है, मेरे अनुभव ही मेरे मार्गदर्शक है।'' जानू के मुताबिक शुरुआत के सालों में हमारा काम सिर्फ आदिवासियों से स्थानीय स्तर पर आदिवासियों के हो रहे शोषण और जिल्लत भरे बर्ताव को लेकर बातचित करना और सभाएं करना रहा। हमने कडी मेहनत की। फिर हमने तालूका स्तर का मंच (forum) बनाया। धीरे धीरे हमारी ताकत बढने लगी। आदिवासियों की मौत होने पर उनके पास अपनी परंपरा के मुताबिक लाश को दफनाने तक की कोई जगह नही थी। दो उदाहरण ऐसे है कि आदिवासियों को उनकी झुग्गी के अंदर ही दफनाना पडा। जानू ने थ्रिस्सिलेरी में आदिवासियों कब्रस्थान को दोबारा हासिल करने के लिये सन् 1980 में संघर्ष किया। जमींदार ने आदिवासियों को प्रताडित करने पुलिस बुलाई तो आदिवासी औरतों ने कुदाल-फावडों सहित पुलिस स्टेशन पर मोर्चा निकाला और अपने गिरफ्तार आदिवासियों को आजाद करने पुलिस को मजबूर किया और अपने कब्रस्तान को हासिल किया।

जब केरल में पूर्ण साक्षरता का अभियान चला तो जानू ने बडी मेहनत से मलयालम लिखना पढना सीखा। अपने संघर्ष के दौरान उसने कामचलाउ अंग्रेजी का ज्ञान भी हासिल किया। उसने दिगर जातियों की भाषाएं भी सीखी। जानू का कहना है कि जींदगी के कडवे अनुभवों ने मुझे वह सब कुछ सीखा दिया है जो हमारे संघर्ष के लिये जरुरी है। सन् 1992 में वह साउथ झोन आदिवासी फोरम की चेअरमन चुनी गई। यह फोरम दक्षिणी राज्यों में आदिवासी संघर्षो के बीच तालमेल कायम करती है। उसके सामाजिक कामों के लिये राज्य सरकार ने उसे नवंबर 1994 में पुरस्कार जाहिर किया जिसे उसने लौटा दिया।

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं व्दारा बाबासाहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का विकृतिकरण !

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं का अधकचरा ज्ञान और मूलनिवासियों से बेपनाह नफरत !

दि. 25 जनवरी 2000 को गणतंत्र दिवस की पूर्वसंध्या में राष्ट्र के नाम संदेश में राष्ट्रपति डॉ॰ के. आर. नारायणनन ने बिजेपी व्दारा ब्राह्मणवादी हितों के मुताबिक संविधान को ढालने के इरादों पर घातक प्रहार किये और डॉ. अम्बेडकर ने दी हुई चेतावनी को दुहराया था कि शोषितों को उनके हक न दिये गए तो शोषित अवाम इस व्यवस्था को उखाड फेंक देगा। इस संदेश से बेनकाब ब्राह्मण ावादी अपने नापाक इरादों को पूरा नही कर पाये। दलित समाज में जन्में मान॰ के.आर. नारायनन ही ऐसे इकलौते राष्ट्रपति थे जिन्होने सरकार का रबर स्टँम्प

बनने से इन्कार किया और बहुजनों के हित में सरकार पर लगाम लगाई। इसलिये तमाम ब्राह्मणवादियों की आँखों में मान॰ के. आर. नारायणन काँटे की तरह खटकते रहे। माओवादी ''पिपल्स मार्च'' की वेबसाईट के एक ब्राह्मणवादी लेखक कमलेश ने लिखा है कि ''2-7 जनवरी के बीच हैदराबाद में विश्व सोशल फोरम के एशियाई चॅप्टर में व्यापक तरह की आवाजें थी। महिलाओं, पर्यावरणविदों, दलितों से लेकर सांम्प्रदायिकता विरोधी और भूमण्डलीकरण विरोधी कार्यकर्ता, कई तरह के गैरसरकारी संगठन और मुल्क के भूतपूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जैसे सत्तापक्षीय प्रतिक्रियावादी यहां मौजूद थे।''(कमलेश : डब्लू.एस.एफ. विरोध या दिखावा ?) उपरोक्त कथन में दलित जाति के पूर्व राष्ट्रपति मान॰ डॉ॰ के. आर. नारायणन को कितनी आसानी से 'सत्तापक्षीय प्रतिक्रियावादी' का लेबल लगाया गया है जबकि दलाल ब्राह्मणवादियों को बडी खुबी से इस लेबल के बाहर कर दिया है।

पुस्तिका में लिखा है :– ''अगर कम्युनिस्टों (सीपीआई / सीपीआईएम) ने अम्बेडकर की अपनी सारी सीमाओं के बावजूद जातिवाद और अस्पृस्यता के सवाल पर सकारात्मक किरदार को पहचान लिया होता तो हथियारबंद ताकत से इस व्यवस्था को उखाड फेंकने के साथ उसे जोडकर वे अस्पृस्यता और जातीयता के खिलाफ संघर्ष को आगे ले जा सकते थे। लेकिन उन्होने ऐसा नही किया उन्होने डॉ. अम्बेडकर पर 'ब्रिटिश एजन्ट' होने का ठप्पा लगाया और कहा कि अम्बेडकर काँग्रेस और गांधी से जुड गया और आखिर में भारत के नए दलाल शासकों के संसदीय अर्थविज्ञान का शिकार हो गया।'' उपरोक्त कथन में डॉ. अम्बेडकर का जिक्र सम्मान से नही किया गया है। इससे डॉ. अम्बेडकर के बारे में इन ब्राह्मण ावादियों के मन की बेपनाह नफरत पता चलती है। इन ब्राह्मणवादियों से हमें डॉ. अम्बेडकर के बारे में सम्मान की उम्मीद भी नही है। हकीकत यह है कि ब्राह्मण ावादी कम्युनिस्ट नेता खुद ही अंग्रेजों के एजन्ट थे, वे काँग्रेस में शामिल हुए थे और गांधी के चमचे थे। अम्बेडकर की तरह उन्होने गांधी के खिलाफ कभी संघर्ष ही नही किया। डॉ. अम्बेडकर ने गांधी के ढोंग का पर्दाफाश किया जबकि ब्राह्मण ावादी कम्युनिस्ट गांधी का गुणगान कर उसके ढोंग पर पर्दा डालते रहे और काँग्रेस के ''सेज की शोभा'' बनते रहे है, जो आज तक जारी है। लेखकों ने अपने अज्ञान को उजागर करते हुए सीपीआईएम का जिक्र किया है। सीपीआईएम सन् 1964 में वजूद में आई है, जबकि डॉ. अम्बेडकर की मौत 6 दिसंबर 1956 को हो चुकी थी।

पुस्तिका ''दलितों पर बढते हमलों का मुंहतोड़ जवाब दो ! '' (p.33-34) में लिखा है -''गांधी की हरिजन सोच की तरफ अम्बेडकर का झुकाव था ...'' जबकि इस हकीकत को साधारण इन्सान भी जानता है कि डॉ. अम्बेडकर को हरिजन शब्द से कितनी चीढ़ थी और उन्होने इस शब्द का कितना कडा विरोध किया था। पुस्तिका में लिखा है - '' इसमें कोई शक नही कि अम्बेडकर ने जातिवाद के खिलाफ संघर्ष और 'अस्पृस्यता के उन्मूलन में अहम योगदान दिया है। भारत में किए गये बदलाओं में उनका योगदान जनवादी किस्म का था, लेकिन उसकी

सीमाएं संविधानवाद में, पश्चिम के उदार प्रजातंत्र के मॉडल में, भारत में अंग्रेजों के किरदार के बारे में गलत समझ, जातिवाद को हिन्दू धर्म के समतुल्य मानने पर ज्यादा जोर देने और सामंती व्यवस्था के आर्थिक आधार को पूरी तरह से नकारने आदि में ही स्थित थी।'' उपरोक्त वाक्यों से अम्बेडकर के बारे में इनके घोर अज्ञान का और ब्राह्मण-धर्म पर इनकी गहरी श्रध्दा का पता चलता है। जातिवाद ब्राह्मण धर्म की बुनियाद है, जिससे ब्राह्मणों की दिगर जातियों पर बढतरी कायम होती है। लेकिन ब्राह्मण-धर्म की इस बुनियाद का पर्दाफाश होना इन ब्राह्मणवादी माओवादी लेखकों को बूरी तरह से खटका है। वस्तुनिष्ठ (**objective**) तरीके से डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा को बिना पढे, उचित परिपेक्ष में बिना समझे ब्राह्मण ावादी नजरीये से डॉ. अम्बेडकर का मुल्यांकन करना इनकी बदनियती का सबूत है। ब्राह्मणवादियों ने डॉ॰ अम्बेडकर के उध्दहरण देकर उनकी आलोचना नही की। शायद ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेता मार्क्सवाद को उच्च-वर्णीय तथा अम्बेडकर के विचारों को अछूत-विचारधारा मानते है इसलिये उसे पढने लायक ही नही समझते।

अब यह निर्विवाद रुप से साबित हो गया है कि मार्क्स से लेकर माओ तक सभी कम्युनिस्ट नेता वैश्विक-पूंजी-नियंत्रक ताकतों के एजेन्ट तथा शोषित दमीत अवाम के सबसे बडे दुश्मन थे। **Marx to Mao Were Worst Enemies of Exploited and oppressed people of the World** नामक किताब में इसका विस्तार से पर्दाफाश किया गया है। इस किताब को इंग्लिश तथा हिन्दी में **https://www.bahujanmarch.org** से मुफ्त में डाउनलोड करे।

ब्राह्मणवादी वेबसाईट सी.पी.आई.एम.एल आर्ग ने लिखा है कि वी. पी. सिंग का धर्मयुध्द (crusade) दम तोड चुका है और बिना राजनीतिक विचारधारा की पर्वा किये दलित अध्यक्ष और दलित प्रधानमंत्री की हास्यास्पद मांग पर सिमित हो गया है... कांशीराम दलित राजनीति का उभरता हुआ सितारा है जो अम्बेडकर की विरासत को जगा रहा है। दलितवाद के शस्त्र से लैस होकर, कम्युनिस्ट विरोधी खौफ लेकर वह अम्बेडकर से ज्यादा स्मार्ट बनने के लिये छटपटा रहा है ... वर्गीय परिभाषा में अम्बेडकर दलितों के अर्धबुर्जूआ जिसमें छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों का समावेश होता है। इस वर्ग की सामाजिक-आर्थिक हालतों में अम्बेडकर के बुनियादी बदलाव और उनकी सीमाओं की जडें है। .... उनके व्दारा कम्युनिस्ट जीवन की कुछ बातों का समर्थन करना तथा समाजवादी शब्दावली का इस्तेमाल सिर्फ उनके मूलभुत लोकतांत्रिक बदलाव को दर्शाता है। .. अम्बेडकर का अस्थिर स्वभाव, उन्होने किये समझौते, और अंत में धर्म की शरण में जाना भी इन्ही अर्धबूर्जुआ सामाजिक-आर्थिक हालातों की देन है। (http://www.cpiml.org/index.htm Antithesis of Caste and Class - An Orthodox Marxist Hypothesis [From Liberation, April 1994.] The Debate) डॉ. अम्बेडकर को रेडिकल बूजुर्आ के रुप में चित्रित कर हमने उनका धनात्मक (positive) पूर्नमुल्यांकन ही किया है और उन्हे उनके तत्कालीन नेताओं के उपर रखा है। .... (http://www.

cpiml.org/index.htm More on the Antithesis of Class and Caste [Reply to Mr.Thomas Mathew's rejoinder. From Liberation, January 1995.]) उपरोक्त गोलमोल वर्णन पढ कर इसमें कोई शक नही रह जाता कि इन माओवादी लेखकों की अक्ल का कब का दिवाला उठ चुका है क्योंकि मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन और माओ सभी बुर्जुआ तथा अर्थबूर्जुआ श्रेणी में आते है। लेकिन क्या किसी कम्युनिस्ट ने कभी इनको बूर्जुवा या अर्धबूर्जुआ कहा है ? उनके विचारों को इनके वर्ग की अभिव्यक्ति कहा है ? इसलिये उपरोक्त आलोचना इनकी ब्राह्मणवादी, जातिवादी मानसिकता को उजागर करती है।

स्तालिन के मुताबिक सन् 1848 में जर्मन इन्केलाब के दौरान मार्क्स खुद अपने साथियों के साथ जर्मनी के बुर्जआ डेमोक्रेटिक लीग में शामिल हुवा और वहां के तथाकथित क्रांतिकारी बुर्जूआओं के साथ सहयोग किया। मार्क्स जिस अखबार का एडिटर था वह अखबार भी इसी बुर्जूआ संगठन का था। (J.V. Stalin Works, Vol.9: Dec.1926- July 1927, p. 247)

मार्क्स और अम्बेडकर के संघर्ष में बुनियादी फर्क यह है कि मार्क्स के समय मजदूर आन्दोलन के कई नामी नेता थे और मजदूरों का समाजवादी संघर्ष मार्क्स का मोहताज नही था। वैश्विक-पूंजी नियंत्रकों के एजेन्ट होने के नाते मार्क्स का मकसद मजदूर आन्दोलन में फुट डालकर उसे तबाह-बर्बाद करना था। इसके विपरित भारत में दलितों के संघर्ष का सारा दारोमदार डॉ॰ अम्बेडकर के कंधो पर था। दलित जनता अशिक्षित तथा जनवादी संघर्षो से नावाकिफ थी। दलितों में बिकाउ नेताओं की बडी तादाद थी। ऐसे में दलितों के संघर्ष की बुनियादी जरुरतें हासिल करने के लिये उन्हे अपना एक एक कदम फुंक फुंक कर रखना जरुरी था। डॉ. अम्बेडकर के संघर्ष के कई मरहले (stages) थे जिन्हे वे एक एक कर अंग्रेजी सरकार और भारत के ब्राह्मणवादियों के बीच के अंर्तविरोधों का दलितों के हक में फायदा उठाते हुए हासिल कर रहे थे। इसमें बुराई कौनसी है ? डॉ. अम्बेडकर ने अंग्रेजों से किया सहयोग भी दलितों के लिये ज्यादा हक पाने और दलितों को संघर्षो के काबिल बनाने के जरुरी कदम थे।

संविधान लिखने के पीछे उनका मकसद दलित-बहुजनों के लिये ज्यादा से ज्यादा इन्सानी हक हासिल करना था। डॉ० अम्बेडकर से भारत के शोषकों के लिये ''समाजवादी'' संविधान लिखने की उम्मीद करने वाले इन ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्टों की बेअक्ली पर कोई भी तरस खाएगा। उन्हे अम्बेडकर का पूंजीवादी सरकार के लिये पूंजीवादी संविधान लिखना तो याद रहता है। लेकिन वे डॉ. अम्बेडकर व्दारा बहुजनों की सुरक्षा में बनाये गए प्रावधानों को भूल जाते है। डॉ. अम्बेडकर की इस चेतावनी को भूल जाते है कि ''अगर इस संविधान से अवाम की उम्मीदें पूरी नही हुई तो अवाम इस व्यवस्था को उखाड फेंक देगी। इस संविधान को जलाने वाले वे सबसे पहले इन्सान होंगे।''

अम्बेडकर के हर कदम से शोषितों दलितों का फायदा ही हुआ है नुकसान कभी नही। जबकि मार्क्स ने बकुनिन के हाथों में इंटरनॅशनल जाने से रोकने के

लिये तथा मजदूरों को कोई अंर्तराष्ट्रिय मंच ही उपलब्ध न हो इसलिये अपनी कुटिल साजिशों से इंटरनॅशनल को ही खत्म हो जाने दिया।

सत्यभक्त के मुताबिक मार्क्स जो मंच का प्रधान था, ने इंटरनॅशनल के मुख्य कार्यालय को न्यूयार्क भेज दिया। इसका मतलब संघ की जीवनलीला को खत्म कर देना था, क्योंकि अपने स्वाभाविक कार्यक्षेत्र युरोप से हट जाने से मंच की प्राणशक्ति जाती रही। अमेरिका में वह नाममात्र के लिये सन् 1875 तक कायम रहा। बाद में नाम का भी लोप हो गया। (सत्यभक्त : कार्ल मार्क्स, p. 72) राहुल सांस्कृत्यायन के मुताबिक मार्क्स ने इंटरनॅशनल का केन्द्र न्युयार्क ले जाना, न्युयार्क की जनरल कौन्सिल ने इंटरनॅशनल की छठी काँग्रेस 8 सितंबर को जनेवा में बुलाना इंटरनॅशनल के लिये मौत का प्रमाणपत्र साबित हुआ। मार्क्स की कॉन्फ्रेन्स में शामिल लोग सिर्फ स्विस थे और ज्यादातर जेनेवा निवासी थे। मार्क्स ने साफ तौर से कबुल किया था कि उनकी कॉन्फ्रेन्स सिर्फ तमाशा रही। जबकि बकुनिन ने इसके पहले जो कॉन्फ्रेन्स बुलाई थी उसमें बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, इटली, हॉलेन्ड के प्रतिनिधियों के अलावा जुरा पार्टी के नुमाइन्दे भी शामिल हुए थे। (राहुल सांस्कृत्यायन, कार्ल मार्क्स, p.204) डॉ॰ अम्बेडकर ने सभी विचारों का गहराई से अध्ययन किया था और वे समता और लोकतंत्र पर आधारित शोषण ाविहिन समाज व्यवस्था कायम करने की दिशा में कदम बढा रहे थे। शोषकों के सामने अपने आगे के इरादों का ऐलान करना अव्यवहारिक और संघर्ष के लिये नुकसानदेह था। सारी दवाईयां एक ही समय नही बल्कि थोडे थोडे अंतराल के बाद दी जाती है तब डॉ॰ अम्बेडकर से समाज परिवर्तन में सारे उपाय एक समय ही किये जाने या उजागर किये जाने की अपेक्षा क्यों ?

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि अगर उन्हे लंबी आयू मिलती है तो जो योजनाएं उन्होने बनाई है उन्हे वे जरुर पूरा करेंगे। ''मै किताबें लिखकर दलितों के मन की सारी शंकाओं को दूर करुंगा और आपको ज्ञान की पूर्णता तक ले जाउंगा। फिलहाल आप मुझमें भरोसा रखे।'' (Dr. Ambedkar : Vol. 17 Part III, P. 540, 544) अंग्रेजों की गद्दारी से क्रोधित होकर डॉ. अम्बेडकर कई बार हथियारबंद संघर्ष तक का संकेत दे चुके थे। डॉ. अम्बेडकर ने अपने ग्रंथ ''बुध्दा एन्ड कार्ल मार्क्स'' में लिखा कि ''व्यक्तिगत दौलत एक तबके को ताकतवर बनाती है तो दूसरे तबके के लिये दूख पैदा करती है।'' (Private ownership of property brings power to one class and sorrow to another)

उन्होने अपने ग्रंथ ''फिलॉसॉफी ऑफ हिन्दूइज्म'' में लिखा कि ''हर किसी को शिक्षा मिलनी ही चाहिये। अपनी हिफाजत के साधन हर किसी के पास होने ही चाहिये। यह इन्सान के वजूद की हिफाजत के लिये सबसे बडी जरुरतें है।'' अपनी किताब ''इंडिया एन्ड प्रि-रिक्विजाईट ऑफ कम्युनिजम'' में कहा कि ''अवसर से महरुम करना, तालिम लेने की आजादी को नकारना, हथियार रखने के हक को नकारना सबसे क्रूर नाइन्साफी है।

ब्राह्मणवादी माओवादी नेताओं ने डॉ॰ अम्बेडकर पर यह आरोप लगाया है

कि उन्होने तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष का समर्थन नही किया। यह आरोप दमदार नही है क्योंकि डॉ॰ अम्बेडकर ने तेलंगाना संघर्ष का विरोध भी नही किया। तमाम ब्रह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं समेत काँग्रेस इ॰ सभी संगठन के ब्राह्मणवादी तेलंगाना संघर्ष को कुचलना चाहते थे। अमेरिका और उसके दलाल नेहरु ने तेलंगाना संघर्ष को कूचलने की पूरी तैयारियाँ कर ली थी। ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्टों ने न सिर्फ तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष की आलोचना की, न सिर्फ उसे वापस लेने का ऐलान किया बल्कि सेना से मिल कर तेलंगाना गुरिल्लाओं से विश्वासघात किया। तब डॉ॰ अम्बेडकर ने तेलंगाना संघर्ष की हिमायत नही की कहकर उनको गैरइन्केलाबी करार देना ब्राह्मणवादी माओवादी नेताओं का दोगलापन नही तो क्या है ? डॉ॰ अम्बेडकर का शाब्दिक समर्थन तेलंगाना संघर्ष को मदद नही पहूंचा सकता था बल्की इससे निजाम राज्य के दलितों को जो उस वक्त ब्राह्मणवादी प्रतिशोध का शिकार थे को बचाने की उनकी कोशिशों को जबर्दस्त नुकसान पहूंचता।

डॉ अम्बेडकर के हैदराबाद के भारत में शामिल होने की हिमायत करने से एक ओर रजाकारों ने शेडयुल्डकास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं पर तरह तरह से जुल्म किए। डॉ॰ अम्बेडकर के अनुयायी और दलित-मुस्लिम एकता के हामी बी.एस. व्यंकटराव और बी. श्यामसुंदर ब्राह्मणवादियों के खिलाफ निजाम से सहयोग कर दलितों को काफी सुविधाएं दिला चुके थे। औरंगाबाद में डॉ॰ अम्बेडकर व्दारा खोले गए कॉलेज को निजाम सरकार ने भारी आर्थिक सहायता दी थी जिसकी वजह से दलितों को निजाम का हिमायती मानकर सवर्णो व्दारा प्रताडित किया जाता था। भारत सरकार के एजन्ट जनरल के.एम. मुन्शी ने पस्तअक्वाम और दलित स्वँयसेवक दल का जिक्र ''इत्तेहादी हरिजन'' किया है। उन्हे ''हरिजन रजाकार'' कहा गया। इसलिये हैद्राबाद संस्थान में भारतीय सेना की दखलंदाजी के दौरान दलितों के जगह जगह कत्लेआम किए गए, जानवरों के खुंटे से बांधकर उनका सिर कलम किया गया। जिस्म के टूकडे टूकडे किए गए। उनके घरों और खेतों को आग लगाई गई और उनकी जमीने छीनी गई। डॉ. अम्बेडकर हैदराबाद आए और जनरल जे.एन. चौधरी को और प्रशासन को समझाया कि ज्यादातर दलित शेडयुलकास्ट फेडरेशन के सदस्य है और हैदराबाद के भारत में विलिनिकरण के हिमायती है। उन्होने दलितों की गिरफ्तारियों रोकने और दलितों के पुर्नवास में अहम किरदार अदा किया।(डॉ. नरेन्द्र गायकवाड, p.78,2, 78-85, 78-85)

साम्यवादी विचारों की समिक्षा से मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्टों को परहेज क्यो ?

भीमयान बौध्द धर्म अपने विचारधारा की

तर्कपूर्ण जांच-पडताल के लिये अवाम को प्रेरित करता है !

बौध्द धम्म का केन्द्रबिंदु इस धरती के इन्सान है। बुध्द का धम्म किसी अलौकिक ताकत ने प्रेषित किया हुआ नही बल्कि इन्सान की खोज है। बुध्द ने आलस, लालसा इ. जन्मजात मूल प्रेरणाओं जो लोगों को नुकसान पहूंचाती है उन्हे किस तरह से नियंत्रित किया जाये इसकी तर्क से खोज की है। उन्होने अपने धम्म को कभी अंतिम सत्य नही कहा। उन्होने सिर्फ यही दावा किया कि उनका धम्म उनकी समझ के मुताबिक इकलौता दुखः से मुक्ति का रास्ता है। इसलिये बुध्द का धम्म हर किसी के लिये जांचने के लिये खुला है। बुध्द ने धम्म में अपना कोई स्थान नही चाहा न ही उन्होने अपने धम्म को पवित्र या सर्वोच्च माना है।(Dr. B.R. Ambedkar, Vol. 11, p. 213, 217-18, 121, 222, 271, 275)

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं को मार्क्स की विचारधारा की समीक्षा से ऐतराज की वजुहात !

माओवादी लेखकों की पूर्वकथित पुस्तिका में लिखा है - ''एक तबका मार्क्स, फुले और अम्बेडकर सरीखे विचारों के संगम की बात करता है। मार्क्सवाद के सिध ाान्तों को किसी भी दिगर सामाजिक वैज्ञानिक सिधान्तों (चाहे वे कितने भी अच्छे हो) के समकक्ष नही रखा जा सकता है क्योंकि मार्क्सवाद ने समूचे समाज की समझदारी को विज्ञान के स्तर तक उंचा उठा दिया है। बाकी लोग कुछ निश्चित परिघटनाओं की सिर्फ व्याख्या पेश करना चाहते है। लेकिन वे चाहे कितने भी सही क्यों ना हो, उनकी व्याख्या एक विज्ञान नही हो सकती। इसकी वजह है कि मार्क्सवाद ने ऐसे नियमों की खोज की है जो समाज की तरक्की को तय करती है।'' उपरोक्त गोलमोल कथन ढोंग-पाखंड के सिवा कुछ नही है क्योंकि मार्क्स-एंगेल्स शोषकों के एजन्ट थे और शोषित कुचले हुए अवाम के सबसे बडे दुश्मन थे। इसकी पूरी जानकारी के लिये पढे ''मार्क्स से माओ दुनियां के शोषित दमित अवाम के सबसे खतरनाक दुश्मन थे'' नामक पुस्तक। यह पुस्तक **https://www.bahujanmarch.org** वेबसाईट पर मुफ्त डाउनलोड के लिये उपलब्ध है। यह किताब हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। मार्क्स के विचारों को समीक्षा से उपर प्रचारित किये जाने का मकसद भी यही रहा है कि मार्क्स का असली जनविरोधी चरित्र छुपा रहे।

इन ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्टों की उपरोक्त गोलमोल थोथी दलिलों का दूसरा मकसद दलित-अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करने से बचना है। मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेता कतई नही चाहते कि मार्क्सवाद के शोषण-परस्त जनविरोधी चरित्र की ओर कभी किसी का ध्यान जाए इसलिये इन ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं ने मार्क्स और लेनिन को इन्सानों से उंचा उठाकर ''कभी गलती नही करने वाले वैचारिक ईश्वर'' का दर्जा देकर ये खुद इनके पूजारी बन बैठे है। मार्क्सवाद, लेनिनवाद की व्याख्या करने का हक भी इन ब्राह्मणवादी नकली

कम्युनिस्ट पंडों ने खुद के पास रखा हुआ है। ये मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट पंडे जानबुझकर मार्क्स के शोषण-परस्त विचारों और उनमें किये गए बदलावों तक से अपनी आँखें मूंदते रहे है।

कॉ. शरद पाटील के मुताबिक सच्चा शिष्य अपने गुरु का अंधानुकरण करने वाला नही होता बल्कि वह अपने गुरु के विचारों को नई हालत के अनुरुप ढालकर अपने गुरु से भी आगे निकलने वाला होता है। डॉ. अम्बेडकर ने पारंपारिक बौध्दों के इन आरोपों को नजरंदाज करते हुए कि वे बुध्द को विचारों को तोड-मरोड रहे है, उन तमाम मान्यताओं को नकार दिया जो बुध्द की मूल शिक्षा को पूरा करने में रुकावट थे। डॉ. अम्बेडकर ने बुध्द के विचारों का खुलासा वैज्ञानिक रुप से इसतरह से किया जिससे बुध्द की शिक्षा के मूल मकसद पूरे होते है। अपने विचारों की प्रासंगिकता की वजह से आधुनिक युग में डॉ. अम्बेडकर की अहमियत बुध्द से भी ज्यादा हो गयी है। कम्युनिस्ट पार्टियों की ब्राह्मणवादी नुमाईन्दगी मार्क्सवाद को अंतिम सच करार देकर उसमें किसी भी बदलाव से इन्कार करती है। ऐसे कम्युनिस्ट मार्क्सवादी होने का चाहे जितना ढोंग करे वे ब्राह्मणवादी है।(कॉ. शरद पाटील, p.157-60,166-67)

डॉ. अम्बेडकर ने ''घोषित साम्यवादी विचारधारा'' की तमाम कमियों को दूर कर सच्चे जनवादी संघर्ष को स्पष्ट किया है। डॉ. अम्बेडकर के इस महान योगदान की ओर किसी का ध्यान न जा सके इसके लिये सभी ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्टों ने हमेशा ही ''एडी-चोटी'' का जोर लगाकर इस बात को छुपाया है कि डॉ. अम्बेडकर के विचारों की बहुमोल मदद पाकर बहुजनवादी जनसंघर्ष को न सिर्फ कामयाब बनाया जा सकता है बल्कि इस बात की पूरी गॅरन्टी की जा सकती है कि शोषण व्यवस्था दोबारा कभी कायम नही हो सकेगी।'' शोषकों की शोषण-व्यवस्था को उखाड फेंककर कायम की गयी समतामूलक लोकतांत्रिक शोषण-विहीन समाज व्यवस्था को हमेशा के लिये कायम रखने का मूलाधार सिर्फ अम्बेडकर के विचारों से ही मुमकिन है। यह ब्राह्मणवाद तथा ब्राह्मणों की सत्ता के लिये सबसे बडा खतरा है इसलिये सभी मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेता अम्बेडकर को जातीयवादी, अंग्रेजों को हस्तक इ. करार देते रहे है ताकि मनुवाद को हर किमत पर कायम रखा जा सके। मार्क्स के वर्गवाद ने कई बातों को जानबूझककर या अज्ञानता के चलते नजरअंदाज किया है कि :-

आलस और लालसा शोषण की बुनियाद है !

1) बुध्द के मुताबिक आलस, लालच तथा आसक्ति न सिर्फ शोषण की मानसिक बुनियाद है बल्कि वह दुखों का मूल कारण भी है। गरीबी भले ही दुख की वजह है लेकिन गरीबी दूर होना सुख हासिल करने की गॅरन्टी नही है। इन्सान भरपुर सुविधाओं के बीच होने के बावजूद भी दुखी पाया जाता है क्योंकि दुःख लालसा का परिणाम है। इन्सान अपने पास क्या है इसे पहचानने की बजाय अपने पास क्या नही है, दूसरे के पास क्या क्या है यही सोचते हुए अभाव के अहसास में जीता है।

आसक्ति के पीछे भागने वाला इन्सान अंततः अपनी आसक्ति का गुलाम बन जाता है क्योंकि लालच और आसक्ति कम होने की बजाय लगातार बढते ही जाती है। लालच और आसक्ति ''शोषण-व्यवस्था'' को जन्म देती है क्योंकि लालची इन्सान इच्छित चीजों को जैसे भी हो हासिल करना चाहते है। प्रतिस्पर्धा में रातों की नींद और मन का चैन तक खो देता है। शोषण की जड मिटाने के लिये बुध्द ने व्यक्ति को आसक्ति की व्यर्थता और सच्चे सुख की पहचान कराने पर जोर दिया है। सुख उच्च जीवनस्तर से नही बल्कि उच्च संस्कृतिक मुल्यों का खुद में विकास करने से हासिल होता है। (Dr. B.R. Ambedkar, Vol. 11, p. 235, 368)

मन के सच्चे सुख का अपार धन, ताकत या प्रतिष्ठा से कोई संबंध नही है। एक बच्चा मिट्टी के खिलौने से खेलकर अपार खुशी हासिल करता है। आपसी प्रेम, विश्वास, सहयोग और त्याग की भावना तथा मानवी मूल्यों को मन में विकासित करके, समाज को समृध्द करनेवाले जीवन दर्शन को अपनाकर, प्रज्ञा, शील और करुणा का खुद में विकास करके ही सच्ची खुशी हासिल होती है। इसके विपरीत अपने बीवी-बच्चों, मित्रों, रिश्तेदारों इ॰ से अतार्किक अपेक्षाएं रखना, उनपर अपनी अपेक्षाएं थोंपना, गैरजरुरी अधिकार जताना इ॰ आसक्ति से अंततः दुखों का ही निर्माण होता है।

2) आलस और आसक्ति वर्गनिरपेक्ष है :- आलस, लालच और आसक्ति सभी वर्गो में देखी जाती है। किसी घर मालिक ने रोजंदारी पर लगाया हुआ मजदूर बेहद धीमा काम करके कई दिन लगाता है लेकिन उसी काम को ठेके पर चौथाई समय में ही पूरा कर लेता है। दूसरों के हक मारने प्रवृत्ति आप रोजमर्रा के छोटे छोटे अनुभवों में सभी वर्गो में देख सकते है। कोई सर्वहारा इसलिये है कि उसे शोषकों ने जबरन सर्वहारा बनाया है। उसे मौका मिले तो वह खुद भी शोषक बनने का कोई मौका जाया नही करेगा। इसलिये आप चाहे जितनी बार क्यों शोषकों की सत्ता को पलट दें हर बार आलसी और लालसा से ग्रस्त लोग शोषण-व्यवस्था को हर बार कायम कर लेंगे।

बुध्द ने बुध्दी-तर्क से अपने मस्तिष्क की आसक्ति, मस्तीष्क में डाले गये ध ार्मिक तथा गैरधार्मिक अंधविश्वासों, अतार्किक प्रेरणा आसक्तियों, धारणाओं को खोज-समझकर उन्हे त्यागने और खुद में नेक अखलाख (अच्छा चरित्र), इन्सानियत का दर्द, और तर्क से विकसित समझ (Insight) विकसित करने को जरुरी बताया है। (Dr. B.R. Ambedkar , Vol. 5 , P. 137) अपनी तर्कशक्ति से अपने बर्ताव का विश्लेषण कर मन की शोषण-परस्त प्रवृत्तियों को खोजकर उनसे लडना एक मानसिक वर्ग संघर्ष है। बहुजनवाद आलस और लालसाओं की व्यर्थता और सच्चे सुख के प्रति जागरुक कर शोषण की मानसिक बुनियाद को ही खत्म कर देता है।

समाज व्यवस्था में धर्म-संस्कृति की अहमियत !

संस्कृति और शासन-व्यवस्था का चोली-दामन का साथ होता है। हर

शोषण-व्यवस्था के साथ शोषणपरस्त ब्राह्मणवादी संस्कृति पाई जाती है। जिस तरह शोषण को बनाये रखने के लिए शोषण-संस्कृति और शोषण की मददगार व रखवाली शासन-व्यवस्था कायम करना जरुरी है, उसी तरह बहुजनवादी शोषण विहीन समाज व्यवस्था भी तभी कायम रह सकती है जब इन्सान के भीतर की आलस और शोषण की इन्सानियत विरोधी पशु प्रवृत्तियों को खत्म करने वाली और अवाम को हर तरह से ताकतवर बनाने वाली संस्कृति, शासन-व्यवस्था और सामाजिक संगठन कायम किए जाए। डॉ. अम्बेडकर के मुताबिक हमारे बुनियादी हक कानून से नही बल्कि हमारे अधिकारों के अनुरुप समाज में नैतिक मुल्य पैदा होने से ही सुरक्षित होते है। हमारे बुनियादी हकों का विरोध खुद समाज करे तो न ही मुल्क का कानून, संसद और न ही कोई अदालत उन हकों को सुरक्षित रख सकती है। तमाम कानूनों के बावजूद बुनियादी हकों का अमेरिका के निग्रो समुदाय को, और भारत के अछूतों को क्या फायदा हुआ है ?

शोषक की सियासी हुकुमत को भले ही आप खत्म कर दे लेकिन उन्होने सांस्कृतिक रुप से जहरीले बनाये गये समाज में बहुजनवादी सामाजिक लोकतंत्र के बीज उग ही नही सकते। शोषण-व्यवस्था दोबारा पनपने लगती है। इसलिए शोषक बदलते रहे है, शोषकों के चेहरे बदलते रहे है लेकिन अवाम का शोषण खत्म नही हुआ है क्योंकि होने वाले परिवर्तन सिर्फ सतही रहे है।

किसी भी समाज व्यवस्था को कायम रखने के लिये उस समाज व्यवस्था को या तो कानून का या फिर नैतिकता का सहारा लेना पडता है। कानून तथा नैतिकता इन दोनों में से कोई एक चिज न हो तो सामाजिक स्वास्थ्य बरकरार नही रह सकता। किसी भी समाज में कानून का विस्तार काफी कम होता है क्योंकि वह कानून का उल्लंघन करने वाले चंद लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जबकि बहुसंख्यंक लोगों को स्वातंत्र, समता और बंधुत्व पर आधारित नैतिकता का डर समाज जीवन बेहतर रखने को प्रेरित करता है। इसलिये नैतिकता समाज जीवन की बेहतरी का एक मूल सिधान्त है। (Dr. Ambedkar, Vol. 20 (1929-56), p.382-83) नैतिकता का उद्देश्य तथाकथित ''शोषक सबल-सक्षम'' लोगों पर मेहनतकश बहुजन जनता के हित में अंकुश लगाना है। इसलिए प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित नैतिकता को समाज में विकसित करना बुध्द के धम्म का मूल उद्देश्य है।

शक्ति का उपयोग तात्कालीन होता है। इसलिए शासन-व्यवस्था का लोकतांत्रिक होना जरुरी है क्योंकि कुछ समय के लिए किसी का दमन भले ही किया जाए लेकिन दमन से दोबारा दमन करने की संभावना समाप्त नही होती। दंड या दमन के डर से व्यक्ति भले ही गलत काम न करें लेकिन जैसे ही उसे गलत काम करके दंड से बचे रहने का अवसर मिलता है वह अपने आपको गलत काम करने से नही रोक पाता। धम्म के माध्यम से ही व्यक्ति में मानवतावादी संस्कारों तथा बहुजनवादी गणतांत्रिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है। (Dr. B.R. Ambedkar, vol. 3, P. 453) जिसके हाथों में दंड देने का अधिकार है वह व्यक्ति या समूह ही अगर अनैतिक हो तो तानाशाही का निर्माण हो जाता है। इसलिये नैतिकता का विकास

सबसे जरुरी शर्त है। गणतंत्र यह सामाजिक व्यवस्था से भी बडी चीज है, वह मन की वृत्ति तथा जीवन-दर्शन है।

डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा कि समाज के सामने चूनने के लिये तीन विकल्प है :– 1) समाज यह चून सकता है कि सरकार के लिये सहायक कोई धम्म -संस्कृति नही होगी {जैसे की साम्यवादी देशों में है।}। इस विकल्प को चूनने का मतलब अराजकता की राह को चूनना है। 2) दूसरा विकल्प यह है कि पुलिस, तानाशाही को सरकार के साधन के रुप में चुना जाये। {जैसे की साम्यवादी देशों में है।} लेकिन इसमें वे अपनी आजादी को खो देंगे। 3) तीसरा विकल्प यह है कि समाज धम्म के साथ ही लोकतांत्रिक न्याय व्यवस्था का चयन करे ताकि जो लोग धम्म {की शिक्षा} से अप्रभावित रहकर लालच और आसक्ति से समाज विरोधी काम करते है, उन्हे सजा मिल सके। तीसरे विकल्प में हमारी आजादी खत्म नही होती। (Dr. B.R. Ambedkar, Vol. 11, p. 317) बुध्द का उद्देश्य आम इन्सान को सिर्फ शोषण से मुक्त कराना ही नही बल्कि उन्हे एक परिपूर्ण जीवन जीने के लिए हर किस्म की जंजीरों से आजाद करना है। बुध्द ऐसी समाज व्यवस्था चाहते थे जिसमें हर इन्सान खुद में जो भी क्षमताएं है उनका विकास करके ''स्व'' के वास्तविकिकरण (Self Actualization) का अनुभव करेंगे। इसलिए, अशोक इ॰ बौध्द सम्राटों के शासन में गुण-कौशल्य को उभारने तथा सामाजिक जीवन को समृध्द बनाने के प्रयास किये गये, इसलिए अशोक के काल में हर तरह की कलाएं विकसित हुई।

नैतिकता पर आधारित धर्म
समता मूलक समाज-व्यवस्था के लिये जरुरी है !

जहां शोषकों ने अपनी शोषण व्यवस्था की हिफाजत करने और अपने शोषण को आसान बनाने के लिये पूजारियों व्दारा नियंत्रित शोषण-परस्त ब्राह्मण-धर्म, झायनिजम् तथा ईसाई पूजारीवाद को बढावा दिया तथा बहुजनवादी धर्मो को शोषण परस्त धर्मो में ढाल लिया वहीं मार्क्स ने जानबूझकर शोषितों को शोषिण-विहिन समाज-व्यवस्था की रखवाली धम्म-संस्कृति से महरुम कर यह सुनिश्चित कर दिया कि शोषण विहिन समाज कभी कायम न होने पाये।

कम्युनिस्ट नेता तथा कार्यकर्ता आज भी नही देख समझ रहे है कि इस्लामी जीवन-व्यवस्था ने चोरी न करने, सूद न लेने, सब मिलकर एक ही थाली में खाने, गले मिलने और एक दूसरे के हकों की हिफाजत करने वाली जो सीख और सामाजिक संस्कृति दी, उसका असर इतनी शताब्दियों के बाद, चारों तरफ फैली ब्राह्मणवादी गंदगी के बावजूद आज भी काफी कुछ हद तक देखा जा सकता है। कई मुस्लिम इलाकों में आज भी घरों को ताले नही लगाए जाते।

डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा कि बर्मा में मैने लोगों के घरों पर दरवाजे नही बल्कि चटाईयां टंगी देखी। उनके घरों का आकार 15-20 फिट का होगा। चाय की दूकाने बंद होते ही वे अपना सामान वहीं छोड जाते है लेकिन सामानों की चोरी

नही होती। हमारे यहां तो सिमेंट और लोहे से बनी दिवारें भी चोर तोड डालते है। मंडाले पर्वत पर 14 फुट उंची बौध्द मूर्ती है। यह मूर्ति पूरी सोने से बनी है। बाजू के पागोडा में आधा करोड का सोना है रात 11 बजे के बाद वहां कोई नही होता इसके बावजूद पिछले 600 सालों से किसी ने एक ग्रॅम सोना तक नही चुराया। लेकिन हमारे यहा तो देवी के गहने ब्राह्मण ही चुरा लेता है। (Dr. Ambedkar, Vol. 18-III, p.432-33) जब ईश्वर का अस्तित्व ही नही है तब काल्पनिक ईश्वर से लट्ठमलट्ठी करने से क्या फायदा ?

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार पूजारी ही वह शैतानी दिमाग है जिसने अंधविश्वास का निर्माण कर तार्किक सोच के विकास को नष्ट किया है।(Buddha & His Dhamma, p.254-255) इसलिये सभी बहुजन संतो तथा समाज क्रांतिकारियों ने ईश्वर की बजाय ''बूराईयों की जड यानि पूजारियों '' का ही विरोध किया है और लोगों को अपने सभी सामाजिक कार्य पूजारियों के बिना खुद ही करने को कहा है। बहुजनवादी धर्मो, और विचारधाराओं के बीच ''ईश्वर'' के वजूद को लेकर पाये जाने वाला अर्न्तविरोध बुनियादी अर्न्तविरोध नही है इसलिये बहुजनवादी धर्मो विचारों के इकट्ठा रहने में कोई बुनियादी रुकावट नही है। संत नामदेव, कबीर, तुकाराम, गाडगेबाबा, तुकडोजी इ॰ बहुजनवादी संतो, तथा पितामह फुले, हरिंचांद ठाकुर इ॰ समाज-सुधारकों के हाथों में ईश्वर की संकल्पना शोषण विरोधी रही है। उन्होने जनता के हित और सुख की हिफाजत करने को ही ईश्वर की सेवा कहा है। उन्होने ईश्वर के साथ पूजारी तथा अंधविश्वास नही जूडने दिए जो समाज के लिये घातक है। इस्लाम शोषण का विरोधी है इसलिए फुले, शाहु, अम्बेदकरवादियों ने अपने वैज्ञानिक दृष्टीकोन के बावजूद इस्लाम की हमेशा इज्जत की और इस्लाम का पक्ष लिया है। पितामह ज्योतिराव फुले ने अपनी जींदगी में सिर्फ दो पोवाडे लिखे, पहला छ. शिवाजी पर। दूसरा पोवाडा हजरत महंमद (सल्ल॰) पर लिखकर उनकी समानता की शिक्षा की प्रशंसा की है।

जब कम्युनिस्ट संगठन वर्ग-शत्रु कहे जाने वाले पूंजीपति तबके के एक हिस्से से जनवादी संयुक्त मोर्चा बनाने की बात की पूरजोर हिमायत करते है तो शोषण के खिलाफ जेहाद करने वाले और इन्सानियत की हिफाजत करने वाले भीमयान बुध्दिजम्, इस्लाम, और बहुजन-संतों के धर्म-पंथों की बहुजनवादी विचारधारा को बहुजनवादी सांस्कृतिक जेहाद का हिस्सा बनाने में कथित कम्युनिस्टों को इसलिये ऐतराज है क्योंकि वे मनुवादी ब्राह्मणवादी और शोषणपरस्त है।

समता मूलक समाज में
तानाशाही के लिये कोई जगह नही है !

तानाशाही पशु प्रवृत्ति और मनुवाद की सूचक है। ''तानाशाही और जनवादी केंन्द्रियता'' का साम्यवादी उसूल लाजमी तौर से चंद शोषकों के हाथों में ताकत केन्द्रित कर शोषक प्रवृत्तियों के हाथों का हथियार बन जाता है। ''मार्क्स के

तानाशाही और केन्द्रियता'' के उसूल से सरकार और पार्टी की संरचना लाजिमी तौर से मनुवादी पिरॅमिड के रुप में उभरती है और सारी ताकत चंद लोगों के हाथों में अपने आप इकट्ठा होती है। मार्क्स का मकसद मजदूरों की तानाशाही के नाम पर मेहनतकश अवाम को तलमुद की व्यवस्था में गुलाम बनाकर उनका वैश्विक अर्थनियंत्रक ताकतों के हाथों बर्बर शोषण करवाना था।

मार्क्स ने पार्टी नेताशाही को जबकि बहुजनवाद ने अवाम को नेतृत्वकारी करार दिया !

मार्क्स की नजर में कम्युनिस्ट पार्टी जनता का नेतृत्वकारी हिरावल दस्ता है जबकि अम्बेडकर के मुताबिक नेतागण अवाम व्दारा नियुक्त कर्मचारियों के सिवा कुछ नही है। जनता के हाथों में नेता की लगाम मुमकिन बनाने के लिये अवाम में जागरुकता और काबिलियत पैदा करना जरुरी है। इसलिये अम्बेडकर के विचारों का मूलाधार अवाम का जागरुक होना है जबकि मार्क्सवादी विचारकों का मूलाधार पार्टी के नेतृत्व का प्रशिक्षित होना है। पार्टी कार्यकर्ता जब नेता को ही सबकुछ मानने लगते है तो वे अपने दिमाग पर ताला लगाकर सोचना बंद कर देते है। सोचने का काम वह नेताओं पर छोड देते है। तब उनका काम नेताओं की हर बात पर बिना सोचे समझे हाथ उठाना और उनके हुक्मों पर चुपचाप अमल करना भर रह जाता है। ऐसी पार्टी देर सबेर मनुवाद ब्राह्मणवाद का शिकार बनकर अवाम को गुलामी की ओर ले जाती है। इसलिये नेतृत्व बुतों को तोडना और अवाम की निर्णय प्रणाली को मजबूत बनाना सबसे जरुरी है। शोषित अवाम जागरुक, स्वँयप्रकाशित, आत्मनिर्भर बन कर ही बहुजनवादी संगठनों पर अपना नियंत्रण कायम कर सकता है और मनुवादी शोषण के खिलाफ कामयाबी से जेहाद कर सकता है। जबतक अवाम इस कदर जागरुक नही है कि वह संगठनों के नेताओं पर अंकूश कस सके तब तक किसी भी संगठन से कोई उम्मीद नही की जा सकती।

बुध्द ने ही सबसे पहले आम लोगों को ''अत्तः दीपो भव'' यानि ''खुद की रोशनी खुद बनो'' के नारे के जरिये से नेताओं की लगाम शोषित अवाम के हाथों में देने की कोशिश की। डॉ. अम्बेडकर ने सांस्कृतिक इन्केलाब (पूरी जागरुकता) को सियासी इन्केलाब की पहली शर्त माना है।

चुनावी नेताओं से और उनकी पार्टियों से बहुजन हितों की बात तबतक नही सोची जा सकती जब तक अवाम अपनी चरम जागरुकता और जेहादी ताकत से इन नेताओं को अपने हितों के मुताबिक नचाने के लायक न हो जाए। जिसको लगाम ही नही है, ऐसे घोडे पर सवारी करने वाला अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकता है ? बिना स्टिअरिंग व्हिल और ब्रेक की मोटर पर बैठने से एक्सिडेन्ट के सिवा क्या मिल सकता है ? जबतक अवाम अपनी जेहादी कुव्वत से ''नेतारुपी घोडे-घोडियों'' पर लगाम कसने की हालत में नही होगा तबतक अवाम को इन मतलब-परस्त, रईस मिजाज, घोडे-घोडियों की मर्जी से ही चलना होगा।

डॉ. अम्बेडकर ने अवाम को हथियार रखने की आजादी को सबसे बडी

आजादी करार दिया है क्योंकि हथियारबंद अवाम का दमन या शोषण नही किया जा सकता। न ही हथियारबंद अवाम पर कोई तानाशाह काबिज हो सकता है। इसलिये हर शोषण-व्यवस्था शोषितों को हथियारों से महरुम जबकि शोषकों को हथियारबंद करती है।

मार्क्स ने पार्टी के बहुमत पर जबकि
बहुजनवाद ने निर्णय की नैतिकता पर जोर दिया है !

मार्क्स ने बहुमत को सर्वोपरी बताया है जबकि अम्बेडकर ने नैतिकतापूर्ण निर्णयों को अहमियत देते हुए अनैतिकतापूर्ण बहुमत के निर्णयों को नकारने का हक दिया है। बुध्द ने पानी के मसले पर गणों के बीच युध्द करने के बहुमत के फैसले को मानने से इन्कार कर दिया था। इसके लिये देश निकाला तक मंजूर किया। उनका मानना था कि इस मसले को पहले आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिये। खाप पंचायतों के बहुमत के फैसले अमानवीय, अलोकतांत्रिक पाये गए है। डॉ॰ अम्बेडकर के मुताबिक बहुमत के सिधान्त को बहूत ज्यादा नही खिंचा जाना चाहिये। एक अर्थ में बहुमत के राज का सिध्दान्त गलत है क्योंकि व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का मतलब ही बहूमत को कुछ बातें करने से रोकना है। अल्पसंख्यंकों के हक में किये जाने वाले सुरक्षा प्रावधानों का मतलब भी बहुमत को अन्याय करने से रोकना है। मूलभूत अधिकार बहुमत पर अंकुश लगाने का काम करते है। बहुमत को हमेशा जीता जाना चाहिये न कि उसे लादा जाये। (Dr. Ambedkar : Vol. 17 Part III, P. 381)

मार्क्स ने पार्टी को जबकि
बहुजनवाद ने संपूर्ण प्रक्रिया को महत्व दिया !

मार्क्स ने पार्टी पर सबसे ज्यादा जोर दिया जबकि अम्बेडकर ने संपूर्ण राजनीतिक - सामाजिक प्रक्रिया और शोषितों के मिशन पर जोर दिया। इससे हर शोषित बहुजन का दृष्टिकोन अत्यंत व्यापक हो जाता है और वह संगठन के नाम की बजाय संगठन के मकसद यानि शोषितों के मिशन को अहमियम देते है। इसलिये उनके बीच आपसी संघर्ष न के बराबर होते है। इसके विपरित जो मिशन से ज्यादा पार्टी को अहमियत देते है, न सिर्फ उनके दिमाग संकिर्ण होते है बल्कि वे पार्टी का हित न हो, या श्रेय दूसरे संगठन को मिलता हो तो मिशन के काम से अपना हाथ खींच लेते है। पूरी प्रक्रिया को महत्व देने का सबसे बडा फायदा यह है कि इससे समाज के हर किस्म के चाहे वह डरपोक हो या बहादूर, गरीब हो या मध्यमवर्गीय, पढा लिखा हो या अनपढ़ हर इन्सान को उसका मिशन में उपयोगी किरदार अदा करने का मौका मिलता है। यही वजह है कि डॉ॰ अम्बेडकर ने गांधी के पाखंड का मुकाबला करने के लिये धार्मिक साधूओं को मैदान में आने को कहा था :– सिर्फ तर्कवाद से लोगों के मन के चमत्कार का भ्रम दूर नही किया जा सकता। इसलिये इस ''महात्मा'' को किनारे लगाने के लिये दिगर धार्मिक महात्माओं ने राजनीति में

सक्रिय होकर अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियाँ कायम करना चाहिये। यह बात मै पूरी गंभीरता से कह रहा हूं क्योंकि इस तरह वे एक–दूसरे का विनाश कर भारत को महात्माओं के चंगूल से बचाने में मदद करेंगे। अगर उन्होने एक–दूसरे का नाश नही भी किया और सिर्फ प्रतिस्पर्धी बन गए तो भी मौजूदा फासिज्म तो दूर होगा। (Dr. Ambedkar, Vol. 20 (1929-56), p.231-32) डॉ॰ अम्बेडकर ने दलितों को कम्युनिस्ट पार्टी में जाने से भी नही रोका। उनके साथ न सिर्फ सहयोग किया बल्कि उन्हे अपने खुद के अनुभवों से सीखने का मौका दिया। भूमिगत कॉ॰ मोरे को शरण देने का काम दादासाहब रुपवते इ॰ शेडयुल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने किया। उनके लिये खबरें लाने ले जाने तक का काम किया। जब कॉ. मोरे जेल में थे तब पडौसी दलित उनके घर खाना भेजते थे। कॉ मोरे को आर्थिक तंगी हुई तो डॉ॰ अम्बेडकर ने अपने कार्यकर्ताओं को उन्हे मदद करने को कहा। डॉ. अम्बेडकर ने कॉ. मोरे को वे कम्युनिस्ट पार्टी में होने के बावजूद 1937 में बंबई विधिमंडल के लिये हुए चुनाव की तथा सन् 1946 के चुनाव में भी उन्हे टिकट देने की पेशकश की और कम्युनिस्ट पार्टी छोडने की शर्त भी नही रखी थी।

सन् 1945 में पेरिस में होने जा रही मजदूरों की अंर्तराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भारत के नुमाइन्दे के रुप में आयटक ने भेजी गई लिस्ट में {ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेता} ना.म. जोशी इनका कामगारों के नुमाइन्दे के रुप में और एस.एम. मिरजकर आर.ए. खेडगीकर, पी.एल.के. शर्मा {सभी ब्राह्मण} और अब्दूल मोमिन, प्रतिनिधियों के सलाहगार के रुप में चुना गया था। लेकिन {दलित} मोरे का नाम नही था। डॉ. अम्बेडकर ने मजदूर मंत्री के अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ मोरे को चुना बल्कि उनके साथी डी. जी. जाधव को पहले लेबर कमिश्नर बनाया और उन्हे भी सरकार के सलाहगार नुमाइन्दे के रुप में पॅरिस कॉन्फेन्स के लिये चुना। मिरजकर इ॰ सभी {ब्राह्मण} पहले ही पॅरिस जा चुके थे। कॉ. मोरे और डि.जी. जाधव को हवाई जहाज तक छोडने उनके दलित साथी ही थे। कॉ. मोरे ने इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लेबर कॉन्फ्रेंस में दलित मजदूरों के सवालों के बारे में दुनियाँ के मजदूरों को जानकारी दी और बताया कि बंबई के कपडा बुनने के विभाग में मुस्लिम और इसाईयों को काम दिया जाता था लेकिन सिर्फ दलितों को काम की मनाई थी क्योंकि वहां धागा अपने मुँह में पकडना होता था। दलितों के सवालों को उठाने के लिये {ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्ट नेताओं ने कॉ॰ मोरे की आलोचना की कि वे अंत में अपनी जाति पर चले गये। {यानि समानता की बात उठाना जातिवाद है।} डॉ. अम्बेडकर ने कॉ. मोरे को खबर भेजी कि वे सरकारी खर्चे से पॅरिस रुककर लेबर ॲडवाईजर का कोर्स पूरा करे ताकि भारत पहुँचने पर उन्हे लेबर ॲडवाईजर के रुप में मजदूरों की खिदमत करने का मौका मिलेगा। कॉ. मोरे के इन्कार के बाद डॉ. अम्बेडकर ने उनके साथी कॉ. निंबकर को लेबर ॲडवाईजर बनाया। (कॉ. सत्येंद्र मोरे, p.149-150-154, 173,192-93,196-220)

डॉ. अम्बेडकर ने 29 फरवरी 1952 को भाउराव गायकवाड को लिखे खत में कहा कि वे जानते है कि दलितों की हालत कितनी ज्यादा बदतर है और उन्हे

इस हालात से फौरन बाहर निकालना जरुरी है। मै तो दलितों को इस बात की इजाजत तक देने के लिये तैयार हुं कि वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो जाये बशर्ते कि कम्युनिस्ट पार्टी उन्हे उनकी बदतर हालत से फौरन निकाल सके। (Dr. Ambedkar Vol.21, p. 368) डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा कि अगर आप अपनी युनियन नही बना सकते तो आप किसी भी युनियन में शामिल हो सकते है। लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि यह युनियन आपको अपने मकसद के लिये इस्तेमाल न करे। इस खतरे को टालने के लिये आपने इन युनियनों के सामने दो शर्ते रखनी चाहिये। पहली शर्त यह की युनियन के पदाधिकारियों में आपको विशेष प्रतिनिधित्व हासिल हो ताकि अछूतों के मसलों पर खास ध्यान और समर्थन दिया जा सके और दूसरी शर्त यह कि आपके आर्थिक सहयोग का एक बडा हिस्सा आपके सवालों को सुलझाने पर खर्च किया जाये। इन दो शर्तो पर ही आपने सामान्य युनियनों में शामिल होना चाहिये। (Dr. Ambedkar : Vol. 17 Part III, P. 184-87)

ब्राह्मणवाद की रक्षा के लिये जाति विरुध्द वर्ग का प्रतिक्रांतिकारी विवाद ।

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं ने दलितों को यह कहकर गुमराह किया कि औद्योगिकरण होते ही सामाजिक विषमता मिट जायेगी इसलिये सामाजिक विषमता के खिलाफ लडने की कोई जरुरत नही है। यह दलील इसलिये सख्ती से पेश की गई ताकि ब्राह्मणवाद की रक्षा हो सके।

जर्मनी, जापान, अमरिका, इग्लंड इ॰ मुल्कों में सबसे ज्यादा औद्योगिकरण हुवा है। लेकिन क्या इंग्लेंड में औद्योगिकरण से नस्लवाद मिट पाया है ? अमेरिका में हुआ औद्योगिकरण क्या काले लोगों के सामाजिक अत्याचारों को मिटा सका है ? क्या रंगभेद, नस्लवाद मिट गया है ? इन अत्याचारों के विरोध में उन्हे कडा संघर्ष करना पडा है। औद्योगिकरण से इनमें से किसी भी मुल्क में इन्केलाब नही हुआ है, इसलिये स्पष्ट था कि भारत में भी औद्योगिकरण से इन्केलाब नही होगा। (वि.टी. राजशेखर, 8-9, Who is Ruling India) भगत सिंह ने दलितों को पहले सामाजिक इन्केलाब और इसके बाद राजकीय और आर्थिक इन्केलाब करने की सलाह दी थी। भगतसिंह पिछडी कम्बोज जाति से थे।

मान॰ कोवेना ने युरोप में पाए जाने वाले तबके और भारत की जाति व्यवस्था के बीच के बताए कुल 61 फर्को में से कुछ अहम फर्क हम नीचे दे रहे है :- 1) युरोप में चंद तबके है जबकि भारत में लगभग 6000 जातियाँ है। युरोप में एक जैसी किस्म के तबके है जबकि भारत के अलग-अलग राज्यों में कोई एक जाति भी एक दूसरे से काफी अलग है। 2) युरोप के सभी वर्गो की एक ही भाषा है जबकि ब्राह्मणों की संस्कृत भाषा के सुनने तक की मूलनिवासियों पर पाबंदी थी।

बाकी जातियाँ 1000 से ज्यादा भाषाएं बोलती है। 3) युरोप के शोषकों ने अवाम से अलग अपनी पहचान खत्म की है जबकि ब्राह्मणों ने धार्मिक अलगाव से अपनी खास पहचान और बढतरी कायम रखी है। 4) युरोप में धार्मिक हुकुमत सियासी हुकुमत के नीचे है जबकि भारत में सियासी हुकुमत ब्रह्मण-धर्म के अधीन है। 5) युरोप में कोई भी पूजारी बन सकता है लेकिन भारत में सिर्फ ब्राह्मण ही पूजारी बन सकता है। 6) युरोप के शोषकों ने शोषितों की मेहनत का कम मुआवजा देकर शोषण किया जबकि भारत में सवर्ण तबके ने बिना कुछ दिए न सिर्फ बहुजनों की मेहनत का शोषण किया बल्कि उन्हे जानवरों से भी बदतर बनाकर हैवानियत भरे जुल्म ढाये। 7) युरोप के मुल्कों में सत्ताधारी तबके ने अपने इलाकाई धर्म के बदले इसाई धर्म और इस्लाम को बढने दिया जबकी भारत में ब्राह्मणवाद ने बुध्दिजम, जैनिजम, और सीख धर्म के प्रचार पर पाबंदी आयद की। 8) युरोप के सत्ताधारी तबके ने शोषितों को अपना दुश्मन नही समझा जबकि भारत के उच्च वर्णियों ने मूलनिवासियों को अपना दुश्मन समझकर इन्तेकाम जारी रखा है। 9) युरोप में शोषण खासकर शारीरिक है जबकि भारत में जातियों का शोषण शारिरिक और मानसिक दोनों है। 10) युरोप का सत्ताधारी तबका शोषितों को उच्च पद हासिल करने से नही रोकता जबकि ब्राह्मण धर्म भारत के मूलनिवासियों को और औरतों को (95% आबादी को) उच्च पद धारण करने से मना करता है। ब्राह्मण-धर्म के मुताबिक ब्राह्मण चाहे निबुध्द से निबुध्द और भ्रष्ट क्यों ना हो वह काबिलतम बहुजन से भी उंचा है। 11) युरोप में इन्सान के साथ इन्सान छुआछूत का पालन नही करता जबकि भारत में ब्राह्मण-धर्म के मुताबिक उच्च वर्ण को छुने पर ही नही बल्कि उसके ब्राह्मण को दिखाई देने तक पर पाबंदी थी। 12) युरोप के उच्च तबके ने शोषितों को तालिम से महरुम नही किया जबकि भारत में ब्राह्मण-धर्म ने बहुजनों को तालिम से महरुम किया। 13) युरोप में वर्ग जन्म के आधार पर नही बनते जबकि भारत में वर्ग या जाति जन्म के आधार पर बनती है। 14) युरोप में अंतरवर्गीय शादी और अंतरवर्गीय खाना खाने पर पाबंदी नही है। ब्राह्मण धर्म के मुताबिक अंर्तजातीय शादी और अंर्तजातीय खानपान पर पाबंदी है। 15) युरोप के उच्च तबके ने बदलते हालातों के मुताबिक खुद को बदला है जबकि भारत का उच्च वर्ण अभी भी आदीम विचारधारा में जकडा हुआ है। 16) युरोप का उच्च तबका शोषण के मामले में शोषित समाज का खुला दुश्मन है जबकि भारत में ब्राह्मण-धर्म का उच्च वर्ण खुद को बहुजनों का हितचिंतक और मुक्तिदाता जताता है। इसलिए वह बहुजनों का सबसे खतरनाक दूश्मन है। 17) युरोप का उच्च तबका देशद्रोही नही रहा जबकि भारत के उच्च वर्ण ने अपने मतलब के लिए हमेशा देशद्रोह किया है। 18) युरोप में सामाजिक बदलाव तरक्की की दिशा में है। जबकि भारत में ब्राह्मण धर्म सामाजिक बदलाव को उल्टी दिशा, भूतकाल में ले जा रहा है। 19) युरोप में इन्सान की आर्थिक हालात के बदलते ही उसका वर्ग बदलता है जबकि भारत में आर्थिक हालत का जाति पर कोई फर्क नही पडता। इसलिए युरोप के उपायों को भारत में लागू करने की कोशिश करने का मतलब बहुजनों को धोखा देना है। (Kovena, The Alternative, p.9-16) ''छुआंछूत की समस्या'' शीर्षक

के तहत किर्ती नामक पत्रिका में 1928 में भगत सिंह के लिखे विचार प्रकाशित हुए। भगतसिंह के दस्तावेजों के अंशों के मुताबिक :- हमारा मुल्क आध्यात्मवादी है लेकिन हम अछूतों को इन्सानियत का ओहदा देते हुए भी हिचकिचाते है। पूरी तरह से भौतिकवादी कहलाने वाला युरोप कई सदियों से इन्कलाब की आवाज उठा रहा है। उन्होने अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों के दौरान ही समानता की घोषणा कर दी थी। हम उलाहना देते है कि हमारे साथ विदेशों में अच्छा सलूक नही होता। क्या हमें यह शिकायत करने का हक है ? जनाब नूर महम्मद कहते है कि जब तुम एक इन्सान को पीने के लिये पानी देने से भी इन्कार करते हो, जब तुम उन्हे स्कूल में पढने भी नही देते हो, जब तुम उन्हे बराबरी का हक देने से भी इन्कार करते हो तो, तुम ज्यादा सियासी हक मांगने के हकदार कैसे बन गये ? बात बिल्कुल खरी है। लेकिन यह बात एक मुस्लिम ने कही है इसलिये हिन्दू कहेंगे कि देखो, वह अछूतों को मुसलमान बनाना चाहते है। जब तुम उन्हे पशुओं से भी गया बिता समझोगे तो वह जरुर ही दूसरे धर्मो में शामिल हो जाएंगे, जिनमें उन्हे ज्यादा हक मिलेंगे, जहां उनसे इन्सानों जैसा बर्ताव किया जाएगा। अंग्रेजों से ज्यादा हकों की मांग के लिये अपनी कौम की तादाद बढाने की फिक्र सभी को है। मूस्लिमों, इसाईयों को अछूतों का धर्मातरण करते देख सिखों ने भी सोचा कि कहीं हम पीछे न रह जाये। .... लेकिन जरुरत यह है कि सभी ने अछूतों से अपने किये पापों के लिये माफी मांगकर उन्हे अपने जैसा इन्सान समझना चाहिये। बिना अमृत छकाये, बिना कलमा पढाये, बिना बाप्तिस्मा या शुध्दी किये उन्हे अपने में शामिल करके उनके हाथ से पानी पीना यही सही तरिका है। {इससे साफ है कि भगतसिंह इस असलियत से भली भांती वाकिफ थे की इन सभी धर्मो में दलितों के साथ बुरी तरह से भेदभाव किया जाता था।} हम तो साफ तौर से कहते है कि उठो, अछूत कहलाने वाले भाईयों उठो ! अपना इतिहास देखो। गुरु गोविन्द सिंह की असली ताकत तुम्ही थे। शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सबकुछ कर सके, जिसकी वजह से उनका नाम आज भी जिन्दा है। तुम्हारी कुर्बानियाँ स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई है। लैंड-एलिनेयेशन एक्ट के मुताबिक तुम पैसा जोड कर भी जमीन नही खरीद सकते। असल में खुद कोशिश किये बिना कुछ भी नही मिल सकेगा। जिन्हे आजाद होना है उन्होने खुद जुल्म के खिलाफ प्रहार करना चाहिये, कहावत है ''लातों के भूत बातों से नही मानते'', संगठित होकर पूरे समाज को चुनौति दे दो, तब देखना, कोई भी तुम्हे तुम्हारे हक देने से इन्कार करने की जुर्रत नही कर सकेगा। ... धीरे धीरे होनेवाले सुधारों से कुछ नही हो सकेगा, सामाजिक आन्दोलनों से इन्केलाब पैदा कर दो और सियासी और आर्थिक इन्केलाब के लिये कमर कस लो। तुम ही तो मुल्क की अहम बुनियाद हो, असली ताकत हो, सोये हुए शेरो ! उठो और बगावत खडी कर दो ! (अम्बेदकर मिशन पत्रिका, अगस्त 2004, संदर्भ - भगतसिंह और उनके साथियों का दस्तावेज p.225-29) भगतसिंह के इन्ही विचारों की वजह से मनुवादी गांधी ने भगत सिंह को ब्राह्मणवाद का घोर विरोधी जानकर फाँसी के फंदे पर झुल जाने दिया था।

सभी मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेता हम मूलनिवासी बहुजनों के हकों को नकारते है !

माओवादियों के दलों समेत भारत के सभी कम्युनिस्ट संगठन वर्गवाद का ढोंग रचाकर अपनी बेतुकी और मक्कारी भरी दलिलों से ओबीसी, दलित, मुस्लिम आदिवासियों को नौकरियों, शिक्षा, राजनीति इ॰ क्षेत्रों में उनकी आबादी के अनुपात में उनका आरक्षण यानि प्रतिनिधित्व नकारकर इस बात को सुनिश्चित करते रहे है कि उनके जातभाई आर्य-ब्राह्मणों का हर क्षेत्र पर मुकम्मल कब्जा रहे। सभी कम्युनिस्ट पार्टियों के ब्राह्मणवादी नेताओं के कारनामों से नीचे दिये नतिजे निकलते है :– 1) भारत में शोषण के खिलाफ सच्चा इन्केलाबी संघर्ष हमेशा से भारत की मूलनिवासी शोषित-पिछडी जातियों ने किया है। उन्ही के बलिदानों और कोशिशों से इन्केलाबी संगठनों का विकास हुआ है और वे मजबूत होते चले गए। 2) भारत का आर्य-ब्राह्मण प्रतिक्रांतिकारी वर्ग है जो किसी भी किमत पर इन्केलाबी संघर्षो को मजबूत होते नही देख सकता इसलिये इस प्रतिक्रांतिकारी वर्ग ने मक्कारी से शोषितों के क्रांतिकारी संगठनों का नेतृत्व हथियाकर आजतक उसे तोडने-कूचलने का काम किया है ताकि भारत में ब्राह्मण-बनिया राज कायम रहे। 3) तमाम मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं का मूल मकसद भारत में इन्केलाब को नामुमकिन बनाना है ताकि भारत में ब्राह्मण-राज कायम रखा जा सके। 4) मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं का मकसद भारत की मूलनिवासी जातियों से इन्तेकाम लेना है। जिसके लिये वे विभिन्न ब्राह्मणवादी दलों की ताल से ताल मिलाकर काम करते है। 5) सभी कम्युनिस्ट दलों का ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांतिकारी नेतृत्व बहुजनों के पार्टि-संगठनों पर अपना नेतृत्व हर हाल में बरकरार रखना चाहता है इसलिये इन्होने :- अ) कार्यकर्ताओं को मूल क्रांतिकारी साहित्य पढ़कर और आपसी चर्चाओं से समझकर अपनी सोच को विकसित करने के लिये कभी संजीदा कोशिशें नही की। ब) आज हालत यह है कि अखिल भारतीय किताब मेलों में भी साम्यवादी साहित्य नजर नही आता जबकि बहुजनवादी साहित्य बहुतायद में पाया जाता है। क) मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेतृत्व ने पार्टी विचारधारा में जटील शब्दावली के प्रचलन को मजबूत किया है ताकि मूलनिवासियों के मन में दुविधा और असमंजस पैदा हो और वे ब्राह्मणवादियों की नकली बौध्दिक धौंस में आकर बिना चूँ-चपड किये इनके नेतृत्व को कबूल कर ले। ''संशोधनवाद'' की जगह ''मूल विचारों में बदलाव करना'' कहने से कार्यकर्ताओं का ध्यान कारणों पर केन्द्रित होता है। इसलिये ऐसी आसान शब्द रचना जो बहुजनों को सोचने पर बाध्य करती है, इस प्रतिक्रांतिकारी नेतृत्व को मान्य नही है। इसलिये वे दक्षिण पंथी तथा वामपंथी भूलें, उत्पादक शक्तियाँ, उत्पादक संबंध, बुर्जुआ, निम्नबुर्जुआ, संशोधनवाद इ॰ कई जटील शब्दों के इस्तेमाल से लोगों को भ्रमित करते रहते

है। ड) शोषित कार्यकर्ताओं पर अपना नेतृत्व लादे रखने के लिये इन्होने शोषितों के नेतृत्व को एक सीमा से ज्यादा नही उभरने दिया। जो शोषित इनके नेतृत्व के लिये चुनौति बने उन्हे पार्टी से निकालने या निकलने पर मजबूर होने का काम किया है। इ) मूलनिवासियों के स्वतंत्र संगठनों का इन्होने नीचता की तमाम हदें पार करते हुये विरोध किया है क्योंकि इससे ब्राह्मणवादी नेतृत्व खतरे में पडता है। उपर दिये निष्कर्षो की रोशनी में ब्राह्मणवादियों की बहुजनों के आरक्षण के खिलाफ दी हुई दलिलों को सही अर्थो में समझा जा सकता है :–

ब्राह्मणवादी गदर पार्टी के मुताबिक जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था जातिवाद को दूर करने के मकसद से की गई। .... इसका पहला मकसद इन जातियों के मुखर सदस्यों की व्यक्तिगत विकास की आकांक्षाओं को शासन-व्यवस्था के भीतर सीमित करना तथा इन शाोषित जातियों में जाति - पहचान (caste identity) तथा जाति-चेतना (caste consciousness) पैदा कर उनकी वर्गीय चेतना को खत्म कर संपूर्ण मानवीय क्षमता के विकास को रोकना था। जो लोग खुद को कम्युनिस्ट कहते है लेकिन आरक्षण-समर्थक खेमे में चले गए है वास्तव में इस बात से इन्कार करते है कि भारत में इन्केलाब की जरुरत है और इन्केलाब मुमकिन है। .... आरक्षण की बहस जनता के मूल मसले से ध्यान हटा देती है। ....कुछ जातियों को आरक्षण देने से जाति-समूदायों के लोगों के बीच प्रतिस्पध र्ा और दूश्मनी पैदा होगी। आरक्षण देने का मतलब रोग की जड का इलाज करने की बजाय कहीं और इलाज करने जैसा है। .... कम्युनिस्ट आन्दोलन में आरक्षण-समर्थक नीति हमारा ध्यान इस पूंजीवादी - साम्राज्यवादी शोषण व्यवस्था में क्या हासिल हो सकता है इसी पर सीमित कर देती है। आरक्षण-समर्थक नीति का मतलब शोषितों को यह बताना है कि इस शोषण-व्यवस्था में आरक्षण आपका हक है लेकिन इससे ज्यादा के लिये तुम कतई संघर्ष न करो। इसतरह शोषक वर्ग आरक्षण का इस्तेमाल शोषित वर्ग को जातियों के आधार पर गहराई से बाँटने की राजनीतिक कूटनीति के तौर पर करता है ताकि वे वर्ग के आधार पर कतई संगठित न हो सके। कम्युनिस्ट पार्टियों में जो लोग शोषक वर्ग की इस आरक्षण नीति की हिमायत करते है वे शोषक वर्ग के खिलाफ राजनीतिक एकता पैदा करने में कोई योगदान नही दे रहे है बल्कि इसके विपरित वे जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा, दूश्मनी को बढावा देकर इस राजनीतिक एकता को नष्ट कर रहे है। (http://pv.cgpi.org/cgpi.org/images/hamar.gif People's Voice (English Fortnightly) - Web Edition Published by the Communist Ghadar Party of India Caste-based reservation policy and the communist approach) सी.पी. आई.एम.एल के मुताबिक ओबीसी क्रिमी लेयर को आरक्षण से वंचित करने के कोर्ट के फैसले का समर्थन कर, क्या पार्टी ने सहभागात्मक लोकतंत्र (participatory democracy) के विस्तार को बडा नही किया है और प्रशासनीक मशीनरी को और ज्यादा लोकतांत्रिक नही बनाया है वर्ना क्रिमी लेयर के लोग जो मुक्त प्रतिस्पर्धा की काबिलियत हासिल कर चुके है वे सारे आरक्षण को हडप जाते। ....श्री मॅथ्यु के साथ यह सबसे बडी समस्या है कि उसके सर्वहाराओं में सिर्फ दलित सर्वहारा,

गांवों के सर्वहारा तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूर शामिल है जिनका उंची जाति से आये हुए औद्योगिक सर्वहाराओं के साथ संघर्ष है। इसके अलावा यह दलित सर्वहारा अपने साथ पिछडी जातियों के जमींदारों तथा पूंजीपतियों को भी अपने सहयोगियों के तौर पर शामिल करता है। (http://www.cpiml.org/index.htm More on the Antithesis of Class and Caste [Reply to Mr.Thomas Mathew's rejoinder. From Liberation, January 1995.])

ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं की उपरोक्त दलीलें ढोंग, मक्कारी के सिवा कुछ नही है :— गदर पार्टी के ब्राह्मणवादी नेतृत्व की सोच पूरी तरह से गलत है कि आरक्षण का मकसद जातियता को दूर करना है। बाबासाहब डॉ॰ अम्बेडकर स्पष्ट कर चूके है कि जातियता तबतक दूर नही होगी जबतक सभी जातियाँ एकदूसरे की जातियों में शादियाँ नही करती। आरक्षण गरीबी हटाने का कार्यक्रम भी नही है क्योंकि आबादी की तुलना में नौकरियों की तादाद एक चौथाई भी नही होती। यानि हर जाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में नौकरियां दे दी जाये तब भी देश की 75% से ज्यादा की आबादी बिना नौकरियों के रहेगी। गरीबी हटाने के लिये नरेगा,भूमिसुधार, स्वँयरोजगार इ. कार्यक्रम है।

भले ही भारत के लोग अंग्रेजों की तुलना में कम प्रतिभाशाली थे फिर भी हमने अंगेजों से इसलिये आजादी हासिल की क्योंकि भारत के नागरीक होने के नाते भारत पर हमारा हक था। उसी तरह भारत के नागरीक और मूलनिवासी होने के नाते शासन-प्रशासन और हर क्षेत्र में अपने समुदाय की आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व हासिल करना हर जाति-समुदाय का बुनियादी हक है। परिवार के किसी भाई को इस आधार पर उसका हिस्सा नही नकारा जा सकता कि वह अंधा है या लंगडा है। आरक्षण का मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज को प्रतिनिधित्व देना है। आरक्षण जातियों को प्रतिनिधित्व देने का मसला है इसलिये संविधान में क्रिमी लेयर का प्रावधान ही नही है। जिवन के हर क्षेत्र में आरक्षण हासिल करना बहुजनों का हक है क्योंकि वे इस देश के मेहनतकश नागरिक है। उन्ही के श्रम से अंततः सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टॅक्सों की अदायगी होती है भले ही टॅक्स कोई भी वर्ग क्यों ना भरता हो। भारत के दलित आदिवासियों का आरक्षण से भी ज्यादा का अतिरिक्त हक है क्योंकि हिटलर व्दारा यहूदियों के जर्मनी में किये गये कथित जनसंहार के लिये जर्मनी अबतक इजरायल को भारी मुआवजा अदा कर रहा है। जबकि इस जनसंहार पर प्रश्नचिन्ह लगाये गये है। जिसपर खुली बहस को नकारा गया है। ऐसी कोई बात दलित-पिछडों के साथ नही है। उनपर हजारों सालों से होने वाले अमानवीय बर्ताव को कोई भी नकार नही सकता इसलिये वे आर्य-ब्राह्मणों पर इसका विशेष टॅक्स लगाकर उनसे अलग से भारी मुआवजा पाने के हकदार है। अगर इजरायल को भारी मुआवजा देने के लिये जर्मनी को मजबूर किया जा सकता है तो उसी नियम के तहत दलितों को मुआवजा देने के लिये आर्य-ब्राह्मणों पर अलग से टॅक्स लगाया जाना चाहिये था। लेकिन दलित सिर्फ और सिर्फ अपने प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे है आर्य-ब्राह्मणों से अलग से

मुआवजे की नही यह उन्होने अपनी गनिमत समझना चाहिये।

डॉ॰ अम्बेडकर तथा सभी शोषितों को आरक्षण को लेकर इससे ज्यादा उम्मीद नही रही है कि आरक्षण की बदौलत शिक्षा और पद हासिल करने के बाद शोषित जाति-समूहों में अपने समाज का नेतृत्व खुद करने की काबिलियत पैदा होती है। लेकिन यही बात कम्युनिस्ट पार्टियों के ब्राह्मणवादी नेताओं की आँखों में काँटों की तरह खटकती है। कम्युनिस्ट पार्टियों को छोटे पूंजिपतियों तथा छोटे जमींदारों से भी संयुक्त मोर्चा बनाने में कोई ऐतराज नही रहा है लेकिन उन्हे आरक्षण की बदौलत शोषित जातियों में पैदा होने वाला जागरुक निम्न मध्यम वर्ग काँटों की तरह खटकता है क्योंकि यह वर्ग ब्राह्मणवादियों व्दारा छीने गए अपने हकों के एक हिस्से को हासिल करने से पैदा हुआ वर्ग है।

ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं की पाखंडी दलिल है कि आरक्षण से जातियों में दुश्मनी पैदा होती है। मंडल आयोग को लागू कर ओबीसी जातियों को आरक्षण देने के लिये दलितों के संगठनों ने ही सारे देश में पुरजोर ढंग से आन्दोलन किया था। तो क्या दलित संगठन दलित-ओबीसी जातियों के बीच दुश्मनी पैदा करना चाहते थे ? मंडल आयोग लागू होकर ओबीसी जातियों को आरक्षण मिलते ही ओबीसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासियों के बीच कभी न देखी गई एकता का माहौल पैदा हुआ। इसलिये स्पष्ट है कि आरक्षण शोषितों के बीच दूश्मनी नही बल्कि एकता पैदा करता है।

जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा और दूश्मनी तब पैदा होती है जब कुछ शोषित जातियों को उनके प्रतिनिधित्व से महरुम रखा जाये और सिर्फ कुछ को लाभ दिया जाये। सरकार पर काबिज ब्राह्मणवादियों ने 52% जनसंख्या वाले ओबीसी समाज को आरक्षण से वंचित रख कर विशाल ओबीसी समूदाय को दलित-आदिवासियों के खिलाफ दूश्मनों के तौर पर इस्तेमाल किया है। आरक्षण की नीति पर सही तरीके से अमल न करने से ही जातियों के बीच दूश्मनी पैदा होती है। मिसाल के लिये भारत की सरकार पर काबिज काँग्रेस, बिजेपी, नकली कम्युनिस्ट पार्टियों के ब्राह्मणवादियों ने शोषित जातियों को उनके पिछडेपन के आधार पर क्षेणियाँ बनाकर उनकी तादाद के मुताबिक आरक्षण देने की बजाय अर्ध विकसित व अविकसित जतियों को एक ही क्षेणी में रखा ताकि अविकसित जातियों में अर्धविकसित जातियों के प्रति गुस्सा पैदा हो।

सरकार पर काबिज ब्राह्मणवादियों ने जानबूझकर क्रिमी लेयर का प्रावधान किया है ताकि शोषित जातियों के बच्चों को ''उपयुक्त नही'' की सबब देकर आरक्षण से ही वंचित रखा जाये। क्रिमी लेयर के युवकों को योग्य नही करार देना मुमकिन नही होता। खुद सुप्रिम कोर्ट इस बात को अच्छी तरह से समझता है और आर्य-ब्राह्मणवादियों को फायदा पहुंचाने के लिये ही जानबूझकर उसने क्रिमी लेयर का अडंगा लगाया है :- सुप्रिम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि ओबीसी की रिक्त हुई सिटों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जाये। (लोकमत समाचार, 13 अप्रैल 2008) लेकिन सामान्य वर्ग की सीटों के लिये कभी कोई

क्रिमी लेयर का प्रावधान नही रखा गया। क्या यह दोगला पक्षपातपूर्ण रवैया नही है ? सभी आर्य-ब्राह्मणों की गरीबों के लिये दिखाई जाने वाली हमदर्दी मक्कारी के सिवा कुछ नही है क्योंकि खूली श्रेणी में क्रिमी लेयर क्यों नही है ? इन्ही की दलीलों के मुताबिक क्या खुले वर्ग के गरीबों को संरक्षण नही मिलना चाहिये ? भाजपा के विमुक्त जाति के सांसद तथा बंजारा क्रांति दल के अध्यक्ष हरिभाउ राठौर ने कहा है कि जिस तरह से आरक्षित वर्ग के क्रिमी लेयर को नौकरियों तथा शिक्षा में आरक्षण से बाहर किया गया है उसी तरह सामान्य वर्ग के क्रिमी लेयर को सरकारी नौकरियों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से वंचित रखने की मांग की है ताकि सामान्य वर्ग के गरीब तबके को ये सिटें हासिल हो सके। (भाष्कर, 7 नवंबर 2006) न्याय-व्यवस्था को ओबीसी के पदों को ओबीसी के क्रिमी लेयर को देने से इन्कार है लेकिन ओबीसी के पदों को ब्राह्मण-बनीयों के क्रिमी लेयर को देने से कोई ऐतराज नही है। यह कैसा विरोधाभास है ?

आरक्षण जातियों को प्रतिनिधित्व देने का मसला है इसलिये संविधान में क्रिमी लेयर का प्रावधान ही नही है। क्रिमी लेयर ब्राह्मणवादी शैतानी दिमाग की उपज है जो न्यायव्यवस्था की मदद से मक्कारी से लागू की गई है। ओबीसी क्रिमी लेयर को बाहर रखना असंवैधानिक, गैरकानूनी और अनैतिक है। ज्यादा से ज्यादा क्रिमी लेयर को उसकी तादाद के मुताबिक आरक्षण कोटा निर्धारित कर आरक्षण देने और अगर ओबीसी के गैरक्रिमी लेयर के उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो ओबीसी क्रिमी लेयर से ओबीसी सीटें भरने का प्रावधान करना न्यायसंगत है। लेकिन ऐसा जानबूझकर नही किया गया ताकि मूलनिवासी बहुजनों के हकों को ब्राम्हणवादी आसानी से हडप सके।

क्रिमी लेयर के लोग ही पढ लिखकर योग्य बनते है इसलिये उन्हे उपयुक्त नही कहकर नकार देना ब्राह्मणवादियों के लिये मुमकिन नही होता। जब क्रिमी लेयर को ही हटा दिया जाता है तो जान-बुझकर बदतर बनाई गई सरकारी स्कूलों में पढे हुए छात्रों को उपयुक्त नही कहकर उन्हे आसानी से पद नकारे जा सकते है।

क्रिमी लेयर के प्रावधान का दूसरा मकसद सारे बहुजन समाज को उसके नेतृत्व से वंचित करना है क्योंकि अशिक्षित या कमशिक्षित अवाम शिक्षा, जागरुकता, धन तथा संगठन के अभाव के चलते अपनी लडाई खुद लडने में अक्षम होता है। समाज का शिक्षित वर्ग ही पढ-लिखकर शोषण की बारिकियों को अनुभव कर दमन और शोषण के खिलाफ आवाज उठाता है और जनता से सहयोग हासिल करता है।

सुप्रिम कोर्ट का कहना है कि ओबीसी की जनसंख्या का आंकडा 1931 का है इसलिये उन्हे मंजूर नही है। लेकिन :- 1) जब ओबीसी को दिया जाने वाला आरक्षण सुप्रिम कोर्ट ने गैरसंवैधानिक तरिके से **27** फीसदी कर दिया है और ओबीसी की जनसंख्या जो तब **52** फीसदी मानी गई थी तो आज वह **27** फीसदी से कम कैसे होगी ? तब सुप्रिम कोर्ट का ओबिसी की जनसंख्या नये सीरे से जानने का हठ क्यों ? 2) जब 15 नवंबर 1992 को सुप्रिम कोर्ट की नौ जजों की पूरी बेंच ने ओबीसी के इसी आकडे को मंजूर किया था तो अब इसे मानने

से इन्कार क्यों ? 3) सुप्रिम कोर्ट ने अब तक ओबीसी की जनगणना करने का सरकार को आदेश क्यों नही दिया ? 4) ओबिसी की गणना करने का काम खुद सरकार ने ही बंद कर दिया था इसमें ओबीसी का क्या कसूर है ? 5) सुप्रिम कोर्ट की यह टिप्पणी कि सरकार को ओबीसी को आरक्षण देने में क्या जल्दी है, ओबीसी जब इतने दशकों तक रुके रहे तो अब उन्हे जल्दी फैसले की दरकार क्यों कहना उसकी घोर मनुवादी मानसिकता को उजागर करती है, ऐसे लोगों से निपक्ष न्याय की उम्मीद ही कैसे की जा सकती है ?

यह बेतुका तर्क दिया जाता है कि आरक्षण से प्रतिभाशाली छात्रों को वंचित होना पडता है और आरक्षण से प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र अयोग्य होते है। वे यह भूल जाते है कि भले ही बहुजन छात्र को उसकी जाति के आधार पर आरक्षण यानि जाति का प्रतिनिधित्व मिला है लेकिन परीक्षा पास करने की कसौटी तो अलग नही थी। सामान्य वर्ग को परीक्षा पास करने के लिये 35 प्रतिशत और आरक्षित छात्रों के लिये 20 प्रतिशत ऐसा तो कभी नही हुआ है। तब आरक्षण पाये हुए छात्र योग्यताहीन कैसे ? जो योग्यताहीन आर्य-ब्राह्मण छात्र बडे बडे डोनेशन देकर प्रवेश पाते है वे डोनेशन देते ही योग्यतापूर्ण कैसे बन जाते है ? शिक्षा में आरक्षण प्राप्त करने के बाद आरक्षित वर्ग के छात्रों को परीक्षा पास करने की कसौटी भी वही होती है जो गैरआरक्षित वर्ग के लिये है तब आरक्षित वर्ग के छात्र अयोग्य कैसे है ?

पहले योग्यता यानि प्राप्त अंकों के आधार पर खुले वर्ग में लोग चुने जाते थे। योग्यता के आधार पर खुले वर्ग में जाने वाले उम्मीदवारों में जबसे दलित, आदिवासी तथा ओबीसी छात्रों की तादाद बढने लगी तब उन्हे रोकने के लिये यह नियम बनाया गया कि खुले वर्ग में जाने के लिये दलित, आदिवासी,ओबीसी छात्र को पहले ही घोषित करना होगा कि वे सिर्फ खुले वर्ग का लाभ लेना चाहते है। कोई भी छात्र ऐसी जोखिम क्यों लेगा इसलिये यह सरासर धोखाधडी है। इतना ही नही तो मनुवादी आर्य-ब्राह्मणों ने आरक्षण की सीमा 50 फीसदी कर के अपने खुद के लिये कम से कम 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था कर ली है। इसके अलावा वे बहुजनों के हकों को भी हडपते रहे है। यहांतक कि उन्होने बहुजनों की सीटें हडपने के लिये नकली जाति-प्रमाणपत्रों का तक सहारा लिया हुआ है।

ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं यह तर्क दिवालिया दिमाग का सबूत है कि आरक्षण का समर्थक होने का मतलब शोषण-व्यवस्था को उखाड फेकने के संघर्ष से दूर हो जाना है। यह दलित-शोषित जातियों की सोच नही बल्कि मनुवादी आर्य-ब्राह्मण नेतृत्व के पाखंडी शैतानी दिमाग की उपज है। हकीकत यह है कि आरक्षण से अपनी हालत बेहतर बनाने की वजह से ही आज ओबीसी, दलित, मुस्लिम आदिवासी अवाम अपने दोस्तों और दुश्मनों की अच्छी तरह से पहचान करने की काबिलियत पैदा कर सका है और संघर्ष में उतर कर ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेतृत्व को चुनौति देने लगा है। दलित, आदीवासी, ओबीसी हकों के लिये तथा समाज के खिलाफ होने वाले अन्याय और उत्पीडन के खिलाफ संघर्ष

करने का काम भी आरक्षण की वजह से पढे लिखे और आर्थीक रुप से स्थापित लोगों ने ही किया है। आरक्षण की वजह से बहुजन अपने खुद के बल पर अपने खुद के नेतृत्व में संघर्ष करने के काबिल बन सका है। इसलिये तमाम मनुवादी आर्य-ब्राह्मण एकजुट होकर बहुजन समाज से उसके क्रिमी लेअर को अलग कर देना चाहते है ताकि वह तबका समाज के संघर्षो से दूर हो जाये। इसी साजिश को आर्य-ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेता अंजाम देने में लगे है।

ओबीसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासियों के संघर्ष से खुद को दूर रखकर, संघपरिवार के ताल में ताल मिलाकर बहुजनों का विरोध और विश्वासघात करने की वजह से ही मूलनिवासी जनता इन मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट पार्टियों से लगातार दूर होती जा रही है। माकपा के प्रस्ताव में कहा गया है कि ... जातीय ताकतें न सिर्फ अपने समर्थकों को प्रभावित करते है बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थकों के एक तबके {मूलनिवासियों को} को भी प्रभावित कर रहे है। केरल में युवक, महिलाओं तथा जनता के अन्य तबकों के संगठन जातीय बुनियाद पर कायम होते जा रहे है। यह प्रवृत्ति मजदूर आन्दोलनों तथा किसान संगठनों तक में पैदा हुई है। ऐसा सांस्कृतिक परिवेश पैदा किया जा रहा है जिसमें जनता की जातीय पहचान और जातिचेतना की प्रसंशा को बढावा दिया जा रहा है। जातियवादी पार्टियों व्दारा देश के स्तर पर उ॰प्र॰, बिहार, इ॰ राज्यों में सत्ता हासिल करना केरल के जातियवादी संगठनों के लिये प्रेरणा बना हुआ है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल ने सत्ता हासिल करने के लिये जातीयता का कारगर तरिके से इस्तेमाल किया है। केरल की जातियवादी ताकतें मुस्लिमों तथा ईसाईयों को दी जा रही सत्ता में भागिदारी की ओर इशारा कर जातीय आधार पर खुद को संगठित कर सत्ता में भागिदारी के लिये मोलभाव कर रही है। एस.एन.डी.पी. संगठन ने अपने इस इरादे का जाहिर तौर पर ऐलान किया है। एन.एस.एस. संगठन ने जाति-आधार पर सर्वेक्षण कराने और जाति-संख्या के अनुपात में शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण तथा शिक्षा संस्थाओं की मांग की है। ऐसे जातीय संगठन जो पहले सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में ही कार्यरत थे, अब सीधे-सीधे राजनीति में दखलंदाजी कर रहे है और एक निर्णायक ताकत के रुप में उभर रहे है। दलित जातियों में सबसे ताकतवर संगठन एस.एन.डी.पी. युनियन है। इसके अलावा पिछडी जाति के कई संगठन है। जैसे कि ढीवर सभा, विश्वकर्मा महासभा, धर्मांतरित दलित इसाईयों के संगठन लॅटिन कॅथलिक असोसिएशन, इ॰ दलित जातियों की हर जाति के संगठन बन चुके है। इनमें पुलाया महासभा, संभव सभा तथा द अधिकृत वर्ग लीग तथा नये दलित संगठन है। आदिवासियों की तादाद भले ही कम है लेकिन उन्होने अपने राज्य स्तर के दो संगठन बनाये है। इनमें आदिवासी क्षेम समिती भी शामिल है। हर जाति में पूंजीवादी तथा मजदूर दोनो वर्ग है। हर जाति में जमींदार वर्ग और खेतिहर मजदूर है। {सफेद झूठ} इन जातीय आधार पर बने संगठनों का मकसद इस हकीकत पर पर्दा डालना है। {सफेद झूठ} ये जातियवादी संगठन शासक पार्टियों के हाथों के हथियार बन चुके है। {कम्युनिस्ट पार्टियाँ ही हमेशा काँग्रेस की पिछलग्गु रही है} इसलीये हमारी {नकली} कम्युनिस्ट

पार्टी ने जातीय आधार पर समाज को बाँटे जाने का {वह तो तूम ब्राह्मणवादियों ने पहले ही बाँट रखा है बच्चू} तथा जातीय अत्याचारों का विरोध करने की मुहिम चलानी चाहिये। माकपा की आरक्षण नीति यह है कि इसका फायदा गरीबों को मिले न कि जाति के मालदार तबके को। (http://www.cpim.org/cpim2.htm Casteist Organisations and the Party* 27-28 March 2003)

माकपा के ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं का यह बयान कि .. ''ऐसे जातीय संगठन जो पहले सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में ही कार्यरत थे, अब सीधे-सीधे राजनीति में दखलंदाजी कर रहे है और एक निर्णायक ताकत के रुप में उभर रहे है। .... '' इनकी फासिस्ट है कि हम दलित-बहुजनों को अपने खुद के नेतृत्व में राजनीति में उतरने का बिल्कुल हक नही है। इनको बसपा, सपा, आरजेडी इ॰ ओबीसी, दलित, आदिवासियों के संगठनों का मजबूत होना अखर रहा है। ये संगठन बहुजन जातियों को एक करके ही मजबूत बने है। इससे स्पष्ट है कि माकपा के ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं को भारत के 85% बहुजन समाज का एक होना काँटों की तरह खटक रहा है। माकपा के आर्य-ब्राह्मण नेता असल में खूंखार जातियवादी सांप्रदायिक पाखंडियों से सिवा कुछ नही है।

बहुजनों के संगठन अगर शोषण के खिलाफ संघर्ष से खुद को अलग कर लेते या ऐसे किसी संघर्ष का विरोध करते तब तो उनके खिलाफ आरोप को समझा जा सकता था। दलित, आदीवासी तथा ओबीसी के संगठन हमेशा ही हर तरह के शोषण के खिलाफ रहे है। उल्टे ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट पार्टियां खुद शोषकों के समर्थन में खडी दिखाई देती है। क्या कभी किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टीयां या गुट होने को लेकर इस तरह गुस्सा या चीढ का इजहार और प्रचार किया है ? बिना किसी सबूतों के माकपा के ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं को दलित-आदिवासियों की हर जाति में पूंजीपति और जमींदारों का नजर आना तथा यह नतिजा निकालना कि जातीय आधार पर बने ओबीसी, दलित, मुस्लिम आदिवासियों के संगठन इस हकीकत पर पर्दा डालना चाहते है उनके ढोंग और मक्कारी की इन्तेहा है। हम दलित-आदिवासियों ने हमेशा ही पूंजीवादी और जमींदारी प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है।

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण माओवादी नेताओं की दलित-बहुजनों के प्रति ढोंगी हमदर्दी की वजह !

माओवादी संगठन के प्रस्तावों के मुताबिक :- माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नौवी एकता कॉन्ग्रेस जनवरी-फरवरी 2007 को हुई जिसमें तीखे दलित मसले पर फैसला लिया गया। भारत में शुरुआती कम्युनिस्टों ने (पढीये संशोधनवादियों ने) जाति के मसले को कभी भी समाज के ''सुपरस्टक्चर'' {गैरमूलभूत संरचना} से ज्यादा महत्व नही दिया। उन्होने यांत्रिक तौर पर यह मान लिया कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव लाते ही अपने आप जातीयता खत्म हो जाएगी। उन्होने जातीय दमन -

शोषण और उसकी छूंआछूत के रुप में होनी वाली खतरनाक अभिव्यक्ति को कभी गंभीरता से नही लिया। माओवादी पार्टी की नौवी कॉंग्रेस ने जाति-व्यवस्था को मूलभूत सामाजिक आधार के रुप में न कि सुपरस्ट्रक्चर के रुप में माना है। पार्टी कॉंग्रेस ने न सिर्फ जातीय अत्याचारों और छूआंछूत के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया है बल्कि जाति-व्यवस्था के पूरी तरह से खात्में के संघर्ष का ऐलान किया है। उसने स्पष्ट रुप से ऐलान किया है कि भारत में सामंतवाद युरोप की तरह नही है और वह बुनियादी तौर से जातीयता और ब्राह्मणवादी विचारधारा से जुडी है। भारत में जाति और वर्गो के बीच गहरा करीबी संबंध है। कुछ समय में ये एकदम एक जैसे तो अन्य समय में भले ही एक न हो फिर भी शोषित वर्ग बुनियादी तौर पर शुद्रों तथा पंचम वर्ण के लोगों से बना है। जबकि शोषक वर्ग व्दिज {आर्य-ब्राह्मण} समाज से होता है। जाति आधारित व्यवसाय समाज में श्रम के बँटवारे का हिस्सा था। {गलत ! डॉ. अम्बेडकर ने बताये मुताबिक यह श्रम का नही बल्कि श्रमिकों का बँटवारा था।} जाति व्यवस्था व्दारा उत्पादन के मुख्य साधन यानि जमीन से संबंधों का निर्धारण करती थी। इसलिये सर्वोच्च जाति के लोगों को ही जमीन की मिल्कियत का या उसपर नियंत्रण रखने का हक था। नीची जाति के लोगों को यह हक नही था। मौजुदा अर्ध उपनिवेशिक भारत में यही हाल कुछ उपरी लिपापोती जैसे बदलाव के बदस्तूर जारी है। यह सामंती हितों में दलितों से और भी ज्यादा आर्थिक शोषण का बायस बनती है। देहातों में जमीन के मालिकों में सवर्ण जातियों तथा पिछडी जातियों के उन्नत तबकों का समावेश होता है। ये लोग धर्म के नाम पर ब्राह्मणवादी विचारधारा का उपयोग अपने शोषितों के और विशेषकर दलितों को अपने नियंत्रण में रखने के लिये इस्तेमाल करते है। भूमिहीन तथा गरीब किसान न सिर्फ आर्थिक शोषण के बल्कि सामाजिक दमन के भी शिकार है क्योंकि वे अक्सर दलित, आदिवासी और पिछडी जातियों से होते है। इस आर्थिक क्षेत्र के बाहर के उत्पीडन से न सिर्फ उनके जीवन में भूखमरी की हालत होती है बल्कि वे सामाजिक दायरे की सीमा में घकेले गए होते है। विभिन्न चिजों के कारिगर भी इसी उत्पीडीत जातियों से होते है। हालांकि इनमें से कुछ खुद भी छूआंछूत का पालन करते है लेकिन उन्हे खुद भी कथित उंची जातियों के हाथों तीव्र दमन झेलना पडता है। पार्टी कार्यक्रम साफ तौर से ऐलान करता है कि लानत भरी जातिव्यवस्था तथा जातीयता, खास तौर से ब्राह्मणवादी जातियता मौजुदा अर्धउपनिवेशिक भारत की विशेषता है। .... इसलिये भारत में छूआंछूत सहीत जातिव्यवस्था के खात्में के लिये ब्राह्मणवाद की हर अभिव्यक्ति के खिलाफ संघर्ष करना नई लोकतांत्रिक क्रांति की अनिवार्य विशेषता है। जातीयता और ब्राह्मणवाद अनिवार्य तौर से उच्च वर्ग की विचारधारा है जिससे उन्हे अपनी जाति के दिगर जातियों पर बढतरी का जन्म से ही एहसास होता है और इसे धार्मिक मंजूरी हासिल है। शोषक वर्ग के लिये दमित जनता को विभाजित करने का यह एक सशक्त हथियार भी है जो किसी भी शोषण व्यवस्था के लिये एक आदर्श स्थिति है। सामाजिक तौर से तथा वैचारिक रुप से ब्राह्मणवाद तथा उसकी जाति व्यवस्था दलित तथा पिछडी जातियों के अतिरिक्त दमन का बायस बनती है। दलितों के लिये यह छूआंछूत की हैवानी शक्ल अख्तियार करती

है। सामंती संस्कृति मूलतः ब्राह्मणवादी जाति आधारित जन्मजात उच्चता की संस्कृति है। ब्राह्मणवादी संस्कृति की छाप सभी सामाजिक परस्पर संबंधों तथा विचारों में, श्रम, स्त्रियों, दमित जातियों, अन्य जातियों, वैवाहिक प्रचलन, जन्म, मृत्यू भाषा इ॰ में और यहांतक कि असंख्य जातिगत चिन्हों के रुप में दिखाई देती है। तथाकथित आधुनिक साम्राज्यवादी संस्कृति भी बडी आसानी से प्रतिगामी पुरातन ब्राह्मणवादी संस्कृति से तालमेल कायम कर लेती है। उच्च वर्णीय वोटों से वंचित हो जाने के डर से प्रतिक्रांतिकारी सी.पी.आई व सी.पी.एम. तथा उसके जैसे संगठनों का विस्तृत साहित्य सदा से ही इस लानत के काबिल ब्राह्मणवाद के खिलाफ शाब्दिक हमला तक नही करता। माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी साहसी क्रांतिकारी नीतियों के तहत जाति तथा जातिवाद के खिलाफ खास तौर से भारत के ब्राह्मणवादी जातिवाद के खिलाफ घातक प्रहारों का वादा करती है। ब्राह्मणवाद शोषकों के हाथों में एक ऐसी विचारधारा है जिससे वे लोगों को जातिव्यवस्था में बांधकर अपनी क्रूर शोषण व्यवस्था को तथा अपनी जातिवरीयता को जारी रख सकते है। हालाकि भारत के सभी राज्यों में चातुवर्ण व्यवस्था का स्वरुप एक जैसा नही है। इसके बावजूद वर्णव्यवस्था पर आधारित पहचान खासकर उच्च वर्ण में जातिव्यवस्था के कारण बरकरार है। माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी दलितों तथा अन्य पिछडी जातियों को दिये जाने वाली खास सुविधाओं तथा आरक्षण का समर्थन करती है। खासकर हमारे देश में जहां जातीयवाद और जातीय दमन इतना व्यापक है, दलितों तथा अन्य दमित जातियों को संयुक्त मोर्चे में शामिल करना नये लोकतांत्रिक मोर्चे के गठन में जरुरी है। हमें {दलितों की} इन अर्धबुर्जूआ संगठनों के साथ मिलकर दलितों के सवालों को लेकर काम करना चाहिये लेकिन ऐसा करते वक्त उनके बीच आरक्षण तथा धर्मातरण जैसे सुधारवादी तरिकों की व्यर्थता को लेकर सैधान्तिक बहस छेडनी चाहिये। देश में छूआछूत के खिलाफ दलितों का मजबूत आन्दोलन है। हालाकि उसके एक हिस्से को शासक वर्ग ने अपने साथ मिला लिया है। जातीय दमन के खिलाफ दलितों के उत्फुर्त संघर्ष उभरते रहते है, यह बात न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शहरी क्षेत्रों पर भी लागू होती है जहां दलित अपने हकों के लिये ज्यादा पुरजोर तरिके से आवाज उठाते है। इन आन्दोलनों में हमने शरीक होना चाहिये और जहां भी संभव हो उनका नेतृत्व भी करना चाहिये। (People's March, July 2007) माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने हिचकिचाते हुए अंततः जाति के मसले की अहमियत को तथा भारत में वर्ग तथा वर्ण की समानता को मान लिया है।

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण माओवादी नेताओं का सीरदर्द, दलित चेतना से लैस माओवादी कार्यकर्ता तथा उनके संगठन !

इतने सिधे सादे मसले को मानने में माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी को चालीस साल से भी ज्यादा का समय क्यों लगा है ? दलित महापुरुषों की प्रेरणा से लैस मिलिटन्ट संगठन पूरे भारत में बनने लगने से पार्टी के उपर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये दलित मसले को तस्लिम करने के सिवा कोई चारा नही रहा। दलितों

के सशस्त्र संघर्ष के प्रणेता अय्यंकाली के नामपर बना संगठन अय्यंकाली पाडा {अय्यंकाली के लडाके} केरल का एक ऐसा ही संगठन है। इसकी कुछ गतिविधियों का ब्यौरा नीचे दिये मुताबिक है।

अय्यंकाली पाडा {अय्यंकाली के लडाके} नामक संगठन के तलवारों और लोहे की छडों से लैस 15 सशस्त्र कार्यकर्ताओं ने कोच्ची में काडावंथरा में कोकाकोला के गोडाउन में तोडफोड की। अय्यंकाली पाडा ने इन हाल के वर्षो में अन्याय और असमानता के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाईयाँ शुरु की है। उन्होने पलक्कड जिले के कलेक्टर डब्लू. आर. रेड्डी को 1996 में आदिवासियों को जमीन देने की मांग के समर्थन में नौ घंटे बंधक बनाये रखा। (http://www.hindu.com/2003/08/30/01hdline.htm Soft drink godown ransacked By Our Staff Reporter) बिल क्लिंटन की भारत भेंट का विरोध करने के लिये अय्यंकाली पाडा के चार कार्यकर्ताओं ने KSEB के कोथामंगलम एक्झुक्युटिव इंजिनियर के ऑफिस में भारी तोडफोड की और फाईलें जला दी। अय्यंकाली पाडा ने अपने बयान में उपनिवेशवादी खूनी क्लिंटन और उसके भारतीय दलालों के खिलाफ विद्रोह करने को कहा। (http://www.hindugrouponnet.com/ Ayyankali Pada ransacks KSEB office By Our Staff Reporter Saturday, March 25, 2000) अय्यंकाली पाडा के सदस्य एम. जी. रोड स्थित सीटी बँक की शाखा में आम ग्राहकों की तरह आये और अचानक उन्होने तलवारें और लोहे की छडें निकालकर तोडफोड शुरु की, टेलिफोन के वायर काट दिये और ''अय्यंकाली पाडा जिंदाबाद'' और ''अमेरिका का इराक पर कब्जा मुर्दाबाद'' जैसे नारे लगाये। चार सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि उन्होने लोगों पर कोई हमला नही किया और जाने से पहले अपने पर्चे बिखरा दिये।(http://www.newindpress.com/ Ayyankali Pada activists ransack Citibank Kochi office Sunday March 21 2004 01:30 IST) केरल के इर्नाकुलम जिले के कोलेनचेरी गांव के कार्यालय में अय्यंकाली पाडा के पांच कार्यकर्ताओं ने घूस कर सारे रेवेन्यू रिकार्ड जला दिये। इसे समस्या हल करने के प्रत्यक्ष तरिके के रुप में समझा जाता है। अय्यंकाली पाडा के 2000 कट्टर कार्यकर्ता है जबकि पोट्टाराम संगठन के 1000 सक्रिय सदस्य बताये जाते है। राज्य भर में अपनी मिलिटन्ट गतिविधियों की वजह से ये संगठन केरल में प्रसिध्द है। सन् 1999 में उन्होने चांगानासेरी में एक निजी अस्पताल पर हमला किया था। उन्होने वर्ल्ड बँक प्रोजेक्ट के कोथामंगलम KSEB डिविजन कार्यालय पर सन् 2000 में हमला बोला था। उन्होने थम्मनम के एक अपराध ी गिरोह पर 2001 में हमला बोलकर इंट का जवाब पत्थर से दिया था। उन्होने भूखे आदिवासियों के लिये नुलपूरा में राज्य की राशन आपुर्ति वॅन को लूट लिया था। सन् 2002 में अलुवा में सुर्यानेल्ली सेक्स कांड के आरोपी जॅकोब स्टिफन का हाथ छाँट दिया था। एशियन डेव्हलपमेंट बँक के थिरुअनंतपुरम कार्यालय में मार्च 2002 में तोडफोड की थी। कई मिलिटन्ट संगठन जैसे कि पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तथा नॅशनल डेमोक्रेट्रिक फ्रंट भी खुलेआम आदिवासी हितों के लिये काम करते है। पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुथांगा संघर्ष में आदिवासियों को

चावल बाँटने का काम किया। (http://www.keral.com/ Police fear more 'direct action by Left extremists')

पोराट्टम नामक संगठन के लगभग दस मिलिटन्टों ने केरल की राजधानी त्रिवेन्द्रम में एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यालय में धावा बोलकर तोडफोड की। यह कार्रवाई केरल सरकार व्दारा इस विदेशी बैंक की बेहद शोषणपरस्त शर्तो पर कर्जा लेने जिससे राज्य तबाही की कगार पर पहूंचेगा के विरोध में हुई। उन्होने कम्युटर, फर्निचर और फाईले तबाह कर दी। उन्होने प्रतिकात्मक रुप से कार्यालय की दीवारों पर यह बताने के लिये इंजिन आईल छिडका कि भारत दूसरा अर्जेंटिना बनाया जा रहा है और बैंक को भारत छोडने को कहा। पहले भी पोराट्टम ने ऐसी कार्रवाईयाँ की है।(http://india.indymedia.org/en/ India: ADB faces leftist rage in Kerala By La Nota Comunista 02/05/2002 At 11:27)

दि॰ 16 जुलाई को कम्मा समूदाय के एक युवक ने दलितों के तालाब के किनारे अपनी भैस नहलाई और गंदा पानी तालाब में जाने दिया। दलित इस तालाब का पानी पीने के लिये इस्तेमाल करते है। एक दलित युवक-युवती ने उसके इस बर्ताव का विरोध किया। जुलाई 17 को कम्मा समुदाय ने जवाब में छह दलितों की हत्याएं की तथा 25 से ज्यादा दलितों को घायल कर दिया। दलित नेताओं ने इस मसले को लेकर पूरे आंध्र में दलित समुदाय को संगठित करना शुरु किया। उन्होने जोर दिया कि उनका संघर्ष राज्य की संस्थाओं तथा राजनीतिक पार्टियों तथा क्रांतिकारी वामपंथी संगठनों से स्वतंत्र रहेगा। दलित नेताओं ने इस घटना को माओवादी दलों व्दारा ''खेतिहर मजदूरों पर भूपतियों का हमला'' करार देने का विरोध किया। दलितों ने इसे उच्च कम्मा जाति के जमीदारों का मादीगा जाति के दलित कुलियों पर हमला करार दिया। दलित नेताओं ने न सिर्फ माओवादी गुटों को नकारा बल्कि दलित समाज के प्रतिनिधियों और अफसरों को दलाल कह कर नकार दिया। डॉ॰ अम्बेडकर की विचारधारा स्वतंत्र दलित ''सामाजिक इन्केलाब'' की मार्गदर्शक विचारधारा घोषित की गई। माओवादी संगठनों के ''नई लोकतांत्रिक क्रांति'' के जवाब में बाद में इसका नाम ''नई दलित लोकतांत्रिक क्रांति'' दिया। दि॰ 1 सितंबर 1985 को एक आम सभा आयोजित की गई जिसमें सारे आंध्रप्रदेश के दलितों ने ''चलो चिराला'' का नारा देते हुए हिस्सा लिया। पिपल्स वार ग्रुप की जन नाटय मंडली ने इसमें सक्रिय रुप से हिस्सा लिया। दलित जाति के गायक गदर ने इस सभा का उदघाटन किया। उसके कलाकारों, लेखकों तथा नेताओं ने खुद को सिर्फ दलित मसलों के लिये समर्पित कर दिया। इस ऐतिहासिक सभा के बाद दलित महासभा (*DMS*) नामक राज्यव्यापी स्वतंत्र संगठन कायम किया गया। दो प्रतिष्ठित नेताओं को सर्वसम्मति से पदाधिकारी चुना गया। सन 1986 की फरवरी में दलित महासभा ने अपना पहला राज्यव्यापी सम्मेलन तेनाली में आयोजित कर अपना घोषणापत्र जारी किया। उसने ऐलान किया कि वह ऐसे व्यक्तियों को दलित महासभा में शामिल नही करेगी जो पहले किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य रह चुके है। दलित महासभा ने न सिर्फ जमीन - संघर्ष के मसले को अपना सबसे अहम

मसला करार दिया बल्कि वह चुनावी राजनीति से अलग हो गई और अपने हकों को हासिल करने के लिये मिलिटन्ट संघर्ष की जरुरत को मंजूरी दी। दलित महासभा ने उच्च-जातीय अत्याचारियों के खिलाफ कानूनी संघर्षो के अलावा मिलिटन्ट संघर्ष भी किये। उसने कारामचेडू हत्याकांड के मामले में मुख्य दोषी के खिलाफ मुकदमें दायर किये। दलित महासभा के दबाव में सरकार को भी न्यायिक जांच शुरु करनी पडी लेकिन जांच का कोई नतिजा नही निकला। कोर्ट में मामला लंबा खिंचता चला गया और पिपल्स वार ग्रुप के गुरिल्ला दल ने 6 अप्रैल 1989 को हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त को जान से मार डाला। साथ ही उसने दलित महासभा के कानूनी तरिकों पर अमल और शुरुआती मिलिटन्ट नीति को छोड देने की मजम्मत की। दलित महासभा ने अप्रैल 1989 में अपनी अधिकारिक पत्रिका नालुपु (*Black*) शुरु की। इस पत्रिका में नक्सली गुटों के दलित-आदिवासियों से संबंधित विभिन्न आन्दोलनों के मुद्दों पर भी चर्चा की जाती थी। उन्होने इसे सामने रखा की नक्सली गुटों की हिंसा शोषकों तथा सरकार की हिंसा का जवाब मात्र है। नलुपु ने पिपल्स वार ग्रुप पर सरकार ने लगाई पाबंदी की तथा उनके झूठे इनकाउंटरों की मजम्मत की। नलुपु ने नक्सली गुटों से अ) कानूनी तथा मिलिटन्ट दोनो तरह के संघर्षो की जरुरत, ब) जाति-वर्ग का मसला, क) मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद के समन्वयन की जरुरत, ड) वामपंथी क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ नजदिकियाँ कायम करने इ॰ विषयों पर वैचारिक बहस भी चलाई। इससे दलित संगठनों और नक्सली गुटों को एकदूसरे को समझने में आसानी हुई। माओवादी गुट मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद के समन्वयन के प्रति हिचकिचा रहे थे; मिलिटन्ट संघर्षो के साथ कानून संमत तरिकों को अपनाने का मतलब माओवादी गुटों की नजर में अपनी क्रांति की कोशिशों को सौम्य बनाने जैसा था। माओवादी संगठन समान संबंधों की बजाय केन्द्रियता में और जनसंगठनों के बीच श्रेणीबध्द संबधों के हिमायती थे। दलित आन्दोलन और नक्सली गुटों के बीच बेहतर संबंधों को लेकर एक और दलित पत्रिका इडूरीता (*Swimming Against the Tide*) मई 1990 में शुरु की गई जिसमें भूतपूर्व दलित नक्सली नेता शामिल थे। इडूरिता का उद्देश्य अ) विभिन्न क्रांतिकारी गुटों में पाई जाने वाली अलोकतांत्रिक और तानाशाही की प्रवृत्तियों की आलोचना करना, ब) विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों में दलितों तथा महिलाओं की हालत पर चर्चा, क) जाति के मसले पर दलित संगठनों और नक्सल समूहों के बीच चर्चा करना, ड) दलित और नक्सली संगठनों के बीच के मतभेदों पर चर्चा करना इ॰ था। इडूरिता दलित संगठनों और नक्सली गुटों के प्रति तटस्थ था और एकदूसरे को समझने के लिये एक अच्छा मंच था। इडूरिता दलित महासभा की इस बात की आलोचना करता था कि अ) दलित महासभा न्याय के लिये उसी अत्याचारी ब्राह्मणवादी शासन से न्याय मांग रहा था। ब) इडूरिता ने दलित महासभा की इस बात पर आलोचना की कि वह सिर्फ दलित-आदिवासियों को ही संगठित कर रही है और ओबीसी तथा अन्य बहुजनों के मसलों की ओर उसने कोई ध्यान नही दिया है। क) उसने दलित महासभा की इस बात पर आलोचना की कि वह दलितों की मूल जमीन संबंधी समस्याओं के संघर्ष के प्रति संजिदा नही है। इडूरिता ने माओवादी समूहों की भी आलोचना की कि वे

उन सभी संगठनों को संशोधनवादी, अवसरवादी, शोषक वर्ग के दलाल इ॰ करार देते है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखना चाहते है। इडूरिता ने माओवादी संगठनों की तीव्र आलोचना की कि उनके नेता सवर्ण जातियों के मध्यम या उच्च मध्यम वर्ग से होते है। इडूरिता ने इन उच्चवर्णीय माओवादी नेताओं की अर्धबुर्जूआ तथा ब्राह्मणवादी प्रवृत्तियों की जो उनके निर्णयों में उतरती है की कटू आलोचना की। इडूरिटा ने संकेत दिया कि टी. नागी रेड्डी, पुल्ला रेड्डी, इ॰ सभी नेता जमींदार तथा उच्च जातियों से आये है इसलिये नक्सली आन्दोलन जमीन की गहराई तक नही पहूंचा है। इडूरिता ने जोर दिया कि नक्सली गुटों का नेतृत्व सिर्फ दलित, आदिवासी, ओबिसी इ॰ पिछडी जातियों से ही होना चाहिये क्योंकि सारे जोखिम के काम दलित-पिछडे कार्यकर्ता करते है और पार्टी में इन्ही की बहुतायत है। इडूरिता की इस मांग का पूरे आंध्रप्रदेश के सभी दलित संगठनों ने पूरजोर समर्थन किया। माओवादी संगठनों ने इस मांग को सिरे से खारीज कर दिया (http://www.epw.org.in/ December 17, 2005 Dalit and Naxalite Movements in AP Solidarity or Hegemony? by Ajay Gudavarthy)

इडूरिता ने जोर दिया कि अ) जमीन का बँटवारा जाति के आधार पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाये। ब) नक्सली दलों के नेतृत्व में दलितों और महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य बनाई जाये। क) भारतीय परिपेक्ष को ध्यान में रखते हुए अम्बेडकरवाद और मार्क्सवाद के समन्वयित विचारधारा को ही मंजूर किया जाये क्योंकि इन्केलाब का यही इकलौता रास्ता है। इडूरिता के उपरोक्त सुझावों को लगातार बल हासिल होता रहा। माओवादी संगठनों के ब्राह्मणवादी नेताओं ने इडूरिता पर आरोप लगाया कि वह मार्क्सवाद का अम्बेडकरवाद से समन्वयन कर रही है या दोनों को समान स्तर पर रख रही है। उनकी ऐसी हर कोशिश नाकामयाब होगी क्योंकि अम्बेडकर ''अर्धबुर्जूआ सुधारवादी'' या ज्यादा से ज्यादा ''क्रांतिकारी सुधारवादी'' से ज्यादा की हैसियत नही रखते। माओवादियों ने आरोप लगाया कि अम्बेडकर ने तेलंगाना तथा तभागा आन्दोलन में दमनकारी सरकार की मजम्मत नही की। इसलिये अम्बेडकर का सुधारवाद मात्र कानूनी रास्तों व्दारा संभव सुधारवाद तक ही सिमित था। दि॰ 6 अगस्त 1991 को चुंदूर में 10 दलितों की दर्दनाक तरिके से हत्याएं की गई। इस घटना के बाद अपने वैचारिक मतभेदों के बावजूद दलित संगठनों और नक्सली दलों ने ''संयुक्त कार्रवाई कमिटी'' का गठन किया। इसमें दलित महासभा, सी.पी.आई.एम.एल. विमोचना, यु.सी.सी.आर.आई.एम.एल., सोसॅलिस्ट रिव्युलुशनरी फोरम, तथा अम्बेडकर युथ असोशिएशन शामिल थे। दलितों ने खुलेआम घोषित किया कि दलित संघर्ष के लिये प्रतिहिंसा पर अमल करना जरुरी है। दलितों ने मारे गए दलितों को गांव के बिचोबीच दफनाने और सवर्णो से खुलकर सशस्त्र संघर्ष करने की तैयारी दर्शाई। नक्सलवादी संगठनों ने इस बात को मान लिया कि आत्म-सम्मान का मुद्दा और सांस्कृतिक इन्केलाब प्रमुख मसला होगा और सिर्फ दलित ही अपना नेतृत्व करेंगे। हालाकि उस समय पिपल्स वार ग्रुप अपने पिछले निर्णय को बदलकर स्वतंत्र जाति-विरोधी जनसंगठनों के निर्माण को प्रेरित कर रही थी। ऐसा उसने पिपल्स वार ग्रुप में दलित कार्यकर्ताओं के तीव्र

दबाव के चलते किया था। .... पिपल्स वार ग्रुप के कई महत्वपूर्ण दलित कार्यकर्ता तथा दलित नेताओं ने दलित संघर्ष के लिये पार्टी छोड दी। उन्होने पिपल्स वार ग्रुप के नेताओं से सवाल किया कि उनकी तीन दशकों के सतत त्याग और कडवे संघर्ष के बावजूद दलितों का पिपल्स वार ग्रुप में नेतृत्व क्यों नही है। उन्होने इस बात को भी पूरजोर तरिके से उठाया कि पुलिस के मुखबिर बताकर सिर्फ दलित, आदिवासी और ओबीसी के लोगों की ही क्यों हत्याएं की जाती है। उन्होने इस बात को उठाया कि जहां पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किये हुए सवर्ण कार्यकर्ता आसानी से अपने उच्चवर्णीय समाज में शरीक हो जाते है वहीं दलितों के लिये ऐसा मुमकिन नही होता क्योंकि पुलिस के भारी दबाव में उन्हे मुखबीरी करने पर मजबूर किया जाता है। जबकि आत्मसमर्पण किये हुए सवर्ण कार्यकर्ताओं पर पुलिस का ऐसा कोई दबाव नही होता। (http://www.epw.org.in/ December 17, 2005 Dalit and Naxalite Movements in AP Solidarity or Hegemony? by Ajay Gudavarthy) इस बात को सामने रखा गया कि माओवादी संगठनों में सबसे खतरों वाले काम दलित या पिछडी जाति के कार्यकर्ता करते है इसलिये मरने वालों में मुख्यतः इन्ही जातियों से होते है। पार्टी के हमदर्दो में इन्ही जातियों की बहुतायत है। इसके बावजुद उन्हे पार्टी के उच्च पदों से दूर रखा गया है। इस मसले पर आंध्र प्रदेश में जनशक्ति पार्टी का 1990s के वर्षो में विभाजन हुआ। (Economic and Political Weekly July 22, 2006 On Armed Resistance by BELA BHATIA)

ब्राह्मणवादी माओवादी नेताओं का दलित प्रेम धोखे, मक्कारी ओर दिखावे के सिवा कुछ भी नही है !

आर्य-ब्राह्मण माओवादी नेताओं का दलित-प्रेम ढोंग-मक्कारी के सिवा कुछ नही है क्योंकि इन्होने जातियवाद के खिलाफ कार्यक्रम के बारे में एक भी शब्द नही कहा है। डॉ॰ अम्बेडकर ने गांधी से कहा था कि वे काँग्रेस सदस्यों के लिये छुआंछूत का पालन न करना अनिवार्य कर दें तथा एक दलित को हर सक्षम काँग्रेसी परिवार में घरेलू नौकर बनाये।

जातीयता और छूआंछूत तभी दूर हो सकती है जब अंर्तजितीय विवाहों को अंजाम दिया जाये। माओवादी नेता कम से कम अपने संगठन में तथा अपने समर्थकों के बीच अंर्तजातीय विवाह की शर्त रख सकते थे। जातिवाद खत्म करने की माओवादी ब्राह्मणवादी नेताओं की घोषणाएं इसलिये भी ढोंग और मक्कारी से ज्यादा कुछ नही है क्योंकि नक्सली दलों में मूलनिवासियों की बहुतायद होने के बावजूद आर्य-ब्राह्मणों ने सारे पद हथियाये है। जिस संगठन के ब्राह्मणवादी नेता संगठन के भले की खातिर यह जातीय भेदभाव दूर करने के लिये तैयार नही है जो उनके बस में है तो दिगर क्षेत्रों में उनसे जातिवाद दूर करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है ?

ब्राह्मण-धर्म के शोषण-स्थल वे तमाम मंदिर है जहां लाखों करोडों की लूट इकट्ठा होती है। माओवादी आंध्रप्रदेश में मजबूत होने के बावजूद किसी भी माओवादी

संगठन ने देवदासी प्रथा के खिलाफ संघर्ष क्यों नही छेडा ? क्यों देवदासी बनाने वाले ब्राह्मण पूजारी की हत्या नही की ? क्यों ऐसे मंदिरों को ध्वस्त नही किया ? धर्म का जोरशोर से विरोध करने की बातें करने वालों को प्रत्यक्ष में ब्राह्मण-धर्म के खिलाफ कार्रवाई करने से ऐतराज क्यों है ? किसी भी माओवादी संगठन ने आज तक भूख से मर रहे हिन्दु किसानों का पेट भरने के लिये इन मंदिरों पर हमला कर उनका करोडो-अरबों का धन क्यों नही लूटा ? माओवादी नेताओं ने कितने जातीय अत्याचारियों, संघपरिवार के सांप्रदायिक दंगा भडकाने वाले फासिस्ट ब्राह्मणवादियों को हलाक किया है ? यह सब नही करने की सिर्फ यही वजह है कि माओवादियों का नेतृत्व मनुवादी ब्राह्मणवादी है।

इसके विपरित दलित-आदिवासियों के संगठनों ने ब्राह्मणवाद पर सीधे-सीधे हमला किया है :- आदिवासियों के हकों के लिये लडनेवाली गोंडवाना मुक्ति सेना ने सिवनी के आदिवासी अंचलों में रामायण पाठ पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिवनी जिले के धंसौर ब्लाक में दो जगह ऐसे मामले सामने आये है जहां गोंडवाना मुक्ति सेना ने रामायणपाठ बंद करवा दिये। राजगठ गांव में रामायणपाठ के लिये आये लोगों (ब्राह्मणवादियों} से मारपीट की और रामायण मंडलों को चेतावनी दी। ६ ामकी के बाद से धंसौर के प्रतापगढ़ पद्दीकोना, खुर्सीपार, मानेगांव, विनौरी, पहाडी, घोटखेडा, विघानी, भालिवाडा, फुल्हेरा, सेलुआ, केदारपुर, साल्हेपानी जैसे गांवों में रामायणपाठ पर अघोषित प्रतिबंध लग गया है। सेलुआ गांव में भी ऐसी ही घटना हुई। जिसके जवाब में ब्राह्मणवादी माँ रेवा शक्ति मोर्चा बनाया गया है। बजरंग दल भी मुक्तिसेना के खिलाफ एकजूट है। दोनों के आमने सामने होने से टकराव के हालत बन गए है। (भाष्कर, 17 फरवरी 2006) सीमावर्ति मंडला जिलों की बीजाडांडी थाना अंतर्गत ग्रामबरगँवा के ग्रामीण परिवारों पर गोंडवाना मुक्ति सेना के 400 से 500 हथियारबंद कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया जिसमें 15 ग्रामीण घायल हो गए। गोंडवाना मुक्ति सेना के लोगों की मांग थी कि आदिवासी परिवार हिन्दू संस्कृति को त्याग दे और आदिवासी बडादेव को ही माने। (भाष्कर, 19 मार्च 2006) आरोप है कि पिछले दिनों मंडला और सिवनी जिलों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गोंडवाना मुक्ति सेना व्दारा समांतर प्रशासन व्यवस्था चलाई जा रही है। (लोकमत समाचार, 15 अप्रैल 2006) गोंडवाना मुक्ति सेना आदिवासियों को सामाजिक कुरितीयों को छोडने, शराब इ॰ नशा न करने और परिवार के विकास संबंधी कामों को अहमियत देने की शिक्षा आदिवासियों को देती है। गोंडवाना मुक्ति सेना की नसीहत है कि देवि-देवताओं पर शराब न चढाये और माता-पिता की सेवा करे।

ब्राह्मणवादी माओवादी नकली कम्युनिस्ट नेता कभी हम बहुजनों के साथ तादात्म (Identification) कायम नही कर सकते। तीलका माँझी, बीरसा मूंडा, टंटया भील, कुमरा भीमू, इ॰ सैकडों में से कोई भी मूलनिवासी इन्केलाबी उनके लिये नीच है इसलिये वे चारु मूजूमदार, कन्हाई चटर्जी जैसे गद्दार ब्राह्मणवादी नक्सली नेताओं के नाम पर शहीदी दिवस मनाते है। चारु मूजूमदार, कन्हाई चटर्जी इ॰ गद्दार हमारे मूलनिवासी युगपुरुषों के टखने तक भी उंची हैसियत

नही रखते। इसके बावजूद इन्हे शहीदी दिवस के लिये इसलिये चुना गया है ताकि इनकी गद्दारियाँ शहीदी दिवस के ढोंग के पर्दे में मूलनिवासियों से छिपाई जा सके और हम मूलनिवासियों पर ब्राह्मणवादी नेतृत्व को थोंपा जा सके।

भ्रष्ट लोगों की जमात है मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेतृत्व !

वामपंथी दलों व्दारा काँग्रेस सरकार को अपने समर्थन के बदले में धन वसूलने की बातें सामने आई है। भाकपा से संबंधित मजदूर संगठन ऐटक इंडियन ऑयल संगठन से एक ही साल में 20 लाख रुपयों और बीपीसिएल से 5 लाख रुपयों का चंदा हजम कर चुका है। आम जनता भी यह सोचती थी कि आखिर प्रधानमंत्री निवास में आखिर क्या घुट्टी पिलायी जाती है जो देशहित के मुद्दों को गरमाने के बाद वामपंथी नेता प्रधानमंत्री निवास से मिमियाते हुए बाहर निकलते है। अब यह भेद खूल चुका है कि सरकार से तरह तरह के काम कराने के अलावा वामपंथी दल सरकार पर अपना दबाव डालकर सरकारी कंपनियों से सीधे नगदी भी वसूल रहे है। कंपनियों से इतना भारी चंदा वसूलने वाला संगठन मजदूरों का हितैषी कैसे हो सकता है ?(नवभारत, 18 सितंबर 2005)

मजदूरों की नुमाइन्दगी भ्रष्ट हो चुकी है। पिछले दिनों मुंबई के एक मजदूर नेता ने विधानसभा चुनावों के अर्जी के घोषणपत्र में अपनी कई करोड की दौलत का ऐलान किया। कहां से आया इन लोगों के पास इतना पैसा ? (भाष्कर, 30 अप्रैल 2005) न सिर्फ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक बल्कि पार्टी के पूर्णकालीन कार्यकर्ता जिन्हे नाममात्र की मासिक रकम मिलती है उनका जीवनस्तर उनकी आमदानी से विपरित है। पार्टी नेतृत्व यह बताने में नाकाम है कि पूर्णकालीन पार्टी कार्यकर्ताओं के पास आलीशान फ्लॅट, मोबाईल, टेलीफोन कैसे आये है और वे बेहद खर्चीले टुरिस्ट रिसोर्टो में साल में दो बार तक अपनी छुट्टियाँ कैसे बिताते है। यह बात उन राज्यों में भी है जहां पार्टी सत्ता में नही है। पार्टी की केन्द्रिय कमिटी में इस बात पर गर्मागम चर्चा हुई कि बिहार में पार्टी के एक वरीष्ठ नेता ने कैसे विशाल जमीन इकट्ठा की ? ऐसे नेता महत्वपूर्ण स्थान बनाये हुए है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट्राचार के मामले प॰ बंगाल युनिट में है। कई सांसदों ने कलकत्ता में भी गलत तरीकों से सरकारी फ्लॅटों को हथियाया है। कई सांसद उद्योगपतियों ने दी सुविधाओं का चुपचाप फायदा उठाते है। कई कर्जा लेकर कभी नही चुकाते। प॰ बंगाल पार्टी मुख्यालय के अकाउंटंट सुशील चौधरी की हत्या की प्राथमिक जांच से पता चलता है कि चौधरी को पार्टी फंड के दुरुपयोग की जानकारियाँ थी। उसकी हत्या में शायद कुछ वरीष्ठ पार्टी नेताओं का हाथ हो। हत्या की तह तक पहूंचने के लिये एक मंत्री पुलिस पर दबाव ला रहा था लेकिन

पार्टी ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। (http://www.rediff.com/index.html Corruption makes CPI-M politburo see red) माकपा ने कबुल किया है कि पार्टी में विभिन्न स्तरों पर भ्रष्ट्राचार है लेकिन पार्टी नेतृत्व ने इसपर कोई कडा कदम नही उठाया है। नेताओं की आलोचना की गई कि पार्टी में व्याप्त भ्रष्ट्राचार पर संजिदगी से चर्चा नही की जाती। पार्टी नेताओं के एक वर्ग में जमीन कब्जे में लेकर उसपर आवासीय इमारतें बनाने की प्रवृत्ति है। ग्रामीण क्षेत्र में कई पार्टी कार्यकर्ता पंचायत पदों के दुरुपयोग से धन इकट्ठा करने में जुटे है। लगातार शिकायतों के बावजूद पार्टी नेताओं को भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकिचाहट है। (http://www.telegraphindia.com/ CPM CORRUPTION CONFESSION)

पंजाब में हरशिला रिसोर्टस में आयोजित {ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्ट नेता हरकीशन सिंह सुरजीत के पोते की शादी में इतने शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन बनाये गए थे कि हमारा पारंपारिक 56 भोग का ''मीनू'' पता नही कहां खो गया। लाजवाब खाने के अलावा शौकिन लोगों के लिये स्काच, बीयर और काकटेल का भी इन्तेजाम था। इस शादी में उद्योगपति, ट्राईडेंट कंपनी के एमडी नरिंदर कुमार के अलावा कई अन्य औद्योगिक घरानों के लोग शामिल हुए। शादी में आये मेहमानों के रहने का इन्तेजाम जिस होटल में किया गया था वह एक अमेरिकी कंपनी की मिल्कियत का है। खाने में रखी गयी एक डिश 'फीश फ्राई' मशहूर रुसी शराब वोदका में फ्राई की गयी थी। शादी के शाही खर्च को देखकर कोई नही कह सकता था कि यह शादी किसी सरमायेदार की नही है। (नवभारत, 18 व 19 नवंबर 2005) {ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्ट नेता प्रकाश कारत अपने रहन सहन में किसी भी धनाढय को मात करता है।

केरल की कम्युनिस्ट सरकार को तीन बिजली केन्द्रों को आधुनिक बनाने भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स ने 116 करोड रुपयों की मांग की। लेकिन मार्क्सवादी सरकार के उर्जामंत्री की हैसियत से पिनारायी विजयन (केरल राज्य माकपा सेक्रेटरी तथा पार्टी की पॉलित ब्यूरों के सदस्य) ने इसी टेक्नालॉजी को कॅनडा की अनभिज्ञ कंपनी SNC Lavlin से 375 करोड में खरीदा। कॅनॅडियन कंपनी SNC-LAVALIN को 375 करोड का दिया गया विवादित कॉन्ट्रक्ट राज्य को बिना किसी फायदे के डूब गया। लेकिन पार्टी को भारी फायदा हुआ। पिनारायी विजयन के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय के आदेश से SNC Lavalin घोटाले में भ्रष्ट्राचार की सी.बी.आई. जांच चल रही है।

माकपा सांसद राधिका रंजन प्रामाणिक ने राजनीतिक मसलों और पार्टी में व्याप्त भ्रष्ट्राचार को लेकर पार्टी नेताओं के साथ चल रहे लंबे विवाद के चलते अपना इस्तीफा देने की पेशकश की। प्रामाणिक ने आरोप लगाया है कि माकपा में भ्रष्ट्र, हत्यारे और राजनीतिक रुप से अनजान लोग शामिल हुए है। (http://timesofindia.indiatimes.com/ MP threatens to quit over CPM corruption 4 Feb 2003, 0203 hrs IST,) माकपा तथा उसकी अन्य संगठनाओं ने केरल तथा बंगाल में सार्वजनिक

संपत्तियों को लूटकर अपने शासनकाल के दौरान भारी तादाद में धन इकट्ठा किया है। पार्टी के केरल युनिट के पास 4000 करोड की संपत्ति है। पार्टी तथा उसके दर्जनों सहायक संगठनों के तालुका स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के अपने खुद के विशाल कार्यालय है। केरल की राजधानी तिरुवनांथपुरम शहर के केन्दीय भाग में स्थित पार्टी का राज्य मुख्यालय एअर कंडिशन युक्त ऑडिटोरियम से सुसज्जित है जिसमें 1500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके सामने ही कई मंजिला इमारत में पार्टी नेताओं के रहने के लिये विलासिता से सुसज्ज फ्लॅटस् है। 60 एकड की जमीन में आवासीय ई.एम.एस. अकाडेमी बनी है जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। पार्टी का कई करोड रुपये का टी.वी. चॅनल (कैराली व समाचार) है। पार्टी का मलियालम में देशाभीमानी नामक समाचार पत्र है जो राज्य के सभी जिलों से प्रकाशित होता है। धन जुटाने के लिये कोआपरेटिव्ह सेक्टर में पार्टी ने राज्य के लगभग सभी जिलों में पार्टी व्दारा नियंत्रित प्राथमिक स्तर से लेकर राज्य स्तर के बँक तथा अस्पताल खोले है। इनमें कर्मचारियों की नियुक्ति पार्टी नेताओं के निर्देशानुसार की जाती है। पार्टी ने टुरिस्टों से धन कमाने के लिये राज्य के कई जिलों में लुभावनी जगहों में अपने खुद के रिसोर्ट बनाये है जिसके लिये उसने भारी मात्रा में जमीन हथियाई है। कई पार्टी नेताओं ने अपनी इमारतें ग्रहण किये गए खेतों (reclaimed paddy lands) में बनाई है। पार्टी ने कन्नुर जहां पहले ही पानी की कमी है में कई करोड रुपयों की लागत का वाटर थीम पार्क बनाया है। पार्टी में इसको हुए विरोध को कुचलने का काम पार्टी नेता पिनाराई विजयन ने किया है। पार्टी शराब के व्यापारियों से, जमीन के दलालों से, तथा बदनाम कॉन्ट्रॅक्टरों से धन की उगाही करती है। शराब उत्पादकों की जब्त डायरियों से पता चला है कि कई माकपा नेता उनके ''पे-रोल'' पर है। सरकारी योजनाओं में भ्रष्ट्राचार से पार्टी भारी धन इकट्ठा करती है। पार्टी के सहायक संगठन दबाव डालकर देशाभीमानी अखबार की सदस्यता लेने पर व्यापारियों उनकी संस्थाओं को मजबूर करते है। ये सहायक संगठन समय समय पर बाल्टियाँ लेकर करोडों रुपये जुटाने की मुहिम में जुट जाते है। केन्द्र सरकार की हिमायती होने की वजह से उसके अखबार देशाभीमानी तथा उसके टी.वी चॅनलों के लिये मुख्य शासकीय उद्योगों तथा संस्थाओं के करोडों के इश्तेहार हासिल होते है। टी.वी. चॅनल कैराली का मॅनेजिंग डायरेक्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विदेश दौरे में हमेशा साथ पाया जाता है। दिवंगत मुख्यमंत्री नायनार के बेटे की शादी में दुल्हन सिर से लेकर पांव तक सोने से मढ़ी हुई थी। पार्टी तथा उसका छात्र संघ एस.एफ.आय. ने आर्थिक रुप से स्वसंचालित निजी कॉलेजों के खिलाफ आन्दोलन किया था लेकिन पीछले एल.डी.एफ. शासनकाल में सबसे ज्यादा निजी स्कूल, कॉलेज तथा अन्य संस्थाएं खुलवाई गई। (http://www.malayalavedhi.com/ CPM - the richest Political group (4000 crores) by PRADEEP KRISHNAN)

हिमालया कंपनी का मालिक जो जमानत पर रिहा था ने 19 जुलाई को यह ऐलान किया कि उन्होने बहुत बडी रकम माकपा के अखबार देशाभीमानी के एक निवासी संपादक को अदा की। इन्तेहा यह है कि माकपा का आलिशान कार्यालय

मुन्नार में उस अवैध रुप से हस्थांतरित प्लॉट पर उस निर्माण कंपनी ने बनाया है जिसे माकपा कार्यालय के समीप की जमीन पर BOT आधार पर 10 सालों के लिये आलिशान रिसोर्ट चलाने की इजाजत दी गई है। .... टाटा ने भाकपा के AITUC को इकलौती मान्यता प्राप्त युनियन का दर्जा देकर भाकपा के नेताओं तथा युनियन के नेताओं को हर तरह के लाभ पहूंचाये। भाकपा ने जब अपने दस साल से बंद अखबार ''जनयुगम'' को पूर्नजीवित करने के लिये फंड इकट्ठा करने का ऐलान किया तो 10 करोड की रकम इकट्ठा हुई क्योंकि टाटा जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा जमीन माफीया ने उदारता से इसमें मदद की। भाकपा टाटा इ॰ पूंजीपतियों और हर तरह के माफीयाओं की बेशर्म दलाल के रुप में जनता के बीच बेनकाब हो चुकी है। सन् **1974** में लॅन्ड बोर्ड आदेश के तहत टाटा को **57,000** एकड जमीन चाय बागान तथा संबंधित कार्य के लिये नई लीज के तहत दी गई। **20,000** एकड जमीन इरावाईकुलम अभयारण्य के लिये सुरक्षित रखी गई। हालांकि जमीन का सर्वे कर बाकी की जमीन सरकार ने वापस लेनी थी लेकिन पिछले **33** सालों में न ही कॉंग्रेस और न ही माकपा की गठबंधन सरकार ने ऐसा किया क्योंकि ये सभी संगठन टाटा के जरखरीद गुलाम बने हुए है क्योंकि टाटा उदारता से इनकी आर्थिक मदद करता है। इस दौरान लीज की शर्तों की धज्जियाँ उडाते हुए टाटा ने बडे बडे भुखंड निजी संस्थाओं, लोगों को तथा माकपा, भाकपा के गठबंधन पार्टियों के नेताओं तथा कॉंग्रेस गठबंधन पार्टियों के नेताओं तथा उनके रिश्तेदारों को बेचे। टाटा ने अपने इन सभी दलालों को खुश करने में बेतहाशा पैसा बहाया और हायकोर्ट में केस दायर कर इस कार्रवाई को निलंबित कराया ताकि इसे सतत टाला जा सके। माकपा के जिला सचिव ने मुख्यमंत्री को चुनौति देते हुए खुलेआम ऐलान किया कि वह उन लोगों के हाथ काट देगा जो टाटा से जमीन वापस लेने की कोशिश करेंगे। यह मिसाल इस बात को बेनकाब करती है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का किस हद तक पतन हो चुका है, वह भ्रष्ट्राचार की गर्त में कितनी डूब चुकी है। (Naxal Revolution blog August 6, 2007)

दि॰ 13 अप्रैल 2007 के समाचार के मुताबिक रेवेन्यू मंत्री के.एम. मणी ईडुक्की जिले के कार्डामाम संरक्षित वनक्षेत्र की दो लाख एकड जमीन को मुख्यमंत्री से सांठगांठ कर अपने रिश्तेदारों तथा गैरआदिवासी सशक्त लोगों को सौंपने की कोशिश में है। माकपा मोर्चा सरकार के सहयोगी दल भाकपा ने अपने नामिनी, वरीष्ठ सदस्य तथा राज्य वन मंत्री बिनोय विस्वम को जमीन माफीया और ताकतवर लोगों व्दारा इस जमीन को हडपने की कार्रवाई में पूरा सहयोग देने को कहा है जिसका नेतृत्व केरला कॉंग्रेस (एम) का के. एम. मणी कर रहा है। जंगल क्षेत्र के बडे पेडों की कटाई करने की भी कोशिशें जारी है। यह सब चंद भाकपा के ताकतवर नेताओं की हिमायत से हो रहा है। ताजा सरकारी रिकार्ड के मुताबिक 50 साल पहले जितना Cardamom Hill Reserve का वन क्षेत्र था वह घटकर 25 फीसदी रह गया है। इस वनक्षेत्र पर कब्जा करने में मणी की केरल कॉंग्रेस पहले तथा भाकपा दूसरे नंबर पर है। भाकपा के तीन राज्य स्तरीय नेता बडे पैमाने पर जमीन कब्जा करने वालों में शामिल है। मणी के दबाव में आकर केरला के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कहकर

कि सरकार 1977 के पहले के जमीन कब्जे कों मंजूर करने के लिये प्रतिबध्द है, 20,000 से ज्यादा हेक्टर जमीन के कब्जे को कानूनी करार दिया था। अब भाकपा और केरल कॉंग्रेस (एम) 1977 के बाद के गैरकानूनी जमीन कब्जे को भी मंजूर करवाने में एडी-चोटी का जोर लगा रहे है। (http://www.worldproutassembly.org/ Scam Politics: Kerala Red Grabs Kerala Green CURRENT AFFAIRS Apr 14 , 2007)

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेता शोषण-व्यवस्था के रक्षक और साम्राज्यवाद के दलाल है !

यह जानने के बावजूद कि विश्व सोशल फोरम और एशिया सोशल फोरम वैश्वीकरण और अवाम के मूल मूद्दों पर कोई हकिकी समाधान नही दे सकते सीपीआई और सीपीएम जैसी दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों ने एशिया सोशल फोरम का आयोजन करवाने में सक्रिय हिस्सेदारी निभाई। माकपा की {ब्राह्मणवादी} नेता वृन्दा कारंत ने खुलेआम कहा कि वह भूमण्डलीकरण (**globalization**) के खिलाफ नही है, वह तो सिर्फ इसके नकारात्मक पहलुओं को हटाना चाहती है। सीपीएम का सांसद सोमनाथ चटर्जी, साम्राज्यवादी मंचों के लिये बने कई प्रतिनिधि मंडलों में नजर आया था। पश्चिमी बंगाल में सीपीएम सरकार, पूरी ताकत से विश्व बँक/ आईएमएफ/ विश्व कारोबार संगठन के निर्देशों को लागू कर रही है। (कमलेश : डब्लू.एस.एफ. विरोध या दिखावा ?) पश्चिम बंगाल की {कम्युनिस्ट} सरकार अपने इक्वीटी शेअर्स को व्यवस्थापन कब्जे के साथ 51% से 74% तक पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। सरकार ने सरकारी उपक्रमों में संयुक्त रणनीतिक हिस्सेदारी का उद्योगपतियों को न्यौता दिया। इसके लिये जो सलाहकार नियुक्त किया गया है वह भी बहुराष्ट्रीय कंपनी PriceWaterhouse Coope से है। बंगाल सरकार ने पहले ही 11 सरकारी कंपनियों को बिक्री की सूची में रखा हुआ है, जिन्हे कौडियों के मोल बेचा जायेगा। (Nepalforum_com Forums.htm) माकपा के नेतृत्व ने अपने डाफ्ट प्रस्ताव में कहा है कि पार्टी घाटे में चल रहे सरकारी उद्योगों को बंद करने में नही हिचकिचाएगी। पार्टी ने स्कूलों तथा अस्पतालों में अंशकालीन और अनुबंधित (part-time and contractual) नियुक्तियाँ करेगी। (http://www.telegraphindia.com/ CPM CORRUPTION CONFESSION) बंगाल के मुख्यमंत्री बुध्ददेव भट्टाचार्य ने सिंगापूर में उद्योगपतियों से कहा कि कोलकाता में नये एअरपोर्ट के निर्माण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 100% निवेश और हवाई अड्डों का निजीकरण भी उसे मान्य है। उसने हावडा में पूर्ण विदेशी निवेश से टाउनशिप बनाने, निजी कंपनियों के हक में जमीन की सिलिंग खत्म न

किये जाने की सूरत में उसमें कंपनियों के हक में हर तरह की छूट देने, राज्य के विद्यूत मंडल का पूर्नगठन कर कंपनियों के हक में विद्यूत सुधार करने तथा ब्रिटेन से आर्थिक मदद लेकर घाटे में चल रही कंपनियों का पूर्नगठन करने की बातें की है। (टाईम्स ऑफ इंडिया, 27 अगस्त 2005) हेनरी किर्सीगर से आण्विक रिएक्टर खरीदने सिपीएम ने उसका कोलकाता में भव्य स्वागत किया। एक आण्विक रिएक्टर की किमत 120 से 200 बिलियन रुपये है। http://www.neis.org/literature/Brochures/npfacts.htm किर्सींगर ने सी.पी.एम. की मदद चाही कि वह दिल्ली सरकार पर दबाव बनाये कि वह ईरान से कोई उर्जा संबंधी समझौता न करे और ईरान-पाकिस्तान-भारत गॅस लाईन प्रकल्प का विरोध करे। जबकि भारत को आण्विक रिएक्टर की नही बल्कि ईरान से तेल, गॅस इ॰ उर्जा स्त्रोतो की जरुरत है। (http://www.thepeoplesvoice.org/cgi-bin/blogs/indx.php Nandigram…… CPM's hubris by Stephen Lendman and Arun Shrivastava) प॰ बंगाल सरकार ने नंदीग्राम में दलित-मुस्लिमों को उजाडकर उसपर सलेम ग्रुप के विशेष आर्थिक क्षेत्र को बसाना तय किया है।

देश में विदेशी शोषण-क्षेत्र यानि विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून कम्युनिस्टों सहित सभी ब्राह्मणवादियों ने मिलजूलकर पारित किये !

ब्राह्मणवादियों ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ **SEZ**) के जरिये भारत देश के भीतर ही विदेशी क्षेत्र कायम किये। सेझ के षडयंत्र में तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं सहित न्यायपालिका, कार्यपालिका, देश का तथाकथित बौध्दिक-वेश्याओं का वर्ग तथा प्रचार माध्यम इसमें शामिल है। **386** सेझ मंजूर हो चुके है और **5000** (पांच हजार) प्रोजेक्ट विचाराधीन है। अगर यह पांच हजार प्रोजेक्ट लागू हो गए तो भारत की **75** फीसदी जमीन इन शोषकों के कब्जे में आ जाएगी। (दे॰ महानायक, 31 दिसबर 2006 में बामसेफ व्दारा 24 दिसंबर से 28 दिसंबर 2006 में आयेजित संम्मेलन के अंश) इसलिये जब संसद में विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) कानून पारित किया गया था तब उसपर न के बराबर चर्चा हुई। न ही सीपीएम-सीपीआई ने और न ही उसके मोर्चे के दलों ने इसका विरोध किया। (http://www.worldproutassembly.org/ India Does Not Need SEZs – The SEZ Act Will Have To Go! By Dipankar Bhattacharya 21 April, 2007 Countercurrents.org)

विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेझ) को दी जाने वाली सुविधाएं नीचे दिये मुताबिक है :- चिजों का करमुक्त आयात करने की सुविधा। विशेष आर्थिक क्षेत्रों को trade and tariffs के लिहाज से करमुक्त विदेशी क्षेत्र माने जाएंगे। 15 साल के अर्से में 10 सालों तक आयकर से मुक्त माना जाएगा। सेझ में आयात के लिये लायसेन्स जरुरी नही होगा। आयात पर कस्टम कर नही लगेगा। सेझ में 100 फीसदी विदेशी निवेश की इजाजत दी गई है। इसकी आजादी है कि वे 500 मिलियन डॉलर तक की विदेशी रकम बिना किसी मॅचुरिटी बंदिशों के हासिल कर सकते है। घरेलू बाजार से हासिल कच्चे माल, capital goods पर कोई एक्साईज डयुटी नही लगेगी।

(Suppliers to SEZs from domestic tariff area (DTA) deemed exports) पांच साल के अर्से के लिये 100 फीसदी आयकर माफ होगा। दो सालों के लिये 50 फीसदी आयकर माफ होगा। मुनाफे के पूर्ननिवेश पर तीन सालों तक 50 फीसदी तक आयकर माफ होगा। ऑफशोअर (offshore) बँक इकाईयों को तीन सालों के लिये 100 फीसदी तथा दो सालों के लिये 50 फीसदी आयकर माफ होगा। बिदेशों में उपसमझौते (subcontract) करने की आजादी होगी। उत्पादन में कुछ क्षेत्रों को छोडकर 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की automatic route के जरिये आजादी होगी। SSI संरंक्षित items में विदेशी निवेश पर कोई cap नही होगी। (No cap on foreign investment for SSI reserved items) SSI items के लिये औद्योगिक लायसन्स की जरुरत नही होगी। सेझ के लिये सरकार बाजार की दरों से काफी कम कीमत पर लोगों से उनकी जमीन हासिल कर जबरन उन्हे उनकी जमीन से विस्थापित करती है। भारत में पहले ही पानी और बिजली की कमी है इन सेझ को 24 घंटे बिजली और पानी मुहैया करने के लिये प्रतिबध्द होगी। सेझ में पर्यावरण के नियमों का पालन करने की कोई सख्ती नही होगी। (http://www.thepeoplesvoice.org/cgi-bin/blogs/indx.php Nandigram……CPM's hubris by Stephen Lendman and Arun Shrivastava) सेझ डयुटी मुक्त क्षेत्र है। अगर ये अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर के उत्पादकों से उप-अनुबंध (sub-contract) करते है तो भी उन्हे करों तथा राज्य की लेवी में छूट तथा आयकर लाभ हासिल होंगे।

मान॰ अनंत ठाकरे डहाणू रोड के मुताबिक दि॰ 31 अगस्त 2004 से 2009 साल तक सरकार ने घोषित भारत सरकार के विदेशी व्यापारी नीति अध्याय **7** धारा (**3**) के मुताबिक हर सेझ का जिक्र विदेशी मुल्क के तौर पर किया है। सेझ देशी तथा विदेशी शोषकों के स्वायत्त क्षेत्र रहेंगे। इसतरह सेझ भारत के संविधान व्दारा सुनिश्चित देश की सार्वभौमिकता, एकात्मता, तथा स्वातंत्र बंधुत्व इ॰ मूल उसूलों पर ही हमला करता है। (सम्राट, 21-24 फरवरी 2008) अनिल दुबे के मुताबिक सेझ का अपना कानून, अपनी न्यायपालिका, अपनी निजी पुलिस होगी। वह ऐसा क्षेत्र होगा जो आम कानूनों के दायरे से बाहर होगा। कानून की धारा **49** के तहत जितने भी केन्द्रिय कानून है वे इससे अलग रहेंगे। (नवभारत, 4 जनवरी 2007)

वहां भारत की पुलिस को प्रवेश नही होगा। सेझ में प्रवेश करने के लिये पासेस की जरुरत होगी। सरकार का कोई भी अधिकारी बिना उनकी इजाजत उनके सेझ का निरिक्षण नही कर सकता और न ही कुछ जब्त कर सकता है। यहां तक कि उनके आर्थिक अपराधों के लिये भी विशेष न्यायालय होंगे।

विशेष आर्थिक क्षेत्र भूमाफियाओं के लूट-क्षेत्र है !

अनिल दुबे के मुताबिक सेझ भूमाफीयाओं का षडयंत्र है जिसके तहत औने पौने दामों पर गांवों तथा शहरों की बेशकीमती और उपजाउ जमीन पर कब्जा किया जा सके। (नवभारत, 4 जनवरी 2007) सेझ में विकसित प्लॉट बनाकर उन्हे मंजूर

की गई इकाईयों को व्यवसायिक तौर पर देने की इजाजत होगी। सेझ के कानून में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वे अपनी जमीन का 75 फीसदी हिस्सा गैरऔद्योगीक कामों के लिये इस्तेमाल कर सकते है। सेझ पर जमीन की कोई मर्यादा भी आयद नही की गई है इसलिये चाहे जितना बडा सेझ बनाया जा सकता है। प॰ बंगाल सरकार के उद्योग मंत्री निरुपम सेन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि क्योंकि इतनी ज्यादा जमीन सेझ के लिये दी जा रही है, अनेक बार फसल ली जाने वाली बेहद उपजाउ जमीन का सेझ में जाना लाजमी है। सन् 1960 में रुस समर्थित एक विशाल इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट के लिये सिर्फ 800 एकड जमीन जरुरी थी। लेकिन किसानों को विस्थापित कर 8000 एकड जमीन जबरन हासिल की गई जिसमें से कई किसानों को अबतक उसका मुआवजा हासिल नही हुआ है।

एक बार सेझ बन जाने का मतलब हमेशा के लिये सेझ बन जाना है क्योंकि सेझ के उद्योग बंद किये जाने की हालत में भी किसानों को उनकी जमीन वापस किये जाने का कोई प्रावधान नही है।

सेझ बर्बर गुलामी ओर शोषण के विदेशी क्षेत्र है !

प॰ बंगाल की नकली कम्युनिस्ट सरकार ने सभी सेझ को पब्लिक युटिलिटी सर्विसेज में शामिल किया है इसलिये सेझ में हडताल गैरकानूनी हो गई है। ट्रेड युनियन कानून में तब्दिली कर सिर्फ अंतर्गत युनियनें ही वैध्य मानी गई है। बाहरी लोगों को युनियन में इजाजत नही होगी जिससे शोषण के खिलाफ प्रतिरोध करने की मजदूरों की कुव्वत में भारी कमी होगी। लेबर कमिश्नर की भूमिका अब सेझ के विकास कमिश्नर को दी गई है। उद्योगपति औद्योगिक विकास और स्थिरता का ढोंग रचाकर पुराने अमानवीय श्रम कानूनों की दोबारा बहाली की जबर्दस्त मांग कर रहे थे जिन्हे सेझ में औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर लागू किया जायेगा तथा बाद में देश भर के उद्योगों में इन्हे लागू किया जा सकेगा। (Frontline Volume 23 - Issue 20 :: Oct. 07-20, 2006 Subversive enclaves V. SRIDHAR) {ब्राह्मण वादी कम्युनिस्ट नेता} बुध्ददेव भट्टाचार्य ने मजदूरों की हडताल का विरोध किया है। (लोकमत समाचार, 28 अगस्त 2008) प॰ बंगाल की कंपनियों ने कर्मचारियों की प्राविडंन्ट फन्ड की 400 करोड की रकम उनके खातों में जमा नही कराई। यह श्रम कानून का घोर उल्लंघन होने के बावजूद प॰ बंगाल की नकली कम्युनिस्ट सरकार जो वास्तव में साम्राज्यवादियों की गुलाम है इन के खिलाफ कैसे कोई कार्रवाई कर सकती है ? क्या कभी इन ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्टों ने इन कंपनी मालिकों को गिरफ्तार करने अपने सशस्त्र बल भेजे है ?

प॰ बंगाल सरकार के वाणिज्य और उद्योगमंत्री, पार्टी की केन्द्रिय कमिटी के सदस्य निरुपम सेन ने गुडगांव में होन्डा कर्मचारियों पर हैवानियत को भी शर्मिदार करने वाले दमन-शोषण का अपरोक्ष रुप से समर्थन करते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बंगाल में निवेश करने के लिये आमंत्रित करते हुए कहा कि गुडगांव जैसा हादसा बंगाल में नही हो सकता और बंगाल में विदेशी निवेश के लिये पूरी

तरह से अनुकूल माहौल है।

मान॰ अनंत ठाकरे डहाणू रोड के मुताबिक कानून के किसी भी हक को विशेष आर्थिक क्षेत्र में अमल में लाने का किसी भी अधिकारी को हक नही है ऐसा सेज एक्ट की धारा 19-24 में कहा गया है। इससे मजदूरों को किसी भी न्यायालय में फरीयाद करने का हक नही होगा। उनसे 12 घंटे काम लिये जाने के बावजूद उन्हे आठ घंटे की ही तनख्वाह दी जाएगी। सेझ की वजह से भारत की अनियंत्रित हुकुमत देश विदेश के पूंजीपतियों के हाथों में केन्द्रित होगी। (सम्राट, 21-24 फरवरी 2008)

सिंगुर, नंदिग्राम इ. सेझ प्रकल्पों का मकसद ?

प॰ बंगाल में सेझ के जरीये ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियों को बुलाना शुरु है ताकि आर्य-ब्राह्मण भारी भरकम कमीशन हासिल कर सके और बंगाल के सवर्ण वर्ग के बच्चों को इन कंपनियों में मोटी तनख्वाह की नौकरियों पर बिठा सके। केन्द्र की बिजेपी सरकार ने सरकारी उपक्रमों को अपने आर्य-ब्राह्मणवादियों और विदेशी कंपनियों को कौडियों की कीमत पर बेचकर इन उपक्रमों में आरक्षित नौकरियों को खत्म कर अपने कई लाख आर्य-ब्राह्मण बच्चों को नौकरियाँ दी। इस ''ब्राह्मण-शायनिंग'' को उन्होने ''इंडिया शायनिंग'' का नाम दिया। प॰ बंगाल की जातीयवादी और सांप्रदायिक माकपा सरकार यही काम ओबीसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासियों को जबरन विस्थापित करके अंजाम दे रही है लेकिन उसे इसने ''भद्रलोग-शायनींग'' की बजाय ''बंगाल का औद्योगिक विकास'' नाम दिया है। (http://www.dalitmirror.com/ Why Dalits in West Bengal are on Protest Author : Manohar Mouli Biswas E-mail: manoharbiswas@yahoo.co.in)

मूलनिवासी तबाह-बर्बाद होते है तभी आर्य ब्राह्मणवादी फलते-फूलते है।

प॰ बंगाल की नकली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के उद्योगमंत्री ने ऐलान किया कि टाटा के साथ किया गया व्यापार समझौता ''व्यापार-रहस्य'' (**trade secret.**) है इसलिये उसे जनता के बीच उजागर नही किया जा सकता। (http:// maoistresistance.blogspot.com/ Wednesday, September 12, 2007 New battle zones in India) टाटा को जमीन देने का फैसला लेते वक्त जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा इ॰ से कभी संपर्क नही किया गया। स्थानीय पार्टी स्तरों पर भी इसपर चर्चा नही की गई।(http://aidindia.org/main/ The Singur saga continues) तकनिकी तौर पर सिंगूर में प्रस्तावित टाटा का कारखाना सेझ नही होने के बावजूद उसे तमाम सुविधाएं दी जा रही है। यह कैसी विडंबना है कि गरीब ग्रामीण महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में माईक्रो क्रेडिट पर सालाना **24** फीसदी व्याज अदा करती है जबकि टाटा को माईक्रो क्रेडिट पर **0.1** फीसदी ही अदा करना होगा।

माकपा के ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं ने सिंगूर की जमीन का अधिग्रहण करने के लिये जो कीमत तय की है वह तत्कालीन बाजार भाव से चार गुना कम थी। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ सोनचुरा में आयोजित सभा में पचास हजार

लोग मौजूद थे। सिंगूर की एक महिला ने कहा कि हमें अपनी जमीन का मुआवजा बिल्कूल नही चाहिये हमें हमारी जमीन चाहिये। हम किसी फॅक्टरी में गुलामों की तरह काम नही करना चाहते हम किसानों के रुप में ही सुखी है। क्या भारत की सरकार {पर काबिज ब्राह्मणवादियों} को यह तय करने का हक है कि लोगों ने कौनसा व्यवसाय करना चाहिये ? क्या लोगों को यह हक नही है कि वे खुद तय करे कि उन्हे लाचार मजदूर बनना चाहिये या आत्मनिर्भर किसान ? (http://www.worldproutassembly.org/ Tales of eviction in Bengal)

सलेम ग्रुप ही अकेली कंपनी नही है बल्कि 680 विदेशी कंपनियाँ प॰ बंगाल का रुख कर चुकी है। विदेशी परियोजनाओं की तादाद इतनी ज्यादा है कि प॰ बंगाल की समूची खेतिहर जमीन शायद इन कंपनियों के लिये कम पड जाये। सी.एस.ई. की इस रिपोर्ट के बावजूद भी कि शीत पेयों में जहरिले तत्व है, प॰ बंगाल में दिगर कुछ राज्यों की तरह पेप्सी कोला ब्रांडों पर प्रतिबंध नही लगाया। तमाम विरोध को नजरंदाज कर दिया गया क्योंकि बुध्ददेव भट्टाचार्य साम्राज्यवादियों को नाराज नही करना चाहता था। (लोकमत समाचार, 29 नवंबर 2006)

मनुवादी कम्युनिस्ट पार्टियों का जनविरोधी प्रतिक्रांतिकारी फासिस्ट चरित्र !

संघपरिवार ने फासिज्म के सबक मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं से सीखे है !

गुंडों तथा पुलिस के सहारे माकपा अपने राजनीतिक विरोधियों को आतंकित करने का काम करती है। मान॰ योगेन्द्र यादव के मुताबिक उन्हे माकपा व्दारा नंदिग्राम में किए गए नरसंहार को लेकर गुस्सा आया, चीढ़ हुई लेकिन हैरानी नही हुई क्योंकि मूझे अहिंसा में विश्वास रखने वाले उत्तर बंगो ततापसिली जाति ओ आदिबासी संगठन (UTJAS) के संस्थापक दलित कार्यकर्ता जूगल किशोर रेबिर से अलीपूरव्दार के वाकये का पता था। सन् 1980 के वर्षो में उन्होने मूलनिवासियों के लिये क्षेत्रीय स्वायत्तता और न्याय की मांग उठाई। 10 जनवरी 1987 को संगठन ने कुच बेहार जिले के अलीपुरव्दार में 50 हजार लोगों की रैली की। पुलिस का कहीं भी अता पता नही था। जल्द ही उन्होने खुद को माकपा के सशस्त्र कार्यकर्ताओं से घिरा हुआ पाया। रैली के निशस्त्र लोगों पर हमला कर उन्हे पीटा गया और दूर तक पीछा किया गया। माकपा के कार्यकर्ता जैसे ही अपना काम खत्म कर चले गए पुलिस घायलों और पीडितों को गिरफ्तार करने के लिये फौरन हाजिर हुई। घायलों का कहना था कि जुगल रेबिर के अहिंसा के सिधान्त से उन्हे मार पडी और घायल होना पडा। अगले कई महिनों तक पुलिस उनके कार्यकर्ताओं को पकडने में

मशगुल रही और माकपा के कार्यकर्ता उन पर हमले करते रहे। उन्होने इनकी घर के अन्दर तक मिटिंगे नही होने दी। इसतरह यह दलित आन्दोलन राज्य, पुलिस और माकपा के दमन से खत्म हो गया। (http://sanhati.com/articles/124/ Party Games - Yogendra Yadav on CPIM)

असोशिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राईटस् हुगली जिला कमिटी ने प॰ बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग के चेअरमॅन को लिखे पत्र का सारांश नीचे दिये मुताबिक है :- पिछले तीन सालों से जिले की पुलिस ने गरीब भूमि मजदूरों, कारखानों के मजदूरों, तथा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ आतंक का राज मचाया हुआ है। किसी के बदले उसके परिवार या अन्य व्यक्ति को जबरन गिरफ्तार कर हिरासत में यातनाएं देना, गंदी गंदी गालियाँ देना और उनके आत्मसम्मान को कुचलना आम बात बन चुकी है। जो भी कोई माकपा का सदस्य नही है, जो अपने नागरी अधिकारों के लिये संगठित होकर शासन-प्रशासन के दमन-शोषण के खिलाफ तथा नागरी असुविधाओं के खिलाफ आवाज उठाता है उनका यही हश्र किया जाता है। इन अत्याचारों जिसमें गैरकानूनी गिरफ्तारियों के अलावा पुलिस फायरिंग इ॰ भी शामिल है के खिलाफ संगठन विस्तृत रुप से कई बार शिकायतें दर्ज करा चुका है। आमतौर से सत्तारुढ पार्टी के नेता पुलिस कार्रवाईयों को निदेशित करते है। इनके आतंक के कारण पिछली पंचायत के चुनावों में पूरे सबडिविजन तथा अन्य सबडिविजनों के कई ब्लॉकों में औरों को अपना नामांकन दाखिल करने की हिम्मत नही हुई। हाल में किये गए अत्याचारों का ब्यौरा नीचे दिए मुताबिक है। 1) दि॰ 6 अक्तूबर 2003 को सेरामपुर की इंडिया ज्युट मिल के रात्री पाली के कर्मचारी गेट पर यह देखकर की उनकी न्यूनतम कानूनी मजदूरी कम की गई है व्यवस्थापन के सामने प्रदर्शन किया। फौरन पुलिस हाजिर हुई और उन्होने मिल के गेट बंद कर जो भी उनके हाथ लगा सभी की पिटाई शुरु कर दी। मशिन पर काम कर रहे मजदूरों तक को घसीटते हुए ले जाकर पिटाई की तथा 124 मजदूरों को गिरफ्तार किया। एक को छोडकर सभी को अस्पताल ले जाना पडा। सब पर 147,148, 149, 323, 325,353, 427,379 IPC. इ॰ धाराएं लगाई गई। इन लोगों को थाना क्षेत्र में प्रवेश करने पर तीन महिने के लिये पाबंदी लगाई गई। इसतरह उन्हे उनके न्यूनतम से भी कम मजदूरी देनेवाले काम पर जाने से प्रतिबंधित किया गया। 2) दि॰ 18 दिसंबर 2003 को रिक्शा चलाने वालों ने कोन्नागर बाटा जंक्शन पर कार्नर सभा आयोजित की। वे इसका निषेध कर रहे थे कि एस.डी.ओ. सेरामपूर से दि॰ 7 नवंबर 2003 को हुई बैठक में जिसमें आटो रिक्शा चालकों के प्रतिनिधि भी शामिल थे यह तय किये जाने के बावजूद भी उन इलाकों में आटो-रिक्शा चलाये जा रहे है जहाँ उनका नही चलाना तय हुआ था। उस बैठक में संबंधित इलाके के पुलिस OC, म्युनिसिपल चेअरमॅन व कमिश्नर्स तथा सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद थे। 18 दिसंबर की सभा के बाद जब रिक्शाचालक अपने अपने निर्धारित रिक्शा स्टँड वापस लौट रहे थे, भारी तादाद में मौजूद पुलिस बलों ने उनपर बिना किसी उकसावे के हमला किया। गंभीर रुप से घायल 7 रिक्शा चालकों को उत्तरपारा स्टेट जनरल अस्पताल में भर्ति करना पडा और दो को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

एक स्थानीय बिजेपी की महिला कार्यकर्ता ने उनकी जमानत कराई। जब जमानत प्राप्त रिक्शा चालक कोर्ट में उपस्थित होने के लिये गए तब उन्हे पता चला कि उस महिला पर भी झुठा मुकदमा दायर किया गया। 3) पुलिस स्टेशन जांगीपूरा के तहत आने वाले भीमपुर क्षेत्र के खेतमजदूर जिन्हे सरकारी नियम के मुताबिक 58 रु मिलने चाहिये थे मात्र 34 रुपये रोज दिये जा रहे थे ज्यादा मजदूरी की मांग के लिये 2002-03 के बुआई के सिजन में आन्दोलन कर रहे थे। कई दिनों की बातचीत के बाद उनकी मजदूरी 4 रुपये बढाना तय हुआ। बढी हुई दर लागू होने की पिछली रात सत्ताधारी पार्टी के बॅनर तले खेतमालिकों ने इन खेतमजदूरों की घासफूस से बनी झोपडियों को तहस नहस कर दिया। पुलिस ने आकर दोनों ओर के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। बाद में हमला करने वालों को छोड दिया जबकि पीडितों के खिलाफ विभिन्न धाराएं लगाई। जमानत होने तक उन्हे कई हप्ते जेल में रहना पडा। 4) नक्सली करार देकर जब चाहे तब किसी को, उसके रिश्तेदारों, मित्रों को गिरफ्तार करने, उनपर हमले करने, उन्हे पुलिस कोठरी में ले जाकर यातनाएं देने जैसी घटनाओं में भारी इजाफा हुआ है। हमारे पास निर्विवाद सबूत है कि सत्ताधारी पार्टी के लोग जिन्हे सलाखों के पीछे देखना चाहती है उनके घर से पुलिस नक्सली साहित्य बरामद हुआ बताती है जो वह खुद लायी होती है। हालांकि इन नक्सली संगठनों पर और न ही किसी साहित्य पर कानूनी तौर से पाबंदी लगाई गई है। कुछ वाकये नीचे दिये मुताबिक है 1) निरंजन बसू नाम का अस्सी साल का बीमार स्वतंत्रता सेनानी जो वामपंथी साहित्यिक है को सेरामपुर पुलिस ने उत्तरी परगना में निमता गांव में उसके घर से 28 दिसंबर 2003 को गिरफ्तार किया। उसका कसूर मात्र इतना था कि जिस व्यक्ति के घर गैरकानूनी हथियार बरामद हुये थे उसके घर की किताब में पब्लिशर के रुप में उसका नाम था। इतने पर उसके खिलाफ गैरकानूनी हथियारों से संबंधित धाराएं (sec 121, 121A, 122, 123,124, 124A, 125, 126, 153B, 120B IPC, sec 25, 27, 29, 235, Arms Act, 9(b) (ii) Explosives Act, 4, 5 Explosive Substances Act) लगाई गई। उसे दो दिनों तक पुलिस हिरासत में रहना पडा और कोर्ट ने 31 दिसंबर को उसे जमानत पर रिहा किया। 2) 3 से 4 जनवरी 2004 की मध्यरात्री को उत्तरपारा पुलिस थाने की पुलिस ने तीन APDR कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इनमें एक पाराशर भट्टाचार्य को मिदनापुर पुलिस 5 जुलाई को 2002 को गिरफ्तार कर चुकी है। जब कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा किया तो पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार किया। या तो उस पर दोबारा नये मामले दायर किये गए या फिर उसे गिरफ्तार बताया गया। उसके साथ ऐसा सात बार हुआ। उसके खिलाफ मिदनापुर या बांकुरा जिले से दूर जगहों के मामले दायर किये गए। इस तरह उसे 13 महिने से भी ज्यादा समय तक सलाखों के पीछे रखा गया। वह दि॰ 16 अगस्त 2004 को जमानत पर रिहा हुआ। जब वह पुलिस यातनाओं से हुई तकलीफों का इलाज कर रहा था तथा उसके गले का आपरेशन हुआ था, पुलिस ने उसे फिर गिरफ्तार किया। सजल बिस्वास और खोकन मंडल को व्यक्तिगत मुचालके पर रिहा किया गया लेकिन पाराशर के खिलाफ गैरकानूनी हथियारों से संबंधित मामले दायर कर (sec 121, 121A,

122, 123,124, 124A, 125, 126, 153B, 120B IPC, sec 25, 27, 29, 235, Arms Act, 9(b)(ii) Explosives Act, 4, 5 Explosive Substances Act) उसे जेल भेजा गया। न्यायालयीन हिरासत के दौरान उसे 9 जनवरी को पोलबा पुलिस स्टेशन में भी ऐसे ही आरोपों के तहत गिरफ्तार बताया गया। पाराशर 18 दिसंबर 2003 को रिक्शा चालकों पर किये गये पुलिस हमले की APDR की सत्यान्वेषण कमिटी का नेतृत्व कर रहा था। उसने उत्तरपारा पुलिस स्टेशन में पुलिस अत्याचारों की शिकायत जमा करायी थी। स्थानीय पानी की समस्या तथा सत्तारुढ पार्टी के नेता व्दारा प्राथमिक स्कूल के शिक्षक की की जाने वाली प्रताडना के खिलाफ किया जाने वाला आन्दोलन शायद सजल विश्वास और खोकन मंडल की गिरफ्तारी की वजह है। (http://india.indymedia.org/en/ Violation of democratic rights in West Bengal By pdfblr 24/01/2004 At 08:54)

दि॰ 18 दिसंबर के आई.ए.एन.एस. के समाचार के मुताबिक सिंगूर क्रिषिजमीं रक्षा कमिटी की सक्रिय और अत्यंत समर्पित कार्यकर्ता तापसी मलिक नामक 16 साल की युवती जो सिंगूर में टाटा के कारखाने के लिये जमीन कब्जे के खिलाफ आन्दोलन का नेतृत्व कर रही थी को जब वह बडे सबेरे मैदान में पाखाना करने गई तब सिंगूर में टाटा कार फॅक्टरी के लिये कब्जा की हुई विवादास्पद जमीन की रखवाली कर रहे सुरक्षाकर्मी तथा माकपा के गुंडे तापसी को घसीटकर ले गये। उससे लगातार बलात्कार किया और अधमरी तापसी को एक गहरे गढढे में डालकर जिन्दा जलाया। तापसी के जंघाओं और पेट का हिस्सा जला पाया गया। गांव वालों के मुताबिक वहां तैनात पुलिस तथा माकपा के गुंडों ने उसे सबक सिखाने के इरादे से यह घिनौनि कार्रवाई की। गांव वालों को जैसे सबेरे तकरिबन 6 बजे गढढे से धुंआ निकलते दिखा वे घटनास्थल की ओर दौड पडे और गढढे से तापसी को निकालने की कोशिश की। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हे वहां जाने से रोका और ऐलान कर दिया कि यह खुदकशी का मामला है। पुलिस ने तापसी के पिता को ध मकाकर जबरन यह लिखा लिया कि तापसी कुछ पारिपारिक समस्याओं में उलझी थी जिससे उसने खुदकशी की। गांववालों ने पुलिस के चंगुल से उसके पिता को छूडाया और जबरन लिखा गया बयान फाड डाला। इस दौरान विपक्षी पार्टी के नेता वहां आये और उन्होने पुलिस को सही रिपोर्ट दर्ज करने पर मजबूर किया। 1) तापसी जमीन रक्षा समिती की बेहद सक्रिय नेता थी और भूख हडताल पर भी बैठी थी। 2) तापसी मलिक ने जमीनी स्तर पर काम करते हुए लोगों को संगठित किया था। 3) माकपा के कार्यकर्ता जबसे विवादास्पद जमीन को हथियाने गांव आये तबसे वह उनकी आंखों में खटक रही थी। वह खुद की गिरफ्तारी से बची हुई थी इसलिये पुलिस तथा माकपा के गुंडे पागलों की तरह उसकी खोज में थे। 4) तापसी मलिक इन लोगों का दूसरा शिकार है। पहला शिकार राजकुमार बुल था जिसकी मौत पुलिस के लाठीचार्ज से 25 सितंबर को हुई। (Singur Tapasi Malik (16 years) - Raped and burnt alive in Singur.; Singur - Teenager raped and burnt alive for daring to protest against forcible land acquisition) जो भी पार्टी कार्यकर्ता सीपीएम नकली कम्युनिस्ट नेताओं के जनविरोधी कामों से असहमति जताकर मूलनिवासी जनता के

हक में बात करता है उसे नक्सली करार दिया जाता है।

बुध्ददेव भट्टाचार्य के चुनावक्षेत्र जाडवपुर में 13A, सुभाष पाली में रहने वाली दलित महिला श्रीमती दिप्ती मंडल जो एक विज्ञापन एजन्सी चलाती है, जिसके दिवंगत पिता माकपा की बांकुरा जिला कमिटी के सचिव थे तथा उसके भाई कटवा झोनल कमिटी के सचिव थे को अपने तथा अपने पति के नये चुनावी कार्ड हासिल करने से माकपा कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। उसे तथा उसकी घर मालिक को लगभग 20 माकपा कार्यकर्ताओं ने धमकियाँ दी कि वे 24 घंटे के भीतर घर खाली कर चली जाये वर्ना गंभीर परिणाम भुगतने के लिये तैयार रहें। इस महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि उसके पति श्री माणिक मंडल पिछले कुछ महिनों से माकपा व्दारा सिंगूर तथा नंदीग्राम में ढाई जा रही हैवानियत पर अपनी नाराजी जता रहे थे। शाम को श्रीमती मंडल को माकपा के पार्टी ऑफिस में तलब किया गया। श्रीमती मंडल ने उन्हे अपने पिता तथा भाई के माकपा के कार्यकर्ता होने का इतिहास बताया। उन्हे भी नक्सली करार देकर उन्होने अपने 24 घंटे के अल्टिमेटम को दोहराया। श्रीमती मंडल ने इस गुंडागर्दी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की और 24 परगना (साउथ इंडस्ट्रियल) के एडिशनल पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट से गुहार लगाई। (http://www.thestatesman.net/page.news.php?clid=6&theme=&usrsess=1&id=179062, December 3, 2007 Message to those opposing CPM Statesman News Service)

एशियन मानवाधिकार कमिशन (AHRC) को हासिल जानकारी के मुताबिक श्री अनवर अली (resident of G 97/A BattiKal 1st Lane, Gardenrich Police Station, Kolkata -24, West Bengal) ने कलकत्ता म्युनिसिपल कार्पोरेशन के चेअरमन से शिकायत दर्ज कर माकपा के असामाजिक तत्वों व्दारा उसकी जमीन पर किया जाने वाला गैरकानूनी निर्माण कार्य रुकवा दिया था। माकपा के कार्यकर्ताओं ने अनवर अली के माँ-बाप से कोरे कागज पर जबरन दस्तखत करवा कर उन्हे बस्ती छोड देने वर्ना गंभिर परिणाम भूगतने की धमकियाँ दी। हथियारों के बल पर पार्टी फंड के नाम पर जबरन पैसे उगाहने की कोशिशें की। 2 नवंबर 2005 की शाम 6.00 बजे माकपा कार्यकर्ताओं ने श्री अनवर अली की जमकर पिटाई की क्योंकि वह उनके व्दारा किये जा रहे गैरकानूनी निर्माणकार्य का विरोध कर रहे थे। गंभीर रुप से घायल अनवर की रिपोर्ट गार्डन रिच पुलिस ने दर्ज नही की उल्टे उन्ही के खिलाफ बिना किसी सबब हथियारबंद होकर बिना किसी उकसावे के हिंसक कार्रवाईयाँ करने का अपराधिक मामला दर्ज किया गया। । पुलिस ने उन्हे यातनाएं दी, गंदी गालिगलौच की और जबरन कोरे कागज पर उसके दस्तखत कराये। उन्हे एस.के.एम. अस्पताल कर्जन वार्ड में 25 दिन तक सीर में चोट तथा सारे शरीर पर हुई चोटों की वजह से भर्ति रहना पडा। अस्पताल में भी उसका ठिक से इलाज नही किया गया। श्री अनवर अली ने वकील से मुलाकात कर अलिपूर कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर जमानत हासिल की। इस दौरान माकपा कार्यकर्ताओं ने उसे जान से मारने की धमकियाँ दी जिससे वह अपनी जान की हिफाजत के लिये बस्ती छोडने पर मजबूर हुआ। अनवर अली ने इन अत्याचारों की लिखित शिकायत मुख्यमंत्री,

प॰ बंगाल मानवाधिकार आयोग, प॰ बंगाल सरकार के मुख्य सचीव, पुलिस कमिश्नर तथा गार्डन रिच पुलिस स्टेशन को भेजी। लेकिन कोई कार्रवाई नही हुई जिससे अली का परिवार आतंक की हालत में है। (http://www.worldproutassembly.org/ INDIA: Alleged torture of a man by police and continuous intimidation to victim by Communist Party of India (Marxist) activists)

केरल में माकपा और मुस्लिम लीग के संघर्ष में कोझीकोडे जिले के नाडापुरम क्षेत्र में माकपा के 15 गुंडो ने एक मुस्लिम महिला तथा उसकी नाबालीग लडकी पर बलात्कार किया। यह मामला माकपा के खिलाफ चुनावी मुद्दा बन गया।

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेता मूलनिवासियों को भूखे मारने में लगे है !

प्रांजोल विष्णु के मुताबिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चाय के कारोबार में आने के बाद छोटी कंपनियाँ बंद हुई है। वर्ल्ड बँक की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिलीवर, अलायड डायोनस, कैडबरी जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हिस्सेदारी 80% है जबकि बाकी के बीस फीसदी में छोटी कंपनियों की हिस्सेदारी है। 37 से ज्यादा चाय कंपनियाँ बंद हो चुकी है और 10,000 से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो चुके है। रहीमाबाद इस्टेट के अकांउट क्लर्क के मुताबिक कंपनी में ताला लगने से पहले बागान मजदूरों का करीब 10 लाख का बकाया पेंशन दिया जाना था। बागान मालिकों ने अबतक इन हजारों मजदूरों की बकाया रकम तक नही लौटाई है, जिसके चलते इन मजदूरों की हालत बद से बदतर हो गई। ज्युलियस का 50 हजार रुपया बागान मालिकों पर था। ये मिलों दूर जंगलों में जाकर कंदमूल, मिर्ची आदी उबालकर जैसे तैसे अपने पेट को पाल रहे है। एक चाय बागान खारीया नामक मजदूर की जंगली अरबी और मिर्ची खाने से मौत हो गई। कई मलेरिया के बुखार का इलाज न होने से मर रहे है। इन मजदूरों की हालत इतनी दयनीय है कि उन्हे चूहों और सांपों का शिकार करना पड रहा है। हडिया का पेय और सांप का भुना हुआ मांस खाकर कई मजदूरों की मौत हुई है। लेकिन बेबस लाचार मजदूरों के पास इसके सिवा रास्ता नही है। पिछले दो सालों में करीब **600** मजदूरों की भूख से मौत हो चुकी है। दिसंबर से लेकर मार्च अप्रैल के दौरान मजदूरों को मजदूरी कम दी जाती है। मजदूरों को प्रति किलोग्रॅम चाय की पत्तियों को तोडने पर साढे चार रुपये मिलते है। रकम इतनी कम होती है कि कभी यह मजदूर भूख से मरते है तो कभी दवा के इन्तेजार में। इनकी दयनीय और भयानक जींदगी की सुध लेने वाला कोई नही है। मरने वाले तडप तडप कर मरते है और उनके असहाय साथी उनकी मौत का इन्तेजार करते है। (भाष्कर, 9 मार्च 2004) इस दौरान उ॰ बंगाल के कई चाय बागान बंद किये जा चुके है

और वहां के मजदूर भूखे मर रहे है। मिसाल के लिये कथालगुडी (Kathalguri) चाय बागान जुलाई 2002 में बंद किया गया जिसमें 1479 मजदूर थे और इनमें से बागान बंद होने के बाद से 500 मजदूरों की भूख से मौत हो चुकी है। जो अबतक मरे नही है बर्बर सामंतवादी शोषण के शिकार है और भारी व्याज के कर्जे के तले बेबस है। (Anandabazar Patrika, March 10, 2007)

पश्चिमी बंगाल के कई गांवों के गरीब जिंदा रहने के लिये सांप और छीपकलियाँ खाने पर मजबूर है। मिदनापूर जिले के मानियाँ गांव की भी यही हालत है। (हितवाद, 10 अक्तूबर 2004) प॰ बंगाल के उत्तरी हिस्से में कई चाय बागानों को बंद किये जाने के बाद सैकडों लोगों की भूख से मौतें हुई। 13 महिने के समय में ही एक विशेष चाय बागान के 142 लोगों की भूखमरी से मौत हुई। पं॰ बंगाल में दलित कुपोषण {ब्राह्मणवादियों ने भूखमरी को दिया हुआ नया शब्द} और बिना इलाज के मरते हुए देखा जाना आम है।

नॅशनल सॅम्पल सर्वे आर्गनायजेशन की फरवरी 2007 की रिपोर्ट के मुताबिक प॰ बंगाल गरीबों को महिने में कम से कम एक दिन भरपेट भोजन देने के मामले में अन्य राज्यों से पिछडा है। प॰ बंगाल का सवर्ण मीडिया मार्क्सवादी जनविरोध ी सरकार के ऐब छुपाने के लिये दिगर राज्यों में कमियाँ ढूंढकर उन्हे प्रचारित करने का आदी है। जैसे की उसने उडीसा में कालाहांडी में भूखमरी से हुई मौतों के मामले में किया। प्रस्तूत रिपोर्ट में कहा गया है कि प॰ बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में 10.6 फीसदी लोग अन्न की कमी से जूझ रहे है जबकि कालाहांडी में यह तादाद सिर्फ 4.8 फीसदी ही है।

प॰ बंगाल में हाथ से खिंचे जाने वाले रिक्शे (टाना) को किराये पर लेकर चलाने का काम मुख्यतः बिहार, झारखंड, तथा उ.प्र. से आये ओबीसी, दलित, मुस्लिम करते है। इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ आलोचना से बचने के लिये अगस्त **2005** को कोलकाता में प॰ बंगाल की नकली कम्युनिस्ट सरकार ने टाना रिक्शाओं पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। लेकिन पाइडल-रिक्षे को इजाजत नही देकर तथा इन रिक्शा चालकों का पूर्नवसन न कर वह मूलनिवासी रिक्शें वालों को भूखों मारने पर उतारु है।

कोलकाता में लायसन्स धारी रिक्शा चालकों की तादाद सिर्फ **5937** है जबकि वास्तविक रिक्शा चालकों की तादाद 50,000 से भी ज्यादा है। रिक्शा चालक अब्दूल सत्तार का कहना है कि लायसन्स तथा दिगर मामलों को लेकर पुलिस रोज उन्हे परेशान करती है। कई बार सलाखों के पीछे पहुंचा देती है और उनपर भारी जुर्माना आयद किया जाता है। अगर जुर्माना अदा नही करते तो ज्यादा दिनों तक सलाखों के पीछे रहना पडता है। पुलिस स्टेशन में जिससे मारपीट नही की गई ऐसा रिक्शे वाला खुशनसीब कहलाया जाता है। (http://www.bbc.co.uk/go/toolbar/i/-/home/i/ Calcutta's rickshaw pullers fear future By Rifat Jawaid BBC Urdu Service) जहां रिक्शा चालकों की असली तादाद **50,000** से ज्यादा है वहीं सरकार सिर्फ लायसेन्सधारी रिक्शा चालकों के पुर्नवसन की बात करती है।

ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट सरकार भारी तादात में मूलनिवासी पिछडी जाति के रिक्शा चालकों पर रोजी-रोटी का संकट पैदा कर उन्हे चाय बागान के बेरोजगार मजदूरों की तरह भूख से बिलबिलाते मारना चाहती है।

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्टों का केरल के दलित-आदिवासियों से जातीय प्रतिशोध !

ब्राह्मणवादी काँग्रेस-कम्युनिस्टों का आदिवासी-दलितों से लगातार विश्वासघात !

ब्राह्मणवादी दिकुओं और उनकी सरकारों ने हम आदिवासियों को हमारे जल, जमीन और जंगल से महरुम करके गुलामों से भी बदतर हालातों में एडीयाँ रगड रगड कर भूखों मरने पर मजबूर किया है। (एच. लाल व एल.के. मडावी)

काँग्रेस के नेतृत्व का यु.डी.एफ. तथा माकपा के नेतृत्व के एल.डी.एफ. ने आदिवासियों को उनकी जमीन से महरुम रखने के किये विश्वासघातों का घटनाक्रम नीचे दिये मुताबिक है :- 1) केन्द्र सरकार ने आदिवासियों से धोखे से छीनी गई जमीन उन्हे वापस दिलाने के इरादे से नियुक्त ठेबर कमिशन ने सीफारीश की कि 26 जनवरी 1950 से आदिवासियों की गैरआदिवासियों ने ली हुई जमीनें आदिवासियों को वापस की जाये। {लेकिन इस पर कभी अमल नही हुआ।} 2) 25 साल बाद 70 के दशक में आदिवासियों की भूख से भारी मौतों से केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल 1975 को ठेबर कमिशन की सीफारीशों के मुताबिक अपने अपने राज्यों में कानून पास करने के लिये राज्यों के राजस्व मंत्रियों की बैठक बुलाई। 3) केरल विधानसभा में ठेबर कमिशन की 1950 की सिफारीश के विपरित 26 जनवरी 1960 को सर्वसम्मती से ''आदिवासी भूमि कानून'' पास किया। राजस्वमंत्री ने कहा था कि सरकार आदिवासियों से गैरआदिवासियों व्दारा ली गई जमीन को चोरी की हुई जमीन मानती है और उसे उसके असली आदिवासी मालिकों को लौटाने के लिये प्रतिबध्द है। 5) 11 नवंबर 1975 को इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल हुई और इस कानून को संविधान की नौवी अनुसूचि में रखा गया। 6) सन 1975 से 1986 के बीच काँग्रेस तथा माकपा के नेतृत्ववाली सरकारों ने आदिवासियों को उनकी जमीन लौटाने के लिये कुछ भी नही किया। 7) सन् 1986 में यह नियम बनाया गया कि अब 1 जनवरी 1982 से हडपी जमीने ही वापस ली जायेगी इसके पहले की नही। लेकिन इसपर भी अमल नही किया गया। 8) सन् 1988 में वायनाड जिले के डॉ॰ नल्ला थाम्पी थेरा ने केरल हायकोर्ट में आदिवासी जमीन कानून पर अमल करवाने के लिये याचिका दायर की। 9) पांच साल बाद लगे हायकोर्ट के निर्णय में कहा गया कि इस कानून को छह माह के भीतर अमल में लाया जाये।

तब केरल सरकार ने इस कानून के अमल में और समय देने की कोर्ट से बार बार अनुमति मांगी और कानून पर अमल टाल दिया। 10) अप्रैल 1996 में सरकार ने चुनाव में गैरआदिवासियों के वोट हासिल करने के लिहाज से आदिवासी भूमि कानून में संशोधन किया जिसे गवर्नर को नामंजूर करना पडा क्योंकि वह चुनाव आचार संहिता का सरासर उल्लंघन था। 11) 9 अगस्त 1996 को अनुसूचित जाति जनजाति विकास के मुख्य सचिव ने केरल हायकोर्ट को प्रतिज्ञापत्र दाखिल किया कि ताकतवर लोगों ने आदिवासी जमीन पर कब्जा किया है और उनके संगठित प्रतिरोध से सरकार कानून पर अमल करने में असमर्थ है। 12) 14 अगस्त 1996 को हायकोर्ट ने सरकार का पक्ष खारीज करते हुए 30 सितंबर 1996 तक आदिवासी जमीन कानून पर अमल करने का हुक्म दिया। 13) माकपा सरकार ने कानून में किये आदिवासी विरोधी संशोधन को गर्वनर ने नामंजूर कर दिया। 14) 19 सितंबर 1996 को माकपा सरकार के वित्तमंत्री तथा राजस्व मंत्री ने पलक्कड जिले के कलेक्टर पर जबर्दस्त दबाव बनाया और धमकियाँ दी कि वह आदिवासी भूमि कानून पर खास तौर से अट्टापाडी में अमल न करे। 15) 23 सितंबर 1996 को केरल विधान सभा में माकपा और काँग्रेस दोनों ने मिलकर कोर्ट की अवमानना से बचने एक नया संशोधन विधेयक Kerala Scheduled Tribes (Restriction on Transfer of Land and Restoration of Alienated Lands) Amendment Bill, 1996] पारित किया। इस विधेयक ने 24 जनवरी 1986 तक आदिवासी जमीन हथियाने को जायज करार दिया। सिर्फ दलित विधायक गौरिअम्मा ने ही इस विधेयक को केरल के इतिहास का सबसे प्रतिक्रांतिकारी विधेयक करार देकर इसकी भर्सना की। एक अन्य गैरविधायक कॅबिनेट सदस्य ने विधानसभा के बाहर इस बिल का निषेध किया। इसमें केरला सिविल लिबर्टिज कमिटी व्दारा आयोजित निषेध सभा भी शामिल है। 16) 4 अक्तूबर 1996 को अय्यंकाली पाडा {अय्यंकाली के लडाके} नामक संगठन ने इस काले बिल के निषेध में पलक्कड जिले के कलेक्टर को बंधक बनाकर इस बिल को वापस लेने और आदिवासी भूमि कानून पर पूरी तरह से अमल करने की मांग की। इस घटना से दुनियाँ के सामने जातियवादी माकपा और काँग्रेस बेनकाब हो गई। 17) माकपा तथा काँग्रेस पार्टी का संयुक्त प्रतिनिधि मंडल मार्च 1998 में मुख्य मंत्री नायनार के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिलने दिल्ली गया ताकि सन् 1996 में संशोधित इस आदिवासी-विरोधी काले कानून को उनकी मंजूरी हासिल की जा सके। दलित समाज में जन्में राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने इस काले कानून को नामंजूर कर दिया क्योंकि यह कानून संविधान की नौवी अनुसूचि में होने की वजह से राज्य सरकार उसमें संशोधन नही कर सकती थी। संशोधन के जरिये माकपा और काँग्रेस के मोर्चो ने आदिवासियों और संविधान के साथ धोखा किया था। 18) सन 1999 में माकपा की सरकार ने काँग्रेस नेतृत्व के मोर्चे के साथ मिलकर एक और संशोधित बिल पारित किया जिसमें ''आदिवासी जमीन'' इन शब्दों की बजाय खेतिहर जमीन (agricultural land) शब्दों का इस्तेमाल किया ताकि राष्ट्रपति की मंजूरी की कोई जरुरत न रहे। इस बिल को गर्वनर की मंजूरी हासिल की गई ताकि कम्युनिस्ट तथा कांग्रेस पार्टी के ब्राह्मणवादी नेताओं व्दारा आदिवासियों की

बडे पैमाने पर जमीन हडपने की कार्रवाई को कानूनी सम्मती दिलाई जा सकें। यह बिल उन लोगों को भी 5 एकड आदिवासी जमीन हडपने को मान्य करता है जिनके पास पहले से ही आदिवासी क्षेत्र में 100 एकड जमीन है। इसके विपरित यह कानून आदिवासियों को सिर्फ एक एकड तक जमीन ही रखने की इजाजत देता है और वह भी उनके पूर्नवसन योजना के तहत। यह योजना दरअसल आदिवासियों की पूर्नवसन योजना नही बल्कि आदिवासियों को उनके पुश्तैनी जमीन से दूर के गैरउपजाउ क्षेत्र में विस्थापित करने की योजना है जहां आदिवासियों के लिये अधिकतम एक एकड जमीन ढूंढी गई है। 19) सन 1999 तथा 2000 में उच्च न्यायालय ने सन 1996 और 1999 के दोनों संशोधित कानूनों को नामंजूर कर दिया। 20) सन 2000 तथा 2001 में केरल सरकार ने सुप्रिम कोर्ट में उच्च न्यायालय के निर्णय पर स्टे-आर्डर हासिल किया। डॉ॰ नल्ला थाम्पी थेरा तथा नियमावेदी ने स्टे आर्डर्स के खिलाफ दायर याचिकाएं सुप्रिम कोर्ट में {इस लेख के लिखने तक} लंबित है। 21) आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों की भारी तादात में भूख से हो रही मौतों की वजह से नक्सली गुटों व्दारा समर्थित आदिवासियों के एक गुट ने 14 अगस्त 2001 को वायनाड जिले के नुलपुजहा इलाके में सरकारी अनाज की मोबाईल व्हॅन को लूट लिया। इस घटना ने सारे देश का ध्यान आदिवासियों के साथ {ब्राह्मणवादी} माकपा और कॉंग्रेस व्दारा लिये जा रहे प्रतिशोध की ओर केन्द्रित कर दिया। (dalit e-forum A Fact File on Tribal Land)

दि॰ **30** अगस्त **2001** को आदिवासी-दलित समर समिति के बॅनर तले सी. के. जानू ने जमीन आन्दोलन शुरु किया। हर क्षेत्रों से सैकडों की तादाद में आदिवासी विधान सभा के लिये कुच कर गए। उन्होने मुख्यमंत्री के घर, सरकारी कार्यालयों के तथा विधानसभा के इर्दगीर्द अपनी झोपडियाँ खडी कर दी और यह निर्धार लिया की सिर्फ उनकी लाशें ही वहाँ से हट सकती है। जानू की मांग थी कि गैरआदिवासियों व्दारा आदिवासियों से हडपी हुई जमीने वापस लेकर हर भूमिहीन आदिवासी परिवार को कम से कम पांच एकड जमीन दी जाये।

आदिवासियों का विधानसभा के सामने किया गया संघर्ष **48** दिन चला। सारी दुनिया की नजर इस संघर्ष पर टिकी थी। 16 अक्तूबर 2001 को सरकार और आदिवासी-दलित एक्शन काउंसिल के बीच समझौता हुआ। लेकिन जानू को उनपर भरोसा नही था। जानू का आकलन सही था। समझौता होकर सवा साल का वक्त होने पर भी राज्य सरकार ने इस पर अमल नही किया। मुख्यमंत्री अंथोनी ने जानू के साथ किये हुए समझौते पर न के बराबर अमल किया था। जिले के कलेक्टर ने सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी थी कि अधिकतर सरकारी जमीन पर माकपा के नेताओं ने अवैध कब्जा जमाया हुआ है। आदिवासियों ने कई साल तक प्रतिक्षा की लेकिन जब कोई नतिजा नही निकला तभी जानू को वायनाड के मुथांगा जंगल में आदिवासियों को जबरन बसाने का निर्णय लेना पडा।

मुथांगा में आदिवासी जनसंहार !

मुथांगा के अभयारन्य जंगल में सी.के. जानू की आदिवासी गोत्र महासभा और गिथानंदन के नेतृत्ववाली आदिवासी-दलित समर समिति के नेतृत्व में सरकार और उनके बीच आदिवासियों को जमीन देने के हुए समझौते के अमल न होने के विरोध में 4 जनवरी से लगभग 1150 आदिवासी परिवारों ने लगभग 5000 एकड विरान पडी जमीन पर लगभग 750 झोपडियाँ बनाई। मुथांगा में सरकार ने बिडला की मिल्कियत के ग्रासिम उद्योंगों को eucalyptus के पेड लगाने की इजाजत दी थी जिससे जंगल के झरने बूरी तरह से प्रभावित हुए, सब कुछ उजाड कर वहां से वे चले गए थे। जंगल माफीया ने भी उसे उजाड दिया। लगभग एक दशक से ही पानी और अन्न की कमी की वहज से जंगली जानवरों ने इस क्षेत्र में आना छोड दिया था। दलित-आदिवासियों ने इसी उजडी जमीन पर अपनी झोपडियाँ बनाई। 48 हिस्सों में बँटे आदिवासी समूदायों को एक कर मुथांगा जंगल में वसाहत कायम करना आदिवासियों का अपने नैसर्गिक जीवन में वापसी और स्वनियंत्रित समाज कायम करने का आगाज था। मुथांगा जंगल में अपने एक-देढ माह की वसाहत के दौरान आदिवासियों ने अपने बुलंद इरादों और सामुहिक मेहनत से बिना किसी की मदद के अपने खेत बनाये, कुएं खोद लिये और जमीन की सिंचाई शुरु कर दी। तीन स्कूल कायम किये, अपनी अनाज वितरण व्यवस्था तथा एक स्वास्थ्य केन्द्र तक कायम कर लिया। आदिवासियों ने लकडा माफीया व्दारा उजाड दिये जंगल का विकास करने तथा पर्यावरण संरक्षण करने की कार्ययोजना तक बना डाली। यह एक स्व-शासन का अनोखा अनुभव था।

इस दौरान सरकार ने आदिवासियों को वहां से उजाडने की हर संभव कोशिशें की जिसमें वे नाकामयाब रहे। वहां बनाये गई जांच चौकी का काम यह था कि वह गैरआदिवासियों को अपनी वसाहत में आने से रोके। सरकारी अधिकारियों से भी जांच चौकी पर ही बातचीत की जाती थी। आदिवासी गोत्र महासभा (**AGMS**) ने शुरु से ही स्पष्ट कर दिया था कि सरकार व्दारा पर्यायी जमीन मिलने के बाद ही वे इस जगह से हटेंगे। जानू का कहना था कि वह सिर्फ मुख्यमंत्री अंथोनी से ही बातचित करेगी जिसके साथ उसका समझौता हुआ था और उसने अपने समझौते का पालन नही किया है। लेकिन ब्राह्मणवादी काँग्रेसी नेता अंथोनी ने सी. के. जानू से मिलना तक गँवारा नही किया और न ही इस संबंध में अपने अधिकरियों को कोई निर्देश दिये।

षडयंत्रपूर्ण तरिके से भाडे के लोगों का इस्तेमाल करते हुए जंगल में आग लगाकर आदिवासियों पर अंधाधुद फायरिंग कर उन्हे मौत के घाट उतारा गया और उल्टे निरपराध आदिवासियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमें दायर किये गए। इस जनसंहार ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खेंचा। सी. के. जानू के मुताबिक जब हमने मुथांगा में अपनी वसाहत कायम की तो सभी राजनीतिक पार्टियों की बुनियाद हिलने लगी। सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक होकर हमें वहां से भगा देने के लिये हमारे खिलाफ उग्र हडताल की और राजमार्गो को अवरुध्द किया क्योंकि उनकी नजर में आदिवासी प्रदुर्षण फैलाने वाले गंदे लोग है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव के वक्त यह वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद वह जमीन सत्याग्रह के सिलसिले में आदिवासियों पर दायर किये गए मुकदमें वापस ले लेगी लेकिन उसने ऐसा कभी नही किया। आदिवासी गोत्र महासभा के संघर्षो की बदौलत जब केन्द्र तथा राज्य सरकार ने मिल कर यह फैसला लिया कि अलाराम फार्म की जमीन आदिवासियों को दी जाये तो 7 वामपंथी सांसदों ने इसपर ऐतराज जताते हुए इस जमीन को संशोधन के कामों के लिये देने की मांग की। इतनी नफरत ये मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेता हम दलित-आदिवासियों से करते है।

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं का जबरन दलित-आदिवासी विस्थापन अभियान !

1) के. शाजी चिंन्नाकनाल के मुताबिक बंगाल के ब्राह्मणवादी मुख्यमंत्री का सिंगूर-नंदिग्राम फार्मूला केरल के इडुक्की जिले के दूरस्त गाँवों में भी अपनाया जा रहा है जहां केरल राज्य माकपा, भू-माफीया और टुरिजम माफीया के लिये आदिवासियों को उनकी पुश्तैनी जमीन से जबरन विस्थापित कर रहे है। आदिवासियों के गाँवों को आदिवासियों से ''आजाद'' करने के लिये माकपा के कार्यकर्ता आदिवासियों के टेन्ट झुग्गीयाँ जलाने का काम करते है। कलेक्टर ने माना है की टूरिजम रिसोर्ट लाबी आदिवासियों के खिलाफ कार्यरत है जिसकी मदद एक भूतपूर्व कलेक्टर कर रहा है। माकपा का यह आदिवासी-जमीन हडपने का कार्यक्रम मुन्नार चिन्नाकना, अनाईरंकाल इ॰ गाँवों में बेनकाब हो चुका है।

माकपा ब्रिगेड ने चिन्नाकनाल की 53 एकड सरकारी जमीन पर बसे 160 आदिवासी परिवारों को जिन्होने कुछ महिने पहले सरकार के इस आश्वासन पर कि उन्हे इस क्षेत्र में जमीन दी जाएगी वहां अपनी झुग्गीयाँ बनाकर रह रहे थे को जबरन भगाकर आदिवासियों की झोपडियों को जलाकर राख में तब्दिल कर दिया और माकपा के झंडे लहरा दिये। बाद में माकपा कार्यकर्ताओं ने वहां अपने शेड डाल लिये। पहले दिन माकपा की यह कार्रवाई अनायीरंगल और पाप्पाथीचोला गांवों तक थी। दूसरे दिन माकपा के गुन्डों ने चीन्नकनाल गांव पंचायत की सारी रेवेन्यू भूमि पर लाल झंडे गाडकर कब्जा किया। जिससे आदिवासियों के लिये कहीं भी कोई जगह नही है। पुलिस और प्रशासन आंखें मूंदे हूए है।

2) हिंदूस्तान न्यूजप्रिंट लिमीटेड को eucalyptus के पेड लगाने को 1500 एकड जमीन दी गई थी। आदिवासियों ने उस जमीन पर ''आदिवासी पुन्नराधीवसा संमरक्षणा समिति'' के बॅनर तले अपने तंबू लगाकर अपनी बस्ती बसा ली थी क्योंकि कंपनी उस जमीन का इस्तेमाल नही कर रही थी और यह सारी जमीन पहले आदिवासियों की थी। आदिवासी उम्मीद कर रहे थे कि सरकार अपने समझौते के मुताबिक जमीन उनके नाम करेगी। माकपा कार्यकर्ताओं ने उन्हे अपनी जमीन से जबरन बेदखल कर दिया जो नंदीग्राम का एक संस्करण है। माकपा को आदिवासियों

को जबरन उजाडने का अधिकार किसने दिया है ? सी. के. जानू के मुताबिक माकपा को यह जमीन भू-माफीया को हस्तांतरीत करनी है। माकपा ने प्रचार चलाया है कि 121 में से सिर्फ 21 आदिवासी जिन्होने अपने शेड डाले हुए है जमीन बँटवारे के हकदार है। माकपा सत्ता में होने से जमीन के झूठे कागजात तक पैदा कर सकती है ताकि आदिवासियों को जमीन हासिल न हो सके।

केरल के चेंगरा में दलित-आदिवासियों का जमीन के लिये संघर्ष !

केरल में 29000 भूमिहीन दलित, आदिवासी, ईसाई, मुस्लिम तथा ओबिसी जातियाँ जमीन के लिये 4 अगस्त 2007 से तीव्र संघर्ष कर रही है। इस संघर्ष को साधुजना विमोचना संयुक्त वेदी (The Sadhu Jana Vimochana Samyuktha Vedi (SJVSV)) के बॅनर तले कई संगठनों ने चलाया है। मूलनिवासियों ने चेंगारा में कब्जाई हुई 2000 एकड जमीन पर आर.पी. गोयनका की कंपनी चेंगारा हरिसन मलयालम प्लानटेशन लिमिटेड दावा कर रही है कि यह जमीन उसे चेंगानूर मुंदनकउ वंजीपुजहा मॉटम नामक स्थानीय जमीदार ने 99 साल की लीज पर दी थी। लेकिन वह इससे संबंधित कोई दस्तावेज पेश करने में नाकाम रही है। सरकार का कहना है कि ऐसी कोई लीज या ऐसा कोई जमींदार नही था। लेकिन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की केरल सरकार में हिम्मत नही है। अगर यह मान भी लिया जाये कि ऐसी कोई लीज थी तो उसकी मियाद सन 1996 में खत्म हो चुकी है। हरिसन मलयालम कंपनी केरल में जमीन का भी कारोबार करती है और उसके अवैध कब्जे में चाय और रबर के पेड के लिये केरल की हजारों एकड जमीन है क्योंकि वे कई बार उन्हे इस काम के लिये मंजूर की गई जमीन से कई ज्यादा जमीन पर कब्जा जमाते है और उनके खिलाफ लीज की शर्ते भंग करने और जमीन को औरों को देने की शिकायतें है। यहांतक कि जितनी जमीन का दावा कंपनी कर रही है वह सिर्फ हडपी हुई जमीन है। जमीन पर लगे पेड बेहद पूराने होने से उनसे रबर निकलना संभव नही है। इसलिये इस जमीन का वितरण भूमिहीन दलित-आदिवासियों के बीच होना चाहिये। इस आन्दोलन का नेतृत्व दलित नेता लाहा गोपालन और वी.टी. सरस्वती 4 अगस्त से कर रहे है।

ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट सरकार को इन दलित - आदिवासियों को हटाने का कोर्ट से आदेश मिल चूका है। 6 मई तक सरकार को इन्हे वहां से हटाना है। सरकार ने कोर्ट मे हलफनामा दायर किया है कि बिना खूनखराबे के इन्हे हटाना संभव नही है। गोपालन का कहना है कि अगर उन्हे जबरन वहां से हटाने की कोशिश की गई तो वे सामुहिक रुप से आत्महत्याएं करेंगे। दलित-आदिवासियों के सामुहिक रुप से फाँसी पर झुलने से सारी दुनियाँ में होहल्ला मच जाएगा और देश की शोषित जनता का गुस्सा इन राजनीतिक दलों को मिट्टी में मिलाने का बायस बनेगा। 3 मार्च को जब सरकार ने उन्हे हटाने की कोशिश की तो सैकडो दलित-आदिवासी पेडों पर चढ गए और अपने गले में फंदा डालकर सामुहिक आत्महत्या पर आमादा हो गये इसलिये इन्हे हटाने की कोशिशें नाकाम हुई।

इसलिये ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट सरकार ने बहुत ज्यादा तादाद में पुलिस तैनात की है और वे जानबूझकर लोगों को आने जाने से रोक रहे है। इससे दलित-आदिवासी काम पर नही जा सकते और उन्हे अन्न तथा दवाएं तक मुहैय्या नही हो रही। सत्तारुढ़ माकपा के निर्देशों से 4 अगस्त 2007 से ही आन्दोलन के क्षेत्र में गैरकानूनी तौर पर लोगों को गिरफ्तार करना जारी है। ऐसा वक्त भी आया जब आन्दोलनकारी दलित-आदिवासियों को जिन्दा रहने के लिये घास-फूस खाने पर मजबूर होना पडा। विरोधी पार्टियों ने दलित-आदिवासियों के हक में बयान तक नही दिया। मीडिया ने भी शर्मनाक चुप्पी साधी हुई है। अखबार इस डर से चूप है कि हरिसन मलयालम प्लानटेशन लिमिटेड से मिलने वाले इश्तेहार मिलने बंद न हो जाये। इसके बावजूद यह संघर्ष जोर पकडता जा रहा है। उसे देश भर के दलित-आदिवासी कार्यकर्ताओं का समर्थन हासिल हो रहा है।

दलित-आदिवासियों ने अपने आदर्श महान क्रांतिकारी दलित समाज सुधारक अय्यंकाली तथा डॉ॰ बी.आर. अम्बेडकर की तस्वीरें लगाई है। ब्राह्मणवादी माकपा तथा उसका श्रमीक संगठन सीटू तथा हॅरिसन कंपनी के मजदूर दलित-आदिवासियों के आन्दोलन का विरोध कर रहे है। इन श्रमीकों ने दलित आदिवासियों पर पथराव और हमला किया और पुलिस मूकदर्शक बनी रही। कई औरतों और बच्चों को अस्पताल में भर्ति करना पडा। दलित-आदिवासी महिलाएं जब सुबह शौच इ॰ के लिये या शाम को झरने पर पानी लेने जाती है तब वामपंथी युनियनों के मजदूर तथा हॅरिसन कंपनी के गुंडे उनपर पत्थरबाजी करते है। आम लोगों को इस संघर्ष की सही जानकारी नही है। माकपा के सीटू ने ऐलान किया है कि अगर पूलिस दलित-आदिवासियों को नही हटा पाई तो वे खूद इन्हे वहां से जबरन हटा देंगे। भाकपा के मजदूरों के संगठनों के संघ AITUC ने भी दलित-आदिवासियों के चंदनपल्ली में जारी आन्दोलन का विरोध किया और CITU, AITUC, BMS व INTUC इ॰ सभी ने मिल कर कंपनी के कामगारों के हितों की दूहाई देकर दलित-आदिवासियों के खिलाफ बंद का ऐलान किया। मसला सुलझाने की बातचीत नाकाम हो चुकी है। माकपा सरकार ने बातचीत को 7 महिने तक टाले रखा था। संघर्षरत नेताओं में फूट पैदा करने की हर तरह से कोशिशें की। माकपा की नापाक कोशिशों की बदौलत ही एक्शन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी थात्तायील सरस्वती ने अपना इस्तीफा दिया और कमिटी के अध्यक्ष लाहा गोपलान के खिलाफ कुछ विवादास्पद बयान दिये। माकपा समर्थक अखबार चेंगरा भूमि संघर्ष के सिर्फ नकारात्मक पहलुओं का ही प्रचार करते है।

सी. के. जानू तथा गीथानंदन ने दलित-आदिवासियों के संघर्ष का समर्थन करते हुए सरकार को उनकी मांगे फौरन मानने की चेतावनी दी है। जानू ने कहा है कि कई कंपनियों की लीज खत्म हो गई है, यह जमीन भी दलित-आदिवासियों में बाँटी जाए। आदिवासी गोत्र जनसभा, केरल दलित पँथर (KDP), केरल क्रिषक थोझहीलाली युनियन इ॰ ने संघर्ष का समर्थन किया है। संघर्ष चलाने के लिये अनाज इकट्ठा किया गया है ताकि बूरी से बूरी हालातों से लडा जा सके। इरायामकुडी के

किसानों ने एक बोरी अनाज भेजा। नॅशनल दलित लिबरेशन फ्रंट, दलित विमोचना संगठना, तथा दलित डेमोक्रटिक मुव्हमेंट इ॰ ने मिलकर जमीन आन्दोलन अभीयान कमिटी का गठन किया है। दलित-आदिवासियों के इस संघर्ष को भी राष्ट्रविरोधी ताकतों तथा नक्सल-प्रेरित संघर्ष कहकर बदनाम किया जा रहा है। जबकि श्री लाहा गोपालन ने इसे अहिंसात्मक संघर्ष करार दिया है।

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट सरकार से केरल के मूलनिवासी बहुजन किसानों का संघर्ष !

इरायामकुडी के लगभग 3500 परिवारों ने नवंबर में इंट उत्पादक युनिटों के खिलाफ अपना विरोध शुरु किया। ये युनिट न सिर्फ चावल की खेती को बर्बाद कर रहे है बल्कि हवा और पानी में प्रदुषण भी फैला रहे है। लेकिन माकपा सरकार ने इंट उत्पादकों तथा जमीन माफियाओं का पक्ष लिया। जब किसानों के आन्दोलन को माकपा के गढों जैसे कि करिवेल्लूर से भी भारी जन समर्थन मिलने लगा तो ब्राह्मण वादी माकपा आगबबूला हो गई और उसने आन्दोलनकारियों के नक्सलवादियों के साथ संपर्क होने का आरोप लगाया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर पुलिस ने केरल में दिसंबर माह में गिरफ्तार किये गए मल्लाराजा रेड्डी नामक आंध्रप्रदेश के नक्सली नेता का लॅपटॉप खोजने का बहाना बना कर सी. जयश्री नामक आन्दोलनकारी नेता को परेशान करने और डराने के लिये उसके घर छापा मारा। इरायामकुडी ही नही बल्कि केरल की एक दर्जन से भी ज्यादा जगहों में शोषित मेहनतकशों का अपने अधिकारों के लिये संघर्ष जारी है। अब वे माकपा को अपना वर्ग-शत्रु मानते है।

थ्रीसूर के मुरीयाड क्षेत्र के किसानों ने अपने 11100 एकड चावल के खेतों को ईट उद्योग माफीया, रेत माफीया तथा टाईल्स उद्योग माफीया से बचाने के लिये अय्यंकाली की तस्वीरों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। माकपा का ब्राह्मणवादी नेतृत्व दलितों से इतनी नफरत करता है कि माकपा के गुंडो ने अय्यंकाली की तस्वीरों को तहस-नहस कर दिया। माकपा से सांठगांठ कर माफीयाओं ने 4000 एकड जमीन को पहले ही तबाह किया है। माफीया को माकपा सरकार तथा पार्टी की औद्योगिक विकास के नाम पर पूरी हिमायत हासिल थी। इस संघर्ष में शामिल अधिकतर खेत मजदूर दलित थे।

कोच्ची के हायकोर्ट से कुछ ही दूरी पर मुलाम्पाली गांव से विस्थापित 40 परिवार भी जमीन के लिये संघर्ष कर रहे है। इन लोगों को वल्लारपाडाम कंटेनर टर्मिनल प्रकल्प के लिये आधी रात को कार्रवाई कर विस्थापित किया गया। लोगों की मांग थी कि उनका उचित पूर्नवास किया जाये, और मुआवजे के तौर पर करों में छूट दी जाये। लेकिन माकपा के मुख्यमंत्री अछूतानंदन ने इस आन्दोलन को नक्सलप्रेरित आन्दोलन बताया। जनता ने गुस्सा जताते ही उसने अपना बयान बदल लिया। वल्लारपाडाम को बिना किसी भी मुलामपाली के परिवार को उजाडे जोडा जाना चाहिये। इर्नाकुलम रेल गुडस् यार्ड के बंद पडे रेल मार्ग का पूर्नजीवन

करके यह किया जा सकता था। इसमें किसी को मुआवजा देने की जरुरत नही थी और खर्चा भी बहूत कम होता। लेकिन ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट सरकार ने गरीब किसानों को उजाडना पसंद किया क्योंकि वह हिन्दूस्तान लीवर कंपनी की मिल्कीयत की जमीन से गूजरता था जहां यह कंपनी आलिशान घर और फ्लेटस् बनाना चाहती थी।

माकपा सरकार ने मुलामपाली से दो की.मी. दूर स्थित वालानथाक्काडू व्दीप के 40 दलित परिवार विस्थापित कर और कई हेक्टर mangrove के जंगलों को जलाकर बंगलोर के एक बिल्डर कंपनी को ''ज्ञान शहर'' (knowledge city) बनाने बेच दिया है।

काफी पहले भूमिहीन दलित-आदिवासियों में बाँटने के नाम पर राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से आलाराम फार्म की 7500 एकड जमीन आदिवासी विकास फंड के 42 करोड रुपयों से खरीदी थी। लेकिन माकपा सरकार ने ऐलान किया है कि इस जमीन का वितरण तभी किया जायेगा जब वहां बसे हुए दलित-आदिवासी वहां से हट जाएंगे। आदिवासियों का मानना है कि माकपा सरकार उन्हे वहां से जबरन हटाकर इस जमीन को अंततः भू-माफीयाओं को सौंपने का इरादा रखती है। सी.के. जानू के साथ काँग्रेस सरकार से हुए समझौते के मुताबिक एक एकड से कम जमीन वाले आदिवासी को इस फार्म में जगह दी जानी थी। लेकिन माकपा सरकार 0.2 एकड से ज्यादा जमीन होने वाले आदिवासी को वहां से विस्थापित कर बची जमीन को अपने भूमाफीया को सौंपना चाहती है। आदिवासी गोत्र महासभा का कहना है कि जमीन माफीया माकपा का सदस्य है। माकपा के गुंडे स्थानीय आदिवासियों में आंतक फैला रहे है। आदिवासी अपनी जमीन से मरते दम तक न हटने का ऐलान कर चूके है। प॰ बंगाल की तरह ही केरल को विदेशी कंपनियों को सौंपने की तैयारियाँ कर रही है जिससे केरल में कई नंदीग्राम दूहराए जा सकते है।

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्टों का नंदिग्राम, सिंगुर के बहुजनों से प्रतिशोध !

नंदीग्राम प॰ बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में एक लाख पच्चासी हजार की आबादी वाला क्षेत्र है जिसमें 60 फीसदी मुस्लिम और 30 फीसदी दलित-पिछडी जातियाँ रहती है। कम्युनिस्ट सरकार नंदीग्राम के मुस्लिम-दलितों की 20,000 एकड बेहद उपजाउ जमीन जिसमें 1300 एकड कई बार फसल ली जाने वाली जमीन है को इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप तथा भारत के रुईया समूह को देने पर उतारु है। ([MLL] CPIML: People's Resistance Growing in India - From Singur to Nandigram CPI \(ML\) Intl Liaison Office Thu, 11 Jan 2007 17:11:27 -0800)

नंदीग्राम के दलित-मुस्लिमों को सबक सिखाने मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं की हैवानियत !

नंदीग्राम के लोगों ने अपनी जमीने देने से साफ विरोध जताया और मुआवजा लेने से इन्कार कर दिया। सरकार का यह आरोप भी झूठा है कि गाँव के लोगों ने उनपर सशस्त्र हमला किया क्योंकि पुलिस में कोई भी गंभीर रुप से घायल नही है। (Anandabazar Patrika, March 10, 2007) दि॰ 3 जनवरी 2007 को पुलिस ने जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे नंदीग्राम के दलित-मुस्लिमों पर गोलिबारी की। दि॰ 6 जनवरी 2007 को नंदीग्राम के दलित-मुस्लिमों ने भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिती (BUPS) कायम की। माकपा के गुंडों और सरकार व्दारा जारी दमनचक्र के विरोध में कृषि भूमि रक्षा समिति भी कायम की गई।

नंदीग्राम के दलित-मुस्लिमों ने अपनी जमीन की रक्षा में प्रशासन तथा पुलिस के नंदीग्राम प्रवेश को लगभग दो माह तक प्रतिबंधित कर दिया था। (http://bengalresistance.blogspot.com/ Factual Information March 14 and onwards) प॰ बंगाल में यह शायद पहला अवसर था जब कोई ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेताओं के रास्ते में रुकावट बन रहा था। इसलिये उन्होने हम दलित-मुस्लिमों को खौफनाक सबक सिखाने की ठानी।

14 मार्च की सुबह 9.45 को नंदीग्राम पर हमला शुरु हुआ जब गवर्नर हवाई जहाज से कोलकाता वापस आ रहा था। अगले 72 घंटों के लिये पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया। (http://www.indiainteracts.com/ Nandigram: killing fields of CPM goons and mercenaries {Syed Ali Mujtaba, INFA http://www.centralchronicle.com/20071213/1312302.htm and other articles })

पुलिस की कमान माकपा नेताओं के हाथों में थी। दलित-मुस्लिमों ने शातिपूर्ण प्रतिरोध में गौरांगा पूजा तथा कुरान के पाठ का आयोजन किया जिसमें लगभग 5-6 हजार लोग शामिल हुए। इनमें 3000 औरतें तथा लगभग 500 बच्चे थे। खेजूरी की ओर तलपती खल में भारी तादाद में आयी पुलिस तथा माकपा के गुंडों ने बिना किसी चेतावनी के धार्मिक पाठ करते लोगों पर टियर गॅस बरसाई। इसके बाद गोलिबारी शुरु की (http://www.counterviews.org/default.html Report of Investigation Into Nandigram Mass Killings (Excerpts from the reports given by APDR and PBKMS)) नंदीग्राम जहां लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते है, दि॰ 14 मार्च 2007 को माकपा ने शाम से 12 घंटे के का बंद रखा ताकि तमाम हैवानियत को अंजाम दिया जा सके। (Anandabazar Patrika, March 10, 2007) माकपा के गुंडों की टुकडियों को इस्टर्न फ्रंटियर्स रायफल्स तथा कमांडों बलो की मदद हासिल थी। वे हर गांव महल्लों में घूसे। उन्होने दलित-मुस्लिमों को घर से बाहर निकाला। गिरफ्तार करने की बजाय सीधे गोलियों से हलाक कर दिया। बंदूक की बोनटों से दलित-मुस्लिमों के जिस्म को भोंक दिया, दलित-मुस्लिमों के पेट फाडकर उन्हे नहर और नदियों में बहा दिया ताकि दलित-मुस्लिमों की लाशे अंततः

समुद्र में चली जाये। औरतों को पीटा गया, उनके गुप्तांगों में डंडे घुसेडे गए, गंदी गालीगलौच की गई। उन्हे सरेआम नंगा किया गया। औरतों को घसीटकर वॅनों में डालकर ले जाया गया। उन्होने जवान दलित-मुस्लिम लडकियों को खुली जगहों में निकाला जहां उनपर कई बार तबतक सामुहिक बलात्कार किया जबतक कि उन्होने दम नही तोड दिया। घरों को लूटने, जलाने और दलित-मुस्लिम औरतों पर बलात्कार करने का सिलसिला शुरु हुआ। दलित-मुस्लिम औरतों पर बलात्कार कर उनको मौत के घाट उतारने के बाद उनके लाशों को विभत्स बनाकर तथा उनके टूकडे टूकडे कर नदी तथा नहर में बहा दिया गया। दलित-मुस्लिम बच्चों के चीर कर टूकडे किये गए। लाशों के टूकडे टूकडे कर उन्हे हल्दी नदी और तलपती नहर में बहा दिया। उनकी इस हैवानियत का कोई ख्श्मदीद गवाह नही था और वे अच्छी तरह से जानते थे कि कोई भी दलित-मुस्लिम डर से उनके खिलाफ मुंह नही खोल सकता और फिर हैवानियत को भी शर्मसार कर देने वाली इन बातों पर यकीन कौन करेगा ? {ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्टों ने जनवाद का मुखौटा जो लगाया है} इसके बाद माकपा कार्यकर्ताओं ने सारे गांवों में अपने झंडे और बॅनर फहरा दिये जो इस बात का सबूत था कि उनकी हुकूमत अब दलित-मुस्लिमों पर दोबारा कायम हो चुकी है। जो दलित-मुस्लिम इस नरसंहार से बचकर भागे थे उन्हे गाँव की सीमा पर ही पकड लिया गया। इनके साथ क्या हुआ यह उन्ही दलित-मुस्लिमों ने बताया जो खेतों और जंगल से पूरे समय किसी तरह से रेंगकर बचने में कामयाब हो सके थे। अब तो रेंगकर भागना भी मुश्कील हो गया है क्योंकि खेत सुख चुके है और फसल काट दी गई है इसलिये खेतों से आने वाले को अब कोई भी दूर से देख सकता है। दलित-मुस्लिम औरतों पर किये गए बलात्कारों की तादाद असंख्य है। सरकारी तौर पर यह तादाद मात्र छह है क्योंकि जो बताने के लिये जींदा बच सकी थी वे अधेड उम्र की थी। एक के बाद एक गाँव में यह हैवानियत दुहराई जा रही है। सारे संवाददाता हटाये जा चुके है। दलित-मुस्लिमों के दिलों में जबर्दस्त आतंक पैदा किया गया है ताकि कोई दलित-मुस्लिम अपनी जबान न खोल सके। हरीपुर क्षेत्र करिबी सबडिविजन है जिसे आण्विक पॉवर प्लांट के लिये अंकित किया गया है। इसलिये इस क्षेत्र के दलित-मुस्लिम जो मुख्यतः मघुआरे है, वे भी विरोध में उठ खडे हुए है। उन्होने नदी-समूद्र में जाना बंद कर दिया है क्योंकि उन्हे लगता है कि बहती हुई दलित-मुस्लिमों की लाशों की वजह से उनके पानी में दूर सूंदरबन से घडीयाल इ॰ आने लगे है। उन्हे डर है कि उनके जाल में मछलियों की बजाय घडीयाल इ॰ जीव फॅस जाएंगे। इसतरह हरिपुर कम से कम एक हप्ते के लिये अपनी उपजीविका से महरुम रहेगा। नकली कम्युनिस्ट सरकार इसे पहले से जानती थी। इस हैवानी नरसंहार का मकसद नंदीग्राम के दलित-मुस्लिमों और हरिपुर के मछुआरों को सबक सिखाना था। भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमिटी के अबू ताहेर ने बताया कि माकपा के गुंडों तथा पुलिस ने मिलकर जनानी इंट भट्टे के सेप्टिक टॅंक में पांच दलित-मुस्लिमों की लाशों को फेंक दिया। 15 तारीख को शाम आठ बजे हल्दिया सत्कार समिति से नया चार में लांचे लाई गई और उनमें दलित-मुस्लिमों की लाशों को ले जाया गया। इनमें से कुछ लाशों को जला दिया गया। कुछ को नदी के

दूसरे किनारे जलाया गया। तेखाली से लाशों को हेरिया ले जाने के लिये पीक-अप वॅनों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद उन लाशों को कहां ले जाया गया इसका पता नही चला है। सोनाचुरा में सुधांग्शु समंता ने लाशों को सुरजमंखी के खेतों में दफनाया। जैसे ही उन्हे सीबीआई के आने की खबर लगी, लाशों को बांस के पुल के नीचे दफनाया गया। स्थानीय लोग इसकी ठिक ठिक जगह बता सकते है। माकपा के गुंडों ने खेजूरी कॉलेज के एक कमरे को 4 लाशे रखने के लिये इस्तेमाल किया। (Anandabazar Patrika, March 10, 2007; http://www.counterviews.org/default.html Report of Investigation Into Nandigram Mass Killings (Excerpts from the reports given by APDR and PBKMS)) यहांतक कि गवर्नर जो तामलुक अस्पताल में 15 मार्च को भेंट देना चाहता था उसके काफिलें को सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने सडक पर ही रोक दिया। जब गर्वनर ने 10 की.मी. पैदल चलकर पहूंचने की ध मकी दी तो पार्टी नेताओं के आदेश पर उसे अस्पताल तक ही पहूंचने की इजाजत दी गई। (http://www.indiainteracts.com/ Nandigram: killing fields of CPM goons and mercenaries {Syed Ali Mujtaba, INFA http://www.centralchronicle.com/20071213/1312302.htm and other articles })

दि॰ 15 मार्च 2007 को बंगाल उच्च न्यायालय ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिये। नरसंहार से बचे दलित-मुस्लिमों ने अपना प्रतिरोध जारी रखा। माकपा. के सशस्त्र गुन्डों ने निहत्थे नंदीग्राम के दलित-मुस्लिमों के प्रतिरोध के खिलाफ अपना दमनचक्र जारी रखा हुआ है। दि॰ 29 अप्रैल 2007 को सीपीएम के गुंडो और दलित-मुस्लिमों के संगठन BUPC and KBRS के बीच हिंसात्मक मुठभेडें हुई। दि॰ 30 जुलाई को भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमिटी (BUPC) ने कामयाबी से राज्यव्यापी बंद का आयोजन किया। दि॰ 29 अक्तूबर से 8 नवंबर 2007 तक गंभीर हिंसा की नौ वारदातें हुई है। दि॰ 30 अक्तूबर 2007 को माकपा के गुंडों ने नंदीग्राम से तेखाली जा रही हजारों दलित-मुस्लिमों की शांतिपूर्ण रैली पर गोलिबारी की। खेजूरी जो माकपा का किला माना जाता है से दलित-मुस्लिमों पर बमबारी और गोलिबारी हुई। एक की मौत हुई और 10 लोग घायल हुए। तीन संवाददाताओं को मारा-पीटा गया। दि॰ 31 अक्तूबर 2007 को माकपा कार्यकर्ताओं ने भांगाबेरा गांव के दलित-मुस्लिमों को आतंकित करने के लिये उनपर बम फेंके। दि॰ 2 नवंबर 2007 को माकपा के गुंडों ने खेजुरी से गोलिबारी की जिसे पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया। नंदीग्राम जाने के रास्तों को सील कर दिया और नंदीग्राम के गांवों पर कब्जा करने की कोशिशें की। दि॰ 8 नवंबर 2007 को नंदीग्राम का दौरा करने की कोशिश कर रहे प्रतिनिधि मंडल पर हमला किया गया। प्रतिनिधि मंडल की औरतों को चांटे मारे गए, उनकी बेईजजती कर उन्हे पीटा गया, उनकी कारों को तोडा गया और कार के ड्राईवरों को मारा-पीटा गया। (http://www.thepeoplesvoice.org/cgi-bin/blogs/indx.php Nandigram……CPM's hubris by Stephen Lendman and Arun Shrivastava)

गोकुलनगर गांव में माकपा गुन्डों ने प्रताप अरी पर हमला किया और उसे

बाजू के एक तालाब में फेंक दिया। इसके बाद उन्होने राधारानी अरी पर सामुहिक बलात्कार किया। राधारानी पर उनके घर में किया गया यह दूसरा सामुहिक बलात्कार है। माकपा के गुंडे उन्हे इसलिये सबक सिखाना चाहते है क्योंकि राधारानी जो गरीब दलित परिवार से है प॰ बंगाल की {ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट} सरकार के जमीन अधिग्रहण के विरोध में सक्रिय कार्यकर्ता है जिसने झारखंड, मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र इ॰ क्षेत्रों का नंदीग्राम-नर्मदा-गोराई जत्थे में दौरा किया था। तीन औरतों पर जानलेवा हमला किया गया। नर्मदा शिट नामक दिगर महिला भी सोनाचुरा में अत्यंत सक्रिय संघर्षशील कार्यकर्ता है। इसके अलावा मोना प्रामाणिक तथा कुछ अन्य लोगों पर हमला किया गया। राधारानी, प्रताप अरी और नर्मदा शिट को नंदीग्राम अस्पताल में तथा कुछ अन्यों को तामलुक अस्पताल में भर्ति किया गया है। इन्हे नंदीग्राम सरकारी अस्पताल में भर्ति किया गया है। यह हमला मध्यरात्री के दौरान हुआ जो 18 अप्रैल 2008 तक जारी रहा। इस हमले को अंजाम देने का काम खेजुरी के माकपा कार्यकर्ताओं ने तथा पार्टी के सशस्त्र बल हमाद वाहिनी ने अंजाम दिया। {माकपा के सशस्त्र गुंडा संगठन ''हर्मद वाहिनी'' जो विश्व हिन्दू परिषद की तरह है और उसने वह सभी कुछ अंजाम दिया जो काँग्रेस ने 1984 के सिख विरोधी, और आरएसएस बिजेपी ने गुजरात में मुस्लिम विरोधी नरसंहारों के दौरान अंजाम दिया था।} कम से कम 20 घरों पर हमला किया गया था और 100 लोगों को इसका शिकार बनाया गया। इन घरों को लूटा और तबाह किया गया। ये दलित-मुस्लिम अब बेघर हो गये है और उन्हे अब सिर्फ BUPC Committee से ही मदद की उम्मीद है। ये घटनाएं गोकुल नगर, सोनाचुरा, गधचक्राबेडिया में नबकुमार समंता तथा अन्य सी.पी.एम. के सक्रिय सदस्यों ने अंजाम दिया जो गारु पाडा, गोकुल नगर, तथा अन्य खेजूरी के रहीवासी है। (http://www.mynews.in/home.aspx CPM goons rape Radharani again in Nandigram 21/4/2008 10:06:20 PM, IST) माकपा के गुंडों ने जनानी ब्रिक कंपनी से संवाददाताओं पर गोलियाँ चलाई जब वे उसमें प्रवेश करने वाले थे। यहां से 10 सीपीएम के गुंडों को गोलाबारुद और अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था।(http://timesofindia.indiatimes.com/ After Nandigram and Singur, it's Burnpur 18 Jun 2007, 0124 hrs IST,Debajyoti Chakraborty,TNN)

सीपीएम के गुंडों व्दारा दलित-मुस्लिम औरतों पर बलात्कार तथा उनके शरीर को टूकडे टूकडे करने का सिलसिला !

औरतों को बेइज्जत करने के बाद उनपर सामुहिक बलात्कार किये गए। गीरी की बात का समर्थन शेख मुतालिब ने किया जो किसी तरह से अपनी बहन मुस्सम्मत अखेरा बीबी को सी.पी.एम. के गुंडों की चंगुल से बचाने तथा मिदनापूर के तामलुक सब डिविजन अस्पताल में भर्ति करने में कामयाब हो गया था। शेख मुतालिब ने बताया कि उनकी बहन गर्भवती थी इसलिये भागने में नाकाम थी जब माकपा. के गुंडे सातेंगाबारी गांव में घुस गए। उसे बुरी तरह से पीटा गया और

फिर उसके साथ बलात्कार किया गया। उसकी दो नाबालिग बेटियों सोमा खातुन तथा अनवरा खातुन पर बलात्कार करने के बाद माकपा कार्यकर्ता उन्हे अपने साथ ले गए। भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमिटी (BUPC) के सक्रिय सदस्यों पर भारी जुर्माना आयद किया। (http://www.worldproutassembly.org/ Communist 'Goons raped my pregnant sister"' Nandigram, November 12, 2007) तामलुक अस्पताल में भर्ति सामुहिक बलात्कार की शिकार महिलाओं ने जो किसी तरह अपनी जान बचा सकी थी, ने अपने खौफनाक अनुभवों का बयान किया। अफरोजा बिबी ने बताया कि 11 नवंबर 2007 को जब वह अपनी दोपहर की नमाज से वापस आई तो करिब 30 सशस्त्र लोगों ने उसके घर में प्रवेश किया और उन्हे बंदूकों के कुंदों से पीटना शुरु किया। इसके बाद उसकी 16 तथा 14 साल की बेटियों के सामने उन्होने उसके साथ सामुहिक बलात्कार किया। इसके बाद उसके सामने उसकी बेटियों पर सामुहिक बलात्कार किया। उसकी दोनों बेटियों को उन्होने अगुवा कर लिया और वह नही जानती अब वे कहां है। 26 वर्षीय महिला क्रिष्णा प्रामाणिक ने बताया कि उसे रैली में से जबरन घसीटकर बाहर ले जाया गया और सबके सामने उसपर सामुहिक बलात्कार किया गया जिससे वह बेहोश हो गई। इन तमाम घटनाओं की वीडिओ रिकार्डींग है। (Biswaji Ghosh : Dainik Statesman, Kolkata, November 13, 2007, p. 3)

माकपा के गुंडों ने दलित-मुस्लिम बच्चों को चीरकर टूकडे करने (tearing children apart) में कोई हिचक नही हुई क्योंकि माकपा ने अपने गुंडों को दलित-मुस्लिम औरतों-बच्चियों पर बलात्कार करने और उनके टुकडे कर उन्हे नष्ट करने की इजाजत दी। आप कृपया ''विकास की खातीर'' ('For the sake of development') नामक चलचित्र http://video.google.com/videosearch?q=na+hannate&sitesearch=video.google.com सिर्फ पांच मिनट के लिये देखिये क्योंकि इससे ज्यादा देर तक देखने की शायद ही किसी में हिम्मत होगी। (http://www.thepeoplesvoice.org/cgi-bin/blogs/indx.php Nandigram……CPM's hubris by Stephen Lendman and Arun Shrivastava) जांच की नागरिक कमीशन (Citizens' Commission of Enquiry) की अंतिम सुनवाई में एक गवाह ने यह रहस्योदघाटन किया कि उसके पास 14 मार्च 2007 को नंदीग्राम में किये गए नरसंहार और औरतों पर किये गए बलात्कार इ॰ के चलचित्र तथा स्थिर चित्र मौजूद है। (Saturday, December 1, 2007 Claim of Nandigram rapes on camera Statesman News Service) जिन औरतों ने घरों में खुद को बंद कर दिया पुलिस ने दरवाजों को तोडकर उनपर अकल्पनीय बर्बरता शुरु कर दी। उन्हे घसीटकर बाहर निकाला, उनके गुप्तांगों में अपनी बंदूकें घुसेडी, उनकी छातियाँ खींची। एक लडकी पर आठ पुलिसवालों ने बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। (http://www.worldproutassembly.org/ Tales of eviction in Bengal) एक महिला की छातियों को तलवार से काट दिया गया था। हैमंति के पुठठे (buttock) काट दिये गए थे और वह आई.सी.यु. में भर्ति थी। उपर से आये

दबाव की वजह से बलात्कार की शिकार छह महिलाओं का ठिक से मुआईना भी नही किया गया। इनमें से बलात्कार की शिकार एक महिला के गुप्तांग में लोहे की सलाख घुसेडी गई थी जिससे उसका गुप्तांग जख्मी हो गया था। SSKM के वुडबर्न (Woodburn) वार्ड में भर्ति स्वर्णमाई कई गोलियों से घायल हालात में थी। एक टी.वी. कॅमेरामॅन जिसने मुर्दाघर में नंदीग्राम के लोगों की विभत्स लाशें देखी थी ने कहा कि उसने आज तक जले और रेल से कटे लोगों की कई विभत्स लाशें देखी है लेकिन नंदीग्राम के दलित-मुस्लिमों के शरीर को जिस बेरहमी से काटा-बिगाडा (disfigured, disemboweled) गया ऐसा उसने कभी नही देखा। (http://www.worldproutassembly.org/ More Horror Stories From Nandigram) सीबीआय ने नंदीग्राम के गोकुलनगर में एक महिला और उसकी दो बच्चियों से बलात्कार करने के लिये माकपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किये है। दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक माकपा के कार्यकर्ता 14 मार्च को इस महिला के घर की घेराबंदी की उसके घर में जबरन घूसे और दो दिनों तक उनपर लगातार सामुहिक बलात्कार किया। माकपा कार्यकर्ताओं ने उनके घर की घेराबंदी उठाने और उन्हे मुक्त करने के लिये भारी रकम की मांग की। उन्हे तब ही छोडा गया जब बच्चियों की मां ने उन्हे 1000 रुपये अदा किये। सीबीआई ने उच्च न्यायालय को बताया कि एक अन्य मामले में माकपा कार्यकर्ताओं ने 15 मार्च को सामुहिक बलात्कार करने के बावजूद पीडित महिलाओं की प्राथमिकी दर्ज करने से पुलिस ने इन्कार कर दिया। सीबीआय ने उच्च न्यायालय को बताया कि उन्हे दी गयी मेडिकल रिपोर्ट शक के दायरे में है। (http://maoistresistance.blogspot.com/)

औरतें-लडकियाँ किस कदर खौफ की शिकार है इसे इस बात से समझा जा सकता है कि अत्याचार से पीडित लडकी को देखने आये व्यक्ति को देखते ही वह खौफजदा होकर चीखतें हुए मिन्नतें करने लगती है कि मुझ पर दया करों मुझे जान से मत मारो।(http://www.worldproutassembly.org/ Tales of eviction in Bengal)

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण नेताओं ने हम दलित-मुस्लिमों के गांवों को तबाह-बर्बाद कर दिया !

चश्मदीद गवाहों के मुताबिक महेशपुर के चंद घरों में ही छत बची है क्योंकि उन सबको लूटा और जला दिया गया है। जामबारी के निवासी श्यामलाल गीरी के मुताबिक उन्होने हमारा सारा सामान टी.वी., म्युजिक सिस्टीम, गहने सब कुछ लूट लिया। आदमियों को तबतक मारते रहे जबतक उन्होने माकपा में शामिल होना कबूल नही किया। (http://www.worldproutassembly.org/ Communist 'Goons raped my pregnant sister'" Nandigram, November 12, 2007) दि॰ 29 अक्तूबर 2007 को माकपा के गुंडों ने ताकापुरा, कमालपुर तथा रानीचौक में कम से कम 16 घरों को खाक में मिला दिया। रानीचौक गांव में BUPC के समर्थकों के दो घरों को जलाकर खाक किया और कई घरों को लूट लिया। दि॰ 3 नवंबर 2007

को सातेंगाबारी को कब्रगाह में बदल दिया। वहां लगातार गोलिबारी जारी रही। दलित-मुस्लिम औरतों को बेइज्जत किया गया और 200 से ज्यादा घरों को लूटने के बाद जलाकर राख किया गया। लगभग 1000 दलित-मुस्लिम बेघर हो गए। दि॰ 4 नवंबर 2007 को {ब्राह्मणवादी} कम्युनिस्ट नेता प्रकाश कारत की बिवी वृंदा कारत ने नंदीग्राम के दलित-मुस्लिमों को ''दमदम-दवाई '' (हिंसा) देने की वकालत की। दि॰ 6 नवंबर 2007 को दि॰ 14 मार्च की हैवानियत को दलित-मुस्लिमों पर फिर से दोहराकर नौ गांवों को जलाया गया और पंद्रह हजार दलित-मुस्लिमों को घर से बेघर किया गया। गृह सचिव ने माना कि गोलिबारी माकपा के गढ खेजूरी से शुरु की गई थी। दि॰ 7 नवंबर 2007 को गांवों पर सशस्त्र हमले कर तीन हजार दलित-मुस्लिमों को बेघर कर दिया। (http://www.thepeoplesvoice.org/cgi-bin/blogs/indx.php Nandigram……CPM's hubris by Stephen Lendman and Arun Shrivastava) चश्मदीद गवाहों के मुताबिक महेशपुर में कुछ ही घरों पर छत बची है बाकि सब को लूट कर जला दिया गया है। औरतों पर सामुहिक बलात्कार किया और जाने से पहले उनकी मुर्गियों को भूनकर खा गए। (http://www.worldproutassembly.org/ Communist 'Goons raped my pregnant sister'" Nandigram, November 12, 2007) कमसे कम 20-25,000 दलित-मुस्लिम बेघर हो कर इधर उधर जा चुके है।

दलित-मुस्लिमों के प्रतिरोध को कुचलने शांति और सुव्यवस्था कायम करने के बहाने और ज्यादा फासिस्ट गुंडों को सुरक्षा बलों की सुरक्षा में तमाम हैवानियत ढाने रवाना कर दिया है। (Anandabazar Patrika, March 10, 2007) माकपा केन्द्रिय कमिटी के सदस्य बिनय कोनार ने धमकाया कि हम उन्हे घेर लेंगे और उनका जीवन नर्क से बदतर बना देंगे। स्वास्थ्य मंत्री सुर्यकांत मिश्रा ने ऐलान किया कि गर्मी के मौसम में सांप बाहर निकलते है, हमें अपने झंडे के डंडे का इस्तेमाल कर उनके {दलित-मुस्लिमों के} सिरों को कुचलना चाहिये। (http://www.worldproutassembly.org/ More Horror Stories From Nandigram) दि॰ 31 जुलाई स्टेटसमन की खबर के मुताबिक बिनय कोनार ने बेशर्मी से ऐलान किया कि 14 मार्च को गोलिबारी में मारे गए दलित-मुस्लिमों के परिवार को किसी तरह का मुआवजा देने का सवाल ही पैदा नही होता .... ज्यादा से ज्यादा हम उन पर तरस जता सकते है। ज्योति बसू समेत सभी ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेताओं ने मृतक दलित-मुस्लिम परिवारों को मुआवजा देने को यह कहकर नकार दिया है कि गोलिबारी जरुरी थी। ज्यादा से ज्यादा उनके लिये सिर्फ तरस जता सकते है। इसी लहजे में आंध्र प्रदेश में कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री YSR ने खम्मम पुलिस फायरिंग का समर्थन किया था।(http://maoistresistance.blogspot.com/ Tuesday, August 21, 2007 Nandigram, Khammam and CPI(M)'s Double Standards)

नंदीग्राम में हम दलित-मुस्लिमों को सबक सिखाने की मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं की दोबारा तैयारियां !

माकपा के इतिहास में नई बात यह थी कि पहली बार नंदीग्राम के लोगों ने माकपा कार्यकर्ताओं तथा उनकी गुंडा फौजों व्दारा 14 मार्च 2007 की तमाम हैवानियत ढाने के बाद भी उन्हे नंदीग्राम से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया था। इस दौरान नंदीग्राम पर दोबारा कब्जा करने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई थी। निहत्थे दलित-मुस्लिम ग्रामीणों की भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमिटी ने हार मानने की बजाय अपने प्रतिरोध को कडा किया जो माकपा के फासिस्टों के लिये अपमान और बडी चुनौति थी। इसलिये माकपा के वरीष्ठ नेतृत्व ने सारे राज्य से गुंडे इकट्ठा किये थे ताकि पिछले आठ महिनों से उनके नियंत्रण से बाहर हो गए नंदीग्राम पर दोबारा से जबरन कब्जा किया जा सके।

सितंबर के आखरी दिनों से माकपा के हर स्तर के नेताओं ने नंदीग्राम पर दोबारा कब्जा करने की खूनी योजनाएं बनानी शुरु की। यह ध्यान देने की बात है कि इसके पहले माकपा के लिये इस क्षेत्र में कभी कोई विरोध नही हुआ था क्योंकि कोई विरोधी पार्टी का यहां अस्तित्व नही था। यह लोगों का प्रतिरोध था जिसकी लहर पर दिगर पार्टियाँ सवार होने की कोशिश कर रही थी। पुलिस वरीष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में माकपा के नेताओं ने छह अवस्थाओं वाली योजना उसी कोलाघाट थर्मल पॉवर स्टेशन के गेस्ट हाउस में दोबारा बनाई। सबसे पहले गलत जानकारी देने और जरुरी जानकारियों को छुपाने की जबर्दस्त मुहिम छेडी गई। झुठमुठ यह प्रचारित किया गया कि नंदीग्राम से माकपा के 15,000 लोगों को पलायन करने पर मजबूर किया गया जबकि वास्तव में 3500 माकपा के कार्यकर्ताओं ने लोगों के गुस्से से बचने के लिये खुद ही पलायन किया था क्योंकि नंदीग्राम के लोगों ने माकपा के गुंडों की बर्बरता का मूंह तोड जवाब दिया था। सीपीएम को जमाते उलेमा ए हिंद को आरोपित करना अपने मुस्लिम वोट बँक के लिये नुकसानदेह लगा इसलिये उसने नक्सलियों का नाम बीच में घसीटा। इसका फायदा यह भी था कि नंदीग्राम के लोगों को नक्सली करार देने से उनपर हर तरह के जुल्म ढाने की आजादी हासिल हो जाती है। इस झूठ को फैलाया गया कि नक्सली और तृणमूल कॉंग्रेस के लोग खतरनाक स्वचलित हथियार, मार्टर, माईन्स इ॰ इकट्ठा कर रहे है। बम और बंकर बना रहे है, गुरिल्ला युध्द का प्रशिक्षण ले रहे है। जबकि राज्य के गृहसचिव ने ऐसे किसी सबूत से इन्कार किया था। दूसरे, माकपा ने बडे पैमाने पर हत्यारों, अपराधियों और गुंडों को नंदीग्राम को कब्जे में लेने के 12,000 रुपये प्रति रात के आपरेशन के और किसी की मौत होने पर उसके परिवार को दो लाख रुपये देने की शर्त पर इकट्ठा करना शुरु किया। कोयला क्षेत्र के एक कुख्यात डॉन तथा उसकी गँग को भी किराये से नियुक्त किया गया। सलीम ग्रुप के डकैतों की गँग को दक्षिणी 24 परगना जिले से बुलाया गया। गारबेटा क्षेत्र के कुख्यात गुंडे माकपा नेता तपन घोष और शकूर अली जिन्हे गारबेटा और छोटोअंगारिये के कसाई कहा जाता था को बुलाया गया। बांकुरा, पुरुलिया, पश्चिमी मिदनापुर, हुगली के आरामबाग, इ॰ क्षेत्रों के गुंडों को किराये पर लिया गया। बाराईपुर के एक कुख्यात गुंडे को उसकी गँग सहीत नियुक्त किया गया।

उनके रहने, खाने-पीने और मनोरंजन की मुफ्त में पूरी व्यवस्था रखी गई। तिसरे, छह धारी आक्रमण की योजना बनाई गई ताकि भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमिटी के हर बचाव को नाकाम बनाया जा सके। चौथे, माकपा के गुंडों तथा उसके सशस्त्र बलों को पूरी छूट देने के लिये तेखाली नहर तथा अन्य संवेदनशील जगहों से हटाकर पूरे क्षेत्र की घेराबंदी में लगाया गया ताकि न ही कोई बाहर जा सके और न ही अंदर आ सके। पांचवे, गुंडों को खतरनाक हथियारों जैसे कि एके 47 रायफलों, एके 56 रायफलों, इचछापुर रायफलों, स्थानीय तौर से बनाई गई शॉटगनों, बमों इ॰ को मौकों की जगहों पर संग्रहित किया गया। इसमें तीन मंत्री तथा कई सांसद शामिल थे। ज्यादा ताकतवर बमों का उत्पादन कई जगहों पर अंडरवर्ल्ड के इस काम में माहिर उस्तादों की निगरानी में किया गया। खेजूरी के एक बम निर्माण केन्द्र में विस्फोट होने से बम बनाने वाला एक उस्ताद और उसके दो चेले मारे गए। इसलिये वहां बम बनाये जाने की बात उजागर हुई। छटवे, अनुभवी गँग लीडरों को अलग अलग सेक्टरों का प्रमुख बनाया गया। कुछ जाने हुए माकपा नेताओं को इन सेक्टर कमांडरों के उपर राजनीतिक कमिसारों के तौर लगाया गया। नंदीग्राम पर दोबारा कब्जा करने के लिये 72 से 96 घंटे का समय तय किया गया। 3 व 4 नवंबर 2007 को नंदीग्राम जाने वाले सभी रास्तों को नारे लगाते माकपा कॅडरों ने सील कर दिया। माकपा के पसंदीदा टी.वी.चॅनलों के अलावा किसी भी मीडिया के लोगों को जाने नही दिया गया। 17 नवंबर 2007 को भी कोई संवाददाता नंदीग्राम नही जा सका। दैनिक स्टेटसमॅन का स्थानीय संवाददाता वहीं रहता था इसलिये वह सचित्र समाचार भेजता रहा। (http://www.indiainteracts.com/ Nandigram: killing fields of CPM goons and mercenaries {Syed Ali Mujtaba, INFA http://www.centralchronicle.com/20071213/1312302.htm and other articles })

माकपा के ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेताओं ने रानीगंज-आसनसोल कोल-बेल्ट, गोरबेटा तथा केशपुर से गुंडों को किराये पर लिया था। कई महिनों तक इन गुंडों को नरसंहारों को अंजाम देने की ट्रेनिंग खेजूरी में दी जाती रही और वहां स्थायी बंकर बनाकर भारी तादाद में हथियार और गोलाबारुद इकट्ठा किया गया ताकि इस अंतिम हमले को अंजाम दिया जा सके। जिस तरह से बडे पैमाने पर तैयारियाँ की गई उससे स्पष्ट है कि इसमें माकपा के सभी वरिष्ठ नेताओं की इसमें सक्रिय हिस्सेदारी थी। उन्होने नंदीग्राम की घेराबंदी कर उनकी बिजली तथा पानी सहीत सभी जरुरी चिजों की आपूर्ति रोक दी। माकपा के सशस्त्र गुंडे नंदीग्राम के दलित-मुस्लिमों पर घात लगाकर हमला करते रहे। दि॰ 10 नवंबर 2007 को प॰ बंगाल के गर्वनर ने कहा कि माकपा कार्यकर्ताओं ने नंदीग्राम के सारे रास्तों को बंद कर दिया है। उन्होने प्रशासन को इन नाकेबंदी और रुकावटों को हटाने के लिये कहा। गर्वनर के बयान ने बुध्ददेव भट्टाचार्य और माकपा को आगबबूला कर दिया। उन्होने गर्वनर की आलोचना की और अपनी घेराबंदी को और ज्यादा पुख्ता बनाया। नंदीग्राम जाने के सारे रास्ते सील कर दिये और नंदीग्राम, तामलुक तथा आसपास के सारे गांवों के रस्तों के बल्ब बुझाकर अंधेरा कर दिया ताकि माकपा के हजारो गुंडे नंदीग्राम में बिना किसी रुकावट के घुसकर अपनी हैवानियत को अंजाम दे सके। (http://

stalin-mao.net/ Gujarat, Chattisgarh and West Bengal - The ugliest models of Indian totalitarian democracy Posted by Proletarian Revolutionary Many clothes of the Emperor)

माकपा के सशस्त्र गुंडे नंदीग्राम के दलित-मुस्लिमों पर घात लगाकर हमला करते रहे। माकपा के गुंडों ने जब अपना आपरेशन शुरु किया तो भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति के वालंटियरों के कडे सुरक्षा प्रतिरोधों की वजह से वे आगे नही बढ सके। तब BUPC ने एक रणनीतिक गलती यह की कि उन्होने 10 नवंबर को सबेरे अपने समर्थकों के दो शांतिपूर्ण मार्च आयोजित किये। किसी के पास लाठी तक नही थी। माकपा के गुंडों ने मिलिटरी के हमले की तरह इन दोनों मार्चो पर सशस्त्र हमला किया और सौ लोगों को हलाक कर दिया, 150 से ज्यादा को जख्मी किया तथा लगभग 800 निहत्थे ग्रामीणों को बंधक बना लिया। वे लाशों को तथा कई घायलों को अपने साथ ले गए। इसके बाद उन्होने सामुहिक चिता जलाकर लाशों के साथ घायलों को भी जिन्दा जला दिया। उनकी हैवानियत और बर्बरता मध्ययुगीन बर्बरता से कई गुना विभत्स थी। अगले दिन यानि 11 नवंबर 2007 को माकपा के गुंडे बंधक बनाये गए लोगों को मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आगे बढे। BUPC व्दारा माकपा गुंडों का प्रतिरोध करने का मतलब अपने ही ग्रामीणों को नुकसान पहूंचाना था। इसलिये प्रतिरोध करने वाले नेताओं ने वापस लौटने का निर्णय लिया। माकपा के सशस्त्र गुंडों ने खाली किये गए सोनचुरा, गोकुलनगर, गढ चकराबेरिया गांवों में प्रवेश किया। इसतरह नंदीग्राम पर दोबारा कब्जा किया। कब्जे पर अपनी मुहर लगाने के लिये उन्होने सीपीएम के झंडे-बॅनर सारे इलाकों में लगा दिये। दि॰ 10 नवंबर के शांतिपूर्ण मार्च में सेना का रिटायर्ड मेजर आदित्य बेरा भी था जो गोली से घायल हुआ। उसके पास अपनी आत्मरक्षा के लिये कुछ भी नही था। माकपा के गुंडे उसे घसीटते हुए कडी पूछताछ के लिये ले गए। कडी शारीरिक प्रताडना के बाद जब उन्हे भरोसा हुआ कि उसका भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति को रक्षा के गुर सिखाने में कोई योगदान नही है तो उसे गोलियों से हलाक कर दिया और उसका सिर काट लिया। सोनचुरा के BUPC के नेता खोकन शिट तथा उनके पिता कनाई शिट दोनों को गोलियाँ लगी। खोकन किसी तरह भागने में कामयाब हुआ। लेकिन उसके पिता कनाई को माकपा के गुंडे खेजूरी ले गए और उन्हे प्रताडित कर उनकी हत्या कर दी। (http://www.indiainteracts.com/ Nandigram: killing fields of CPM goons and mercenaries {Syed Ali Mujtaba, INFA http://www.centralchronicle.com/20071213/1312302.htm and other articles })

कई औरतों को स्कूल बिल्डिंग में घसीट कर ले जाया गया और वहां उनपर हिंसक सामुहिक बलात्कारों को अंजाम दिया गया। गांव से मिली रिपोर्टो के मुताबिक पूर्वी मिदनापुर के कुप्रसिध्द स्थानीय नेता अशोक गुरिया, अशोक बेडा, तथा हिमांशु दास इ॰ ने भी इन जनसंहारों में हिस्सा लिया। एक के बाद एक गांवों को लूट कर जलाया गया। मिसाल के तौर पर रविवार की सुबह साथेंगाबेरी गांव के 300 घरों

को लूटने के बाद जला दिया गया। शाम तक गोकुलनगर, तथा सोनाचुरा को लूटकर पूरी तरह से जलाकर खाक किया गया। आरोपों के मुताबिक हल्दिया के सांसद लक्ष्मण सेठ, बराकपूर के सांसद तोरित तोपदार, दमदम के सांसद अमिताभ नंदी, तथा मिदनापुर के सांसद सुशांत घोष इ॰ इस जनसंहारों को अंजाम देने, औरतों पर बलात्कार करवाने, उनकी हत्याएं कर उनकी लाशों को विकृत करने और गायब करा देने में शामिल थे। इन चार सांसदों को सरकार के बर्दवान जिले के उद्योगमंत्री निरुपम सेन का सहयोग हासिल था। (http://stalin-mao.net/ Gujarat, Chattisgarh and West Bengal - The ugliest models of Indian totalitarian democracy Posted by Proletarian Revolutionary Many clothes of the Emperor)

डॉ॰ उदीत राज के संगठन इंडियन जस्टिस पार्टी तथा अनुसुचित जाति जनजाति संगठनों के परिसंघ की स्थानीय इकाई की रिपोर्ट के मुताबिक नंदीग्राम में 600 से ज्यादा दलित-मुस्लिमों की पिछले एक हप्ते में बडी बर्बरता से हत्या कर दी गई है। इसी वजह से पत्रकारों को इस पूरे इलाके में आने से जबरन रोक दिया गया था। ([Rediff News] Over 600 Dalits and Muslims killed in Nandigram, claims Dr Udit Raj A Correspondent November 14, 2007 19:04 IST)

लोगों के टेलिफोन पर किये गए संवादो से पता चलता है कि पिछले छह दिनों में 150 लोगों की हत्याएं हो चुकी है और 2000 से ज्यादा लोग गायब है। नंदीग्राम के लोगों ने तपन घोष और शकूर अली नामक दो गोर्बेटा के माकपा के गुंडे नेताओं को चार घायल औरतों को अगुआ करते हुए रंगे हाथ पकडा है। कई रिपोर्टो के मुताबिक इन्ही दो बदमाश माकपा नेताओं की निगरानी में नंदीग्राम के लोगों की लाशों को गायब किया गया है। इन्ही दो सीपीएम नेताओं पर पुलिस में यह आरोप लगा है कि उन्होने सन् 2001 में दो माओवादी कार्यकर्ताओं को बेरहमी से मार डाला और छोटोअंगारिया में उनकी लाशों को गायब कर सबूत मिटाये। इनपर आरोप लगाये जाने और इनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी होने के वक्त से ही ये लोग फरार थे और माकपा की मेहरबानी से गिरफ्तारी से बचे हुए थे। लेकिन उन्हे आखिर BUPC के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया जब वे उनकी महिलाओं को अगवा कर ले जा रहे थे। (http://stalin-mao.net/ Gujarat, Chattisgarh and West Bengal - The ugliest models of Indian totalitarian democracy Posted by Proletarian Revolutionary Many clothes of the Emperor)

नंदीग्राम के दलित-मुस्लिमों के खिलाफ ब्राह्मणवादी पुलिस तथा न्याय-व्यवस्था की भुमिका !

पुलिस ने माकपा की स्थानीय कमिटी के सदस्य सहीत 15 लोगों को दंगा और हत्याएं करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गृह सचिव ने बताया कि सीआरपीएफ ने शिकायत की है कि वे जीन को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर देते है पुलिस उन्हे छोड देती हैं। कई विस्फोटक और हथियार भी बरामद किये गए। 8 दिसंबर

2007 के समाचार के मुताबिक सीबीआई अधिकारियों ने 14 मार्च की पुलिस गोलिबारी की जांच में पाया कि कमसे कम 27 शस्त्रों से लैस बाहरी लोग खाकी वर्दी में पुलिस के साथ घुम रहे थे। इन लोगों के पैरों में पुलिस की तरह जूते नही थे। इन्होने लोगों पर हमला किया। स्थानीय लोगों ने उनकी पहचान माकपा कार्यकर्ताओं के रुप में की।

सीबीआई ने मां जनानी ब्रीक कंपनी से गोलाबारुद तथा अवैध हथियारों के साथ 10 गुंडों को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने 90 दिनों बाद बिना किसी चार्जशिट दायर किये उन्हे रिहा कर दिया। आरोप है कि सीबीआय ने माकपा की दरिंदगी के सबूत पेश करने के बावजूद हायकोर्ट ने कुछ नही किया। न्याय व्यवस्था की लंबी चुप्पी से सीपीएम के गूंडों का मनोबल बढा और वे खेजूरी से नंदीग्राम पर हमले करते रहे।

सुप्रिम कोर्ट ने नंदीग्राम में 14 मार्च 2007 को पुलिस ने लोगों पर की गई गोलिबारी के खिलाफ अपराधिक मामला दायर करने के हायकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और अगले आदेश मिलने तक किसी भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई मामला दायर न करने के निर्देश दिये। (भाष्कर, 14 दिसंबर 2007)

सिंगुर में मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट सरकार की हैवानियत !

सिंगूर की कई औरतों ने शिकायत की है कि रोज पुलिस उन्हे परेशान करती है और शाम के बाद उनका घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बाहर से आने वाले हर किसी को नक्सली करार देकर पुलिस उनसे बेहद सख्ती से पेश आती है। सत्यान्वेषी दल (fact-finding team) के लोगों से सिंगूर थाने के OC ने कडी पूछताछ की। पुलिस ने बाजार की चाय की दुकानों में डेरा जमाया है इसलिये लोग वहां जाने की हिम्मत नही करते। पुलिस ने स्कूलों में भी डेरा जमाया हुआ है और उसे अपने शराब के अड्डे में बदल दिया है। पुलिस तथा प्रशासनीक अधिकारियों व्दारा लोगों को धमकाना जारी है। {ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट} सरकार के उद्योगमंत्री ने धमकी दी की अगर टाटा को जमीन का हस्तांतरण नही किया गया तो वह सिंगूर क्षेत्र के सारे विकास कामों को रोक देगा। यानि अगर तुम अपनी जमीन हमें नही देते हो तो तुम्हे बंगाल के नागरिक नही माना जाएगा। पिछले कुछ हप्तों से अज्ञात लोगों ने पांच में से दो गहरी टयूबवेलों को जो अधिग्रहित की जाने वाली जमीन की सिंचाई करती है, को रात के अंधेरे में भारी पुलिस पेट्रोलिंग के बावजूद तबाह कर दिया गया। लोगों को मानना है कि यह काम माकपा के किराये के गुंडो ने उनकी फसलों को तबाह करने के लिये किया है। सिंगूर के लोगों का संघर्ष करो या मरो की हालात में है क्योंकि न सिर्फ यह उनके अस्तित्व की लडाई है बल्कि जमीन ही उनके लिये इज्जत और आजादी से जीने का जरिया है। भूमिहिन मजदूर इस संघर्ष में सबसे आगे है क्योंकि यह उनकी रोजी रोटी का सवाल है। इन्होने संघर्ष की अग्रणी ''कृषिजमी रक्षा समिति'' बनाने में अहम किरदार अदा किया। {ब्राह्मण ावादी} कम्युनिस्ट पार्टी और उनका मोर्चा किसी भी किमत पर टाटा को जमीन

मुहैया कराना चाहता है। कईयों ने टाटा को दिगर क्षेत्रों की जमीनें देने की पेशकश की है। जबकि यह जमीन भूमिहीन खेत मजदूरों को दी जानी चाहिये थी। (http://aidindia.org/main/ The Singur saga continues)

मूलनिवासी बंगाली दलित-मुस्लिमों से मनुवादी आर्य-ब्राह्मणों का बर्बर प्रतिशोध !

जातीय प्रतिशोध लेने, मनुवादी आर्य-ब्राह्मण नेताओं ने संयुक्त बंगाल के दलित-बहुल क्षेत्र पाकिस्तान के हवाले किये !

बंगाल के अधिकांश जमींदार अंग्रेजी हुकुमत की हिमायत करते थे। सन् 1957 के सैनिक विद्रोह के वक्त उन्होने अंग्रेजों की हिमायत की थी। इसके विपरित 10 हजार से ज्यादा दलित किसानों ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ ''नील विद्रोह'' किया था। बंगाल का नमोशुद्र आन्दोलन देश के दलित आन्दोलनों में सबसे ज्यादा ताकतवर और राजनीतिक रुप से संगठित था। दलित नमोशुद्र तथा राजबंशी समुदाय अपनी अलग राजनीतिक पहचान कायम किये हुये थे। मुस्लिम अवाम के साथ एकता कायम कर बंगाल के दलितों ने कॉंग्रेस पार्टी को 1920 से ही विपक्षी दल बना दिया था। दलित जातियों ने सवर्णो की नुमाइन्दगी में किये जा रहे असहयोग आन्दोलन, भारत छोडो आन्दोलन इ॰ से दूरी बनाये रखी थी। सन् 1937 के चुनावों में राजबंशी और नमोशुद्रा वोटरों ने कॉंग्रेस तथा हिन्दूसभा के उम्मीदवारों को नकारकर अपने दलित उम्मीदवारों को तमाम सुरक्षित सिटों से चुना था। आर्य-ब्राह्मणवादी संयुक्त मतदार संघ में गैरदलित वोटों की बदौलत मामूली पढे लिखे अपने दलाल दलित उम्मीदवारों के हाथों से डॉ॰ अम्बेडकर को परास्त कर यह संदेश देने में कामयाब हो रहे थे कि डॉ॰ अम्बेडकर दलित अवाम के प्रतिनिधि नही है, उन्हे मामूली दलित तक हरा सकते है इसलिये डॉ॰ अम्बेडकर को संविधान बनाने के कामों से दूर रखा जाये। लेकिन जैसौर, खुलना, बरीसाल, फरीदपुर, ढाका तथा मैमानसिंह प्रांतों के दलितों ने डॉ॰ अम्बेडकर को **1946** में कान्स्टिटयूएंट असेंबली में चुनकर ब्राह्मणवादियों की इन कामयाबियों को नाकामयाबी में बदल दिया और डॉ॰ अम्बेडकर के आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की हिफाजत की। आर्य-ब्राह्मण इससे तिलमिला उठे और उन्होने डॉ॰ अम्बेडकर की हिमायत करने वाले नमोशुद्रा दलित जाातियों तथा चकमा बौध्दाँ से प्रतिशोध लेने हमारे दलित बहुमत के जेस्सोर, खुलना, बरीसाल, फरीदपूर, ढाका, मैमनसिंह, **98%** चकमा बौध दों आबादी वाले चिटगांग हिल इ॰ क्षेत्र जबरन पाकिस्तान के हवाले किये।

जबकि पाकिस्तान को वे हिस्से दिये जाने थे जहां मुस्लिम आबादी 50 फीसदी से ज्यादा की है।

पाकिस्तान के धर्मातरित आर्य-ब्राह्मण हुक्मरानों व्दारा मूलनिवासी दलितों का जबर्दस्त उत्पीडन और दमन !

पाकिस्तान में हिन्दूओं की तादाद 20 लाख है जिसमें दलितों की तादाद 70 फीसदी है। पाकिस्तान के हुक्मरान इस्लाम में धर्मातरित आर्य-ब्राह्मण है इसलिये उन्होने दलितों को पाकिस्तान में कोई अलग से आरक्षण नही दिया। इस्लाम में ध र्मातरित आर्य-ब्राह्मणों ने दलितों को हिन्दू करार देकर हिन्दूओं के राजनीतिक आरक्षण पर अपने जातभाई आर्य-ब्राह्मणों को कब्जा जमाने का पूरा पूरा अवसर दिया जबकि उनकी तादाद नगन्य है। सिंध में आर्य-ब्राह्मण व्यापारी और जमींदार है और वे अपने धर्मातरित आर्य-ब्राह्मण हुक्मरानों तथा अफसरों की मदद से दलितों को अपने जूतें के नीचे दबाये रखने में कामयाब है क्योंकि इस्लाम में धर्मातरित आर्य-ब्राह्मणों ने सिर्फ अपना धर्म बदला है लेकिन ब्राह्मणवादी मानसिकता नही बदली। इसलिये पाकिस्तान में दलितों का जीवन गरीबी के नर्क में जल रहा है जबकि आर्य-ब्राह्मण मजे कर रहे है।(Dalit voice, 16-30 April 2004)

दलितों के नेता महाप्राण जोगेन्द्रनाथ मंडल मुस्लिम लीग के झूठे वायदों पर भरोसा कर पाकिस्तानी नागरिक बने। पाकिस्तान के इस्लाम में धर्मातरित आर्य-ब्राह्मण हुक्मरानों ने दलितों को स्वतंत्र मतदार संघ देने के अपने वादे पर कभी अमल नही किया। महाप्राण जोगेन्द्रनाथ मंडल ने पाकिस्तान के कानून मंत्री के नाते उन्होने दलितों के हक में कई कानून बनाये। ब्राह्मणवादी मुस्लिम लीग ने जल्द ही अपना सांप्रदायिक रुप दिखाना शुरु किया। सन् 1948 के मुस्लिम लीग प्रायोजित सांप्रदायिक दंगे में बंगाली दलितों की संपत्ति को लूटा और तबाह किया गया। बंगाली दलितों की हत्याएं की गई, औरतों पर बलात्कार किये गए। सन् 1949 में पूरा पाकिस्तान सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था। भारत-पाकिस्तान के बँटवारे के वक्त हुए दंगे नरसंहार और दरिंदगी इन दंगों के सामने कुछ भी नही थे। सन् 1950 में हुए दंगों ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान दलितों के लिये सुरक्षित जगह नही है। महाप्राण जोगेन्द्रनाथ मंडल ने पुलिस तथा असामाजिक तत्वों के किरदार की मजम्मत की। प्रधानमंत्री लियाकत अली ने इस पर ऐतराज करते हुए उनकी आलोचनाओं को सेंसर कर दिया। जोगेन्द्रनाथ मंडल पर बिना प्रधानमंत्री की मंजूरी के कोई भी बयान देने पर पाबंदी आयद की गई। उनपर चौबिसों घंटे निगरानी रखी गई। लियाकत अली ने जोगेन्द्रनाथ मंडल को कानून मंत्री के नाते सेंसरशिप बिल पास करने को कहा जिसके प्रावधानों के मुताबिक अगर कोई पाकिस्तान के हितों के खिलाफ कोई बयान देता है तो उसे 7 साल की कठोर जेल की सजा दी जा सकती है। यह बिल खास तौर से जोगेन्द्रनाथ मंडल को चूप कराने के शैतानी इरादों से बनाया गया था। दलितों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये किये गए तमाम समझौतों

को कचरे की टोकरी में फेंका गया। जोगेन्द्रनाथ मंडल के जिनेवा की अंर्तराष्ट्रीय मजदूर कॉन्फ्रेन्स के प्रतिनिधित्व को जानबूझकर रोक दिया गया। जोगेन्द्रनाथ मंडल ने साफ तौर से जता दिया कि अगर प्रधानमंत्री उनसे उनका मंत्रीपद से इस्तीफा चाहते है तो वे ऐसा करने को तैयार है।

इस दौरान जोगेन्द्रनाथ मंडल को अपने बेटे की गंभीर बीमारी की सूचना मिलने पर भारत आना पडा। जब उनका बेटा बीमारी से ठिक हो गया तो वे खुद बिमार पड गए। 8 अक्तूबर 1950 को उन्होने दलितों के पाकिस्तान में उत्पीडन और दमन के विरोध में अपने मंत्रीपद से इस्तीफा भेज दिया। वहां के हालातों को नीचे दिए हुए समाचारों से समझा जा सकता है :– क्रिपेश नमोशुद्रा के मुताबिक मौजूदा बंगला देश में दलितों के साथ जातिवाद और छूआंछूत का पालन किया जाता है। 7 अक्तूबर 2000 को एक ब्राह्मण नियंत्रित सरकारी शाला में 38 दलित छात्रों को मात्र इसलिये स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होने स्कूल के पानी की टंकी से पानी पीने की जुर्रत की थी। ये छात्र बेहद प्यासे थे। (P. 12, Dalit Voice, 16-30 November 2000) बंगला देश में दलितों की हालत बदतर होती गई है। बी.एन.पी. की हुकुमत के दौरान वह और भी बदतर हो गई। जनकांथा में प्रकाशित अप्रैल 2002 के समाचारों के मुताबिक एक बौध्द भिख्खु को जो हिंगाला पहाडी पर एक अनाथालय चला रहा था को पीट पीट कर मार डाला गया क्योंकि उसने फिरौती की रकम अदा नही की और धमकी के मुताबिक अनाथालय खाली नही किया। युकिया में एक बुध्दविहार को हुक्मरान गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने आग लगा दी। (Janakantha, March 23, 2002) सन् 1971 के बंगला देश की जंग के दौरान पाकिस्तानी सेना तथा बंगाली मुस्लिम रजाकारों ने 20 लाख से भी ज्यादा हिंदूओं {पढीये दलितों} का कत्लेआम किया। धार्मिक अल्पसंख्यंकों की हत्या करना, उन्हे उनके घर के बाहर निकालकर लातों-धूंसो से पीटना, बहू-बेटियों को बेआबरु कर उनकी इज्जत लूटना,जायदाद को लूटकर जबरन बेदखल कर देना, इ॰ को पूर्वी पाकिस्तान तथा बाद में बंगला देश की सभी {ब्राह्मणवादी} सरकारों ने भेदभावपूर्ण कानून बनाकर बढावा दिया है। बंगला देश के अल्पसंख्यंकों को बंगला देश के संविधान में **8** वे सुधार के तहत अधिकारिक तौर से दूसरे दर्जे का नागरिक करार दिया गया और इस्लाम को राज्य का धर्म घोषित किया गया। शायद दुनियां में कहीं भी अल्पसंख्यंकों को पिछले 50 सालों से योजनाबध्द तरिके से खत्म करने का सरकारी अभियान नही चलाया गया होगा; भविष्य में इस अभियान के खत्म होने के कोई आसार भी नजर नही आते। हिन्दूओं {पढिये दलितों} की आबादी जो 1947 में 25 फीसदी थी, अब मात्र 10 फीसदी बची है। एक अनुमान के मुताबिक आज भी हर रोज लगभग 500 हिन्दू {पढिये दलित} बंगला देश से भारत पलायन करते है। मई 2000 की रिपोर्ट के मुताबिक सन 1975 में हिन्दूओं की {पढीये दलितों की} 72 फीसदी जायदाद हुक्मरान बी.एन.पी. पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरन अपने कब्जे में की। साल 1968 में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने 44 फीसदी दलितों की जायदाद पर जबरन कब्जा जमाया था, जबकि बी.एन.पी कार्यकर्ताओं

ने 32 फीसदी जायदाद पर जबरन कब्जा जमाया था। (http://members.tripod.com/~INDIA_RESOURCE/slamic Pakistan, Bangladesh, crimes, minorities, human rights violations, Hindus, Christians, Buddhists, terrorism.htm)

बंगला देश के इस्लाम में धर्मातरित हुक्मरान आर्य-ब्राह्मणों ने मूलनिवासी चकमा बौध्दों का हर तरह से दमन-उत्पीडन करने की नीति अपनाई हुई है। हमारी धार्मिक आजादी को कुचला गया, बुरी तरह मारा पीटा गया, अपहरण और हत्याएं की गई, बहू-बेटियों की इज्जत लूटी गई तथा घरों को आग लगाई गई। सन् 2001 में हुकूमत में आई सरकार ने चकमा बौध्दों की जींदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया। भारत का ब्राह्मणवादी मनुमीडिया बंगला देश तथा पाकिस्तान में दलितों और बौध्दों पर हो रहे जूल्मों को हिन्दूओं पर हो रहे जुल्म करार देता है ताकि भारत में मुस्लिम बहुजनों को दंगों की आग में जलाया जा सके। बंगला देश और पाकिस्तान में दलितों पर हो रहे जुल्मों को भारत के राजनीतिज्ञों या बुध्दिजीवियों ने कभी उजागर नही किया क्योंकि पाकिस्तान, बंगला देश तथा भारत के धर्मातरित तथा गैरधर्मातरित आर्य-ब्राह्मण हुक्मरानों ने दलितों को जुल्मों का शिकार बनाने में एक-दूसरे की हर तरह की मदद की है। मूलनिवासियों से ब्राह्मणवादी शैतानी इन्तेकाम लेने भारत-बंगला देश के हुक्मरान पूरी तरह से एकजूट है।

भारत में मनुवादी आर्य-ब्राह्मण हुक्मरानों का मूलनिवासी बंगाली दलितों से शैतानी प्रतिशोध !

भारत की सरकार पर काबिज आर्य-ब्राह्मणवादियों ने दलित और भद्रलोग बंगाली शरणार्थियों की पहचान के लिये उन्हे दो श्रेणियों में बाँटा है :–

1) 1950 के पहले आये हुए भद्रलोग यानि आर्य-ब्राह्मण शरणार्थी :- सारे आर्य- ब्राह्मण शरणार्थी जो सन् 1946-50 के दौरान भारत आये जमींदार, व्यापारी, तथा व्यवसायिक वर्ग से ताल्लूक रखते थे। ये लोग खुद को उंचे और मुस्लिम अवाम को नीच मानते थे इसलिये पूर्व पाकिस्तान में मुस्लिमों का सियासी तौर पर ताकतवर बनना इनसे सहन नही हुआ इसलिये ये भारत आये। इनमें से कईयों ने प॰ बंगाल से पूर्व पाकिस्तान आ रहे मुस्लिमों के साथ अपनी जायदाद की अदलाबदली कर ली। कईयों को प॰ बंगाल में नौकरियाँ मिल गई। कईयों ने अपने कारोबार को प॰ बंगाल में दोबारा शुरु किया। सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति जो पूर्वी बंगाल में हुई थी उनके ''भारत में नियुक्ति के प्रस्ताव को फौरन मंजूर किया गया। कई अपने साथ धन लाये और भारत में उन्होने अपना व्यवसाय कायम किया। इन आर्य-ब्राह्मण शरणार्थियों को कलकत्ता के आसपास बनाई गई पक्की कॉलनियों में बसाया गया तथा उन्हे संपन्न बनाने के लिये हर संभव सरकारी मदद दी गई।

2) 1950 के बाद भारत आये दलित शरणार्थी :- दिसंबर 1949 तथा फरवरी 1950 में पूर्व पाकिस्तान के कई जिलों में खासकर खुलना, फरीदपूर, राजाशाही, बारिसाल इ॰ जिलों में पंजाब और बिहार से भी भयानक जनसंहारों को

अंजाम दिया गया जिससे भारी तादाद में दलित पूर्व पाकिस्तान से भारत आये। कलकत्ता एक शरणार्थी कॅम्प में तब्दिल हुआ। हिंदुत्व के ढोंग से कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे को अंजाम दिया गया जिसमें 1 लाख से ज्यादा मूलनिवासी मुस्लिम बहुजनों को प॰ बंगाल छोडने को मजबूर किया गया। भारत और पाकिस्तान में युध्द छीडने तक के हालात पैदा किये गए। आखीर अप्रैल 1950 में नेहरु - लियाकत अली समझौता हुआ। दलितों तथा बौध्दों को आश्वस्त किया गया था कि उनके उन देशों में नागरी अधिकार बरकरार रखे जाएंगे जहां भी वे शरणार्थी बनना चाहेंगे।

जमीनदारों और मुनाफाखोरों की गार्डन हाउस की बेकार पडी जमीन में दलित शरणार्थीयों ने अपनी छोटी छोटी झुग्गियाँ बनाई। इन्होने दलित शरणार्थियों पर हमले किये। जमींदारों के खतरनाक हथियारों से लैस गुंडे थे जिनका संरक्षण पुलिस कर रही थी। सरकार पर काबिज आर्य-ब्राह्मणवादियों ने ब्राह्मणवादी जमींदारों की मदद के लिये कानून बनाये ताकि दलितों का विस्थापन किया जा सके। दलितों ने इन सबका बडी बहादूरी से मुकाबला कियाा। दलित शरणार्थी आसान किश्तों में जमीन की कीमत अदा करने के लिये तैयार थे। आर्य-ब्राह्मणवादी इतनी विशाल दलित आबादी को ताकत के बलबूते पर हटाने का राजनीतिक धोखा उठाने के लिये तैयार नही थे। इसलिये उन्होने बंगाली दलित शरणार्थियों को जानबूझकर महाराष्ट्र, ओरीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तरांचल, अंदमान-निकोबार इ॰ राज्यों के दूर्गम जंगलों में बिखरा दिया :- 1) आर्य-ब्राह्मणवादी इस बात को सुनिश्चित करना चाहते थे कि प॰ बंगाल में भद्र-लोग आर्य-ब्राह्मणों की सत्ता पर कोई आंच न आ सके 2) इन दुर्गम प्रांतों में बंगाली दलित हिंसक जानवरों तथा खतरनाक बीमारियों के शिकार बन जाये ताकि आर्य-ब्राह्मणवादियों को अपने इन्तेकाम की खुशी का अहसास हो सके। 3) बंगाली दलितों के बीच कभी राजनीतिक एकता और मजबूत संगठन कायम न हो सके और नमोशुद्रा और पौउंड्रा को खास तौर से शिकार बनाया जा सके। 4) इसतरह से बंगाली दलितों को देश के मुख्य दलित राजनीति के प्रवाह से दूर किया गया। 5) बंगाली दलितों पर तरह तरह के जुल्म ढाये गये। 6) बंगाली दलितो की नमोशुद्र जाति की बंगाल, आसाम, मणीपुर, मेघालया और आरिसा में अनुसुचित जाति के रुप में मान्यता है लेकिन बाकि राज्यों में अनुसूचित जाति के रुप में मान्यता नही होने से उन्हे सामान्य श्रेणी का मानकर उन्हे उनके संवैधानिक आरक्षण (प्रतिनिधित्व) के अधिकार से वंचित किया गया है।

हम बंगाली दलित शरणार्थी आमतौर से शहर के उपेक्षित इलाकों, रेल्वे लाईनों के किनारे, रोड के किनारे, पानी भरे गढढों के ईर्दगीर्द झुग्गी-झोपडियों में बिना किसी नागरी सुविधा के स्वास्थ्य के बदतर हालातों में रहने पर मजबूर है। हम घरेलू नौकरों के रुप में काम करते है और हर तरह के शोषण और सरकारी दमन के शिकार बनते है। ब्राह्मणवादी सरकारे बारीश और सर्दी के मौकों पर हमारी झुग्गीयों को बार बार उजाडती है। जिससे हम बंगाली दलितों को अपना पेट भरने के लिये एक जगह से दूसरी जगह दरबदर भटकना पडा। इस दौरान न सिर्फ हमने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति बल्कि अपनी मूल पहचान के सारे दस्तावेज खो दिये है।

ब्राह्मणवादी हैवानशाही (Brahmin-demoncracy) की बदौलत हम मूलनिवासी बंगाली दलित आज भीखारियों से भी बदतर हालातों में पहूंच गए है।

सन् 1964 में पूर्व पाकिस्तान में दलितों तथा बौध्द जनजातियों के खिलाफ व्यापक पैमाने पर दंगे भडकाये गए। सन् 1971 में पश्चिम तथा पूर्व पाकिस्तान (बंगला देश) खून-खराबे के दौरान एक करोड बंगाली दलितों को भारत पलायन करना पडा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मुजिबूर रहमान के बीच हुए शरणार्थि-वापसी समझौते की बदौलत भारत में हम बंगाली शरणार्थियों का पंजिकरण रोक दिया गया और हमारे लिये बना पूर्नवास मंत्रालय भी बंद कर दिया गया जबकि अमानवीय दमन शोषण जारी रहने से पूर्व पाकिस्तान से हमारा पलायन नही रुका।

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण नेताओं ने बनाया वापस आये बंगाली दलितों को अपना राजनीतिक मोहरा !

बंगाली दलित शरणार्थी हुक्मरान काँग्रेस से अपने पूर्नवास की उम्मीदें लगाये बैठे थे। लेकिन काँग्रेस के ब्राह्मणवादियों से वे नाउम्मीद होते चले गए। ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसू ने छत्तीसगढ का दौरा कर बंगाली दलितों को प॰ बंगाल के सुंदरबन में बसाने का वादा किया। सन् **1974** तक ज्योति बसू ने अपनी आम सभाओं में दंडकारण्य में गए बंगाली दलितों को सुंदरबन में बसने की इजाजत देने की मांग की। सन् **1974-75** में बंगाल के वाम मोर्चे के महत्वपूर्ण नेताओं ने ऐलान किया कि अगर वाम मोर्चा सत्ता में आता है तो वह बंगाली दलितों को बंगाल में बसाएगा। सन् **1975** में आठ वाम मोर्चे की पार्टियों की बैठक में यह फैसला लिया गया कि बंगाली दलितों को सुंदरबन में बसाया जायेगा। मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं ने राजनीतिक सत्ता हथियाने की लडाई में हम बंगाली दलितों का प्यादों के तौर पर भरपूर इस्तेमाल किया। हमने न सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टियों के सभा जलसों और जुलुसों में हिस्सा लिया, बल्कि चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी ताकि कम्युनिस्टों को सत्ता हासिल हो सके। बंगाली दलित शरणार्थियों की मेहनत और ताकत के बल पर ही काँग्रेस के धन की ताकत को परास्त कर बंगाल में कम्युनिस्ट मोर्चा सत्ता हासिल करने में कामयाब हुआ।

सन् 1977 में वाममोर्चा सत्ता में आने से मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेताओं के वायदों को चुनावी घोषणापत्रों में दोहराये जाने से बंगाली दलित शरणार्थी मानने लगे थे कि उन्हे रहने के लिये बंगाल में प्लाट दिये जाएंगे और वे सम्मान की जींदगी जी सकेंगे। इसलिये दिगर राज्यों में बसे बंगाली दलित शरणार्थियों ने अपना सबकुछ बेचकर ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं के वायदों पर भरोसा करते हुए बंगाल का रुख किया। दंडकारण्य से ही 1,50,000 बंगाली दलित शरण ार्थियों ने बंगाल का रुख किया। लेकिन मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट सरकार ने हमें जबरन वापस खदेडा। कई दलित शरणार्थी बंगाल के दिगर हिस्सों में भागने में कामयाब हो गए। लेकिन हमें इस बात का अहसास हो गया कि माकपा सरकार

ने उनके साथ धोखेबाजी की है।

भारत आये बंगाली दलितों ने मोरिचझांपि को अपने स्वर्ग में तब्दिल किया !

मई माह में ही लगभग 30,000 बंगाली दलित शरणार्थी उध्वस्तु अन्नयनशील समिति के अध्यक्ष सतिश मंडल के नेतृत्व में मरीचझांपी में नावों से पहूंचे। मरीचझापी व्दीप 125 स्केवअर वर्ग मील का विशाल टापु है जिसमें स्थानीय निवासियों के साथ हम आसानी से बस गए। वहां के आर्य-ब्राह्मणवादियों का रुझान कलकत्ता की ओर था और वे मुख्यता जमींदार परिवारों से थे इसलिये स्थानीय निवासियों ने हम बंगाली दलितों के साथ दोस्ती कायम की क्योंकि उन्हे महसूस हुआ कि पूर्व बंगाल के शरणार्थी हर माईने में उनके जैसे गरीब, ग्रामीण, दलित जाति के और कडी शारीरिक मेहनत करने वाले है, मछली पकडने, इ॰ कोई भी काम का उन्हे डर नही है। वे शिक्षित और मुखर है। वे अपना सबकुछ गँवा चुके है इसलिये वे उनके ग्रामीण हितों के लिये कलकत्ता शहर के भद्रलोगों का सामना कर उनका प्रतिनिधित्व करने लायक है। आपसी सहयोग से पहले हमने छोटी-छोटी झुग्गीयाँ बनाई, कुछ बुआई की, मछलियाँ तथा केंकडे इ॰ पकडकर अपनी भूख मिटाई तथा आजूबाजू के गाँवों में उपज तथा मछलियाँ इ॰ बेचकर अपने पैरों पर खडे होने की कोशिश की। कुछ ही महिनों में हमने टयूबवेल खोदे, एक मछली उद्योग बनाया, नमक बनाने के गारे बनाये, स्कूल और दवाखाने तक बनाये गए। हम बंगाली दलितों में ''चाँदसी उपचार पध्दती'' के तज्ञ लोग थे। स्थानीय व्दीपवासियों को हम बंगाली दलितों के प्रति प्रसंशा थी कि हमने अपनी मेहनत से थोडे ही समय में मरीचझापी को सुंदरबन के एक बेहतर टापु में बदल दिया। हमारे बुलंद इरादों और स्थानीय लोगों से हमारी एकता के समाचार कलकत्ता तक गुंजने लगे और भद्रलोगों को डर महसूस होने लगा कि यह एकता प॰ बंगाल में नई राजनीतिक शक्ल न अख्तियार कर ले।

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट सरकार व्दारा मोरिचझांपि के बंगाली दलित शरणार्थियों का जनसंहार !

बंगाली दलित शरणार्थियों के अपने बलबूते पर बिना किसी सरकारी मदद के अपने पैरों पर खडा होना बंगाल के ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट हुक्मरानों की आँखों में काटों की तरह खटकने लगा। ब्राह्मणवादी ज्योति बसू सरकार ने बाघों के संरक्षण का झूठा बहाना गढकर मरीचझापी से हम बंगाली दलित शरणार्थियों को जबरन उजाडने का संकल्प किया। अपने नवजात बच्चे और बिबी के साथ बसे जयंता के परिवार को यहां आये पांच महिने भी नही बीते थे कि उनकी झुग्गी को पुलिस ने जला दिया। बंगाली दलित शरणार्थियों को सुंदरबन में बसाने के अपने संकल्प को बार बार दुहराने के बावजूद बाघों की रक्षा के नामपर दलित बंगालियों को जबरन उजाडना जबकि मरीचझांपी बाघ संरक्षण क्षेत्र में ही नही आता अपने ब्राह्मणवादी

इन्तेकाम और शैतानी उपासना को पूरा करना था।

ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट सरकार के इशारे पर पुलिस ने हमको लूटा, हमारी बहू-बेटियों की इज्जत लूटी। जनता के दबाव में मीडिया ने इन ज्यादतियों के समाचार छापे। अमृत बाजार पत्रिका ने 8 फरवरी 1979 को मरीचझापी में दलितों पर पुलिस ज्यादतियों के चित्र छापे। विधानसभा में ब्राह्मणवादी विरोधी पार्टियों ने पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ नकली वाकआउट किया। ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेताओं को खतरा नजर आया क्योंकि दलित बंगालियों के प्रति मूलनिवासी अवाम की हमदर्दी बढती जा रही थी इसलिये पत्रकारों को मरीचझापी जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनकी रिपोर्टो की यह कहकर भर्सना की गई कि इन रिपोर्टो से दलित शरणार्थियों में उग्रवाद तथा खुद के महत्वपूर्ण होने का जजबा बढ रहा है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अपील की कि वे देशहित (पढीये आर्य-ब्राह्मण हित) में मरीचझापी के बंगाली दलितों को जबरन उजाडने में सरकार की मदद करे।

30 मोटरबोटों को लोहे की जालियों से ढंककर आजूबाजू के गांवों में पुलिस के कॅम्प कायम किये और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हम बंगाली दलितों की आर्थिक नाकाबंदी शुरु की। मई महिने में आर्थिक नाकाबंदी के नाकाम होने का अहसास होते ही 30 पुलिस लांचों ने मरीचझापी व्दीप को घेर लिया। हम दलितों पर टीयर गॅस छोडी गई। हमारी झोपडियों को आग लगाई गई। हमारी नावों को पानी में डूबों दिया गया। हमारे मछली पकडने के उद्योग को तथा टयुबवेलों को तबाह किया गया। जिन दलितों ने नदी पार करने की कोशिश की उनपर गोलियाँ चलाई गई। पानी लाने के लिये हम दलितों को रात के अंधेरे में धने जंगल में दूर तक जाने और जींदा रहने के लिये घास खाने पर मजबूर होना पडा। कई सौ आदमी, औरते और बच्चे भूख से मर गए और उनकी लाशों को पुलिस ने नदी में बहा दिया। जयंता को अच्छी तरह याद है कि जब हमारे बच्चे कॉलरा और भूख के शिकार होकर मरने लगे थे तो किस तरह हम बंगाली दलित शरणार्थियों ने पुलिस और मिलिटरी का घेरा तोडने की नाकाम कोशिश की थी। हम दलित तीर-कमान और पत्थर जबकि सशस्त्र बल बंदूकों और आधुनिक हथियारों तथा लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस की मोटरबोटें किसी मधुमख्खियों के झुंडों की तरह दलितों का शिकार करने बढती थी। 13 फरवरी 1979 को पुलिस ने हमारे 36 दलितों को गोलिबारी कर मार डाला। राजनीतिक नेताओं तथा पत्रकरों को नियोजित जनसंहार के पूरे क्षेत्र में प्रवेश करने पर पाबंदी लागू थी। पुलिस ने तत्परता से सारे इलाके को मोटरबोटों से सील कर दिया था। पत्रकारों को दूर से सिर्फ गोलिबारी की और हम दलितों के चीखने की आवाजें ही सुनाई देती थी। सीकर तथा बिस्वास (1982) ने हासिल की हुई जानकारियों को जोडकर रॉस मलिक ने अनुमान लगाया है कि मात्र दंडकारण्य से ही 4,128 दलित परिवार जो बंगाल पहूंचे थे कॉलरा, भूख, बेहद थकान और तनाव तथा अन्य बिमारियों से तथा पुलिस व्दारा उनकी नावों को डूबोकर गोलिबारी करने से मर गए। मरीचझापी में बसे लोगों के 25 फीसदी लोग ही जींदा निकल भागने में कामयाब हुए थे। ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट नेताओं

व्दारा प्रायोजित दलितों का जनसंहार भद्रलोगों की हिमायत से मुमकिन हुआ। इनकी नजर में हम गंदे जीव थे जिन्हे ये फौरन तबाह करना चाहते थे।

मरीचझांपी में मारे गये दलितों को आज तक न्याय नही मिला है। फरवरी 1979 को 'Organizer' ने लिखा कि मरीचझापी नरसंहार को भूला दिया गया है क्योंकि माकपा सरकार बुध्दिजीवियों को छोटे मोटे काम तथा रिहाईशी प्लॉट इ॰ बाँटकर उनका बौध्दिक वेश्याओं की तौर पर इस्तेमाल करने में माहिर है। आर्य-ब्राह्मण वादियों के दिलों को हम बंगाली दलित शरणाथियों के इन हैवानी जनसंहार से भी ठंडक नही पहूंची इसलिये,

पं. बंगाल के मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्ट मोर्चे ने बंगाली दलितों को सुंदरबन के बाघों का भोजन बनाया !

पुलिस व्दारा हलाक किये गये दलितों को खा कर बाघों को इन्सानी गोश्त के जायके का पता चला। इसके पहले बाघ इन्सानों से डरते थे तथा एक सम्माननीय दूरी बनाये रखते थे। बाध और इन्सान दोनों ही जंगल और नदियों इ॰ का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जिस तरह से आर्य-ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट नेताओं के हुक्म से दलितों को चुनचूनकर हलाक किया गया, बाघों की नजर में दलितों की अहमियत एक तुच्छ जीव और उनके भोजन के रुप में कायम हो गई। इसलिये इस दलित-हत्यांकांडों के संकेत को समझते हुए बाघों ने दलितों को शिकार बनाकर अपनी भूख मिटानी शुरु की और इन्सानी भोजन उनके स्वभाव में शामिल हो गया।

इसके पहले बाघों का प्रजनन जल्दी जल्दी नही होता था लेकिन ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट सरकार के हुक्म पर बाघों को जल्दी प्रजनन कराने के इन्जेक्शन लगाये जाने से उनकी तादाद तेजी से बढी और वे दलितों को और ज्यादा शिकार बनाकर ब्राह्मणवादी इन्तेकाम को पूरा करने का कारगर साधन बन गए। 1980 के वर्षो में बाधों का शिकार बनना एक बेहद पीडादायक अनुभव था। बाघ के शिकार इन्सान की आधी खाई हुई लाश को इस डर से वहीं छोड देना पडता था क्योंकि वन अधिकारी जंगल में अतिक्रमण करने का आरोप लगाकर भारी दंड वसूल कर हमसे अपराधियों जैसा बर्ताव करते थे। इसलिये परिवार के बच्चों और मित्रों को रोने पर भी पाबंदी थी ताकि वन अधिकारियों को इसकी खबर न लगे। हम यह बताने पर मजबूर थे कि परिवार का सदस्य डायरीया इ॰ बिमारी से मर गया। ब्राह्मणवादी नकली कम्युनिस्ट सरकार सुंदरबन के बाघों की तादाद जानबूझकर कम बताती थी ताकि इस सच्चाई को छुपाया जा सके। बाद में ''बाघों के संरक्षण'' के ढोंग को छोडकर उन्होने उसी सुंदरबन में आण्विक प्लांट कायम करने की इजाजत दी।

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण हुक्मरानों ने इन्तेकाम के लिये बंगाली दलितों को आतंकवादी और घुसपैठिये करार दिया !

सन् 1955 में डॉ॰ अम्बेडकर जिन्दा थे तब संसद में कानून पास किया गया

जिसके मुताबिक भारत के विभाजन का शिकार हर शख्स जो भारत आता है उसे भारत का नागरिक माना जाएगा तथा भारत में जन्में उनके बच्चों को स्वाभाविक रुप से भारतीय नागरिकता हासिल होगी। जो लोग भारत छोड चुके है और विदेशों में बस गए है उन्हे भारत का नागरिक नही माना जाएगा।

ब्राह्मणवादी आतंकित थे कि बंगाली दलितों को नागरिकता मिलते ही उन्हे वोट का अधिकार हासिल हो जाएगा और वे ब्राह्मणवादियों को बंगाल की सत्ता से बेदखल कर देंगे। बंगाली दलित शरणार्थियों ने ''वोट हमारा राज तुम्हारा नही चलेगा, नही चलेगा !'' का नारा लगाया था।

1) इसलिये ब्राह्मणवादी कम्युनिस्टों ने दिगर ब्राह्मणवादी नेताओं के साथ एकजूट होकर भारत में बसे दो करोड बंगाली शरणार्थियों को उन्ही के देश में विदेशी घूसपैठिये करार देने वाले काले नागरिकता संशोधन कानून 2003 को बिना किसी चर्चा के 9 जनवरी 2004 को चुपचाप पारित किया। दुनियाँ में कोई भी इन्सान भारत की नागरिकता के लिये आवेदन करने का हक रखता है लेकिन इस काले कानून के मुताबिक बंगाली दलित शरणार्थियों को इस बात का हक ही नही है कि वे भारत की नागरिकता के लिये आवेदन करे। जबकि विदेशी जानवर तक भारत में बिना रोकटोक के रह सकते है लेकिन बंगाली दलित नही। यह कानून भारत के संविधान तथा अंर्तराष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन है।

2) इस काले कानून की वजह से हम बंगाली दलित शरणार्थी भले ही पिछले **50** सालों से या उससे ज्यादा अर्से से भारत में रह रहे हो, हमारे **1971-86** के दौरान भारत में पैदा हुए बच्चे विदेशी घूसपैठिये करार दिये गए है जिससे हमें दंड और सजा देने के बाद हलाक करने जबरन भारत की सीमा से बाहर धकेला जाता है। सरकार पर काबिज ब्राह्मणवादी प्रतिशोध की आग में इतने अंधे हो गए कि वे यह भी भूल गए कि अंर्तराष्ट्रीय कानून के मुताबिक किसी भी देश में पैदा होने वाला बच्चा उस देश की नागरिकता हासिल करने का स्वाभाविक अधिकार रखता है। इससे स्पष्ट है कि भारत में प्रजातंत्र नही बल्कि ब्राह्मणवादी शैतानीतंत्र (**Brahmanist Demon-cracy**) है।

3) जो लोग भारत में बंगला देश (पूर्वी पाकिस्तान) के वैध्य कागजातों के रह रहे है, उन्हे विदेशी घूसपैठिया करार दिया जाएगा और उसे **Rs. 50,000/-** रुपये नगदी रकम का दंड का तथा पांच साल की सख्त कैद की सजा भुगतनी होगी। यह सजा भुगतने के बाद उन्हे जबरन भारत से बाहर कर दिया जाएगा।

सन् 1952 तक पूर्व पाकिस्तान से भारत आने के लिये किसी भी पासपोर्ट या दिगर कागजातों को हासिल करने की जरुरत नही थी क्योंकि उनके लिये सीमा खोल दी गई थी। यह बात नेहरु-लियाकत अली समझौते में दर्ज है। बंगाली दलित शरणार्थियों को मदद करने में ब्राह्मणवादी सरकारों की उदासिनता, शरणार्थी कँम्पों में असुविधा और अनियमितताओं के चलते अपना पेट भरने तथा मुसीबतों से बचने के लिये अधिकतर दलित शरणार्थियों को इधर उधर भटकना पडा। जहां भी रोजगार मिले अपनी घासफुंस की झुग्गियाँ बनाकर रहना पडा। हर बार उनकी झुग्गियों को

ब्राह्मणवादी नगर निगम इ॰ ने ध्वस्त किया जिससे उन्हे पीढी दर पीढी एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना पडा। ऐसी सुरत में वे इतने सालों तक हम अपने दस्तावेज किस तरह से बरकरार रख सकते थे ? प॰ बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की 90 फीसदी से ज्यादा आबादी जिसमें गैरशरणार्थी बडी तादाद में है, के पास अपनी नागरिकता साबित करने के लिये जरुरी कागजात नही पाये गए। ब्राह्मणवादी साजीश के तहत ऐसे सभी गरीबों को उनके मताधिकार से महरुम करने का काम जोरो से जारी है ताकि वे वोटों से ब्राह्मणवादी हैवानियत का प्रतिरोध न कर सके। बंगाल में **13** लाख गरीबों के नाम इसी सबब पर मतदाता सुची से काट दिये गए। भारत भर में आर्य-ब्राह्मणवादी सभी गरीबों को जनतांत्रिक प्रक्रिया के बाहर कर रहे है। हमें ''पर्यावरण की रक्षा'' या ''शहर के खुबसुतिकरण'' या ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा के नाम पर बार बार उजाडा-विस्थापित किया जा रहा है।

4) यह जताने कि बंगाली दलित शरणार्थियों की हैसियत गंदे जानवरों से भी बदतर है, सरकार पर काबिज ब्राह्मणवादियों ने विदेशों में नागरिकता हासिल कर चुके अपने आर्य-ब्राह्मणवादी जातभाईयों के लिये भारत की दोहरी नागरिकता मंजूर की है। उनके लिये भारत के शिक्षा संस्थानों में **15** फीसदी सीटें भी आरक्षित कर दी है।

5) नीचे दिये हुए समाचार से यह साफ हो जाता है कि आर्य-ब्राह्मणवादी अपने जातभाईयों को भारत की नागरिकता देने में तथा हम मूलनिवासियों को भारत की नागरिकता से वंचित रखने के लिये कितने तत्पर रहते है :-

अ) पाकिस्तान विस्थापित संघ तथा हिंदु सिंधज सोधा के संयोजक के मुताबिक यह अनुमान है कि 17,000 से ज्यादा शरणार्थी पश्चिमी राजस्तान में रह रहे है लेकिन उन्हे अबतक भारत की नागरिकता नही दी गई है जिससे इन नीची जाति के लोगों को अनुसुचित जाति-जनजाति इ॰ के लिये बनी योजनाओं के तहत उनका पूर्नवर्सन नही किया जा सका है। मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत ने सन् 1971 में भारत आये सिंधी शरणार्थियों का पूर्नवर्सन किया था। सन् 1972 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने बाडमेर के {आर्य-ब्राह्मण} शरणार्थियों को पाकिस्तान भेजे जाने का विरोध प्रदर्शन किया था और अपनी गिरफ्तारी दी थी। (The Times of India – Internet Edition Date: September 1, 2001)

ब) राजस्तान की सरकार ने उन हजारो {आर्य-ब्राह्मणों} को जो पाकिस्तान के वैध्य कागजातों के साथ भारत आये लेकिन बाद में उन्होने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया को भारत की नागरिकता देने के लिये विशेष कॅम्पों का आयोजन कर रही है। यह कार्रवाई केन्द्रिय सरकार व्दारा उनकी भारतीय नागरिकता के लिये हामी भरने के बाद की जा रही है। गुजरात सरकार भी यही रुख अपनाएगी। (Daily Times, 7 January 2005)

क) केन्द्र सरकार ने गुजरात सरकार को यह अधिकार दिये है कि वह उन 900 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करें जो गुजरात के चार जिलों में पिछले कई सालों से रह रहे है। गृह विभाग के एक वरीष्ठ अधिकारी

ने पी.टी.आई. को बताया है कि 900 शरणार्थी जो मुख्यतः अहमदाबाद, पाटन, बनासकांठा, और कच जिलों में रह रहे है और सिंधी तथा कोली समुदाय से है और जो कम से कम पिछले पांच सालों से रह रहे है उन्हे भारत की नागरिकता दे दी जाये। (New Kerala, 3 January 2005)

ड) हर साल लगभग 1,800-3,000 तिब्बती भारत पलायन करते है। चीन से वे नेपाल के काठमांडू में तिब्बती शरणार्थी केन्द्र पहूंचते है। भारतीय मिशन से उन्हे भारत आने का परमीट जारी किया जाता है। फरवरी 2002 से भारतीय मिशन उन्हे हर रोज 15 की औसत में ये परमिट जारी करता रहा है। भारतीय दूतावास के अधिकारियों का कहना है कि ये परमिट जारी करते वक्त वे चीन या नेपाल की प्रतिक्रिया से बाध्य नही है। (IANS, Kathmandu, January 6, 2004, The New Indian Express, 7 January 2005)

नेपालियों के भी भारत आने और रहने पर कोई पाबंदी नही है।

6) बंगाली दलित-मुस्लिमों को जबरन बंगला देश भेजने की धमकियाँ देकर आर्य-ब्राह्मणवादी तथा उनके दलाल उन्हे बंधूआ मजदूरों की तरह से, अपने राजनीतिक मुहिमों में और यहांतक कि गैरकानूनी कामों तक में उनका इस्तेमाल करते है।

7) संयुक्त राष्ट्रसंघ के नियम के मुताबिक कोई भी इन्सान किसी देश में बिना उस देश की नागरिकता हासिल किये नही रह सकता। ऐसे इन्सान को उस देश में संपत्ति अर्जित करने और न्याय पाने का हक भी नही है। इसलिये वह जो कुछ अर्जित करता है उसे जब्त किया जा सकता है। इसलिये किसी देश में कोई बच्चा पैदा होते ही वह उस देश की नागरिकता का हकदार हो जाता है। लेकिन भारत की सरकार बंगाली दलितों को इस हक से महरुम कर चुकी है। सरकार पर काबिज आर्य - ब्राह्मणवादी इस तरह हम बंगाली दलित-मुस्लिमों को हर चीज से वंचित करने में जूटे है जो भी हमारे पास है। (Sangharshasathi Mulniwasi Bharat, 22 January 2006)

बंगाली दलित-मुस्लिमों के ख्लिाफ
मनुवादी आर्य-ब्राह्मणों का झूठा कुटिल प्रचार !

हम बंगाली दलित शरणार्थियों के लिये नफरत पैदा करने के लिये आर्य-ब्राह्मण ावादियों ने हैवानियत भरा झूठा प्रचार अभियान चलाया हुआ है :–

1) यह झूठा और घिनौना प्रचार जोरशोर से चलाया हुआ है कि बंगाली दलित शरणार्थी अपराधी है और उनके आतंकवादियों के साथ संबंध है।

शमा दलवई और इरफान इंजिनियर की "Immigrants in Bombay : A Fact Finding Report." के निष्कर्षो के मुताबिक 1) बंगलादेशी शरणार्थियों से भारत की सुरक्षा के लिये कोई खतरा नही है। यह हिन्दुत्ववादी ताकतों का काल्पनिक प्रचार मात्र है। बंगला देशी घूसपैठियों का मसला पैदा कर बिजेपी ने दिल्ली के चुनावों

में फायदा उठाया तथा देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अपनी घूसपैठ करने में कामयाबी हासिल की। जिस गंदगी भरे माहौल में ये लोग रहते है यह साबित करने के लिये पर्याप्त है कि उन्हे अपने पेट भरने की ही इतनी ज्यादा चिंता है कि और चिजों के बारे में वे सोच नही सकते। यह आरोप भी पूरी तरह से बेबुनियाद है कि वे सांप्रदायिक दंगों में हिस्सा लेते है क्योंकि पडौसी हिन्दूओं ने उनके बारे में बेहद सहानुभूतिपूर्ण खयालात जताये। दंगों के दौरान हिन्दूओं को इनसे कोई खतरा महसूस नही हुआ क्योंकि वे हमेशा से उनके साथ बडी शांति से रहते आये है।

2) ब्राह्मणवादियों ने यह झूठा मक्कारी भरा प्रचार चलाया हुआ है कि भारत इतनी बडी तादाद में भारत आये हुए बंगाली दलितों का खर्चा उठाने की हालत में नही है। नेपाल से भारी तादाद में भारत में आने वाले नेपालियों के खिलाफ कभी इस तरह के आरोप नही लगाये गए है। उल्टा नेपालियों को भारत आने के लिये प्रेरित करने उन्हे भारत में बिना पासपोर्ट आने और बिना विसा के रोजगार पाने के लिये कई कानून बनाये गए है। भारत में तिब्बतियों की भारी तादाद है। उन्हे हर सुविधाएं दी जाती है। तब बंगाल के दलित शरणार्थियों के बारे में ही यह व्देषपूर्ण नफरत भरा रवैया क्यों ? भारत में बंगाली दलितों की तादाद को न सिर्फ बढाचढाकर आंका गया है बल्कि इस आँकडों को कल्पना की इन्तेहा तक पहूंचाया गया है। बंगला देश सीमा से लगे भारतीय जिलों की आबादी की दर में देश के बाकी जिलों की तुलना में कोई बढौतरी नही हुई है इसलिये ये सारे आंकडे झूठे और काल्पनिक है। पूर्नवसन कमिटी के चेअरमॅन मुखर्जी ने 31 अगस्त 1981 को पेश की हुई रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में 5533980 शरणार्थी है। 10 सालों में आबादी में 20 फीसदी इजाफा हो जाता है इसलिये यह आंकडा एक करोड से उपर हो जाता है। लेकिन ऐसा नही हुआ इसलिये यह साबित होता है कि सन् 1971 के बाद न के बराबर बंगला देशी शरणार्थी आये है। भारत की जनगणना रिपोर्ट से यह साफ हो जाता है कि बंगाल की आबादी में 1.43% to 1.0% की कमी आई है जो अब शुन्य तक पहूची है। यह इसका सबूत है कि दलित शरणार्थियों के खिलाफ ब्राह्मण ावादियों ने जो प्रतिशोधात्मक रवैया अपनाया हुआ है उसे देखते हुए कोई बंगला देशी भारत नही आ सकता।

भारत में रह रहे बंगाली शरणार्थियों की दूसरी तथा तीसरी पीढी को इन 35 सालों के बाद बंगला देश किस तरह बिना किसी दस्तावेजी सबूत के अपना नागरिक मान सकता है ? अगर भारत की सरकार पर काबिज आर्य-ब्राह्मणों ने अपने राजनीतिक मकसद की खातीर बंगाली दलितों के साथ झूठी हमदर्दी जताकर उन्हे भारत आने की इजाजत न दी होती, उन्हे पहले ही भारत आने से रोक दिया होता, या उनके आते ही उन्हे फौरन वापस भेज दिया होता तो यह संदेश जाता कि ब्राह्मणवादी उन्हे भारत में कतई नही चाहते तब उन्होने भारत आने की बजाय अपनी लडाई बंगला देश में ही मरते दम तक लडी होती। लेकिन भारत की सरकार पर काबिज ब्राह्मणवादियों ने बंगाली दलितों को भारत आने दिया ताकि उनपर अपना हैवानी इन्तेकाम जारी रखा जा सके।

भारत की सरकार पर काबिज ब्राह्मणवादियों ने देश के बहुजन अवाम को इस बात का जरा भी अहसास नही होने दिया कि बंगाली दलित शरणार्थी संयुक्त भारत के नागरिक थे जिन्हे ब्राह्मणवादी प्रतिशोध की घिनौनी साजीश के तहत जबरन पाकिस्तान का नागरिक बनने पर मजबूर किया गया और धर्मांतरित आर्य-ब्राह्मणों के प्रतिशोध का शिकार बनाया गया। बंगाली दलित शरणार्थियों ने तमाम मुसिबतें झेलते हुए अपने खून-पसीने से देश की तरक्की में पिछले **35** से ज्यादा सालों से अहम किरदार निभाया है। इस दौरान उनका किसी भी तरह से बंगला देश से सपने में भी संबंध नही रहा है।

3) ब्राह्मणवादी शोषकों ने यह झूठा प्रचार चलाया हुआ है कि हम बंगाली दलित शरणार्थी मुस्लिम आतंकवादी है इस वजह से हमें भारत की दिगर दलित जातियों से कोई हमदर्दी या मदद हासिल नही हुई है। दलित अवाम अपने भाई के दर्द से न सिर्फ बेखबर रहा है बल्कि ब्राह्मणवादियों व्दारा पैदा की हुई नफरत के शिकार बनकर उन्हे इतना भी अहसास नही रहा है कि उनके अपने इन्ही बंगाली दलितों के बाप-दादाओं ने डॉ॰ अम्बेडकर को दलितों में अलोकप्रिय करार देने के ब्राह्मणवादियों के षडयंत्र को नाकाम कर दिया और डॉ॰ अम्बेडकर के आत्मसम्मान की हिफाजत की। डॉ॰ अम्बेडकर के आत्मसम्मान की रक्षा करने के जुर्म में ही हम बंगाली दलितों को जबरन शरणार्थी बनाकर ब्राह्मणवादी हैवानी प्रतिशोध और नफरत का शिकार बनाया जा रहा है।

असम के ब्राह्मणवादी गवर्नर ने यह झूठा घिनौना आरोप लगाया है कि हर रोज बंगला देश से असम में 6000 बंगला देशी घुसपैठ करते है। तब खुद उनकी सरकार के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को कहना पडा कि गर्वनर अजय सिंह अपने आरोप को साबित करने के लिये सबूत पेश करे। इसपर गर्वनर ने हैरतअंगेज तरिके से चुप्पी साध ली। गवर्नर का यह आरोप झूठ है क्योंकि सन् 1947 में जब असम भारत में विलिन हुआ तब असम में मुस्लिमों की आबादी 40% थी और अंग्रेजों के भारत आने के पहले से असम में मुस्लिमों की बहुतायत साफ साफ देखी जा सकती थी। गर्वनर अजय सिंह के खुद के आंकडों के मुताबिक हर रोज असम में 6000 बंगला देशी मुस्लिम घूसपैठ करते है तो एक साल में उनकी तादाद 6000 x 365 = 21,90,000 होनी चाहिये। सन् 2001 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक असम की कुल आबादी 2,66,55,528 थी जिनमें मुस्लिमों की तादाद 30 फीसदी यानि 79,96,659 ही थी जबकि गवर्नर के आरोपों के मुताबिक वह 2190000 + 79,96,659 = 10186659 होनी चाहिये। सन 1991 की जनगणना के मुताबिक असम में मुस्लिम आबादी 63, 73,204 थी यानि पिछले दस सालों में उनकी आबादी में 79,96,659 - 63, 73,204 = 1623455 यानि एक साल में 162346 यानि 2.55 प्रतिशत यानि सामान्य जन्मदर की बढौतरी है।

ब्राह्मणवादी प्रफुल्ल कुमार मोहंता जिसके छात्र संगठन ने अस्सी के दशक में

मुस्लिमों के खिलाफ आन्दोलन कर 5000 मुस्लिमों का कत्लेआम करने के बाद सत्ता हासिल की अपनी तमाम पूरजोर कोशिशों के बावजूद इस बात को साबित करने में नाकाम रहा है कि असम के मुस्लिम घूसपैठिये है। उसे दो बार सत्ता हासिल होने के बावजूद इस दौरान चंद मुस्लिम ही घूसपैठिये पाए गए जो रोजगार के सिलसिले में असम आये थे। मजबूर होकर महंता को घूसपैठियों वाला राजनीतिक मुद्दा छोड देना पडा। यहां ध्यान रखने की जरुरत है कि असम में मुस्लिम घूसपैठ का मुद्दा सिर्फ चुनाव के वक्त उछाला जाता है। मुस्लिम घुसपैठियों वाला मुद्दा तभी से उठाया जाने लगा जबसे बंगाली दलित जुल्म से बचने भारत आने शुरु हुए।

आर्य-ब्राह्मणवादियों के इस झूठे दुष्प्रचार के कुटिल मकसद नीचे दिये है :–

1) सरकार पर काबिज ब्राह्मणवादी इस बात को मूलनिवासी अवाम से छुपाना चाहते है कि बंगला देश से भारत में आने वाले शरणार्थी सिर्फ दलित है ताकि उन्हे मुस्लिम घूसपैठिये करार देकर उनके खिलाफ नफरत फैलाकर इस बात को नामुमकिन बनाया जाये कि भारत के मूलनिवासी दलित अवाम से उन्हे कोई मदद हासिल हो।

2) आर्य-ब्राह्मणवादी भारत के अवाम से छुपाना चाहते है कि असम में सरकारी महत्वपूर्ण पदों तथा व्यापार इ॰ सभी क्षेत्रों पर मुस्लिमों ने नही बल्कि प॰ बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्तान, पंजाब इ॰ राज्यों से आये ब्राह्मण-बनियों ने कब्जा जमाया हुआ है। वे चाहते है कि असम के लोग आपस में हलाक होते रहे और बाहरी प्रांत के ब्राह्मणवादी असम के असली हुक्मरान बने रह सके।

3) आर्य-ब्राह्मणवादी अपने जातीय अजेंडे से असम तथा सारे देश में सांप्रदायिक आग फैला कर बहुजनों की चिताओं पर अपनी रोटियाँ सैकना चाहते है। दरअसल असम की जनता इन ब्राह्मण-बनियों से निजात पाना चाहती है। उनकी इन तमन्नाओं को नाकाम बनाने तथा असम की जनता का ध्यान इन असली आर्य-ब्राह्मणवादी घुसपैठियों से हटाकर उन्हे आपस में हलाक कर अपने ऐतिहासिक प्रतिशोध को पूरा करने के लिये मूस्लिम विरोधी उन्माद पैदा करने में लगा है। इस मकसद से दिब्रूगढ में कुछ युवकों ने चिरिंग चापोरी युवा मंच (CCYM) कायम किया। कुछ और युवा दल जैसे कि ऑल असम स्टूडंटस् युनियन (AASU) असम जातियबादी युवा छात्र परिषद, ताई ओहोम स्टूडंटस् युनियन, तथा मोटोक स्टूडंन्टस् युनियन इस मुस्लिम विरोधी अभियान में शामिल है। असम में यह बात सभी जानते है कि इन संगठनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संचालन भारत की गुप्तचर संस्था रॉ व्दारा किया जाता है।

सीमापार नो मेन्स लँड में जारी है,
बंगाली दलित-मुस्लिमों का ब्राह्मणवादी कत्लेआम !

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण हुक्मरानों व्दारा, बंगाली दलित-मुसिलमों का जबरन देश निकाला !

सन् 1993 में ब्राह्मणवादी काँग्रेसी नरसिंह राव सरकार ने आपरेशन पुश बॅक शुरु किया जिसके तहत पुलिस को यह आजादी दी गई है कि वह सारे भारत से बंगाली भाषी दलित-मुस्लिमों को घुसपैठिये करार देकर उन्हे सीमापार भेज दे। पूर्व उपप्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री लालकृष्ण अडवानी {जिसकी बहु गौरी ने उसपर लैंगिक शोषण करने और मानसिक रुप से प्रताडित करने के आरोप लगाये} ने वरीष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक में ब्राह्मणवादी नफरत का इजहार करते हुए दो टूक शब्दों में आदेश दिया कि शरणार्थियों के भेस में भारत आये इन बंगला देशी अपराधियों को जो देश को अस्थिर करने की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में मग्न है और देश की सुरक्षा के लिये खतरा है इनके मानवाधिकारों का कोई लिहाज किये बिना इन्हे फौरन सीमापार किया जाये। सीमा पर लाये गए लोगों को बंगला देश यह कह कर कबूल करने से इन्कार करता है कि ये उनके देश के नागरिक नही है।

किसी को दूसरे देश को सौंपने की अंर्तराष्ट्रीय प्रक्रिया यह है कि उस मुल्क के दूतावास / हाय कमिशन या संबंधित अधिकारी को इसके बारे में सूचित कर संयुक्त रुप से आगे की कार्रवाई की जाती है। लेकिन भारत की सरकार पर काबिज ब्राह्मणवादी ऐसी किसी भी अंर्तराष्ट्रीय प्रक्रिया का पालन नही करते इसलिये बंगला देश की बार्डर सेक्युरिटी फोर्स उन्हे अपने देश में आने नही देती। बंगला देश के विदेश मंत्री के बयान के मुताबिक ''हम तबतक किसी को अपने देश में आने की इजाजत नही दे सकते जब तक भारत की सरकार इस बात के दस्तावेज पेश नही करती कि वे बंगला देश के नागरिक है। (The Economic Times, October 15, 1992; see also Tribune, October 10, 1992) बंगला देश की सरकार ''आपरेशन पुश-बॅक'' को भारतीय नागरिकों की बंगला देश में जबरन घूसपैठ की गैरकानूनी कार्रवाई करार देती है। इसलिये बंगला देश रायफल्स भारत के सुरक्षा बलों को आगाह करती है कि अगर बंगला देश की सीमा में भारतियों को जबरन घुसाया गया तो वह उन्हे गोलियों से हलाक करने में नही हिचकेगी।

सीमापार धकेले गए लोग ''नो मॅन्स लॅन्ड'' यानि ऐसा पट्टा जो किसी भी देश का नही है में फँस जाते है और भारत या बंगला देश की सीमा में जाने की कोशिश पर उन्हे संबंधित देश के सीमा-सुरक्षा बलों की गोलियों से हलाक होना पडता है। मानवाधिकार संगठन **The Citizen's Campaign for Preserving Democracy** के मुताबिक अगर आप दलित-मुस्लिम और बंगाली भाषी है तो दिल्ली पुलिस के लिये इतना ही सबूत काफी है कि आप बंगला देशी घुसपैठिये है और वे आपकों गिरफ्तार कर सीमा पर भेज देते है। सन् **1993** के आपरेशन पुश बॅक के तहत हजारों बंगाली भाषी मेहनतकश दलित-मुस्लिमों को गिरफ्तार कर बिना यह साबित किये कि वे सचमूच बंगला देशी है, जबरन सीमापार ''नो मॅन्स लॅन्ड'' में धकेल दिया गया है। क्योंकि भारत की सरकार पर काबिज ब्राह्मणवादी जरुरी

अंर्तराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया का पालन नही करते, भारत के बार्डर सिक्युरिटी फोर्स इस बात की सावधानी बरतती है कि बंगला देश रायफल्स को इस बात का पता न चले कि उनके देश की सीमा में भारतीयों को जबरन धकेला जाने वाला है। इसलिये गिरफ्तार लोगों को आधी रात को दो-दो की टूकडियों में सीमापार नो मॅन्स लॅंड में बंदूक की नोंक पर धकेला जाता है। सारे लोगों को ''नो मॅन्स लॅंड'' में धकेलने में कई दिन लग जाते है। जबतक सशस्त्र गार्ड इस बात की सावधानी बरतते है कि गिरफ्तार लोग कॅम्प के भीतर छूपे रहे।

सीमापार जबरन बंदूक की नोंक पर धकेले जाते वक्त उनका सारा सामान और उनकी भारतीय के रुप में पहचान करने वाली पैसों समेत सारी चिजें बी.एस. एफ. अपने कब्जे में करती है। उन्हे यह धमकी देकर ''नो मॅन्स लॅंड'' में धकेल देती है कि अगर वे वापस आने की कोशिश करते है तो उन्हे गोलियों से हलाक किया जाएगा। लोग दोबारा बी.एस.एफ. का सामना करने की हिम्मत न जुटा सके इसलिये कॅम्प में उन्हे अमानवीय तरिकों से यातनाएं दी जाती है। बहू-बेटियों पर अमानवीय पीडादायक तरिकों से बलात्कार किया जाता है।

अ) समाचार के मुताबिक पिछले हप्ते भारत के बलों ने कई सौ बंगला भाषी भारतीय मुस्लिमों को जबरन बंगला देश की सीमा में धकेलने की कम से कम 30 कोशिशें की है। ये लोग ''नो मॅन्स लॅंड'' में विपरित मौसम में खुले आसमान में अमानवीय हालात में इकट्ठा है। (Holiday frontpage, 31 January 2003) 31 जनवरी 2003 को बी.एस.एफ. का वाहन 147th pillar में कथित 51 लोगों को लेकर आया जिसमें 21 औरतें, 30 आदमी और बच्चे थे। इन्हे ''नो मॅन्स लॅंड'' में धकेला गया। जब ये लोग बंगला देश की सीमा पर पहूंचे तो काझीपूर के बंगला देश रायफल्स के अधिकारियों ने उनकी अमानवीय तरीके से पिटाई शुरु की। पिटाई से बचने के लिये तीन को छोड सभी आदमी भाग गए जबकि औरतें और बच्चे भारतीय सीमा में बांस के जंगल में छूप गए। बी.एस.एफ. ने उन्हे बंदूक की नोंक पर सीमा में आने से रोका। बी.एस.एफ. ने पूरे क्षेत्र में जवानों की दीवार बना दी ताकि स्थानीय भारतीय अपने इन भाईयों की मदद न कर सके। (By Krishna Banerjee & Purna Banerjee)

ब) दक्षिण बंगाल के जिलों में बंगला देश की सीमा पर बी.एस.एफ. की गोलिबारी में मरने वाले लोगों की तादाद में पिछले साल के मुकाबले दुगुना इजाफा हुआ है। मरने वाले लोगों को बंगला देशी घुसपैठिये, आय.एस.आय. एजन्ट और स्मगलर्स करार दिया जाता है। औरतों और बच्चों तक को नही बक्शा जाता और उन्हे भी गोलियों से हलाक किया जाता है। एक अधेड उम्र की महिला को बी.एस. एफ. ने मार डालना चर्चा का बायस बना।

फरवरी में साटगाच्ची (Satgacchi) के 213 सपेरा समुदाय के औरतों, बच्चों और आदमियों को कडी सर्दी में बंदूक की नोंक पर ''नो मॅन्स लॅंड'' में धकेला गया। इनमें से अधिकत लोग बच्चे थे इसके बावजूद उन्हे कडी सर्दी में रखा गया था जिससे कई बच्चों को न्युमोनिया हुआ था। भारत और बंगला देश दोनों ही सरकारों

के पास विदेशियों के मामले में निश्चित कानून है और उन्होने बच्चों की प्रताडना के खिलाफ कई अंर्तराष्ट्रीय समझौतों पर दस्तखत किये हुए है। इसके बावजूद अपने बर्ताव में मासूम बच्चों को हर तरह से प्रताडित किया जाता है {क्योंकि बच्चे मूलनिवासी है}। (जेसे ही शाम ढलने लगी अफसर और मीडिया के लोग वापस हो लिये। इन सपेरों की दर्दभरी आवाजें गुंजने लगी कि ''साब अगर हो सके तो मेहरबानी कर हमारे साबोर के लोगों तक खबर पहूंचाईयें कि हम यहां किस बूरी हालात में है।"(Kinsuk Basu, Satgachi, Hindustan Times, 4 February) देर सुबह वातावरण में तनाव पैदा हो गया। बी.एस.एफ. तथा बंगला देश राईफल्स एक दूसरे के रुबरु हो गए। ये 213 सपेरे पिछले एक हप्ते से खुले आसमान में ''नो मॅन्स लॅंड'' ठंड में पडे है और दोनों देशों के सशस्त्र बलों की बंदूकें उनकी ओर तनी हुई है।

बंगलादेश सीमा पर लगातार मूठभेडों के समाचार सुनने को मिलते है जिसमें सरकारी सशस्त्र बलों के अलावा सरकार समर्थक स्थानीय लोगों ने इसमें हिसा लिया है। ये लोग लाठी, टांगी, भालों, पत्थरों और तलवारों से तथा जहां इन्हे बंदूके दी गई है बन्दूकों से लैस होकर कथीत घुसपैठियों को रोकने में सशस्त्र बलों की मदद करते है। अखबारों ने इस ''अंदर धकेलो'' (**pushed in**) बाहर ध ाकेलो (**pushed out**) आपरेशन को मौत का नाच करार दिया है। जैसे ही खबर फैली कि दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच बातचित नाकाम हो गई है, बंगला देश की सीमा पर जमें सैकडों बंगला देशी युवक अपनी तलवारें लहराते हुए भारत विरोधी नारे लगाने लगे। अपने पर हमला होने के खौफ में ये बदनसीब सपेरे रोने-चिल्लाने लगे। दूसरी ओर भारतीय सीमा से सशस्त्र लोग ''नो मॅन्स लॅन्ड'' की ओर अपने शस्त्र लहराते पत्थरों समेत आगे बढे। बंगला देश रायफल्स ने पोजिशन ले ली और बंगला देशी युवकों को नो मेन्स लॅन्ड के करीब रेंगने को कहा। तनाव के इन 45 मिनटों में भयानक मूठभेड का खौफ तबतक रहा जबतक दोनों और के सशस्त्र बल धीरे धीरे पीछे नही हट गए। बी.एस.एफ और प॰ बंगाल सरकार ने अलर्ट घोषित कर ज्यादा सशस्त्र बल रवाना किये। (Narayan Ghosh, in Kolkata. Hidustan Times Correspondence, Satgachi/Kolkata/New Delhi, Hindustan Times, February 4, 2003)

क) बंगला देश के आंतरिक मंत्री तथा ढाका में दो दिन होने वाली बैठक के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख अतकर अहमद ने कहा कि भारत के बी.एस.एफ. व्दारा निर्दोष बंगला देशी नागरिकों को हलाक किये जाने के प्रति हमने अपनी चिंता से भारत सरकार को अवगत कराया है। पिछले छह माह में भारत के बी.एस.एफ. ने सीमापार गोलिबारी कर 50 बंगलादेशी नागरिकों को गोलियों से हलाक किया है। इनमें से अधिकतर लोग सीमा से सटे अपने खेतों में काम कर रहे थे तथा अपने जानवरों को चरा रहे थे। बी.एस.एफ. ने मारे गए लोगों को स्मगलर्स या घूसपैठिये करार दिया। (Reuters July 16, 2006)

ड) कृषि मंत्री कमल गुहा के साथी कोलकाता में सीमावर्ति जिलों में बि.एस.

एफ. व्दारा लोगों पर अत्याचार करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिये आयोजित बैठक के संयोजकों में से एक है। राज्य के रिलीफ मंत्री एच.ए.. सैरानी (H.A. Sairani) और श्री रॉय ने बी.एस.एफ. पर आरोप लगाया कि वह सीमा पर अपनी सामंती हुकुमत चला रहे है। श्री रॉय ने आरोप लगाया कि बी.एस.एफ. सीमा के इलाकों में शाम से लेकर सुबह तक कर्फ्यु आयद कर देती है ताकि स्मगलिंग के जरिये बी.एस.एफ. और बंगलादेश रायफल्स के लोगों को सिमावर्ति गिरोहों से भारी रकम हासिल हो सके जो जानवरों, लोगों इ॰ को इधर से उधर करने का काम करते है। (Biswajit Roy,Times of India, February 21, 2003, Page 1) इसलिये सवाल पैदा होता है कि नो मेन्स लँड में सतत रुप से पहुंचाये गए सभी भारतीयों को मार डाला गया या उन्हे भारी रकम के बदले मानव अंगों के तस्करों को हवाले किया गया ? इनमें से कितने बच्चों को गुलाम बनाने देश विदेश तथा और औरतों को देश-विदेश के वेश्यालयों में भेजा गया है ?

आपरेशन पुश बॅक के लिये
मूलनिवासी बंगाली दलित-मुस्लिम ढुंढना जारी है !

मनुवादी कम्युनिसट सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री बुध्ददेव भट्टाचार्य ने कहा था कि बंगाली दलित शरणार्थियों को फौरन बार्डर सेक्युरिटी फोर्स के हवाले किया जाये ताकि वह उन्हे सीमापार भेज सके। मुख्यमंत्री बुध्ददेव भट्टाचार्य ने बंगाली दलितों के बारे में अपने मन की गंदगी उगलते हुए ऐलान किया कि वह किसी भी सुरत में दलित बंगाली शरणार्थीयों को बंगाल में सहन नही करेगा क्योंकि इससे बंगाल का सामाजिक संतुलन बिगडता है। उसने दावा किया कि प॰ बंगाल की सरकार ने बंगलादेशी घुसपैठियों के खिलाफ फौरन कार्रवाई की है। उसने कहा की महाराष्ट्र की सरकार पहले ही 800 लोगों को सीमा पर भेज चुकी है।

एक आर्य-ब्राह्मणवादी संगठन की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय तथा सुप्रिम कोर्ट ने आदेश दिया कि हर रोज **100** बंगलादेशी शरणार्थियों की पहचान कर हर माह **3000** शरणार्थियों को बंगला देश भेजा जाये।

गृहमंत्रालय ने संसद में दिये अपने जवाब में कहा था कि 25 मार्च 1971 के बाद भारत आये बंगाली दलित शरणार्थियों को कठोर दंड और सजा देने के बाद उन्हे जबरन बंगला देश भेजा जाएगा। समाचार के मुताबिक ठाना के न्यायाधीश ने कथित बंगला देशी घूसपैठियों को 6 माह की सख्त सजा सुनाई। (Samrat, 21 November 2005) ओरिसा की बीजेपी-बीजेडी सरकार ने केन्द्रपारा जिले के नक्कल ब्लॉक में पिछले 40-50 सालों से रहने वाले 1551 कथित बंगाली दलित शरण ार्थियों को नोटीस जारी किया कि वे भारत को 30 दिनों के भीतर छोड दें वर्ना उन्हे जबरन बंगला देश भेजा जाएगा। बंगाली दलितों को इस बात तक का मौका नही दिया कि वे अपनी भारत की नागरिकता साबित कर सके। इस क्षेत्र के लोग पिछले दस साल में भयानक चक्रवाद के शिकार हो चुके है जिसमें उनका सब कुछ

जिसमें उनके दस्तावेज भी शामिल है नष्ट हो चुका है। अधिकतर बंगाली दलित अनपढ तथा गरीब मजदूर है इसलिये उन्होने अपने दस्तावेजों की डुप्लिकेट प्रतियाँ हासिल करने की कोशिश नही की क्योंकि उनके कोई राजनीतिक संपर्क सुत्र नही थे और वे जिला मुख्यालय से काफी दूर रहते थे। उडीसा सरकार के कार्यालयों में उनकी नागरिकता के दस्तावेज मौजूद होने के बावजूद सरकार उन्हे देखना नही चाहती ताकि वह दलितों के खिलाफ अपने ब्राह्मणवादी प्रतिशोध को पुरा कर सके। उडिसा सरकार ने ऐसे ही नोटीस नवरंगपुर तथा मलकानगीरी जिले के बंगाली दलितों को जारी किये है।

ओरिसा की ब्राह्मणवादी सरकार बंगाली दलित शरणार्थी परिवार में जन्मे बच्चे के जन्म का पंजीयन तक नही करती ताकि इन बच्चों का जन्म-प्रमाणपत्र ही न रहे। उसने **200** से ज्यादा बच्चों को हायस्कूल की परिक्षा देने से रोक दिया। बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, पॅन कार्ड इ॰ देना रोक दिया है। भारी तादाद में बंगाली दलित शरणार्थियों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिये गए है। सरकार ने मुर्शिदाबाद के जयगंज तथा लालबाग के लोगों को उनकी नागरिकता के समर्थन में 19 दस्तावेज पेश करने को कहा। तब 90.60% से ज्यादा लोगों के पास इनमें से कोई भी दस्तावेज नही था। उन्हे बंगला देशी घुसपैठिये करार देकर जबरन बंगला देश भेजा जा सकता है। यही दिगर राज्यों में किया जा रहा है।

महाराष्ट्र के तमाम जिलाधीशों को सरकार पर काबिज ब्राह्मणवादियों ने निर्देश जारी किया हुआ है कि वे महाराष्ट्र में रहने वाले बंगला देशियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। जिलाधीशों ने यह आदेश जारी किया है कि ऐसे तमाम लोग अपनी नागरिकता से संबंधित दस्तावेज एक महिने में जमा कराये वर्ना उन्हे गिरफ्तार कर जबरन सीमापार भेज दिया जाएगा। इसकी वजह से बंगला देश से काफी पहले आये शरणार्थियों में जो महाराष्ट्र भंडारा, चंद्रपुर, गडचिरोली इ॰ जिलों में सन् 1950 से रह रहे है खौफ छाया हुआ है।

भारतीय दलित-मुस्लिम नागरिकों को ब्राह्मणवादी इन्तेकाम के लिये जबरन सीमा पर करना जारी है !

माकपा के मनुवादी कम्युनिस्ट नेता बुध्ददेव भद्दाचार्य को कबूल करना पडा कि आपरेशन पुश बॅक के तहत बंगला देश सीमा में धकेले जाने वाले **70** फीसदी लोग भारत के नागरिक होते है। (Bhaskar, 3 June 2003) लेकिन यह तादाद लगभग **100%** है। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में प॰ बंगाल, असम से लोग मेहनत का तथा कचरा बीनने का काम करते है। इन्हे पुलिस बंगला देशी करार देकर गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार लोगों ने पेश किये केन्द्र सरकार या दिल्ली प्रशासन के किसी भी दस्तावेजी सबूत को मानने से इन्कार करती है। गिरफ्तारी की कार्रवाई अक्सर आधी रात को की जाती है जब वे गहरी नींद में होते है। बच्चों, बूढों, औरतों सभी को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार लोगों को अपने कागजात पेश करने यहांतक

कि कपडे तक बदलने का मौका नही दिया जाता। कई बार घर के प्रमुखों की गैर मौजूदगी में नाबालिग और बूढ़े सदस्यों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार लोग जिनमें औरतें और बच्चे भी होते है, उनको उनके परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने नही दिया जाता। जब भी उन्होने अपने निर्दोष होने की दलिलें देने की कोशिश की उन्हे बूरी तरह से पीटा और धमकाया गया। सुनवाई की अपीलों और प्रार्थनापत्रों को शारीरिक मारपीट और गालीगलौच से खामोश किया गया।

सरकार पर काबिज ब्राह्मणवादियों ने ज्यादा से ज्यादा पुलिसवालों को उनके सामान्य कामों से हटाकर बंगला देशियों की खोज में लगाया है। हावडा, मिदनापुर, हुबली, 24 परगना इ॰ जिलों के लोग मुंबई में जरी, हीरे प्लॅटिनम तथा सोने की कारिगरी का काम करने गए अपने रिश्तेदारों की सुरक्षा के प्रति बेहद आतंकित है क्योंकि महाराष्ट्र की शिवसेना-भाजपा सरकार ने मुंबई के बंगाली भाषी मुस्लिम जरी मजदूरों को बंगला देशी घूसपैठिये करार देकर उन्हे सीमापार पहूंचाने का अभियान छेडा है। अलाउद्दीन नोला ने फ्रंटलाईन को बताया कि उसे अपने भाई सलीम अली की एक महिने से कोई खबर नही है। मुंबई से वापस लौटने वाले मजदूरों ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस ने बडे पैमाने पर बंगाली भाषी मुस्लिम कामगारों को बंगला देशी करार देकर गिरफ्तार किया है। 9 जुलाई को सत्रा पुलिस स्टेशन के अंर्तगत उनके इलाके में पुलिस ने देर रात छापा मारा जैसे ही पुलिस ने आतंकित मजदूरों को बंगाली में बातें करते देखा उन्हे पुलिस वॅन में डाल दिया। हावडा जिले के बहिरा के शेख दिलावर ने बताया कि वह इसलिये भाग सका क्योंकि वह इन लोगों से काफी दूर सोया हुआ था। वाकिये की खबर मिलते ही लगभग सारे बंगाली मजदूरों ने महाराष्ट्र छोड दिया। 3000 लोगों की भीड ने 23 जुलाई को मुंबई से आने वाली हावडा-कुर्ला एक्सप्रेस को कलकत्ता से 60 मील उलुबेरिया में रोक दिया और मांग की कि इसमें सवार 34 मुस्लिम बंगाली भाषियों को जिन्हे जबरन बंगला देशी करार दिया गया है, रिहा किया जाये। इन 34 लोगों जिनमें ओरतें-बच्चे शामिल है जरी कामगार थे। भीड ने दावा किया कि जबरन बंगला देश सीमा पर भेजे जा रहे इन लोगों के पास अपनी नागरिकता के वैध दस्तावेज है जो साबित करते है कि वे प॰ बंगाल के बरास्त, बांगांव, उबेरिया, हावडा, तथा पांचला के रहीवासी है। भीड का एक हिस्सा बोगियों पर चढ गया। महाराष्ट्र पुलिस ने इन पर हवा में पांच राउंड गोलियाँ चलाई। रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) ने भी इनपर खाली फायर किये।

शमा दलवई तथा इरफान इंजिनियर के "Immigrants in Bombay : A Fact Finding Report." के निष्कर्षो के मुताबिक पुलिस ने बंगाली भाषी मुस्लिमों को बंगलादेशी धुसपैठिये करार दिया ताकि उनसे तगडी रकम उगाही जा सके। पुलिस ने बंगाली भाषा में जारी दस्तावेजों को मानने से इन्कार कर दिया और उन भारतीय नागरिकता संबंधी दस्तावेजों को अंग्रेजी में हासिल करने को कहा। सामान्य रुप से पेश किये जाने वाले दस्तावेज जैसे कि वोटर कार्ड, रेशन कार्ड, स्कूल प्रमाणपत्र, इलाके के विधायक तथा ग्रामपंचायत व्दारा जारी प्रमाणपत्रों को मानने

से इन्कार कर दिया। चंद मामलों में अफसरों ने इन दस्तावेजों को बिना किसी तहकिकात के जाली करार देकर खुद फाड दिया। गिरफ्तार लोगों ने अनौपचारिक तौर पर बताया कि पुलिस सिर्फ जमीन की मिल्कियत के कागजातों को वैध्य मानती है। रोज मजदूरी कर अपना पेट भरने वाले बहुसंख्यंक गरीब मेहनतकशों के पास जमीन की मिल्कियत नही है। गॉवों से पलायन कर शहर बसने वाले बहुसंख्यंक गरीबों की यही हालत है। पुलिस इन गरीब मुस्लिमों से जबरन पैसे उगाहने के लिये उन्हे लगातार परेशान करती है। जिन लोगों ने रिश्वत देकर पुलिस की मुट्ठी गर्म की उन्हे आमतौर से बिना कोई सबूत तलब किये छोड दिया गया। पुलिस आमतौर से ऐसे लोगों को छोडने के लिये प्रति व्यक्ति **Rs. 1,000** रुपये वसूल करती है। पुलिस के मुखबीर भी लोगों से पैसे वसूलते है। जिनकी पैसे देने की हैसियत नही उन्हे सीमापार भेजा जाता है।

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को और राज्य सरकार अपने ये अधिकार पुलिस को सौंप दिये है। बंगाली भाषी मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई Foreigners Act के तहत की जाती है। पुलिस किसी की भी शिकायत पर उन्हे बिना किसी सबूत के विदेशी घूसपैठिये के रुप में गिरफ्तार कर सकती है। इस एक्ट के मुताबिक खुद को भारत का नागरिक साबित करने की जिम्मेदारी गिरफ्तार किये गए व्यक्ति पर आयद है। हम मूलनिवासियों को सीमा पार करने का आदेश बिना किसी सुनवाई तथा बिना कोई कारण बताये कि उसे किस आधार पर विदेशी करार दिया गया है, जारी किये जाते है। मात्र दस दिनों के भीतर गिरफ्तार मूलनिवासी दलित-मूस्लिमों को उनके बिवी-बच्चों समेत विदेशी घूसपैठिया करार देकर सीमा के बाहर षडयंत्र से धकेला जाता है। उपरोक्त कानून खुद ही भारतीय संविधान का घोर उल्लंघन है इसलिये इससे न्याय की कैसे उम्मीद की जा सकती है ?

एक्शन प्लान के मुताबिक विदेशी रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (Foreigners Regional Registration Office (FRRO)/civil authority) समन्वयन एजन्सी है। दिल्ली प्रशासन इस Foreigners Act, 1946 कानून के सेक्शन 3 के मुताबिक हासिल अधिकारों के तहत FRRO को यह अधिकार देती है ताकि वह तमाम दस्तावेजों की जांच कर उनकी सुनवाई कर यह सुनिश्चित करें कि विस्थापित किया जाने वाला इन्सान सचमुच विदेशी है। लेकिन अध्ययन दल ने पाया कि किसी भी गिरफ्तार इन्सान को FRRO के सामने पेश नही किया गया। चंद कागज बीनने वाले गिरफ्तार लोगो ने बताया कि उन्हे कभी कभार कुछ समय के लिये ही FRRO के सामने पेश किया गया। गिरफ्तार लोगों से पता चला कि जहां उन्हे रखा गया वहां के हालात राष्ट्रीय तथा अंर्तराष्ट्रीय मानकों से कही ज्यादा बदतर थे। उनको गिरफ्तार करते वक्त से लेकर उनके सीमापार भेजने तक अधिकारियों व्दारा किसी भी न्यायपूण र्ं प्रक्रिया का पालन नही किया जाता। कानूनी तथा न्यायिक संस्थाओं की तमाम प्रक्रिया अपराधिक, सांप्रदायिक और भ्रष्ट्राचार से सराबोर है। FRRO से गिरफ्तार लोगों को MCD रैन बसेरा लाया जाता है और तबतक रखा जाता है जबतक पूरी रेल की बोगी भरने की तादाद नही हो जाती। उसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हे उन्हे

पुरानी दिल्ली रेल्वे स्टेशन से प॰ बंगाल के मालदा रेल्वे स्टेशन तक छोडने जाती है। वहां से उन्हे बार्डर सेक्युरिटी फोर्स (BSF) के कँम्प भेजा जाता है।

नागपुर में कुछ साल पहले बहुजनों के एक संगठन ने बंगाली दलितों के मसले पर एक सम्मेलन आयोजित कर खुब भाषणबाजी की थी। लेकिन जब नागपुर से ही पुलिस ने कथित बंगाली दलितों को पकडा तो इस संगठन का एक भी कार्यकर्ता विरोध में नही उतरा। किसी ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में बयान तक देने का साहस नही दिखाया।

मनुवादी आर्य-ब्राह्मण कम्युनिस्टों का दलित प्रेम धोखे, मक्कारी ओर दिखावे के सिवा कुछ भी नही है !

बहुजनों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये तथा अपने संगठनों के बहुजनों को अपने पास टिकाकर रखने के लिये अब आर्य-ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट संगठनों ने दलितों के नाम पर अपने फ्रंट संगठन बनाकर खुद को दलित-बहुजनों के हमदर्द जता रहे है। कम्युनिस्ट पार्टी ने दलित शोषण मुक्ति मोर्चा बनाकर दिल्ली में जंतरमंतर तक मार्च भी किया है। महिला आरक्षण में ओबिसी, दलित, आादिवासी तथा अल्पसंख्यंक महिलाओं का कोटा सुनिश्चित करने का सख्त विरोध करने वाले ये सब ब्राह्मणवादी संगठन भाषणबाजी, मोर्चे इ. नकली संघर्षो से परनिर्भरता की मानसिकता से ग्रसित दलित-बहुजनों को भ्रमित कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते है। ऐसे किसी भी कम्युनिस्ट संगठनों की सभा का मुआईना किजिये मंच पर लगभग सभी सवर्ण नजर आएंगे जबकि मंच के नीचे लगभग सभी शोषित बहुजन नजर आएंगे।

इन दिनों कुछ आर्य-ब्राह्मणवादी कथित कम्युनिस्ट छात्र नेता ''हमे चाहिये आजादी, अम्बेडकर वाली आजादी, गांधी वाली आजादी'' इ. भजन ढपली पर गा रहे है। वे दलितों के हितों के दुश्मन गांधी को तथा दलितों के मुक्तियोध्दा बाबासाहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर को एक ही पाले में रख रहे है। ये नेता अपने भाषणों में राम की तारीफ करते है, जबकि मूलनिवासियों के आराध्य देवता रावण को खलपुरुष दर्शाते है। ब्राह्मण प्रतिक-पुरुष तुलसिदास, कालीदास इ. की तारिफ करते है, जिन्होने जाति व्यवस्था का समर्थन करते हुए ''शुद्र, गंवार, पशु, नारी सबहु ताडन के अधिकारी'' जैसे ब्राह्मणवादी-मनुवादी विचारों को प्रचारित किया है। हमें उन दलित, बहुजनों के बौध्दिक दिवालियेपन पर हैरानी होती है जिनके कानों में बाबासाहब का गौरवगान पडते ही वे ब्राह्मणवादी-जहर की ओर से अपनी आंखें मूंद लेते है। इनमें से किसी ने भी इन नकली छात्र नेताओं से यह नही कहा

कि आपको अम्बेडकर चाहिये तो आप अपने गांधी, राम, तुलसिदास, कालिदास इ. आर्य-ब्राह्मणवादी प्रतिक-पुरुषों को अपने घर में ही छोडकर आओ, हमने उन्हे कब का नकार दिया है। अगर आप बाबासाहब के नाम का भजन कीर्तन नही भी करेंगे तो हमें कोई फर्क नही पडने वाला।

बाबासाहब डॉ॰ अम्बेडकर ने दलितों को आगाह किया कि :– जिन्होने कभी दलितों की सुध नही ली आज ही इन्हे हमारे बारे में हमदर्दी कैसे पैदा हो रही है ? गुड को चिंटियां उसकी जतन करने नही बल्कि उसे खाने के लिये चिपटती है। {ब्राह्मणवादी नकली} कम्युनिस्ट सिर्फ हमसे फायदा उठाने तथा हमें नुकसान पहूंचाने के इरादे से झुठी हमदर्दी दिखा रहे है। इस बात को हमने कभी नही भूलना चाहिये। (Dr. Ambedkar : Vol. 18-II p.496-97)

याद रखिये कि इन नकली आर्य-ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट छात्र संगठनों ने रोहित वेमुला का कभी साथ नही दिया जब राहित वेमुला दलितों के उत्पीडन का विरोध कर रहे थे। रोहित वेमुला को मजबूरन कम्युनिस्टों के छात्र संगठन से इस्तीफा देना पडा था और दलित-बहुजन छात्रों का अपना खुद का संगठन खडा करना पडा था। इससे ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट छात्र संगठन बेनकाब होने लगे थे। रोहित बेमुला आर्य-ब्राह्मणवादी वर्चस्व को कडी चुनौति देने लगे थे इसलिये रोहित वेमुला को आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया। इसके बाद कम्युनिस्ट छात्र संगठनों ने रोहित वेमुला को न्याय के देने के नाम पर नकली आन्दोलन किया ताकि दलितों में इनकी सियासत चमक सके। क्या रोहित वेमुला को कभी न्याय मिला ? कम्युनिस्ट छात्र संगठनों को अपनी सियासत चमकाने के लिये सिर्फ मरा रोहित वेमुला चाहिये, वे जिंदा रोहित वेमुला से नफरत करते है क्योंकि जिंदा रोहित वेमुला उनके ढोंग पाखंड को बेनकाब करता है। दलितों के लिये नारेबाजी और भजन-कीर्तन के सिवा इनके पास कुछ भी नही है। जे.एन.यु. में दलित ओबीसी बहुजन छात्रों को लिखित परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर हासिल होते है लेकिन उन्हे मौखिक परीक्षा में सबसे कम नंबर कैसे दिये जाते है इस बात पर क्या कभी इन्होने आन्दोलन किया है ? क्या उन्होने कभी जे.एन.यु. में बहुजनों के आरक्षण को पूरा करने के लिये सार्थक रुप से आवाज उठाई है ? जेएनयु के छात्र आरजेडी के नेता जयंत कुमार के मुताबिक इन्होने जेएनयु में आरक्षण के मसले को लेकर धोखेबाजी की, उन्हे गुमराह किया। क्या इन्होने अपने कम्युनिस्ट नेताओं का खुलेआम विरोध किया कि उनके विरोध की वजह से ही महिला आरक्षण में दलित, ओबीसी, आदिवासी तथा अल्पसंख्यंक महिलाओं का कोटा निश्चित नही हो सका है। हमने उनसे स्पष्ट रुप से कहना चाहिये कि वे ढपली पर मनुवाद के खिलाफ भजन-कीर्तन करने की बजाय मनुवाद के खिलाफ कोई सार्थक कदम उठाये। हमने इनसे मांग करनी चाहिये कि वे हिंदु मंदिरों में जमा असीम संपदा को आत्महत्या करने वाले हिन्दू किसानों के तथा सांप्रदायिक दंगों में मरे हिन्दूओं के परिवारों में वितरित करने के लिये आन्दोलन करें। हमने मांग करनी चाहिये कि

वे मंदिरों में देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिये आन्दोलन करें। किसानों की आर्थिक मदद करने के लिये मंदिरों के बाहर चंदे की पेटियां रखे और ऋध्दालूओं को भगवान के नाम पर किसानों को चंदा देने की अपील करे। उन्हे कहिये कि वे यह सब करें वर्ना दलितों में खुद की सियासत को चमकाने के लिये मनुवाद के खिलाफ भजन-कीर्तन के ढोंग को बंद करें। हमने कम्युनिस्ट आर्य-ब्राह्मणों से सवाल करना चाहिये कि हमें सिर्फ नारे भाषणबाजी और मोर्चेबाजी नही चाहिये हमें हमारे मसलों के हल के कार्यक्रम पर ठोस अमल चाहिये।

Consolidated Bibliography

आज का सुरेख भारत : नागपूर

Ambedkar B.R., : Dr. Babasaheb Ambedkar Writing and Speeches, (Volumes published by Govt. of Maharashtra, Edn. dept.) Bombay - 32

Ambedkar, B.R. : Source Material volumes on Dr. Babasaheb Ambedkar and The Movement of Untouchables, 1982, Education dept. Govt. of Maharashtra, Bombay - 32

: कामगार चळवळ, संपादक प्रदीप गायकवाड, क्षितिज पब्लिकेशन डॉ. अम्बेडकर कॉलनी, लष्करीबाग नागपुर - 440 017

: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची अतिशय गाजलेली भाषणे : रघुवंशी प्रकाशन, 242 (ब) शुक्रवार पेठ, पुणे - **2**

अम्बेडकर मिशन पत्रिका : चितकोहरा, पोस्ट अनीशाबाद, पटना - 2

Amrit Bazar Patrika Calcutta

अनंत भालेराव : हैदराबाद स्वातंत्र संग्राम आणि मराठवाडा, मौज प्रकाशन, खटाववाडी, मुंबई - 4

अर्नेस्तो चे गुएवारा : छापामार युध्द, प्रकाशन संस्थान, 4715/21, दयानंद मार्ग दरियागंज, दिल्ली -2

बाबुराव गुरव : अन्नाभाउ साठे, प्रकाश विश्वासराव लोकवाग्मय गृह, भुपेश गुप्ता भवन, 85, सयानी रोड, प्रभादेवी मुंबई - 400 025

बाळासाहेब गायकवाड : खिस्ती महार, प्रकाशक नंदिनी तु. गवळी, प्लॉट नं. 4/अ नलवडे कॉलनी सम्राटनगर, सागरमाळ कोल्हापुर - 416 008

बहुजनों का बहुजन भारत : बामसेफ, 16 वा राष्ट्रीय अधिवेशन विशेषांक, जनवरी - फरवरी 2000

बहुजन संगठक : 5323, हरध्यानसींह रोड, रैगरपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली - 110 005

बहुजन संघर्ष : रहाटे कॉलनी, जेल रोड नागपुर

भाष्कर (दैनिक) : नागपूर

Bajwa, G.S. : Human Rights in India, Implementation and Violation, First Edition, 1995, Anmol Publication Pvt. Ltd. New Delhi - 2

भारत अश्वघोष : नागपूर

Biswas, Swapan Kumar : Gods, False-Gods & the Untouchables, Fourth Edn, 26th Jan. 1998, Orion Books, North; 387A, J&K Pocket, Dilshad Garden Delhi- 110 095.

Dalit Voice : 109/7th Cross, Palace Lower Orchards, Bangalore - 3

दलित वॉयस हिन्दूस्तानी : ए- 8/3, **एस.एफ.एस. फ्लैट, साकेत, नई दिल्ली** -17

Dasgupta Biplab : The Naxalite Movement, Allied Publishers, Pvt. Ltd. 13/14 Asafali Rd. New Delhi- 1

David Riazanov : Karl Marx and Friedrich Engels, Monthly Review Press, 62 West 14th street N.Y.

देशपांडे, द.ग. : संस्थान हेद्राबादचे स्वातंत्र आणि लोकस्थिती, पारगांवकर निवास औरंगपुरा, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

Durant, Will, The Story of Civilization, Part I, 1935, Simon & Schuster , Inc. 630 fifth avenue, Rockefeller Center New York 20

Documents of the history of communist party of India, Vol.2 : People's Publishing House, Rani Jhansi Rd. New Delhi- 55

Frontline, Chennai India

गायकवाड, डॉ. नरेन्द्र : मराठवाडयातिल दलित चळवळ आणि हैदराबाद स्वातंत्र संग्राम, सुगावा प्रकाशन पुणे

गोडबोले, वामनराव : आनंद नगर नागपुर

गोपाल कुर्तडिकर : निझाम विरोधी आन्दोलन : मराठवाडा व तेलंगगणच्या कम्युनिस्टांचा शौर्यशाली लढा, लोकवाग्मंय गृह भूपेश गुप्ता भवन, 85, **सयानी रोड, प्रभादेवी मुंबई .** 400 025

History of the Communist Party of the Soviet Union Bolsheviks, Short Course, 1945

हमारा महानगर : मुंबई

इंडीया टुडे : हिन्दी और अंग्रेजी

इंडीयन एक्सप्रेस

कान्ति (साप्ताहीक) दिल्ली

कमलेश : डब्लू.एस.एफ. विरोध या दिखावा ?, न्यू विस्टास पब्लिकेशन्सयु-57, **शकरपुर, दिल्ली** - 110 092

कर्णिक डी.बी. : मानवेन्द्र रॉय, पॉप्युलर प्रकाशन, 35-C **ताडदेव रोड, मुंबई** -34

खुल्लर, के.के. : शहीद भगतसिंह, प्रभात प्रकाशन, चावडी बाजार, दिल्ली - 6

खुशवंत सिंह : मेरा लहूलुहान पंजाब, राजकमल प्रकाशन १.बी नेताजी सुभाष मार्ग नई दिल्ली -2

कठाळे नानासाहेब : अन्नाभाउ साठे जीवन, समता प्रकाशन, नवा नकाशा नागपुर

Kovena : 1) The alternative (Blueprint for revolution) 2) Kovena, Hidden History 3) The Bahujan Guide, Dalit Sahitya Academy, 109/7th Cross, Palace Lower Orchards, Bangalore - 560 003 **:** 4) Towards emancipation, 7/141, Mittapalem Street, Gudur - 524101 (A.P.)

लाल एच. व एल.के. मडावी : बिरसा मुंडा, त्रिवेणी प्रकाशन, 1/4006 **रामनगर विस्तार, शाहदरा दिल्ली** - 110 032

Labour Party of India : Subotage Movement and the Indian Boilsheviks

लोकलहर, ए.के. गोपालन भवन, 27-29 **भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्किट नई दिल्ली** -1

लोकमत : नागपुर

लोकमत समाचार, नागपुर

लोकमत टाईम्स, नागपुर

महानायक : गाळा नं. 173, लांम बिल्डिंग, साठे बिस्किट कंपाउंड, सखाराम बाळाजी पवार मार्ग,

लोअर परेल (पूर्व) , मुंबई ––400 013

मडावी, एल के : आदीवासी स्वायत्ततेची भुमिका, 6, बीजली नगर सदर, नागपुर . 440 001

Malcolm X : Malcolm X on Afro&American History, Pathfinder, 410 West Street, New York 10014, USA

मंसाराम कुमरे : मूलनिवासियों का इतिहास, जयसेवा प्रकाशन, ६ पदवाद लेआउट, सुभाष नगर, हिंगणा रोड, नागपुर - ४४० ०२२

मानवेन्द्र रॉय (अनुवादक नखाते एस.वी.) : इस्लामी संस्कतिचे क्रांतिकार्य, **529,** सदाशिवपेठ पुणे -२

मोरे, सत्येंद्र : दलित व कम्युनिस्ट चळवळीचा सशक्त दुवा कॉम्रेड आर.बी. मोरे, प्रकाशक देवयानी सत्येंद्र मोरे, 25/197, उन्नत नगर, क्र. 3, अपना बाजार के पास, गोरेगाव (प.), मुंबई - 62

M.N. Roy (1938) : Man who looked ahead, Modern Publishing House Ahmedabad

The Indian Renaissance Institute Dehradun : M.N. Roy's Memoirs

Mohan Ram : 1) Maoism in India, 2) Indian Communism Split Within a Split, Vikas Publications, 5 Daryaganj, Ansari Road, Delhi - 6

Mohanti, Manoranjan : Revolutionary violence A study of the Maoist Movement in india, Sterling Publication Ltd. AB/9 Safdarjang Enclave, New Delhi - 110 016

नानासाहेब कठाळे : अन्नाभाउ साठे जीवन, समता प्रकाशन नवानकाशा नागपुर।

नागेश चौधरी : हिन्दूत्व देश तोडणारे सुत्र, साथिदार प्रकाशन, रहाटे कॉलनी, वर्धा रोड, नागपुर - 440 022

नव-भारत, नागपुर

निंबाळकर, वामन तुटलेले लोक, 1/10, MIG Colony 84, Rambagh Nagpur)

Outlook English magazine

नरेन्द्र गायकवाड : मराठवाडयातिल दलित चळवळ आणि हैदराबाद स्वातंत्र्यसंग्राम, सुगावा प्रकाशन पुणे।

औचरमल, एल.वाय. : आंबेडकरी चळवळ आणि हैद्राबाद संस्थानातिल दलित आजादी संग्राम (1906-1948) सुगावा प्रकाशन, 861/1, सदाशिवपेठ, पुणे - ३०

Persits, M.A. : Revolutionaries of India in Soviet Union, Progress Publishers Moscow (1983)

परळीकर, अशोक : हैद्राबाद मुक्तिसंग्रामातिल अज्ञात कथा, राजहंस प्रकाशन, 1025 सदाशिव पेठ पुणे - 411 030

प्रकाश कोळवणकर : नक्षलनामा, मोरया प्रकाशन 'संपदा', नगरपालिका दवाखाने के पास, शास्त्रीनगर,डोंबिवली (प.), मुंबई

प्रबुध्द भारत

प्रथम प्रवक्ता : बी-७ एक्स/११४ए, सफदरजंग इन्क्लेव्ह, नई दिल्ली २६

राहुल सांस्कृत्यायन, कार्ल मार्क्स,

डॉ. रामनाथ : राष्ट्रपिता गांधी या अम्बेडकर, डॉ. रामनाथ, A 708 आवास विकास, हंसपुरम नौबस्ता, कानपुर - 208 002

रामवृक्ष बेनीपुरी (1946) : रोजा लुक्जेम्बुर्ग, नॅशनल इन्फरमेशन एन्ड पब्लिकेशन लिमिटेड, 74, लक्ष्मी बिल्डिंग, सर फिरोजशाह मेहता रोड, फोर्ट, बंबई।

Reddi, Y. Venugopal : World Bank Borrowers' perspectives, Sterling Publishers Pvt. Ltd. L-10, Green Parl Extention, New Delhi - 16

राष्ट्रीय सहारा : दिल्ली

Rajshekhar, V.T. 1) How maex failed in India, 2) Grave Diggers of History. 3) Who is Ruling India,1982 4) Dialogue of the Bhoodevta 4) Grave diggers of History, 5) India's intellectual Desert 6) India's Muslim Problem, Dalit Sahitya Academy No. 109, 7th Cross, Palace Lower Orchards, Bangalore- 560 003

Sangharshasathi Mulniwasi Bharat

सांपला, बी.आर : युग-पुरुष अम्बेडकर, प्रितम प्रकाशन संत ब्रम्हदास मार्ग, चाणन नगर, पोस्ट ऑफिस सोफी पिंड, जालन्धर, पंजाब

शास्त्री, सोहनलाल : डॉ.बाबासाहेब अम्बेडकर के संपर्क मे 25 वर्ष, तृतिय संस्करण, प्रकाशक – द बुध्दिस्ट सोसाईटी ऑफ दिल्ली प्रदेश, आंबेडकर भवन नई दिल्ली 55

शंकर भाउ साठे : माझा भाउ अन्नाभाउ, विलास वाघ, 861/1; सदाशिव पेठ पुणे 30

साप्ताहिक रिपब्लिकन नौजवान क्रांतिसुर्य, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन विशेषांक, 2003

साप्ताहिक शोधन

सत्यभक्त : कार्ल मार्क्स, इलाहाबाद से 25 अगस्त 1930 में प्रकाशित।

Sinha V.B., : The Red Rebel In India (1968), Associated Publishing House 7717, New Market Karol Bagh, New Delhi - 5

सम्राट : ब्लॉक नं. 9, एन.आय.टी. कॉमप्लेक्स, कौसल्यायन मार्ग उंटखाना नागपुर – 440009

साप्ताहिक सोबत : मुंबई

कॉ. शरद पाटील : 1) मार्क्सवाद : फुले-अंबेडकरवाद, 2) अब्राह्मणी साहित्याचे सौंदर्यशास्त्र, उषा वाघ, सुगावा प्रकाशन, 861/1 सदाशिवपेठ पुणे- 411 030

Shaukat Usmani : Historic Trips of a revolutionary, Sterling Publishers Private Ltd., AB/9, Safdarjang Enclave, New Delhi - 110 016

सुरेश खोपडे : नवी दिशा, स्नेह प्रकाशन, 81, एरिका, मगरपट्टा, हडपसर, पूणें

Swami Ramanand Tirtha : Memoirs of Hyderabad Freedom Struggle, Popular Prakashan, 35c, Tardeo Road, Bombay -34

श्रीप्रकाश : ॲनी बेझंट, भारतीय विद्या भवन

सुंठनकर, बा.रं. (अगस्त 1938) : रॉयवाद, बा.रं. सुंठनकर 328 ठळकवाडी, बेळगांव

उदगावकर म.न. : अदृष्य भस्मासुर - दहशतवाद, प्रमोद प्रकाशन, ठकारवाडा, ब्राह्मण गल्ली, सासवड, जिला पूणे - 412 301

Tribune

Victor Turovtsev : People's Control in Socialist Society, Progress Publishers Mascow

विटेकर, वि. व. : असे होते अन्नाभाउ, छाया प्रकाशन, एरंडवने स.नं. 44 पुणे 38

The Indian Renaissance Institute Dehradun : M.N. Roy's Memoirs, Allied Publishers Pvt. Ltd, 15, Graham Rd. Ballard Estate, Bombay -1

The Hitwada. Nagpur

Times of India, Mumbai

The Week

यशवंत गोपाळ जोशी (प्रकाशक) : मानवेन्द्र रॉय (१९३७), ६२३७१५ सदाशिवपेठ पुणे

युवाभारत : साम्राज्यवाद का नया मोहरा वर्ल्ड सोशल फोरम, युवाभारत प्रकाशन, ८३ए हलवासिया मार्केट फ्लैट, हजरतगंज, लखनउ